द्वादश माला, खंड 7, अंक 11

सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998

23 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

25.8.99

सत्यमेव जयते

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार 14 दिसम्बर, 1998/23 अग्रहायण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	7	श्री टी·सुब्बारामी रेड्डी	डा·टी·सुब्बारामी रेड्डी
106	21	(क)	(क) और (ख)
349	25	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)
361	2	2314	2344
502	2	विधेयक	विधेयक*
506	नीचे से 13	(व्यवधान)	(व्यवधान)*
507	नीचे से 17	श्री मदल लाल खुराना	श्री मदन लाल खुराना
513	नीचे से 15	(व्यवधान)	(व्यवधान)*

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998/23 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 200 (11.12.98)	2-28
	201 से 220 (14.12.98)	28-64
अतारांकित प्रश्न संख्या	2062 से 2291 (11.12.98)	64-321
	2292 से 2482 (14.12.98)	321-480
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		481
सभा पटल पर रखे गये पत्र		481-498
राज्य सभा से संदेश		498
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
दसवां प्रतिवेदन और की गई कार्यवाही संबंधी विवरण		499-500
सभा का कार्य		500-501
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-99		501
संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक – पुर: *स्थापित*		
(अनुच्छेद 239 क क, 331 और 333 का संशोधन और नये अनुच्छेद 330 क, 332 क और 334 क का अंत: स्थापन)		502
कॉफी (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री सोमपाल		502-503
श्री वारकला राधाकृष्णन		515-522

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 14 दिसम्बर, 1998/23 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : अध्यक्ष जी, हमें न्याय चाहिए। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री दरोगा प्रसाद सरोज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर जाइए। यह आपका स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0¼

इस समय श्री रामदास आठवले आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले, कृपया अपनी सीटों पर जाइए। यह गलत है। यह आपका स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर जाएं

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, आप अपने चैम्बर में सबको बुलाकर समझाइए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह सदन की अवहेलना भी करेंगे, अनुशासनहीनता भी करेंगे और फिर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे, यह ठीक नहीं है *(व्यवधान)* पहले इनको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर जाइए। यह आपका स्थान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : इन्होंने यह रोज का काम बना लिया है *(व्यवधान)* यह हाउस को चलने नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दीजिए *(व्यवधान)* पिछले दिनों से सदन की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। इस तरह से सदन नहीं चलेगा, ये लोग लोक सभा की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इनका ममता बनर्जी के साथ विवाद हुआ है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। अन्यथा, मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया, पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अन्य लोगों को परेशान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपनी-अपनी सीट पर जाएं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यहां नहीं आ सकते। यह आपका स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों के बन्द होने के विरोध में आन्दोलन

•181. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बी. आई. सी., एन. टी. सी. और टी. ए. एफ. सी. ओ. सहित अनेक सरकारी उपक्रमों को बन्द किए जाने तथा उनका निजीकरण किए जाने के विरोध में उनके कर्मचारी और कामगार आन्दोलन छेड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (बी. आई. सी.), टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (टी. ए. एफ. सी. ओ.) तथा नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एन. टी. सी.) की 9 सहायक कंपनियों में से 8 कंपनियों को वर्ष 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को सौंप दिया गया था। बी. आई. एफ. आर. ने क्रमशः वर्ष 1994 तथा 1995 में बी. आई. सी. तथा टी. ए. एफ. सी. ओ. को बंद करने की अनुशंसा की है। एन. टी. सी. की जिन आठ सहायक कंपनियों का मामला बी. आई. एफ. आर. को सौंपा गया था उनमें से चार को बंद करने के लिए बी. आई. एफ. आर. ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अन्य चार सहायक कंपनियों के मामले में नवीकरण योजना के प्रारूप के बारे में सुझाव दिया है।

[अनुवाद]

माउथ फ्रेशनर पर उत्पाद-शुल्क में छूट

***182. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

को विभिन्न वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क में छूट ाध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो छूट और रियायत देने के मामले में सरकार की सामान्य नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार को लघु पान मसाला उत्पादन संघ से माउथ फ्रेशनर पर उत्पाद शुल्क में छूट का अनुरोध करते हुए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) माल के स्वरूप, राजस्व संभाव्यता, उद्योग की सामान्य स्थिति और प्रशासनिक सुविधा सहित सभी संभव कारकों को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। नीति संबंधी प्राचल, विचाराधीन वस्तुओं की किस्म एवं उनके स्वरूप पर निर्भर करेंगे।

(ग) जी, हां। सरकार को लघु पान मसाला विनिर्माता संघ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माउथ फ्रेशनर पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है।

(घ) फिलहाल, सरकार माउथ फ्रेशनर पर उत्पाद शुल्क में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

रिसर्जेंट इण्डिया बांड

***183. श्री सुनील खां :**
श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रिसर्जेंट इण्डिया बांड के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और वास्तव में कितनी धनराशि जुटाई गई है;

(ख) जुटाई गई राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि एकत्रित करते समय आर्थिक दृष्टिकोण से इसके प्रतिकूल प्रभावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक बजट घाटा कम हुआ है;

(च) क्या सरकार का और अधिक विदेशी मुद्रा एकत्रित करने के लिए ऐसी और योजनाओं की घोषणा करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस धन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इस मद में कुल राशि लगभग 4.2 बिलियन अमरीकी डालर (अथवा 18,051 करोड़ रुपये) थी।

(ख) जुटाई गई राशि का उपयोग आधारभूत संरचना क्षेत्र, सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक के नकदी प्रारक्षित अनुपात को पूरा करने के लिए किया जाना है।

(ग) और (घ) आर्थिक दृष्टि से रिसर्जेंट इण्डिया बांडों का निर्गम लाभदायक रहा है।

(ङ) बांड के माध्यम से जुटाए गए संसाधन भारतीय स्टेट बैंक के होते हैं। इसलिए बजट घाटे के निधिकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का प्रयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिनके लिए उन्हें जुटाया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक घरानों को सहायता

***184. श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बड़े और संयुक्त औद्योगिक घरानों को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या इन ऋणों की वापसी अदायगी में किसी ने चूक की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि वह बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिष्ठानों सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता देता रहा है, बशर्ते कि उनकी परियोजनाएं अर्थक्षम पाई जाती हों और आईडीबीआई की सहायता, कम्पनी/व्यावसायिक समूह/उद्योग के लिए लागू निवेश मानदण्डों के अन्तर्गत आती हो।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों को दिए गए ऋणों की बकाया राशि 10,736 करोड़ रुपये थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आईडीबीआई द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों को दी गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपये)

	वर्ष		
	1995-96	1996-97	1997-98
मंजूर की गई सहायता	4044.70	3728.38	5386.01
संवितरित सहायता	2442.78	2623.12	4751.72

(ग) ऋणों के रूप में आईडीबीआई द्वारा दी जाने वाली सहायता सभी परियोजना ऋणों और गैर-परियोजना ऋणों के लिए सामान्यत: लागू शर्तों पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन के समय पता लगाए गए अनुसार अलग-अलग मामलों में परियोजना विशिष्ट विशेष शर्तें निर्धारित की जाती हैं। निवेश मानदण्डों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों द्वारा किसी एकल कंपनी पर उसकी शुद्ध सम्पत्ति का 25 प्रतिशत तथा किसी व्यावसायिक समूह के लिए उसकी शुद्ध सम्पत्ति का 50 प्रतिशत के भीतर वित्तीय संस्था का निवेश भी निर्धारित किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि बड़े औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रमुख चूक की कुल राशि 137.44 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

कृषि ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त करना

*185. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) कृषि के लिए ऋणों पर ब्याज लगाने के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि कृषि के लिए ऋणों पर साधारण ब्याज ही लगाएं और चक्रवृद्धि ब्याज तभी लगाएं, जब यह उस नियत तारीख तक बैंक को अदा न कर दिए जाएं जो तारीख ऋणकर्ता के पास नकदी एवं फसल/विपणन मौसम को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को राजसहायता

•186. **डा० प्रभा ठाकुर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी परियोजनाएं स्थापित करने वाले राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कई कर्मचारियों ने राजसहायता की अनुपलब्धता और आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान में असाधारण विलम्ब के कारण परियोजनाओं को कम मूल्य पर बेच दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें राजसहायता और रोजगार दोनों उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबंधन ने मिलों को अपने निहित स्वार्थों के कारण बीमार कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) एन.टी.सी. मिलों के लिए वर्ष 1992 की सर्वांगीण सुधार नीति के एक भाग के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने वाले कामगारों के पुनर्वासन के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत जो कामगार सामान्य कीमत पर एन.टी.सी. से पुराने करघे खरीदकर अथवा मशीन विनिर्माताओं से नए विद्युत करघे/रिलिंग मशीनें खरीद करके अपनी निजी परियोजना शुरू करते हैं, वे उत्पादन प्रोत्साहन के पात्र होंगे जो कि परियोजना के चालू होने की तारीख से उनके 6 महीने के सफलतापूर्वक चलने के बाद प्रदान किया जाएगा।

तदनन्तर, एन.टी.सी. के नौ सहायक निगमों में से आठ के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे जाने तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा निधियां रिलीज

न किए जाने के कारण वर्ष 1992 की सर्वांगीण सुधार नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। चूंकि एन.टी.सी. की मिलों के पुनरुद्धार/पुनर्वासन के समग्र मुद्दे की पुन: जांच की जा रही है, इसलिए मॉनीटरिंग समिति द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का मूल्यांकन करने के बाद राष्ट्रीय नवीकरण निधि से निधियां आवंटित करके उत्पादन प्रोत्साहन जारी करने के प्रश्न को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस समय यह योजना निष्क्रिय है। एन.टी.सी. से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्पादन प्रोत्साहन के 18 दावे प्राप्त हुए हैं। एन.टी.सी. विधिवत जांच करने के पश्चात ही इन लम्बित दावों को निपटायेगा। इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को बेचे जाने के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

(च) और (छ) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिग्रहीत की गई रुग्ण वस्त्र मिलों के कार्यों की देख-रेख करने के लिए वर्ष 1968 में एन.टी.सी. की स्थापना की गई थी। सरकार द्वारा अधिग्रहण से पूर्व इन मिलों को घाटे हो रहे थे और कुछेक मामलों में मिलें दीर्घावधि से बंद पड़ी हुई थीं। इन मिलों में लगातार घाटे होने के मुख्य कारण पुरानी और अप्रचलित, मशीनें, आधुनिकीकरण की कमी, अत्यधिक श्रमिक बल, निकृष्ट कार्य संस्कृति, उच्च इनपुट लागत, उच्च स्थायी लागत, कार्यशील पूंजी की निरन्तर कमी तथा विद्युतकरघा और असंगठित क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा होना है तथा न कि इन मिलों के प्रबंधकों के निहित हित।

यू०टी०आई० का कार्यनिष्पादन

•187. **श्री संदीपान थोरात :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न यू.टी.आई. योजनाओं, विशेषरूप से यू.एस.-64 के कार्यनिष्पादन की हाल ही में गहन समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सामान्य और पता लगाई गई विशिष्ट समस्याओं का यू.एस.-64 के संबंध में विशेष ब्यौरा क्या है और लघु निवेशकर्ताओं के हितों की दृष्टि से उसका महत्व क्या है;

(ग) क्या अधिक पारदर्शिता तथा बेहतर वित्तीय कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यू.टी.आई. की अपने कार्य को पुनर्निर्धारित करने हेतु समयबद्ध योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के कार्य-निष्पादन की आंतरिक रूप से समीक्षा करती है। ये समीक्षाएं परिसंपत्ति प्रबन्ध समितियों द्वारा की जाती हैं जो विपणन, निवेशक सेवा, निधि प्रबन्ध और विनियामक-आवश्यकताओं के संबंध में योजनाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करती हैं। यूनिट स्कीम-64 के मामले में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ग) और (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्यकरण भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमों द्वारा शासित होता है जिनमें प्रकटन संबंधी मानदण्डों सहित विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड अपने दायित्व का निर्वाह करने में यूनिटधारकों के हितों का उचित ध्यान रखते हुए, व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जुलाई, 1994 के बाद से आरम्भ की गई योजनाओं के संबंध में सेबी के विनियमों का अनुपालन भी कर रहा है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्वयं को बदलते माहौल के मुताबिक ढालता रहा है और यह प्रौद्योगिकी पर आधारित वित्तीय सेवाओं के नेटवर्क के जरिए निवेशकों को सर्वोत्तम परिणाम और सेवाएं मुहैया कराता है।

मंत्रालयों द्वारा बचत

•188. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रालय वर्ष दर वर्ष बचत दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रवृत्ति से विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति मन्द हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त राशि का उचित उपयोग करने हेतु की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1996-97 के केन्द्र सरकार के लेखे पर अपनी रिपोर्ट में कतिपय मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगातार बचतों पर टिप्पणी की है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा जांच के अधीन है। सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर, जब भी ये प्राप्त हो जाते हैं, उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

कोयला खानों को बन्द करना

•189. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री मोइनुल हसन अहमद :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने 64 खानों का काम बंद करके 68,000 खनिकों को निकालने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन खानों को बंद किए जाने की संभावना है और ऐसा निर्णय लिए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए कोई वैकल्पिक प्लान/योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) के निदेशक बोर्ड की दिनांक

22.10.1998 को हुई बैठक में कम्पनी की 64 खानों को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन खानों के लगभग 72,000 कर्मचारी छंटनीग्रस्त हो गए।

(ख) ई.को.लि. बोर्ड द्वारा उपर्युक्त निर्णय पर पहुंचने के अन्य कारणों के अलावा निम्न कारण हैं :

(i) को.इं.लि. और भारत सरकार द्वारा अत्यधिक रूप से पूंजीगत निवेश किए जाने के बावजूद भी ई.को.लि. द्वारा लगातार घाटा उठाया जाना।

(ii) अव्यवहार्य खानों की अत्यधिक संख्या।

(iii) ई.को.लि. के छह क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट 64 खानों के अनवरत प्रचालन से बहुत अधिक घाटा हो रहा है।

इन 64 खानों की सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) ई.को.लि. के पुनर्गठन के लिए यूनियनों से विचार-विमर्श किया गया है। उसी समय पुनरुद्धार पैकेज के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु ई.को.लि. ने कोल इंडिया लि., पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार से विचार-विमर्श किया है। यूनियनों से विचार-विमर्श कर लिए जाने के बाद पैकेज तय कर लिया जाएगा। उन कर्मचारियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, के परिवारों के कल्याण के हित में ई.को.लि. ने पहले ही एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना तैयार कर ली थी, जिनके प्रावधान, कर्मचारियों के छंटनी किए जाने के प्रावधान से अधिक उदारपूर्ण हैं।

विवरण

ई.सी.एल. में बंद किए जाने हेतु प्रस्तावित खानें

क्षेत्र का नाम	खानों के नाम
1. श्रीपुर	1. घुसिक
	2. निंघा
	3. एस.एस. इन्क्लाइन
	4. गिमिंट/के.डी. इन्कलाइन
	5. एडजाए-II
	6. भनोरा वेस्ट ब्लाक
	7. कालीपहाड़ी
2. सोदेपुर	1. मेथानी
	2. बेजडीह
	3. धेमोमेन इन्क्लाइन
	4. धेमोमेन पिट
	5. बी.सी. इन्क्लाइन
	6. पटमोहना
	7. सोदेपुर
	8. परबेलिया
	9. दुबेश्वरी
	10. चिनाकुरी-I
	11. चिनाकुरी-II
	12. चिनाकुरी-III
	13. नरसुमोदा
3. सालनपुर	1. दबोर
	2. संग्रामगढ़
	3. खोईराबाद
	4. बेगुनिया
	5. मनोहरबहल
	6. चक बल्लवपुर
	7. गौरंगडीह ओ.का.
	8. बोजेंमेहारी ओ.का.
	9. मोहनपुर ओ.का.
4. सतग्राम	1. कालीदासपुर
	2. रतीबती
	3. बपुई खास
	4. मीथापुर
	5. निमचा
	6. जेमेहारी
	7. पूरे सियरसोल
	8. तिरथ
	9. कौरडीह
	10. अर्द्धग्राम ओ.का.
	11. सीतादासजी
	12. जे.के. नगर
	13. सतग्राम प्रोजेक्ट
	14. सतग्राम इन्क्लाइन
5. पांडेश्वर	1. मधाईपुर
	2. मधेरबोनी
	3. पांडेश्वर
	4. दालुरबंध

क्षेत्र का नाम	खानों के नाम
	5. केन्द्रा
	6. समला
	7. साउथ समला
6. मुग्मा	1. गोपीनाथपुर
	2. हरियाजाम
	3. बदजना
	4. चापापुर
	5. खुदिया
	6. लाखीमाटा
	7. मंडमान
	8. कापासरा
	9. कुमारधुबी
	10. शामपुर-बी
	11. खुदिया ओ.का.
	12. निरशा ओ.का.
	13. बरमुरी ओ.का.
	14. राजपुरा ओ.का.

6 क्षेत्रों में खानों की कुल संख्या 64 है।

कर अपवंचन

*190. **श्री श्रीराम चौहान :**
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 के दौरान और आज तक राजस्व विभाग द्वारा देश में मारे गए छापों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों की चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और उनसे अब तक कितनी धनराशि की वसूली हुई है; और

(घ) भविष्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य करों की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं–

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(1.4.1997 से 31.10.1998 तक)

क्रम सं.	राज्य	कर अपवंचन के पकड़े गए मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	575
2.	बिहार	79
3.	दिल्ली	677
4.	गोवा	1
5.	गुजरात (दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र सहित)	637
6.	हरियाणा	497
7.	हिमाचल प्रदेश	23
8.	जम्मू और कश्मीर	25
9.	कर्नाटक	290
10.	केरल (लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र सहित)	105
11.	महाराष्ट्र	2315
12.	मध्य प्रदेश	245
13.	उड़ीसा	169
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र सहित)	537
15.	राजस्थान	50
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र सहित)	775
17.	उत्तर प्रदेश	544
18.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	358
19.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य	3
	योग	7905

(ii) सीमा शुल्क

(1.4.1997 से 31.10.1998 तक)

क्रम सं.	राज्य	कर अपवंचन के पकड़े गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	21
2.	दिल्ली	46
3.	गोवा	5
4.	गुजरात	60

1	2	3
5.	कर्नाटक	35
6.	केरल	4
7.	मध्य प्रदेश	3
8.	महाराष्ट्र	178
9.	पंजाब	2
10.	राजस्थान	9
11.	तमिलनाडु	96
12.	पश्चिम बंगाल	234
13.	उड़ीसा	24
14.	पूर्वोत्तर राज्य	29
	योग	746

(iii) आयकर (निगमित कर सहित)

(1.4.1997 से 30.11.1998 तक)

क्रम सं.	राज्य	कर अपवंचन के मामलों में जारी किए गए वारंटों की संख्या
1.	गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मुम्बई	2677
2.	कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप और आन्ध्र प्रदेश	697
3.	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र	988
4.	दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर	939
5.	तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल	562
6.	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	656
	योग	6519
	कुल योग (i)(ii) और (iii)	15170

(ग) ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मामलों में ग्रस्त शुल्क की राशि लगभग 3059 करोड़ रुपये है और आयकर के मामलों में किए गए अभिग्रहणों का मूल्य 432 करोड़ रुपये है इन मामलों में अभी तक 234 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है।

(घ) उठाए जाने वाले कदमों में ये शामिल हैं—आसूचना एकत्र करने में सुधार लाना, देश के किसी भाग में पता लगे कार्य के नए तौर तरीकों को शीघ्रता से परिचालित करना, अपवंचन-रोधी तन्त्र को सुदृढ़ बनाना, संभावित अपवंचन योजनाओं के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करना, नकद कारोबार पर रोक लगाना, लेखों के अनिवार्य रख-रखाव और लेखा परीक्षा संबंधी उपबंधों को लागू करना, कर अपवंचकों पर अभियोजन कार्रवाई करना तथा कर की दरों में कमी करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना।

[हिन्दी]

विकास दर में गिरावट

*191. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत सामान, उपभोक्ता वस्तुओं, मोटर वाहनों और सीमेंट उद्योग की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विकास दर कितनी रही;

(ग) धीमी विकास दर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसोचैम ने इसका कारण विसंगतिपूर्ण शुल्क ढांचा बताया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक विकास दर नीचे दर्शायी गई है—

क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1997-98 (अप्रैल-सित.)	1998-99 (अप्रैल-सित.)
समग्र रूप से	12.7	5.6	6.6	6.0	3.6
पूंजीगत माल	4.1	9.3	5.2	7.8	7.8
उपभोक्ता सामान	25.8	4.6	7.8	6.3	0.4
सीमेंट	11.5	9.6	9.2	5.1	4.1
आटोमोबाइल्स वाणिज्यिक					
वाहन	37.1	10.5	-30.7	-12.0	-42.6
आटो रिक्शा	28.9	25.2	8.8	-0.4	-3.1
मोटर साइकिल	25.3	23.4	9.7	12.08	12.46
कार	26.2	21.1	-2.5	6.5	-10.1
दुपहिये वाहन	15.3	7.9	1.1	-9.8	-1.1

(ग) औद्योगिक विकास में मंदी के लिए घरेलू तथा बाह्य दोनों ही घटक उत्तरदायी हो सकते हैं। घरेलू घटकों में ये घटक शामिल

हैं—अवस्थापनापरक क्षेत्रों में जैसे बिजली, पत्तन (पोर्ट्स) तथा परिवहन में अपर्याप्त निवेश के कारण मांग में कमी होने और सामान्य निवेश में मंदी मुख्यत: पूंजीगत बाजार की परिस्थितियों और आंशिक रूप से कुछ उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने के लिए कारपोरेट की पुन:संरचना किए जाने के कारण है। बाह्य घटकों में निर्यात वृद्धि में नकारात्मक रुख होना है, जिसकी विश्व निर्यात में गिरावट आने के कारण स्थिति बिगड़ गई।

मौलिक वस्तुओं जैसे इस्पात, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता सामान की मांग गिर रही है। इसके फलस्वरूप माल सूची में वृद्धि हो गई है और उद्योगों द्वारा उत्पादन में कटौती कर दी गई।

1995-96 में 21.4 प्रतिशत से निर्यात वृद्धि गिरकर 1996-97 में 4 प्रतिशत और 1997-98 में केवल 2.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट के क्रम में अप्रैल-अक्तूबर, 1998 में (-)5.08 प्रतिशत हो गई है। चूंकि देश में कुल उत्पादन के एक बड़े भाग के उत्पादन का निर्यात किया जाता है, निर्यात में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मोचैम ने उल्लेख किया है कि मांग में गिरावट क ढांचे में विसंगतियों के कारण भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि आयात शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कच्चे मालों और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगाए जाने वाला शुल्क तैयार माल से कम हो।

(च) औद्योगिक विकास में कमी को रोकने के लिए सरकार ने 1998-99 की बजट अवधि में तथा उसके बाद औद्योगिक विकास को तीव्र तथा पुनरुज्जीवन करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। बजट में घोषित उपायों के पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

(1) पूंजी प्रवाह को अधिक मात्रा में आकर्षित किए जाने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट, पैट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना, चीनी को भी बाद में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

(2) अनिवासी भारतीयों द्वारा समग्र निवेश की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।

(3) घरेलू उद्योगों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाकर प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाना।

(4) ऊर्जा, परिवहन तथा दूर संचार के लिए योजनागत परिव्यय को वर्ष 1997-98 के 45,252 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) के मुकाबले में वर्ष 1998-99 के 61,146 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) में वृद्धि करके 35 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

(5) विद्युत प्रशुल्कों को युक्तियुक्त करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियमन आयोग स्थापित करना।

(6) "फेमा" को लागू करना और "फेरा" को समाप्त करना।

(7) शहरी भूमि परिसीमन तथा विनियमन अधिनियम (यू.एल.सी.आर.ए.) को रद्द करना जिससे निर्माण संबंधी गतिविधियां तेज होंगी और सीमेंट, इस्पात इत्यादि जैसी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

उद्योग को और गति देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित और उपाय घोषित किए हैं, जिनमें निम्न उपाय शामिल हैं—

(1) निर्यात में वृद्धि को पुनरुज्जीवन करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई।

(2) सरकार ने हाल ही में निवेश में वृद्धि तथा पूंजी बाजार को पुनरुज्जीवन करने के लिए शेयरों की पुन: खरीद तथा अंत:कारपोरेट ऋण की अनुमति दी।

(3) औद्योगिक गतिविधियों को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित व्यस्त मौसम ऋण नीति से ब्याज दरों में वृद्धि से बचाव हुआ है।

(4) सरकार द्वारा तीन बड़े फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं की काउंटर गारंटियां दी गई हैं जिससे वित्तीय परिसमापन की आशा है और इस प्रकार मौलिक तथा अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

(5) 28,000/- करोड़ रु. की लागत से 7,000 कि.मी. के छ: लेन वाले राजमार्ग पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा।

(6) इन क्षेत्रों के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए नीतिगत रुकावटों पर सिफारिश करने के लिए इस्पात, पूंजीगत माल, व्यावसायिक वाहन तथा सीमेंट के लिए 4 कार्य-दल गठित किए गए हैं। इन कार्य दलों ने अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार ने इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सात निविष्टियों पर 5 प्रतिशत की विशेष सीमा शुल्क छूट हेतु पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणाएं शीघ्र किए जाने की आशा है।

यह संभावना है कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में सामान्य वृद्धि होगी।

सिक्कों/नोटों का आयात

*192. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों में मुद्रित करेंसी नोटों/ढाले गए सिक्कों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करेंसी नोटों और सिक्कों का आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जनसाधारण के लिए करेंसी नोट और सिक्कों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु।

(ग) इसमें लगने वाला कुल व्यय 132.87 मिलियन अमरीकी डॉलर है (95.28 मिलियन अमरीकी डॉलर करेंसी नोटों के लिए और 37.59 मिलियन अमरीकी डॉलर सिक्कों के लिए)।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड

*193. **श्री विट्ठल तुपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता के अनेक मामले बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बी.आई.एफ.आर. की चार पीठों में से इस समय केवल एक पीठ काम कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास 2381 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां पंजीकृत थीं। इनमें से, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 1722 मामले निपटा दिए गए हैं और शेष 659 मामले विभिन्न चरणों में लम्बित हैं।

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मामलों के निपटान के जिन कारकों की वजह से विलम्ब होता है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण वित्तीय व्यवस्था वाला पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने में प्रवर्तक की ओर से विलम्ब सभी इच्छुक पार्टियों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विशेष उपबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास प्रस्तावों के संबंध में सभी संबंधितों की सहमति प्राप्त करना शामिल है।

(घ) और (ङ) इस समय, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में तीन सदस्य पदासीन हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(च) प्रारम्भिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारत में जापान द्वारा निवेश

*194. **श्री लक्ष्मण सिंह** :
श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत में जापान द्वारा कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या जापानी व्यापारियों ने यह सूचित किया है कि वे भारत में निवेश करना जारी रखेंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है और हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 की अवधि के दौरान 2064.2 करोड़ रुपये की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 70 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान 616.0 करोड़ रुपये की राशि के अन्त:प्रवाह हुए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 98 से अक्तूबर, 98 तक) की अवधि के दौरान 572.8 करोड़ रुपये की राशि के 42 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और 481.9 करोड़ रुपये की राशि के अन्त:प्रवाह हुए हैं।

(ग) भारत में जापानी निवेश की अनुमोदन तथा अन्त:प्रवाह दोनों ही रूप प्रवृत्ति ऊर्ध्वमुखी रही है। 1991 में 52.7 करोड़ रुपये की राशि के अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से शुरू होकर यह राशि 1998 में (31 अक्तूबर, 98 की स्थिति के अनुसार) कुल 7456.4 करोड़ रुपये की हो गई है।

निर्यात-आयात जापान 1997 के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को दीर्घकाल (10 वर्ष के संस्तर) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए दूसरा अत्यधिक विश्वसनीय स्थान दर्ज किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, जापान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत एक सबसे बड़ा खुला बाजार है और इसके भविष्य में विश्व के विकास केन्द्रों में से एक केन्द्र के रूप में उभरने की संभावना है। इस प्रकार अनुमोदनों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा भारत में जापानी निवेश के अन्त:प्रवाह दोनों को ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि भारत में जापानी निवेश निरन्तर बढ़ता रहेगा।

(घ) और (ङ) जापान में एक जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति और भारत में एक भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की स्थापना

1966 में जापान वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ के बीच हुए एक 10 सूत्री समझौते के अंश के रूप में की गई थी। ये समितियां, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना है, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किए जाने संबंधी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए नियमित अन्तरालों पर बैठकें आयोजित करती हैं। संयोगवश, भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 29वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में 30 नवम्बर, 98 से 1 दिसम्बर, 1998 तक दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच निरन्तर परस्पर विचार-विमर्श किए जाने की प्रक्रिया के आयोजित की गई थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

***195. श्री राजो सिंह :**
श्री सुनील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक विनिवेश आयोग को कितने नए प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चयन के

द्वारा सरकार को अब तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम दर्शाते हुए विनिवेश आयोग की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है;

(च) बकाया विनिवेश प्रस्तावों को निपटाने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है;

(छ) इससे अब तक कितनी धनराशि की वसूली की गई है और इसे किस प्रयोजनार्थ खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ज) क्या विनिवेश प्रक्रिया के कारण शेयर बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(झ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान दस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम विनिवेश आयोग के पास भेजे जा चुके हैं। ऐसा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके किया गया है।

(ग) आठ।

(घ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों का विस्तृत सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) चूंकि विनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है, अत: क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। चालू वर्ष के लिए वी.एस.एन.एल., आई.ओ.सी., जी.ए.आई.एल. तथा कॉनकॉर में सरकारी इक्विटी का आंशिक विनिवेश करने की योजना बनाई गई है। कॉनकॉर में 9 मिलियन शेयरों के विनिवेश द्वारा 221.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

(ज) जी नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विनिवेश आयोग की सिफारिशें

1. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि. (एम.एफ.आई.एल.)

जहां है-जैसा है के आधार पर संपूर्ण सरकारी शेयरधारिता की बिक्री।

2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल)

जी.डी.आर. के जरिए 25 प्रतिशत विनिवेश।

3. भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.)

महत्वपूर्ण स्थानों पर बने होटलों को पट्टे और प्रबन्धन आधार पर दीर्घकालिक ढांचागत संविदा पर चलाने के लिए प्रतिष्ठित होटल शृंखलाओं को सौंपना। अन्य स्थानों पर बने होटलों को अलग-अलग कंपनियों को दिया जाए तथा सरकार उन नई कंपनियों में अपनी 100 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री करे।

4. मैंगनीज ओर इंडिया लि. (एम.ओ.आई.एल.)

फिलहाल कोई विनिवेश नहीं।

5. कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकॉर)

संस्थागत निवेशकों और जनता को 10 मिलियन शेयरों की पेशकश और बाद में आगे चलकर कंपनी 12.5 मिलियन शेयरों का नया इश्यू जारी कर सकता है जिससे सरकारी हिस्सा घटकर 51 प्रतिशत रह जाए।

6. महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.)

बही निर्माण (बुक-बिल्डिंग) के जरिए जी.डी.आर. बाजार में 60 मिलियन शेयर और देशीय बाजार में 28.3 मिलियन शेयर।

7. ऑयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.)

उत्तरी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में खोज संबंधी गतिविधियों का परिणाम आने के बाद कम्पनी की सम्भावनाओं के स्पष्ट हो जाने तथा प्रशासित मूल्य-निर्धारण तंत्र के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट होने के बाद ही विनिवेश और कम्पनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश।

8. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लि. (ओ.एन.जी.सी.)

इस संगठन के परिवर्तन पूर्ण होने तथा प्रशासित मूल्यनिर्धारण तंत्र के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट होने के बाद ही विनिवेश किया जाए।

9. रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लि. (राइट्स)

कोई विनिवेश नहीं।

10. पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि. (पी.एच.एल.)

वैस्टलैण्ड ऋण को ब्याज समेत बट्टे खाते डालने की सिफारिश की गई है। सम्पूर्ण सरकारी धारिता की ओ.एन.जी.सी. को पेशकश की जाए। यदि ओ.एन.जी.सी. की दिलचस्पी न हो तो सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता किसी निवेशक को बेच दी जाए।

11. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड)

विनिवेश संपूर्ण बिजली क्षेत्र की पूर्णत: पुनर्संरचना हो जाने के बाद ही किया जाए।

12. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ई.पी.आई.एल.)

भारत सरकार पहले अपनी धारिता के 74 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश करे जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है; संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने पर, परिसंपत्ति को बंद करे और इसकी बिक्री करे।

13. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.)

फिलहाल कोई विनिवेश न किया जाए।

14. और 15. रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन और उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड

आई.टी.डी.सी. किसी निजी उद्यमी के पक्ष में 100 प्रतिशत धारिता का विनिवेश करे।

16. इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई. टी. एण्ड टी.)

ई.टी. एण्ड टी. तत्काल अपने सभी प्रचालन रोक दे तथा कम्पनी की परिसंपत्ति की बिक्री कर दे।

17. हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लि. (एच.वी.ओ.सी.)

अल्पाहार प्रभाग को नए स्वामित्व को सौंपना तथा 100 प्रतिशत की बिक्री; वनस्पति संबंधी प्रचालनों तथा परिष्कृत तेल की पैकेजिंग को बंद करना।

18. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एच.सी.आई.एल.)

मुम्बई और दिल्ली स्थित होटलों को अलग-अलग इकाइयों के रूप में बेचा जाए, सेन्टॉर श्रीनगर के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार तथा उड़ान में खाद्य व्यवस्था की सेवाओं के संबंध में एयर-इंडिया से वार्ता आरम्भ की जाए।

19. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.)

फिलहाल कोई विनिवेश न किया जाए।

20. रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (आर.आई.सी.एल.)

सभी प्रचालन तत्काल रोक दिए जाएं और परिसंपत्तियों की बिक्री की जाए।

21. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नाल्को)

15 प्रतिशत के जी.डी.आर. इश्यू सहित खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को 30 प्रतिशत इक्विटी तक की बिक्री की पेशकश की जाए।

22. नेइवेली लिग्नाइट ऑफ इंडिया लि. (एन.एल.सी.)

फिलहाल कोई विनिवेश न किया जाए।

23. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल)

फिलहाल कोई विनिवेश न किया जाए। ''इस्को'' के घाटों को बट्टे खाते डालने और ''इस्को'' की बिक्री में सरकार सहायता करे। ''सेल'' की एस.डी.आर. देयताओं को इक्विटी में रूपान्तरित किया जाए।

24. एयर इंडिया लि.

इक्विटी के रूप में 1000 करोड़ रुपये लगाना जिसके बाद नए शेयरों के निर्गम से अनुकूल बिक्री करना जिससे सरकारी धारिता घटकर 60 प्रतिशत रह जाएगी। तदनंतर, देशीय निवेशकों को 20 प्रतिशत की बिक्री की पेशकश की जाए।

25. सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.

सी.ई.एल. के कार्य-निष्पादन में सुधार को प्राथमिकता दी जाए। एक वर्ष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिए जनशक्ति कम करने के लिए तथा एक और वर्ष कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए दिया जाए। यदि अधिशेष जनशक्ति में पर्याप्त कमी नहीं की जाती है तो रक्षा से संबंधी प्रचालनों को नए स्वामित्व को सौंप कर व्यापारिक बिक्री के जरिए सी.ई.एल. में विनिवेश किया जाए।

26. भारत एल्यूमिनियम कं. लि. (बाल्को)

अनुकूल भागीदार को इक्विटी के ८0 प्रतिशत हिस्से का तत्काल विनिवेश करने के साथ 2 वर्षों में सार्वजनिक निर्गम के जरिए सरकारी धारिता को घटाकर 26 प्रतिशत करने पर सहमति। सरकार भविष्य में किसी उपयुक्त समय पर अपनी शेष 26 प्रतिशत की धारिता का पूर्ण विनिवेश करे।

27. बोंगाइगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि. (बी.आर.पी.एल.)

सरकारी धारिता के 50 प्रतिशत हिस्से की अनुकूल बिक्री के साथ-साथ बाद में आगे चलकर सार्वजनिक निर्गम के जरिए धारिता को कम करके 26 प्रतिशत या इससे भी कम करने पर सहमति।

28. एच.टी.एल. लि. (एच.टी.एल.)

विनिवेश के लिए 3 विकल्प–

- अनुकूल बिक्री की प्रक्रिया में आई टी आई के साथ-साथ एच टी एल में 100 प्रतिशत शेयरों की बिक्री।
- एच टी एल के 50 प्रतिशत शेयर भूमंडलीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए अनुकूल भागीदार को पेश किए जाएं।
- यदि उपर्युक्त में से कोई विकल्प व्यवहार्य न हो तो प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सीधी बिक्री।

29. आई टी आई, लि. (आई टी आई)

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए जनशक्ति में तत्काल कमी करना तथा बंगलौर में रक्षा प्रभाग का स्वामित्व अन्तरण तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. के साथ विलय करना जिसके बाद 50 प्रतिशत शेयरों की अनुकूल बिक्री किए जाने के साथ-साथ भारतीय संस्थाओं, लघु निवेशकों और बाद में कर्मचारियों को सार्वजनिक पेशकश करके सरकारी धारिता को कम करके 26 प्रतिशत करने पर सहमति।

30 मद्रास फर्टिलाइजर्ज लि. (एम.एफ.एल.)

नेशनल इरानियन ऑयल कम्पनी के साथ वार्ताएं शुरू करने की सिफारिश ताकि करार की शर्तों को बदला जा सके जिससे कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयरों की किसी अनुकूल भागीदार को बिक्री की जा सके।

31. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. (के.आई.ओ.सी.एल.)

30 प्रतिशत की अनुकूल बिक्री और प्रबन्धन में अनुकूल भागीदार का प्रवेश। अनुकूल भागीदार को सरकारी इक्विटी की बिक्री करके उसे और कम करने तथा 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक पेशकश करने के — के साथ करार किया जाए।

लि. **(एच.सी.एल.)**

दो विकल्पों का सुझाव दिया गया—

- एच सी एल विस्तार कार्यक्रम लागू करे और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए खानों को बन्द करके आई सी सी के खनन प्रचालनों की पुनर्संरचना भी करे। बाद में, सरकार अनुकूल बिक्री के जरिए अपनी धारिता के 51 प्रतिशत हिस्से का निर्निहितीकरण भी करे। शेष 22 प्रतिशत हिस्से का देशीय संस्थाओं, लघु निवेशकों और कर्मचारियों को बिक्री की पेशकश करके विनिवेश किया जाए।
- अनुकूल बिक्री के जरिए 51 प्रतिशत हिस्से का तत्काल विनिवेश और पुनर्संरचना तथा विस्तार के बाद, देशीय संस्थाओं, लघु निवेशकों और कर्मचारियों को बिक्री की पेशकश करके शेष 22 प्रतिशत धारिता का विनिवेश किया जाए।

33. भारतीय नौवहन निगम लि. (एस.सी.आई.)

सरकार तेल शोधनशालाओं को अपनी 40 प्रतिशत धारिता का विनिवेश करे (30 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र को तथा 10 प्रतिशत निजी क्षेत्र की शोधनशालाओं को)। इसके बा् कम्पनी स्वयं अपनी इक्विटी जुटा सकती है।

34. इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई.आई.एल.)

भारत सरकार सामरिक क्षेत्रों में एक भारतीय परामर्शदात्री कम्पनी के रूप में अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए 26 प्रतिशत धारिता रखे; भारत सरकार प्रबन्ध व्यवस्था में उपयुक्त भूमिका सौंपने के साथ-साथ कम्पनी में 30 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करे; एस ओ पी के तहत कर्मचारियों को 10 प्रतिशत; सरकारी क्षेत्र की तैल कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रयोक्ता उपक्रमों को 10 प्रतिशत; अनुकूल भागीदार लाए जाने के बाद देशीय निवेशकों को सार्वजनिक पेशकश के जरिए 24 प्रतिशत का विनिवेश किया जाए।

35. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. (एच.पी.एल.)

भारत सरकार अनुकूल खरीदार को अपनी धारिता के 74 प्रतिशत हिस्से की पेशकश करे।

36. आई.बी.पी. लिमिटेड (आई.बी.पी.)

भारत सरकार 26 प्रतिशत धारिता रखे और भारत सरकार की 59 प्रतिशत धारिता में से कम्पनी की इक्विटी के 33.9 प्रतिशत हिस्से की अनुकूल खरीदार को पेशकश करे।

37. एन.ई.पी.ए. लि. (एन.ई.पी.ए.)

अनुकूल भागीदार को 51 प्रतिशत की तत्काल बिक्री जो 100 प्रतिशत तक भी जा सकती है।

38. हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच.जेड.एल.)

प्रबंध-व्यवस्था में भूमिका दिए जाने के साथ-साथ अनुकूल भागीदार को 25 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जाए।

39. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी.पी.सी.एल.)

अनुकूल भागीदारों को अमझौर और सलादिपुरा एककों की बिक्री करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करना तथा देहरादून के प्रचालनों को बंद करना।

40. फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि. (एफ.ए.सी.टी.)

प्रबंध-नियंत्रण के साथ-साथ अनुकूल खरीदार को कम-से-कम 51 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जाए।

41. हिन्दुस्तान लेटैक्स लि. (एच.एल.एल.)

प्रबंध-नियंत्रण के साथ-साथ अनुकूल खरीदार को 51 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जाए।

42. इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि. (आई.पी.सी.एल.)

प्रबंध-नियंत्रण के साथ-साथ अनुकूल खरीदार को कम-से-कम 25 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जाए।

43. नेशनल फर्टिलाइजर्ज लि. (एन.एफ.एल.)

कारसन विवाद सुलझने के बाद प्रबंध-नियंत्रण के साथ-साथ अनुकूल खरीदार को कम-से-कम 51 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जाए।

गैस मास्कों की खरीद

*196. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री नरेश पुगलीया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने पांच करोड़ की लागत से तकनीकी तौर पर "फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर्स" नामक लगभग 30,000 गैस मास्क खरीदे हैं जो बाद में दोषपूर्ण पाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे गैस मास्क उचित परीक्षण के बाद खरीदे गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) को.इं.लि. द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (जी.जी.एम.एस.) से अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ही "फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर्स" (एफ.एस.आर.) प्राप्त किया गया। एफ.एस.आर. प्राप्त करने के विश्वव्यापी निविदा के एवज में 13.10.1995 को 5.06 करोड़ रु. की लागत से मेसर्स जोसेफ लेस्ली ड्रेजर मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लि. को उक्त 30,000 उपकरण मंगवाने के लिए आर्डर दिया गया था। यह आर्डर, दिनांक 6.10.1995 के पत्रानुसार डी.जी.एम.एस. द्वारा जारी किए गए अनुमोदन के एवज में प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभ में 6 महीनों के लिए वैध इस अनुमोदन की वैधता को बाद में 5.10.1996 तक बढ़ा दिया गया और उसके बाद पुन: इसे 31.10.1997 तक बढ़ा दिया गया, जो डी.जी.एम.एस. के दिनांक 23.5.1996 और 11.12.1996 के पत्र के निर्देशानुसार था। 30,000 एफ.एस.आर. की सुपुर्दगी अगस्त, 1996 तक कर दी जानी थी और पार्टी द्वारा जुलाई, 1996 तक सुपुर्दगी पूरी कर दी गई। अत: आर्डर प्रस्तुत करने की तिथि के साथ-साथ सुपुर्दगी की अवधि के पूरे होने तक पार्टी द्वारा आपूर्तित एफ.एस.आर. हेतु डी.जी.एम.एस. के अनुमोदन दिए जाने की वैधता थी।

डी.जी.एम.एस. ने भा.को.को.लि. के मूनीडीह कोलियरी से यादृच्छिक रूप से उठाए गए एफ.एस.आर. के 6 नमूने के प्रतिकूल जांच परिणाम के बारे में को.इं.लि. को सूचित कर दिया था और को.इं.लि. को सुझाव दिया था कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें और खानों से एफ.एम.आर. को वापिस लें तथा उनकी जांच करवा लें। इस सुझाव के आधार पर एफ.एस.आर. को वापिस ले लिया गया और उनकी फिलहाल जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) मेसर्स जोसेफ लेस्ली ड्रेजर मैन्यू. प्राइवेट लि. द्वारा निर्मित इन फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर्स की केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) में जांच कर लिए जाने के बाद ही डी.जी.एम.एस. का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। अनुषंगी कम्पनियों में से एक कम्पनी द्वारा मेसर्स जोसेफ लेस्ली ड्रेजर मैन्यू. प्राइवेट लि., के निर्माण-स्थल पर उपलब्ध गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए जांच सुविधाओं के निरीक्षण किए जाने के अतिरिक्त प्रत्येक प्राप्ति स्थल पर उपकरणों को लेने से पूर्व उनकी जांच भी की गई थी।

(घ) खान सुरक्षा महानिदेशक के सुझाव पर इन फिल्टर्स सेल्फ रेस्क्यूअर्स को भूमिगत खानों में से वापिस ले लिया गया और इन वापिस ले लिए गए उपकरणों का यादृच्छिक रूप से नमूना लेकर सी.एम.आर.आई. में जांच की जा रही है।

मेसर्स जोसेफ लेस्ली ड्रेजर मैन्यू. प्रा. लि. को अक्तूबर, 1995 में आर्डर देने के बाद उन्हें पुन: एफ.एस.आर. प्राप्त करने के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबंध समाप्त किया जाना

***197. श्री वैको** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे रेशमी धागे के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित रेशम, रेशमी धागे तथा स्थानीय तौर पर उत्पादित रेशम और रेशमी धागे की कीमतों में अन्तर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) अपरिष्कृत कपास का आयात निरन्तर आयात की निषिद्ध सूची में बना हुआ है। तथापि, उच्च ग्रेड की उत्कृष्ट शहतूती अपरिष्कृत रेशम की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने अब विशेष आयात लाइसेंस (एस.आई.एल.) के आधार पर ग्रेड 2ए तथा उससे श्रेष्ठ शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति दे दी है। ऐसे आयात इस शर्त पर होते हैं कि अभ्यर्पित एस.आई.एल. का सी.आई.एफ. (लागत बीमा और भाड़ा) मूल्य आयातित सामान के सी.आई.एफ. मूल्य से तिगुना होगा।

(ग) देश में निर्मित फिलेचर फार्म में अधिकांश उत्कृष्ट शहतूती अपरिष्कृत रेशम ग्रेड बी और उससे निचले ग्रेड की होती है। ऐसी घरेलू अपरिष्कृत रेशम का प्रचलित मूल्य लगभग 1450 रु. प्रति कि.ग्रा. है। ग्रेड 2ए और उससे ऊपर की श्रेष्ठ क्वालिटी की चीन की अपरिष्कृत रेशम का सी.आई.एफ. मूल्य लगभग 1040 रु. प्रति कि.ग्रा. है। तथापि, अपरिष्कृत रेशम पर मूल आयात शुल्क 30 प्रतिशत है जिसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीमा शुल्क तथा 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क भी होता है।

(घ) घरेलू अपरिष्कृत रेशम के निर्माताओं को शुल्क और गैर-शुल्क दोनों प्रकार के संरक्षण देने के अतिरिक्त सरकार ने घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, उच्च ग्रेड की क्वालिटी की रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उत्प्रेरक योजनाएं जैसे कि मल्टी एंड रिलींग मशीनों का प्रयोग, क्वालिटी की रेशम के उत्पादन के लिए विकास केन्द्रों की स्थापना तथा रेशम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजनाएं शामिल हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

म्यूचुअल फण्डों के संबंध में "सेबी" के सुझाव

***198. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यूचुअल फण्डों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति देने हेतु "सेबी" से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भण्डार की बदतर होती स्थिति को देखते हुए म्यूचुअल फण्ड द्वारा निवेश करने के विरुद्ध चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1997 की अपनी ऋण तथा मौद्रिक नीति में घोषणा की कि सेबी द्वारा पंजीकृत भारतीय निधि प्रबंधक जिनमें म्यूचुअल फण्ड शामिल है, को सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन विदेशी बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा व्यक्तिगत निधियों के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा के साथ 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र वार्षिक सीमा के अधीन थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अमरीका द्वारा भारतीय पौधों का पेटेंट किया जाना

***199. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

[illegible] बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मूलतः उगाए जाने वाले 100 से भी अधिक उपयोगी भारतीय पौधों का अमरीका द्वारा पेटेंट करा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पौधों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत को इन पौधों पर विदेशों को रायल्टी का भुगतान करना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) मौजूदा पौधों के लिए पेटेन्ट नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वे नए नहीं हैं। पेटेन्ट उन आविष्कारों पर दिए जाते हैं जो नए हैं, जिनमें आविष्कारशील उपाय हुए हैं और जिनमें औद्योगिक अनुप्रयोग की क्षमता है। पेटेन्ट आविष्कारकों को संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत दिए जाते हैं, देशों को नहीं दिए जाते। पेटेन्ट धारकों को प्रदत्त अधिकार उस देश के सीमा क्षेत्र तक ही सीमित हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जब कभी भी किन्हीं ऐसे उत्पादों के लिए पेटेन्ट लिए जाने की सूचना मिलती है, जो पेटेन्ट योग्य नहीं हैं, तब इस बात को निश्चित करने के लिए पेटेन्ट दिए जाने को चुनौती दी जा सकती है या नहीं, उपाय किए जाते हैं। पेटेन्ट दिए जाने पर आपत्ति करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री होने पर संबंधित देश के पेटेन्ट कार्यालय में पेटेन्ट की पुन: जांच करने और उसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण कोष

***200. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991-92 में स्थापित राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण कोष कार्यक्रम समाप्त करने का है क्योंकि यह अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1991-92 से राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण कोष के लिए वर्ष-वार कितना आवंटन किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए तथा योग्य कामगारों के लिए परामर्श पुन: प्रशिक्षण तथा पुन: नियोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) सरकार के दिनांक 3.2.1992 के संकल्प के अधीन राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण निधि में इसकी स्थापना किए जाने से वर्ष-वार बजट संबंधी आवंटन की राशि नीचे दर्शायी गई है–

आवंटन की राशि

वर्ष	बजट (करोड़ रुपये में)
1992-93	829.66
1993-94	1020.00
1994-95	200.00
1995-96	140.00
1996-97	150.00
1997-98	306.91
1998-99 (बजट अनुमान)	300.00

[अनुवाद]

सड़क नेटवर्क को पत्तनों के साथ जोड़ना

***201. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पत्तनों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 12 महापत्तनों अर्थात् कांडला, मुम्बई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुरगांव, नव मंगलूर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया और कलकत्ता के बीच सड़क संपर्क विकसित करने की योजना बनाई है। विकास के लिए चिन्हित सड़क मार्गों में राष्ट्रीय राजमार्गों और राजकीय सड़कों के खंड भी शामिल हैं। इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में साध्यता अध्ययन और इंजीनियरी की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जानी है जिसके लिए परामर्शदाताओं के चयन हेतु अनेक पेशकशें प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) विभिन्न साध्यता अध्ययनों से संबंधित कार्य को अगले 14 सप्ताहों में सौंपे जाने की उम्मीद है। साध्यता अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार अगला कार्यक्रम तय किया जाएगा।

राज्य बिजली बोर्डों से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा वसूल की जाने वाली बकाया राशि

*202. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1998 को राज्य बिजली बोर्डों अथवा ग्रिड निगमों से राज्यवार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा वसूल की जाने वाली बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) 31.10.98 की स्थितिनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशियां 8883.70 करोड़ रुपये बैठती है। 31.10.98 की स्थितिनुसार इन बकाया धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) विद्युत मंत्रालय द्वारा वसूलियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार में बकाया मुद्दों पर कार्रवाई उच्च स्तर पर की जाती है।

(ii) 31.12.96 की स्थितिनुसार रा.वि.बो. की 3751.45 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय योजना सहायता से प्रत्यक्ष विनियोजन अनुमोदित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार किसी भी राज्य के लिए एक वर्ष में कटौती की धनराशि उस वर्ष में उसके केन्द्रीय योजना सहायता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) दो माह के बिलिंग स्तर से नीचे प्राप्तियों को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक के साथ एनटीपीसी और भारत सरकार की प्रसंविदा लागू करना।

(iv) सरकार ने अक्टूबर, 1996 में आगे यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय यूटिलिटी अपरिवर्तनीय साख पत्र खोले जाने और अग्रिम भुगतान किए जाने पर ही राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति करेंगे।

(v) साख पत्र खोले जाने और अग्रिम भुगतान किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए एनटीपीसी ने सितम्बर, 1994 में एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम लागू की थी ताकि उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके जो वर्तमान मासिक बिलों की पूर्ण धनराशि के संबंध में साख पत्र की व्यवस्था कर लेते हैं। अपेक्षित स्तर तक अपने साख पत्र में वृद्धि करके रा.वि.बो. चार समान साप्ताहिक किस्तों में किए गए भुगतानों पर 2.5 प्रतिशत छूट प्राप्त करने और साख पत्र प्रचालन हेतु किए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की भी स्थिति में होगी।

(ग) उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे चूककर्ता राज्यों समेत सभी राज्य बिजली बोर्डों ने अपने साख पत्र में वृद्धि की है/वृद्धि करना प्रस्तावित किया है जिससे सम्पूर्ण रूप से एनटीपीसी को देय उनके बकाया भुगतान को पूरा किया जा सके।

विवरण

31 अक्तूबर, 1998 की स्थितिनुसार एनटीपीसी की बकाया धनराशियां

(करोड़ रुपये में)

एसटीपीएस/रा.वि.बो.	बकाया राशियां	बिल पर अंकित अधिभार	कुल बकाया राशियां
1	2	3	4
बिहार रा.वि.बो.	892.10	491.17	1383.27
पश्चिम बंगाल रा.वि.बो.	550.89	178.22	729.11
जम्मू व कश्मीर	220.30	279.06	479.36
ग्रिडको	444.04	68.74	512.78
दिल्ली विद्युत बोर्ड	1195.60	544.33	1739.93
उत्तर प्रदेश रा.वि.बो.	1164.82	620.79	1785.61
दामोदर घाटी निगम	222.58	145.93	368.51
असम रा.वि.बो.	29.33	1.08	30.41
आन्ध्र प्रदेश एस.ई.बी.	166.67	70.68	237.25
हिमाचल प्रदेश रा.वि.बो.	5.08	9.10	14.18
मध्य प्रदेश रा.वि.बो.	235.91	210.83	446.74

1	2	3	4
गुजरात वि.बो.	172.43	96.76	269.19
कर्नाटक वि.बो.	53.53	33.56	87.09
महाराष्ट्र रा.वि.बो.	165.99	89.53	255.52
पांडिचेरी	8.33	0.85	9.18
केरल रा.वि.बो.	28.55	22.49	51.04
गोवा (प.क्षे.)	8.63	1.59	10.27
गोवा (द.क्षे.)	3.51	0.54	4.05
तमिलनाडु वि.बो.	30.93	64.75	95.68
हरियाणा विद्युत पारेषण निगम	21.12	228.19	249.31
पंजाब रा.वि.बो.	17.92	7.67	25.59
राजस्थान रा.वि.बो.	17.50	56.15	73.65
[illegible]	0.92	0.95	1.87
	0.22	0.00	0.22
चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश	0.43	0.00	0.43

संकेताक्षर :

एसटीपीएस—सुपर थर्मल पावर स्टेशन

एसईबी—रा.वि.बो.

ईबी—विद्युत बोर्ड

ग्रिडको—ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लि.

डब्ल्यूआर—प. क्षेत्र

एसआर—दक्षिण क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

*203. **श्री ए० गणेशमूर्ति :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ला बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बारे में जमाकर्ताओं की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों पर कम्पनी ला बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) कम्पनी विधि बोर्ड को दिनांक 9.1.1997 के भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के माध्यम से गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यू ए के अन्तर्गत परिपक्व निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने के लिए आदेश देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2. परिणामस्वरूप, कम्पनी विधि बोर्ड अपकृत जमाकर्ताओं से उनके परिपक्व निक्षेपों/उन पर ब्याज का भुगतान न किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त कर रहा है। 31.10.98 तक की स्थिति के अनुसार, कम्पनी विधि बोर्ड ने 33715 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से 20570 का निपटान कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता

*204. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं इसके उन्नयन हेतु यूनेस्को तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमोदित/चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संबंध है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली, एम० एस० स्वामीनाथन प्रतिष्ठान, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं सामाजिक कार्य संस्थान, हैदराबाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे में आठ यूनेस्को पीठ स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) भी देश में चुनिंदा विश्वविद्यालयों के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान दे रहा है।

[हिन्दी]

डीजल पर उपकर

*205. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु डीजल पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह से कितनी धनराशि एकत्रित किए जाने का अनुमान है और यह राशि किन-किन परियोजनाओं पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना

***206. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विदेशी विद्युत कंपनियों को देश के विभिन्न भागों में विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) ये कंपनियां राज्यों में किन-किन स्थानों पर ऐसे संयंत्र लगाएंगी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को सभी सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के चालू हो जाने के बाद किस सीमा तक विद्युत की कमी पूरी होगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) अद्यतनस्थिति अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 22,495 मे.वा. की कुल अनुमानित क्षमता वाली 47 स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से 37 परियोजनाओं में विदेशी प्रवर्तकों द्वारा भागीदारी किया जाना शामिल है। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन 37 परियोजनाओं में से, 939 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली 3 परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं में से 6 और परियोजनाओं को आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है/निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा इन परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू किए जाने के बाद यह अनुमान है कि और 2605 मे.वा. जोड़े जा सकेंगे।

विवरण

विदेशी निवेश वाली तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	प्रवर्तक/विदेशी विकासकर्ता का नाम	जिला
1	2	3	4	5
1.	रोसा टीपीपी	567	आदित्य बिरला ग्रुप/पावर जेनरेशन पीएलसी, यू.के.	शाहजहांपुर
मध्य प्रदेश				
2.	महेश्वर एचईपी	400	एस. कुमार/मै. बैरनवर्क एण्ड मै. व्यू जर्मनी	खण्डवा/खरगौन
3.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी	1070	देवू दक्षिण कोरिया/एबीबी एनर्जी वेंचर, जर्मनी	बिलासपुर
4.	बीना टीपीपी	578	आदित्य बिरला ग्रुप/पावर जेनरेशन पीएलसी, यू.के.	सागर
5.	नरसिंहपुर सीसीपीपी	166	मै. ग्लोबल बोर्डस लि./ओजीडीइएन पावर सिस्टम, यू.एस.ए.	नरसिंहपुर
6.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार	420	मै. इंडिया थर्मल पावर लि./सीमेन्स, जर्मनी/टूमैन कार्पोरेशन, जापान	गुना
7.	गुना सीसीजीटी	330	मै. एसटीआई इंडिया/एमसीएन, यूएसए/लिनोवा, यू.एस.ए.	गुना
8.	पेंच टीपीपी	500	मै. सोरोस फण्ड मैनेजमेंट, यू.एस.ए./मै. एबीबी, जर्मनी	छिंदवाड़ा
9.	भिलाई टीपीपी	574	मै. सेल/एल एण्ड टी/सीईए, यू.एस.ए.	दुर्ग
10.	रायगढ़ टीपीपी	550	मै. जिन्दल स्ट्रिप्स प्रा.लि./जेनटिंग पावर होल्डिंग, मलेशिया	रायगढ़
11.	भाण्डेर, सीसीजीटी	342	मै. एस्सार इन्वेस्टमेंट लि., मुम्बई/मारीशस	दतिया
12.	वीथमपुर डीजीपीपी	119.7	मै. शपूरजी पलोनजी कं./वार्टसिला डीजल ओवाई, फिनलैंड	धार
13.	रतलाम डीजीपीपी	118.63	मै. जीवीके पावर लि./वार्टसिला डीजल ओवाई, फिनलैंड	रतलाम
14.	खण्डवा सीसीजीटी	171.77	मै. मरूबेनी जापान/एजीआईओ, सिंगापुर	पूर्वी निमार
गुजरात				
15.	पगुथन सीसीजीटी	654.7	टोरेंट ग्रुप/जीपीसीएल/सीमेन्स एजी, जर्मनी/पावर जेन. इंके, यू.के.	भारन
16.	हजीरा सीसीजीटी	515.0	मै. एस्सार पावर/प्राइम हजीरा लि., मारीशस	सूरत
महाराष्ट्र				
17.	डाभोल सीसीजीटी	2015	एनरॉन डेवलेपमेंट कार्पो./जीईएंड बैकटेल, यू.एस.ए.	रत्नागिरि

1	2	3	4	5
18.	भद्रावती टीपीएस	1072	इस्पात एलॉय लि./जीईसी, यू.के., ईडीएफ, फ्रांस	इन्द्रपुर
आन्ध्र प्रदेश				
19.	जेगरूपाडु सीसीजीटी	216	मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि./सीएमएस जेनरेशन, यू.एस.ए./ आईएफसीएडीबी एबीबी	पूर्वी गोदावरी
20.	गोदावरी सीसीजीटी	208	मै. स्पैक्ट्रम टैक्नालॉजी, यू.एस.ए. जया फूड्स एंड एनटीपीसी	पूर्वी गोदावरी
21.	विजाग टीपीएस	1040	मै. एचएनपीसीएल/अशोक लेलैंड मद्रास/नेशनल पावर, यू.के.	विशाखापट्टनम
22.	रामागुंडम विस्तार	520	मै. बीपीएल इंडिया/मरूबेनी, जापान	करीमनगर
23.	कोंडापल्ली, सीसीजीटी	350	मै. लैनको हैदराबाद/इस्टर्न जेनरेशन यू.के./हंजंग, कोरिया	कृष्णा
24.	कृष्णापट्टनम ''बी'' टीपीपी	520	मै. बीबीआई इंक., यू.एस.ए.	नैल्लोर
कर्नाटक				
25.	तोरांगल्लू टीपीएस	260	मै. जिन्दल इंडिया/ट्रैक्टेबल एसए बेल्जियम	बेल्लारी
	[illegible]एस	1013.2	मै. कोर्जेंट्रिक्स, यू.एस.ए., सीएलपीएल जीई पावर, मारीशस	दक्षिण कनारा
[illegible]				
27.	नैवेली टीपीएस-जीरो	250	मै. एसटी-सीएमएसए एनर्जी/एसटी होल्डिंग इंक, यू.एस.ए.	दक्षिणी अरकोट
28.	पिल्लईपेरूमल्लनल्लूर सीसीजीटी	330.5	मै. सीईए पीपीएन एनर्जी, मारीशस मरूबेनी, जापान/रेड्डी ग्रुप	तंजावुर
29.	उत्तरी मद्रास टीपीएस-2	1050	मै. वीडियोकोन पावर/एबीबी एनर्जी वेंचर इंक., यू.एस.ए.	एमजीआर
30.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	200	मै. जीएमआर वासवी/रोजीब्लू ग्रुप लेक्समबर्ग/हुडई ग्रुप, कोरिया	मद्रास
31.	तूतीकोरिन टीपीपी	525	मै. तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि./एमसीएन इन्वेस्टमेंट, यू.एस.ए.	चिदम्बरम
32.	समयन्नल्लूर डीजीपीपी	106	मै. बालाजी पावर कार्पो./वार्टसिला डीजल, फिनलैंड	मदुरई
33.	उत्तरी मद्रास टीपीपी	525	मै. त्रिशक्ति एनर्जी लि./पेम्बीनन रेडजई एसडीएन, मलेशिया	एमजीआर
केरल				
34.	विप्पीन सीसीजीटी	679.2	मै. सियासिन, सिंगापुर/पेम्बीनन रेडजई, मलेशिया	एर्नाकुलम
उड़ीसा				
35.	इब वैली टीपीएस	420	मै. एईएस इब वैली कार्पोरेशन/मै. एईएस ट्रांस पावर, यू.एस.ए.	झरसऊगुड़ा
पश्चिम बंगाल				
36.	बालागढ़ टीपीएस	500	मै. सीईएससी/बीएचपी आस्ट्रेलिया सीमेन्स, जर्मनी	हुगली
37.	बकेश्वर टीपीपी	420	मै. डब्ल्यूबीपीडीसीएल/सीएमएस जेनरेशन/कुलजियन कार्पोरेशन, यू.एस.ए.	बीरभूम

सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन के लिए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की है तथा इस तरह की परियोजनाओं के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु प्रावधानों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए परियोजनाओं को स्वतः अनुमोदन माध्यम पर 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते ऐसी कोई भी परियोजना 1500 करोड़ रुपये से अधिक की न हो।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान

*207. श्री जगदंबी प्रसाद यादव :
श्री राजो सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद उन न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के अनुपात में पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए अब तक गठित विभिन्न विधि आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विधि आयोगों द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विधि आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के कारण न्यायालयों में मामलों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कानून प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (च) न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के, न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के अतिरिक्त, अनेक अन्य कारण हैं जिनमें मामलों के संस्थित किए जाने में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, मुकदमेबाजी के पैटर्न में आमूल परिवर्तन, नागरिकों को अधिकारों की जानकारी, आदि भी हैं। विभिन्न विधि आयोगों ने, अपनी रिपोर्टों में, न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की बाबत अनेक सुझाव दिए हैं जैसे कि प्रक्रियात्मक विधियों में संशोधन, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अधिक विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, आधुनिक कार्यालय उपस्करों की व्यवस्था आदि। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, लोक अदालतों के लिए कानूनी आधार का उपबंध और विवादों के समाधान के अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या, जो दिसम्बर, 1990 में 1,07,776 थी, 31 अक्तूबर, 1998 में घटकर 19,806 रह गई है। उच्च न्यायालयों में मामलों के निपटान में वृद्धि के बावजूद, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, जो 31.12.1995 को 2.18 करोड़ थी, 31.12.1996 को घटकर 1.99 करोड़ हो गई है और पुन: बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई है।

[अनुवाद]

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

*208. श्री एस० एस० ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सड़क अनुसंधान विंग ने जून 1998 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 40 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस विंग ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा उनके पुनर्गठन के संबंध में भी कुछ उपाय सुझाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष ने 38 रा.स.प.उ. द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर जून, 1998 को समाप्त तिमाही के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन यात्री सेवाओं की समीक्षा प्रकाशित की है।

(ख) जून, 1998 को समाप्त तिमाही के दौरान सूचना भेजने वाले रा.स.प.उ. के कार्य निष्पादन में सभी मुख्य भौतिक उत्पादकता मानदंडों के अनुसार बड़े स्तर पर सुधार हुआ है। तथापि, जून, 1998 को समाप्त तिमाही के दौरान रा.स.प.उ. के निवल घाटे में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि कुल राजस्व में 12.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु कुल लागत में 16.21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। यह देखा गया कि ईंधन और स्नेहकों की लागत में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जनशक्ति लागत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिन्होंने रा.स.प.उ. के घाटों में पर्याप्त योगदान किया।

(ग) और (घ) रा.स.प.उ. अन्य बातों के साथ-साथ अलाभकारी मार्गों पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और सामाजिक अनिवार्यता सेवाएं जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को रियायती पास उपलब्ध कराना आदि भी चला रहे हैं। इसके अलावा राज्यों में स्वत: किराया संशोधन फार्मूले के न होने से रा.स.प.उ. कठिन स्थिति में पड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न होने के कारण रा.स.प.उ. पुरानी बसों को बदलने तथा अपनी व्यवस्था के आधुनिकीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि परिवहन अनुसंधान पक्ष ने स.स.प.उ. के संबंध

में राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देश की आवश्यकता महसूस की है परन्तु रा.स.प.उ. राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होने के कारण और रा.स.प.उ. के कार्य निष्पादन की तिमाही समीक्षा सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित रा.स.प.उ. को भेजी जाने के कारण यह कार्य उसी स्तर पर किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) जी हां। रा.स.प.उ. को होने वाला निरन्तर घाटा चिन्ता का विषय है। घाटे का एक भाग उत्पादकता में और सुधार करके तथा लागत को युक्तिसंगत बनाकर/कम करके पूरा किया जा सकता है। तथापि, इससे समस्त घाटों को पूरा नहीं किया जा सकता। योजना आयोग रा.स.प.उ. की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रचालनों की बढ़ती लागत को स्फायोजित करने हेतु राज्य सरकारों पर आवधिक किराया संशोधन के लिए बार-बार दबाव डाल रहा है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति

*209. प्रो० रीता वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- में औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति देने के लिए क्या
- जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और इसके क्या कारण थे; और

(घ) बिहार की कौन-कौन-सी औद्योगिक इकाइयां स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं और उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में मुकदमे चलाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) औद्योगिक इकाइयों को दिनांक 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के प्रावधानों इसके दिनांक 4 मई 1994 और दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के संशोधनों एवं उद्योगों के लिए मार्गनिर्देश, 1985 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। वन स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इण्डियन आयल कारपोरेशन का बिहार में बरौनी रिफाइनरी को 4.2 एम.टी.पी.ए. से बढ़कर 6.0 एम.टी.पी.ए. करने के बारे में पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है। बिहार में कोई औद्योगिक यूनिट वन स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

विवरण

जनवरी, 1996 में पर्यावरण निकासी/वन निकासी मंजूर औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	पर्यावरणीय मंजूरी	वानिकी मंजूरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	
2.	असम	01	
3.	बिहार	01	
4.	दिल्ली	01	
5.	गोवा	02	
6.	गुजरात	21	04
7.	हरियाणा	03	
8.	कर्नाटक	10	
9.	केरल	04	
10.	मध्य प्रदेश	06	01
11.	महाराष्ट्र	28	
12.	उड़ीसा	07	03
13.	पांडिचेरी	02	
14.	पंजाब	06	
15.	राजस्थान	15	02
16.	तमिलनाडु	47	
17.	उत्तर प्रदेश	15	
18.	पश्चिम बंगाल	05	
19.	अंतर्राज्जीय समुद्र तट	05	

जनवरी, 1996 से जिन औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय/वन मंजूरी नहीं दी गई है, उनके नाम

क. पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	मैनुफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग एण्ड इन्टरमीडिएट विजयनगरम आर एस आफ मैसर्स वेरा लेबोरेटरीज लि.
2.	मैसर्स कोरोमंडेल फर्टिलाइजर्स लि. का. फर्टिलाइजर प्लांट, विशाखापत्तनम
3.	मैसर्स टी टी एम सी लि. का एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड यूनिट फार मैनुफैक्चर आफ पिपराजीन, नलगोंडा जिला, आन्ध्र प्रदेश

1	2
बिहार	
	बोकारो स्टील प्लांट सेल का कोल ब्रिक्वेटिंग यूनिट
गुजरात	
1.	मैसर्स सोमानी सीमेंट कं. लि. का 1000 टी पी ए सीमेंट प्रोजेक्ट, महोवा तालुका, भावनगर जिला
2.	मैसर्स ए बी जी सीमेंट लि. का सीमेंट प्लांट, कच्छ, गुजरात
3.	मैसर्स डी एल एफ गुजरात लि. का 3.5 एम टी पी ए सीमेंट प्लांट और 50 मेगावाट सी पी पी, कच्छ
4.	मैसर्स हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन गुजरात द्वारा एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इन आफ शोर ब्लाक सी बी-ओ एस/गोल्फ आफ खम्बत भारूच जिला
हरियाणा	
1.	मैसर्स ई एम एस बायो कैम लेबोरेटरीज प्रा. लि. द्वारा बल्क ड्रग यूनिट, गुड़गांव
2.	मैसर्स पशुपति एम एफ जी लि. का इंडस्ट्रियल एल्कोहल यूनिट, फरीदाबाद
3.	मैसर्स आई डी एम ए लेबोरेटरीज प्रा. लि. का बल्क ड्रग यूनिट एण्ड एक्सपेंशन, पंचकूला
4.	मैसर्स अनिल पेक्टिसाइड्स लि. का पेस्टीसाइड्स यूनिट जिला अम्बाला
हिमाचल प्रदेश	
1.	1.0 मैसर्स हरीश चन्द्र (भारत) प्रा. लि. का एम टी पी ए सीमेंट प्लांट, ग्राम मदोल तहसील सुन्दरनगर जिला मंडी
कर्नाटक	
1.	मैसर्स कान्फा चेमो आर्गेनिक लि. का कुनिगल में बल्क ड्रग यूनिट
2.	मैसर्स एल एस के फार्मास्टिकल प्रा. लि. का बीदर, कर्नाटक में बल्क ड्रग का निर्माण
3.	मैसर्स वैस्ट कॉस्ट पेपर मिल्स लि. का दनदेली, उत्तर कनाडा में पेपर और पेपर बोर्ड लि.
4.	मैसर्स किरलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि. का रायचूर में पिग आयरन एंड फाउंड्री यूनिट
5.	मैसर्स सिदल लेदर लि. का जिला बिन्दर में वेटबल्यू/पीकल से फीनिश्ड एरीलाइन और सेमीएरीलाइन एवं रेसिन ग्रेड लेदर का निर्माण
6.	मैसर्स किरलोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज लि. का रायचूर में पिग आयरन प्लांट को 30,000 टी पी ए से 60,000 टी पी ए तक का विस्तारण करना
7.	मैसर्स ए के इस्पात प्रा. लि. द्वारा बेलूर, धारवार में फाउंडरी यूनिट
केरल	
1.	मैसर्स पीठ्ज पैट्रोलियम प्रोडक्टस का कालीकट में बाटलिंग का आयात और एल पी जी का विपणन
मध्य प्रदेश	
1.	मैसर्स हुकम चन्द जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. का भारगवन तहसील अनुगपुर में अम्लाई गांव में 36680 से 77930 टी पी ए कास्टिक सोडा यूनिट
2.	मैसर्स मॉनेट इस्पात लि. का मदिर हसाउंड, रायपुर में स्पांज आयरन यूनिट
3.	मैसर्स लारसन एण्ड टुबरो लि., चम्बा, सलोनी तहसील में 1.6 मिलियन टी पी ए सीमेंट प्रोजेक्ट
महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि. का एम आई डी सी महाद में 125 टी पी ए रिफेमपीसिन का निर्माण
2.	मैसर्स माईटैक्स इंडस्ट्रीज लि. का जिला इलाजूर चेंगई एम जी आर में बल्क ड्रग प्लांट
3.	मैसर्स सनफलैग आयरन एण्ड स्टील कं. लि. का इलैक्ट्रीक आर्क फरनेस रूट मिनी स्टील प्लांट के माध्यम से स्टील व निर्माण
4.	चन्द्रपुर में मानीगढ़ सीमेंट प्रोजेक्ट
5.	एम आई डी सी इंडस्ट्रीयल एरिया थाल दाउन में कास्टिक सोडा यूनिट, जिला पूना/मैसर्स एमीनैक्स कैमिकल्स लि.
6.	मैसर्स धारदा कैमिकल्स लि. का दोम्बीवली इंडस्ट्री एरिया, बम्बई में पैस्टीसाइड्स/इनसैक्टीसाइड्स वैटरनरी ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स इंटरमिडिएट्स का निर्माण
उड़ीसा	
1.	मै. एग्रो काउंटर ट्रेड प्रा. लि. उड़ीसा में टैंक फार्म परियोजना
2.	मै. जिन्दल फैरो एलौयस लि. का जिला अंगुल में हाई कार्बन फैरो क्रोम प्लांट
3.	लार्सन एण्ड टुब्रो लि. द्वारा कुसुम शिला में 1 एम एम टी पी ए एल्यूमिनियम रिफाइंडरी
4.	मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. का गोपालपुर में 2.5 मिलियन क्षमता का इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट
पांडिचेरी	
	मै. वैंटैक इंडस्ट्रीज लि. का पांडिचेरी में बल्क ड्रग प्लांट

1	2

पंजाब

1. मै. रैनबैक्सी लिली क. का जिला रोपड़, एस ए एस नगर में बल्क ड्रग्स इंटरमीडिएट्स कैमिकल्स
2. मै. आस्टर ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि. का सैदापुरा, जिला डेराबस्सी में बल्क ड्रग्ज प्लांट

राजस्थान

1. मै. बिरला एण्ड इंडस्ट्रीज लि. का चित्तौड़गढ़ में 1.2 एम टी पी ए सीमेंट यूनिट
2. मै. केडिया डेलोन इंडस्ट्रीज लि. का जिला अलवर में ग्रेन बेस्ड ग्लटन स्टार्च एण्ड स्पिरिट कम्पलेक्स
3. मै. जी के डब्ल्यू लि. पहले जिसका नाम मै. ग्रेफाइट इंडिया लि. था का चित्तौड़गढ़ में 1.4 एम टी पी ए सीमेंट प्लांट
4. मै. ओरिएंट सीमेंन्स, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शंभूपुरा के निकट सीमेंट प्लांट

[illegible]

[illegible] ड चाइल्स आफ शोर लि. का टूटीकोरिन में [illegible] टी पी ए क्षमता पेट्रोलियम रिफाइनरी

2. मैसर्स तमिलनाडु स्माल एण्ड टिनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तमिलनाडु में कास्टिंग आयरन का विनिर्माण
3. कुडालोर में मैसर्स बेता उद्योग लि. का डाई और डाई इंटरमीडिएट
4. मैसर्स वन टैंक टर्मिनल लि. द्वारा कोयला पोर्ट, चेंगई एम जी आर जिला, तमिलनाडु के पास टैंक टर्मिनल परियोजनाएं
5. मैसर्स आदित्य कास्टिंग प्रा. लि. द्वारा चेंगई, एम जी आर जिला, तमिलनाडु में फाउंड्री यूनिट
6. मैसर्स यूनिक सेल द्वारा कोयम्बटूर में फाउंड्री यूनिट
7. जीटैक्स इंजीनियरिंग लि. तमिलनाडु
8. मैसर्स जैड डब्ल्यू जी कास्टिंग प्रा. लि. तमिलनाडु द्वारा कोयम्बटूर में फाउंड्री

उत्तर प्रदेश

1. मैसर्स धामपुर सुगर मिल्स लि. का 30 के एल पी डी का विस्तार करके 100 के एल पी डी करना तथा 30 एम टी पी डी इथाइल का विस्तार करके 60 एम टी पी डी एसिटिक एसिड एण्ड एसीटिक एंटीड्राइड करना
2. मैसर्स का डंकन्स इंडिया लि. का पनकी, कानपुर में तीन स्ट्रीम प्लांट का निर्माण
3. मैसर्स उफल स्टील एण्ड एलाइज प्रा. लि. द्वारा सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में 15900 एम टी प्रति वर्ष की एम एस इंगोट्स इस्टल्ड क्षमता का विनिर्माण

1	2

4. मैसर्स सदाफ इंटरप्राइजेज प्रा. लि. द्वारा उन्नाव में प्रतिवर्ष 1400 हाइड्स तथा प्रतिदिन 1500 जूतों के निर्माण के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट

पश्चिम बंगाल

1. मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. का दुर्गापुर में 0.5 इस्पात उत्पाद
2. मैसर्स सेंचुरी आइरन एण्ड स्टील लि. का खडकपुर में पिग आइरन काम्पलेक्स
3. मैसर्स वेटाबेम इंडस्ट्रीज लि. का हल्दिया जिला, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में डाईइंटरमीडिएट यूनिट्स

ख. जिन परियोजनाओं को वानिकी मंजूरी नहीं दी गई

क्र.सं.	नाम

कर्नाटक

1. मैसर्स गेटवे होटल्स एण्ड रिसार्ट लि. के लिए गुरुकुल काम्पलेक्स और काटेज की लीज

राजस्थान

1. औद्योगिक उपयोग के लिए मैसर्स रिको के पक्ष में 488 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग

मानकों का पालन न करने, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना परियोजनाएं शुरू करने, जीवमंडल रिजर्वों, अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्मारकों/विरासत स्थलों जैसे संवेदी क्षेत्रों के आसपास स्थित स्थल, राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन प्रस्तुत न करने, सी आर जैड शर्तों, पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए अपेक्षित कागजात प्रस्तुत न करने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई।

वानिकी मंजूरी वन और वन्यजीव के हित में तथा वनेतर भूमि के विकल्प न मिलने के कारण नहीं दी गई।

विद्युत वित्त निगम को विदेशी संस्थाओं से ऋण

***210. डा० सुशील इंदौरा :**
प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) गत वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए 26 मिलियन डालर ऋण का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अप्रयुक्त ऋण से वित्तीय हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या विद्युत वित्त निगम द्वारा चालू वर्ष के लिए निर्धारित किए गए 250 करोड़ रुपये के लक्ष्य को कम कर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान पावर फाइनेंस कार्पोरेशन को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) और (च) वर्ष 1998-99 के लिए भारत सरकार के साथ हस्तांतरित पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के समझौता ज्ञापन में बजट के माध्यम से विदेशी सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये का लक्ष्य शामिल है। विद्युत मंत्रालय के बजट अनुमान में इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है जिसमें अभिवृद्धि करने का अनुरोध किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय कंपनियों को काली सूची में डालना

*211. **श्री बालासाहिब विखे पाटोल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने 200 से भी अधिक भारतीय कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन कंपनियों को काली सूची में डालने से विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों पर होने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसके विपरीत प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य सरकार ने 19 नवम्बर, 1998 को 40 भारतीय एन्टिटिज सहित 200 सहायक एन्टिटिज को, जो निर्यात प्रतिबंधों के अन्तर्गत आएगी, फैडरल रजिस्टर में अधिसूचित किया। सूची में उन एन्टिटिज का विवरण है जिन पर संयुक्त राज्य अमरीका को नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र से संबंधित कार्यक्रमों में लगे होने का विश्वास है और उनमें परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष के क्षेत्र के संगठन, अनेक भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां तथा बहुत कम शैक्षिक, वैज्ञानिक व अनुसंधान संस्थानों के कुछ विभाग शामिल हैं।

भारत का सभी प्रकार से मानना है कि एकपक्षीय प्रतिरोधक नियंत्रण अनुचित है, प्रति उत्पादक है और अवरोध मुक्त व्यापार प्रवाह, प्रौद्योगिकी और पूंजी के लिए बाधक हैं तथा इससे परस्पर लाभकारी अंत:क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) हालांकि नियंत्रणों के प्रभाव का सुनिश्चित अनुमान लगाना कठिन है तथापि अब तक के प्रभाव न्यूनतम हैं। संयुक्त राज्य एन्टिटिज की सूची वाले अनेक रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा संस्थान मई, 1998 से कई वर्ष पहले से ही प्रौद्योगिकी न मिलने का अनुभव रखते हैं और इस प्रकार उनको काली सूची वाले एन्टिटिज की सूची में सम्मिलित करने से उन पर अतिरिक्त बोझ न्यूनतम ही लगाया गया है। हमारे संस्थान स्वदेशी विकास के माध्यम से और वैकल्पिक स्रोतों से उपार्जन करके इन दबावों पर काबू पाने के लिए उठ खड़े हुए हैं/ संगठित हो गए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

*212. **श्री रामपाल उपाध्याय** :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष या इससे पूर्व शुरू की गई अनेक विद्युत परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनको पूरा करने की निर्धारित समय सीमा क्या है;

(घ) क्या परियोजना कार्यान्वयन निगरानी तंत्र सरकार की संतुष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) 30 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें मार्च, 1996 में या इससे पहले अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं के नाम तथा इनको पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संलग्न विवरण-II में उन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिनको वर्ष 1999 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम नहीं है। परियोजनाओं में विलम्ब परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न है तथापि, विलम्ब के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

(ii) वन/पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब और सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी।

(iii) पर्याप्त निधियां और निधियों के स्रोत (बजटीय/स्वदेशी संसाधन, अतिरिक्त बजटीय/संसाधन और विदेशी सहायता) सुनिश्चित करने में विलम्ब।

(iv) विस्तृत अभियांत्रिकी को अंतिम रूप प्रदान करने में विलम्ब।

(v) क्षेत्र परिवर्तन।

(vi) निविदा प्रदान करने, आदेश प्रदान करने और उपस्कर आपूर्ति करने में विलम्ब।

(vii) औद्योगिक संबंध तथा कानून व्यवस्था की समस्याएं।

(viii) पोषण स्टॉक आपूर्ति में अनिश्चितता और विलम्ब।

(ix) प्रारम्भिक कठिनाइयों का पहले ही उत्पन्न हो जाना।

(x) प्रौद्योगिकी समस्याएं।

(xi) भू-वैज्ञानिक घटनाएं।

(xii) विदेशी विनिमय और सांविधिक शुल्कों की दरों में परिवर्तन।

(xiii) पर्यावरणीय सुरक्षाओं और पुनर्स्थापना उपायों की अत्यधिक लागत।

(xiv) भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत।

(xv) कुछ क्षेत्रों में बोलीदाताओं द्वारा उच्च कीमतों को अंकित किया जाना।

लागत का कम अनुमान लगाना।

मूल्य अभिवृद्धि।

(घ) और (ङ) मानीटरिंग तंत्र को संतोषजनक पाया गया है। तथापि, इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में हाल ही में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है–

1. समस्या के निपटान हेतु प्रशासनिक मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना।
2. परियोजना की समाप्ति तक एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
3. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा नियमित मानीटरिंग।
4. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा विशेष समीक्षा।
5. मंत्रालय में एक परियोजना मानीटरिंग कक्ष की स्थापना।
6. के.वि.प्रा. द्वारा स्थल दौरा समेत परियोजना की विस्तृत मानीटरिंग।

विवरण-I

परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की प्रत्याशित तिथि माह/वर्ष
1	2	3	4
1.	मेजिया टीपीपी	630	9/98
2.	दोयांग एचईपी	75	7/99
3.	अगरतला जीटीपीपी	84	6/98
4.	रंगित एचईपी-III	3x20	3/99
5.	फरक्का एसटीपीपी-III	500	–
6.	नाथपा झाकरी पारेषण प्रणाली	सीकेएम 1980	10/99
7.	कथालगुडी जीपीपी पारेषण प्रणाली	सीकेएम 2403	3/99
8.	रंगानदी पारेषण लाइन	355 स. कि.मी.	6/99
9.	कोपिली-I विस्तार पारेषण प्रणाली	85 स. कि.मी.	7/98
10.	टीआर दुलहस्ती	220 के.वी.	6/99
11.	कन्ट्रेजेसी	282 स. कि.मी.	
12.	टीआर किशनपुर	567 स. कि.मी.	3/99
13.	एचवीडीसी बैक-टू-बैक जैपोर	420 स. कि.मी.	2/99
14.	विन्ध्याचल पारेषण चरण-II	400 के.वी.	10/99
15.	कैगा सिरसी पारेषण प्रणाली	120 स. कि.मी.	12/98
16.	संवर्धन पारेषण प्रणाली इनईआर	48 स. कि.मी. 132 के.वी.	3/99
17.	कायमकुलम पारेषण प्रणाली	248 स. कि.मी. 220 के.वी.	3/99

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
1.	रंगानदी एचईपी	405
2.	कोयल कारो एचईपी	710
3.	धौलीगंगा एचईपी-I	4x70
4.	टिहरी बांध एचपीपी	1000
5.	नाथपा झाकरी एचईपी	1500
6.	विन्ध्याचल एसटीपीपी-II	2x500
7.	ऊंचाहार टीपीपी चरण-II	2x210
8.	कोयल-कारो पारेषण लाइन	215 स. कि.मी.
9.	यूएलडीसीएस, द.क्षे.	–
10.	एलडीसी, उ.क्षे.	–

1	2	3
11.	अगरतला	126 स. कि.मी. 132 के.वी.
12.	आरएपीपीबी पारेषण प्रणाली	621 स. कि.मी. 220 के.वी.
13.	टिहरी पारेषण प्रणाली	800 के.वी. 3000 स. कि.मी.
14.	पंचेट हिल-II एचईपी	40

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत विकास कोष

***213. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विद्युत विकास कोष की स्थापना के लिए उपभोग के स्थान पर विद्युत उत्पादन पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पनबिजली उपकर विधेयक संसद में कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) विद्युत उत्पादन पर उपकर लगाकर विद्युत विकास कोष की स्थापना करने के लिए एक विधेयक लागू करने पर प्रस्ताव जांचाधीन है।

(ख) उपकर के लगाने से जो प्राप्तियां होंगी उन्हें भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा तथा उसके पश्चात् उसे केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य बांट दिया जाएगा।

राज्य विद्युत विकास कोष में उपलब्ध राशि का समुपयोजन लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित जल विद्युत विकास के संवर्धन तथा उप-पारेषण/वितरण प्रणाली सहित पारेषण/वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्युत विकास कोष में उपलब्ध राशि का समुपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा :

(i) उन जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जो एक से अधिक राज्य को लाभ प्रदान करेंगी, सर्वेक्षण एवं जांच तथा डीपीआर की तैयारी पर होने वाले व्यय को वित्तपोषित करना।

(ii) भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यय सहित निर्माण पूर्व गतिविधियों में निवेश करना। इन गतिविधियों में पहुंच मार्गों और पुलों का निर्माण करना शामिल है।

(iii) छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना।

(iv) विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी व्यय का वित्तपोषण करना।

(v) जल विद्युत केन्द्रों से भार केन्द्रों तक विद्युत की निकासी के लिए आवश्यक पारेषण लाइनों/सम्बद्ध उपकेन्द्रों संबंधी व्यय का वित्तपोषण करना।

(ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर उपकर लगाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् एक विधेयक तैयार किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

"ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर" के संबंध में सम्मेलन

***214. श्री चेतन चौहान :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेन्टीना में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर कम करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना में नवम्बर 2-13, 1998 के दौरान आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा कन्वेंशन के पक्षकार देशों के लिए हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। तथापि, सम्मेलन में विकासशील देशों के लिए स्वैच्छिक वचनबद्धताओं से संबंधित अनन्तिम कार्यसूची एक मद को शामिल करने की कई विकासशील देशों जिनमें भारत भी शामिल है, के विरोध को ध्यान में रखते हुए हटाना पड़ा।

विकासात्मक कार्य के लिए प्रतिपूरक वानिकी

***215. श्री अजीत जोगी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रतिपूरक वानिकी से संबंधित कोई नीति बनाई है जहां कतिपय विकासात्मक कार्य के लिए पेड़ काटे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अपवर्तित वन क्षेत्र के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण के विद्यमान दिशा-निर्देशों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रतिपूरक वनीकरण के दिशा-निर्देश सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को कार्यान्वियन के लिए जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण उतनी ही वनेतर भूमि पर परियोजना लागत पर किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अभिनिर्धारित वनेतर भूमि, वन भूमि से सटी या उसके समीप होनी चाहिए ताकि वन विभाग उन क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन कर सके जिन पर नई पौधरोपण की गई हो। यदि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वनेतर भूमि उसी जिले में उपलब्ध न हो तो इसका पता राज्य में कहीं भी अपवर्तन के स्थान से यथासंभव समीप लगाया जाए ताकि क्षेत्र की सूक्ष्म पारिस्थितिकी प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े।

वनेतर भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतिपूरक वनीकरण अपवर्तित किए जा रहे वन क्षेत्र की दुगुनी अवक्रमित वन भूमि पर भी किया [illegible] वनेतर भूमि की अनुपलब्धता को केन्द्रीय सरकार [illegible] द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत [illegible] का जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में, प्रतिपूरक वनीकरण राज्य के मुख्य सचिव के प्रमाण-पत्र के बिना सीधे ही अवक्रमित वन भूमि पर किया जा सकता है। कतिपय अन्य श्रेणी की विकास परियोजनाओं, जो स्वरूप में छोटी होती हैं और जिनसे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचता है, के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण वनेतर भूमि के बजाय अवक्रमित वन भूमि पर किया जा सकता है।

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

***216. श्री माधवराव पाटील :**
श्री डी० एस० अहिरे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(च) गत दो वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास से संबंधित कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं; और

(छ) वर्तमान वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में कितनी योजनाएं आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (छ) 1. जी, हां। सरकार ने सचिव, जल-भूतल परिवहन की अध्यक्षता में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति गठित की है जिसके सदस्यों का चयन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थाओं और राज्य लो.नि.वि. से किया गया है। इस समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं जिनमें अनुसंधान क्षेत्रों और कार्यान्वियन हेतु स्कीमों का पता लगाया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

2. चालू अनुसंधान स्कीमों की एक सूची संलग्न विवरण-I के रूप में दी गई है।

3. ये अनुसंधान स्कीमें अनुसंधान/शिक्षा संस्थाओं के जरिए लागू की जा रही हैं। यह मंत्रालय विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु राज्यों को धन प्रदान नहीं करता। गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास स्कीमों में व्यय हुई राशि नीचे दर्शाई गई है :

1995-96	87.05 लाख रु.
1996-97	91.82 लाख रु.
1997-98	414.28 लाख रु.

4. गत दो वर्षों के दौरान पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

5. इस वर्ष शुरू की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-III के रूप में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्कीम सं.	विवरण
1	2	3
1.	आर-16	विभिन्न यातायात और मौसम संबंधी स्थितियों के मद्देनजर नम्य पेवमेंट हेतु अध्ययन।
2.	आर-19	एन पी एस : पेवमेंट निष्पादन अध्ययन।
		एन पी एस : विशेष रूप से डिजाइनकृत और निर्मित खंडों पर अध्ययन।
		एस I—हटा दिया।
		एस II—रा.रा.-4 पर (बंगलौर के निकट बंगलौर पुणे खंड)
		एस III—रा.रा.-8 पर, गुजरात में बदोदरा बाइपास
		एन पी एस II—रा.रा.-1, रा.रा.-2 और रा.रा.-8 पर बाह्य वित्तपोषित स्कीमों के तहत बनाए जा रहे पेवमेंट खंडों पर अध्ययन।

1	2	3
		एन पी एस III—बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत दिल्ली के आस-पास के राज्यों में हाल ही में पूरे किए गए चार लेन कार्यों का अध्ययन।
3.	आर-41	पेवमेंट की सतह को बेहतर बनाने के लिए जियोग्रिड का उपयोग।
4.	आर-42	डामर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए डामर में योगिकों का उपयोग।
5.	आर-54	इलाहाबाद के निकट रा.रा. पेवमेंट के लिए रबड़/संशोधित डामर पालीमर बंधनों का उपयोग।
6.	आर-56	नम्य पेवमेंट के विश्लेषणात्मक डिजाइन के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम और डिजाइन चार्ट तैयार करना।
7.	आर-59	बाक्स सैल पुलियों के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम विकसित करना।
8.	आर-63	डामर की ऊपरी सतह में परावर्तित दरार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अंतरपरत के रूप में भू-कृत्रिम पेवमेंट प्रबलित फैब्रिक का उपयोग। उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2 के कानपुर-वाराणसी खंड के 239.5 से 240.5 कि.मी. और 172.0 से 173.0 कि.मी. भाग में परीक्षण खंडों का निर्माण।
9.	आर-65	उच्च तटबंधों के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणाली में सुधार।
10.	आर-66	बैंकेलमैन बीम का आटोमेशन।
11.	आर-67	राजमार्ग इंजीनियरों और पुल इंजीनियरों की पाकेट बुक का तृतीय संशोधन।
12.	आर-70	चूना मिट्टी स्थिरीकरण की नवीनतम रिपोर्ट का स्तरोन्नयन।
13.	आर-71	अर्थवर्क एवं सबग्रेड हेतु नवीनतम रिपोर्ट का स्तरोन्नयन।
14.	आर-74	सड़क स्थिति मूल्यांकन उपस्कर का विकास।
15.	आर-75(क)	रा.रा.-2 पर 22 (डब्ल्यू) से 23 (डब्ल्यू) कि.मी. तक विभिन्न प्रकार की डामरयुक्त सामग्री से 20 मि.मी. की एम एस एस टाइप बी की परत चढ़ाना।
16.	आर-75(ख)	रा.रा.-2 दिल्ली-मथुरा सड़क पर 22 (डब्ल्यू), 23 (डब्ल्यू) कि.मी. पर 20 मि.मी. एम एस एस परत के कार्य निष्पादन की समीक्षा।
17.	आर-76	1.1.1995 से आगे की अवधि के लिए तकनीकी परिपत्रों (तकनीकी परिपत्र के संकलन में चौथा भाग जोड़ना) के सारांश का मुद्रण।
18.	आर-77	आर-19 के तहत नए पेवमेंट खंडों के कार्य निष्पादन का अध्ययन करने के लिए रा.रा.-4 के बंगलौर-पुणे खंड के 30-34 कि.मी. भाग में प्रयोगात्मक हिस्से का निर्माण।
19.	आर-81	"फालिंग वेट डिफ्लैक्टोमीटर" की मदद से पूर्वी भारत में पेवमेंटों का स्ट्रक्चरल मूल्यांकन।
20.	बी-1	पुलों की उद्गम नींव के चारों ओर मिट्टी की प्रतिरोधक-शक्ति का अनुमान लगाने की युक्तिसंगत पद्धति। संसंजनरहित मिट्टी।
21.	बी-12	पुल डैक पर तापमान वितरण का दीर्घकालिक अध्ययन।
22.	बी-14	राजमार्ग पुल सुपरस्ट्रक्चर के विश्लेषण और डिजाइन के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास।
23.	बी-15	सामान्य रूप से समर्थित पी एस सी पुलों का उपकरण—गोवा में नया और पुराना मंडोवी पुल।
24.	बी-17	वाराणसी में गंगा पर कैन्टोलीवर पुलों का उपकरण।
25.	बी-18	फ्यूजन-बांडिड इपाक्सि-कोटिड रिइनफोर्समेंट और रिइनफोर्समेंट पर अन्य सुरक्षा कोटिंग का समीक्षात्मक मूल्यांकन।
26.	बी-20	देश के सामान्य स्पैन के पुलों के लिए हवा-प्रतिरोधक डिजाइन हेतु युक्तिसंगत डिजाइन विशिष्टिकरण और अधिक स्पैन पुलों के लिए मार्गनिर्देश।
27.	बी-21	अंडर वॉटर स्कैनिंग पर एस ओ ए आर तैयार करना।
28.	बी-22	पुल बीयरिंग के विकास पर एस ओ ए 7 आर तैयार करना।
29.	बी-23	कंकरीट पुलों पर जीवित भार के लिए आंशिक सुरक्षा कारक तैयार करने के लिए जीवित भार के लक्षण-वर्णन का मूल्यांकन करना (चरण-1)।
30.	बी-24	विश्लेषण की मानक डाटा बुक को अद्यतन करना (1995)।
31.	बी-26	पुलों की मरम्मत और पुन: स्थापन में फाइबर रिइनफोर्समेंट कंकरीट का प्रयोग करना।

1	2	3
32.	आर-3 फेज-III	आंध्र प्रदेश में स्थायी यातायात गणना केन्द्र स्थापित करना।
33.	आर-35	यातायात सिमुलेशन माडल का विकास और अनुप्रयोग।
34.	आर-44	सहायक सड़क प्रणाली पर यातायात का पैटर्न।
35.	आर-47	शार्ट हॉल शहरी और उप-शहरी मालभाड़ा यातायात का अनुमान।
36.	आर-62	राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुधुरीय वाहनों के मालभाड़ा यातायात आवागमन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार करना।
37.	आर-68	रोड साइड फर्नीचर की कलात्मक डिजाइन का विकास।
38.	आर-69	भारत में एक्सप्रेस मार्ग के लिए ज्यामितिय डिजाइन मानकों के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना।
		राजमार्ग वाहनों के लिए स्वचालित गणना और वर्गीकरण प्रणाली का विकास।
40.	आर-73	राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों पर क्षमता वृद्धि विकल्पों का मूल्यांकन।
41.	आर-79	सड़क दुर्घटना लागत का मूल्यांकन।
42.	आर-80	सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन को अद्यतन करना।
	योजना	
43.		प्रशासनिक सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ठेके सौंपने में और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों की समीक्षा करना और उन्हें संशोधित करना।

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के दौरान पूरी की गई अनुसंधान स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम सं.	विवरण
1	2	3
क : सड़कें		
1.	आर-18	समतल घर्षण कारकों, चालकों की अवधारणा और ब्रेक प्रतिक्रिया समय तथा लम्बी दूरी तक देख सकने संबंधी अपेक्षाओं पर ज्यामितिय डिजाइन अध्ययन।
2.	आर-57	राजमार्ग परियोजनाओं का मामला अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव और उसका नियंत्रण।
3.	आर-60	फील्ड सी बी आर के मापन के लिए पोर्टेबल इलैक्ट्रानिक साधन का विकास।
ख : पुल		
1.	बी-14	राजमार्ग पुलों के लिए कम्प्यूटर आधारित मानक डिजाइन और ड्राइंग का विकास।
2.	बी-19	राजमार्ग पुलों के लिए भूकम्पीय डिजाइन का अध्ययन।
ग : यातायात और परिवहन		
1.	आर-40	पेंट और सड़क चिन्हांकन सामग्री का विकास।
2.	आर-64	दुर्घटना ब्लैक स्पॉट की पहचान और मरम्मत के लिए प्रणाली स्थापित करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उचित सुरक्षा सुधार स्कीमें और उनका निजीकरण।

विवरण-III

1998-99 के दौरान संस्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित नई आर एंड डी स्कीमें

क्र.सं.	विवरण
सड़कें	
1.	पूर्वी भारत में फालिंग वेट डिफ्लैक्टोमीटर का प्रयोग करके पेवमेंट का संरचनात्मक मूल्यांकन।
2.	लचीले पेवमेंट के कार्य-निष्पादन पर हार्ड शोल्डर्स के प्रभाव का अध्ययन।
	जोड़ (सड़कें)
यातायात और परिवहन	
1.	सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन को अद्यतन करना।
2.	यातायात प्रशांतता तकनीक : भारतीय स्थितियों के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना।
	जोड़ (यातायात और परिवहन)
पुल	
1.	पुलों पर जीवित भार के लिए आंशिक सुरक्षा कारक तैयार करने हेतु जीवित भार के लक्षण-वर्णन का मूल्यांकन।
2.	विश्लेषण की मानक डाटा बुक को अद्यतन करना।
3.	पुलों की मरम्मत में फाइबर रिइनफोर्सड कंकरीट का प्रयोग।
4.	पुलों का स्थिति सर्वेक्षण।
	जोड़ (पुल)
	कुल जोड़

[अनुवाद]

उत्कृष्टतम केन्द्र

***217. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य कर रहे उत्कृष्टता केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या यह व्यय इसके परिणामों के अनुरूप है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दो ''सैन्टर ऑफ एकलर्लेंस'' स्थापित किए हैं। इन दो केन्द्रों में से पहला केन्द्र, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात) में है जिसके क्षेत्रीय कोष्ठ बंगलौर, गुवाहाटी, लखनऊ तथा पूना में हैं और दूसरा केन्द्र सी.पी. रामास्वामी पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र चेन्नई (तमिलनाडु) में है जिसका फील्ड ऑफिस उधागमण्डलम में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा इन दो केन्द्रों के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रु. में)

	निम्न वर्षों में जारी की गई वित्तीय सहायता		
	1995-96	1996-97	1997-98
1. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र अहमदाबाद	180.00	205.50	231.13
2. सी.पी.आर. पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, चेन्नई	75.00	76.00	87.43

(ग) स्कूल प्रणाली में अनौपचारिक विधियों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा संबंधित सामग्री तैयार करने, जागरूकता गतिविधियों के आयोजन तथा पर्यावरण शिक्षा के लिए नई तकनीकों के विकास के लिए ये केन्द्र आधुनिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए हैं। इन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई साधन-सामग्री देश भर में बहुत सारे गैर-सरकारी संगठनों, स्कूल-अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। इनके द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की न केवल शिक्षण समुदाय ने सराहना की है बल्कि गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों आदि द्वारा भी सराहना की गई है।

(घ) जी, हां। ये दो केन्द्र, मंत्रालय द्वारा समाज के विभिन्न भागों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने हेतु किए जा रहे प्रयत्नों में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

आयातित द्रव्यीकृत प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाएं

***218. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की गैस आधारित परियोजनाओं को आयातित द्रव्यीकृत प्राकृतिक गैस से चलाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की क्षमता विस्तार परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) विद्युत संयंत्रों अन्ता (413 मे.वा.), औरैया (652 मे.वा.), कवास (645 मे.वा.), गांधार (648 मे. वा.) तथा दादरी (817 मे. वा.) का गैस के आधार पर प्रचालन कर रहा है हालांकि, गैस की उपलब्धता में कोई कमी आने पर तरल ईंधन का प्रयोग किए जाने का भी प्रावधान है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में कवास, झनोर-गांधार, अन्ता और औरैया में प्रत्येक संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र का 650 मे.वा. तक का दूसरे चरण का विस्तार शामिल है। शुरूआत में घरेलू प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता के कारण एनटीपीसी इन परियोजनाओं के लिए अनुपूरक ईंधन (ब्रिज फ्यूल) के रूप में नापथा का प्रयोग करेगा। कवास-2, झनोर-गांधार-2, अन्ता-2, औरैया-2 परियोजनाओं के लिए तथा साथ ही विद्यमान गैस आधारित केन्द्रों और निर्माणाधीन गैस/नापथा आधारित परियोजनाओं के लिए गैस उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी की पूर्ति करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में द्रव्यीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना	निवेश अनुमोदन के अनुसार यूनिट-वार चालू किए जाने का कार्यक्रम	स्थिति
1.	विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण-2 (2×500 मे. वा.), मध्य प्रदेश	यूनिट-1—फरवरी, 2000 यूनिट-2—फरवरी, 2001	प्रगति कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।
2.	फिरोजगांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (2×210 मे. वा.), उत्तर प्रदेश	यूनिट-1—जनवरी, 2000 यूनिट-2—जुलाई, 2000	- वही -
3.	सिम्हाद्री टीपीपी (2×500 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश	यूनिट-1—मार्च, 2002 यूनिट-2—दिसंबर, 2002	- वही -
4.	कायमकुलम सीसीपीपी 350 मे. वा., केरल	जीटी-1—मार्च, 1999 जीटी-2—मई, 1999 एसटी—मार्च 2000	जीटी-1 को कार्यक्रम से 4 महीने पहले ही चालू कर दिया गया है अन्य यूनिटें कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही हैं।
5.	फरीदाबाद जीपीपी 400 मे. वा.,	जीटी-1—जनवरी, 2000 जीटी-2—मार्च, 2000 एसटी—जनवरी, 2001	प्रगति कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

संकेताक्षर

एसटीपीपी—सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जीटी—गैस टरबाईन, एसटी—भाप टरबाईन, सीसीपीपी—संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना
जीपीपी—गैस विद्युत परियोजना

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

*219. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं विशेषकर समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम पैकेज का आरम्भ किया है ताकि आर्थिक क्रियाकलापों में उनकी कारगर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वित्तीय आवंटनों एवं इस पैकेज के दायरे में शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों के लक्ष्य सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इन्दिरा महिला योजना अगस्त, 1995 में 200 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी, ताकि महिलाओं में जागरूकता पैदा की जा सके, विभिन्न विभागों की सेवाओं का संकेन्द्रण हो सके और महिलाओं द्वारा आयोत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस स्कीम के लिए 12.20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

सरकार ने अगस्त, 1998 में ग्रामीण महिला विकास और शक्तिसम्पन्नता परियोजना नामक एक नई स्कीम का भी अनुमोदन किया है। आगामी पांच वर्षों के दौरान इस परियोजना का परिव्यय 191.21 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पांच करोड़ रुपये की आवर्ती निधि भी शामिल है।

राशि के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं।

विवरण

इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96/1996-97 के दौरान एकमुश्त अनुदान के रूप में निर्मुक्त राशि तथा ब्लाकों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्लॉकों की सं.	निर्मुक्त राशि (लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	85.4	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	6.1	
3.	असम	5	30.5	
4.	बिहार	20	122.0	

1	2	3	4	5
5.	गोवा	1	6.1	
6.	गुजरात	10	61.0	
7.	हरियाणा	4	24.4	
8.	हिमाचल प्रदेश	3	18.3	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	12.2	
10.	कर्नाटक	10	61.0	
11.	केरल	7	42.7	
12.	मध्य प्रदेश	14	85.4	
13.	महाराष्ट्र	16	97.6	
14.	मणिपुर	1	6.1	
15.	मेघालय	1	6.1	
16.	मिजोरम	1	6.1	
17.	नागालैण्ड	1	6.1	
18.	उड़ीसा	7	42.7	
19.	पंजाब	5	30.5	
20.	राजस्थान	10	61.0	
21.	सिक्किम	1	6.1	
22.	तमिलनाडु	13	79.3	
23.	त्रिपुरा	1	6.1	
24.	उत्तर प्रदेश	30	183.0	
25.	पश्चिम बंगाल	14	85.4	
26.	दिल्ली	2	12.2	
27.	अण्डमान नि. द्वीप समूह	1	6.1	1996-97 में निर्मुक्त
28.	चण्डीगढ़	1	6.1	1996-97 में निर्मुक्त
29.	दादरा व नगर हवेली	1	6.1	
30.	दमन एवं द्वीप	1	6.1	
31.	लक्षद्वीप	1	6.1	1996-97 में निर्मुक्त
32.	पाण्डिचेरी	1	6.1	
1995-96 में निर्मुक्त कुल राशि			1201.7	
1996-97 में निर्मुक्त कुल राशि			18.3	
कुल योग			1220.0	

ग्रामीण महिला विकास और शक्ति-सम्पन्नता परियोजना के अन्तर्गत राशि का राज्य-वार वितरण

राज्य/एकक	अनुमोदित परिव्यय (रु. करोड़ों में)
बिहार	18.68
गुजरात	31.18
हरियाणा	16.88
कर्नाटक	31.25
मध्य प्रदेश	29.41
उत्तर प्रदेश	50.61
केन्द्रीय सहायता परियोजना यूनिट	8.20
आवर्ती निधि	5.00
कुल	191.21

अध्ययन केन्द्र

***220. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश में राज्य-वार कितने अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए उक्त कार्यक्रम हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों के साक्षरता पर प्रभाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत केन्द्रों की कोई संकल्पना नहीं है। फिर भी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 आयु वर्ग में 100 मिलियन प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यनीति के रूप में अपनाया गया है। ये अभियान क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवक आधारित, लागत-प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी हैं। ये अभियान जिला साक्षरता समितियों के तत्वावधान में कार्यान्वित किए जाते हैं। जिला साक्षरता समितियां जिला स्तरीय पंजीकृत समितियां हैं जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कुल 93.97 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से वर्ष 1998-99 के लिए साक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाओं हेतु 20 करोड़ रु. की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) और (ङ) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों का मूल्यांकन करने के लिए इस विभाग द्वारा विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई, उन्होंने इस अभियानों की सामर्थ्यताओं तथा कमजोरियों का अभिनिर्धारण किया और इस संबंध में जो सिफारिशें कीं, वे निम्नवत् हैं :

सामर्थ्यताएं

- एक कार्यक्रम की तुलना में यह एक आन्दोलन है।
- इसका महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
- साक्षरता आन्दोलन से प्राथमिक शिक्षा की मांग उत्पन्न हुई है।
- राष्ट्रीय एजेंडा में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने के लिए साक्षरता पर उच्च प्राथमिकता दी गई है।

कमजोरियां

- कुछ ऐसे स्थानों में जिनमें केवल साक्षरता कौशलों पर ही अत्यधिक ध्यान दिया गया, उनमें शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
- उत्तर साक्षरता के और अधिक कारगर उपायों के जरिए सतही साक्षरता को समेकित किए जाने की जरूरत है।
- ...यान बिना पर्याप्त तैयारी के ही आरम्भ किए गए

सिफारिशें

- राज्यों/जिलों द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता की उपलब्धियों की औपचारिक घोषणा पर रोक लगाना।
- 55 प्रतिशत-60 प्रतिशत को अच्छी प्रगति के रूप में विचार किया जाना।
- मूल्यांकन प्रक्रिया में कड़ाई बरतना।
- जिन क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा आरम्भ नहीं की गई है, उन क्षेत्रों में 9-14 आयु वर्ग के बच्चों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल करना।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि की वित्तीय स्थिति

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

(31 मार्च, 1998 की यथास्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जारी की गई धनराशि
1	2
आन्ध्र प्रदेश	5,202.97
असम	1,433.23
बिहार	4,547.97
गोवा	40.00
गुजरात	1,345.35
हरियाणा	1,008.90
हिमाचल प्रदेश	285.00
जम्मू और कश्मीर	195.00
कर्नाटक	3,151.29
केरल	392.15
मध्य प्रदेश	4,999.14
महाराष्ट्र	2,913.73
मणिपुर	10.00
मेघालय	195.65
उड़ीसा	2,439.14
पंजाब	802.04
राजस्थान	4,259.73
तमिलनाडु	3,253.63
त्रिपुरा	222.43
उत्तर प्रदेश	7,308.86
पश्चिम बंगाल	3,821.69
दिल्ली	428.44
चंडीगढ़	33.00
दादरा और नगर हवेली	17.00
दमन और दीव	1.40
पांडिचेरी	58.26
कुल	48,366.02

कपड़े का उत्पादन

2062. **श्री अजय कुमार एस० सरनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मीटर कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, वर्ष-वार और राज्य-वार;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार इन वर्षों के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए यह मांग संतोषजनक रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय देश में प्रति व्यक्ति कपड़ा उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) कपड़े के उत्पादन के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। कपड़ा उत्पादन के अनुमानों तथा वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उत्पादन संतोषजनक माना जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निम्नानुसार है :

1995-96 — 27.99 वर्ग मीटर

1996-97 — 29.30 वर्ग मीटर

1997-98 — 30.78 वर्ग मीटर

विवरण

कपड़े के उत्पादन के अनुमान तथा वास्तविक अनुमान के आंकड़े

अनुमान (मिलियन वर्ग मीटर में)•

	1995-96	1996-97	1997-98
सूती	16993	17820	19025
ब्लैंडिड	3641	4100	4346
100 प्रतिशत गैर-सूती	7110	7680	10658

•स्रोत : नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग पर कार्यकारी समूह रिपोर्ट।

वास्तविक उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)••

मिल क्षेत्र			
सूती	1159	1222	1238
ब्लैंडिड	602	488	466
100 प्रतिशत गैर-सूती	258	247	244
हथकरघा क्षेत्र			
सूती	6239	6441	6699
ब्लैंडिड	18	52	69
100 प्रतिशत गैर-सूती	945	963	835
विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र			
सूती	7014	7238	6652
ब्लैंडिड	3137	3948	4481
100 प्रतिशत गैर-सूती	7050	8166	9818
विकेन्द्रीकृत हौजरी क्षेत्र			
सूती	4488	4940	5403
ब्लैंडिड	268	400	735
100 प्रतिशत गैर-सूती	282	193	256

••स्रोत : वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रेषित वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (1998-99) के लिए सामग्री।

निर्यात संवर्धन क्षेत्र

2063. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा कितने निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या संयुक्त/निजी क्षेत्र में ऐसे निर्यात संवर्धन क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा (जिला गौतमबुद्ध नगर) में केवल एक निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गयी है। किसी अन्य राज्य से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में स्थापना के लिए तीन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गई है :

प्रवर्तक का नाम	स्थान
1. मै. हीरा एवम् रत्न विकास निगम (डी जी डी सी), मुम्बई	सूरत (गुजरात)
2. मै. के. फोम लि., मुम्बई	कान्डीवली (पूर्व) मुम्बई
3. मै. कोलोनैक इंटरनेशनल (प्रा.) लि. मद्रास	सिंगिडिवाकम गांव, कांचीपुरम तालुक (तमिलनाडु)

सूरत स्थित निजी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ने 2.1.1996 से कार्य आरम्भ कर दिया है तथा इस क्षेत्र में स्थापना के लिए छः परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। अन्य निजी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है। लेकिन, संयुक्त क्षेत्र में स्थापना के लिए किसी भी ई पी जेड को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2064. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1997 और 1998 के दौरान आज तक कितनी मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : कैलेण्डर वर्ष 1997 के दौरान और जनवरी, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक भारत से मछली और मछली के उत्पादों के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं।

अवधि	निर्यातित मात्रा (मी. टन में)	वसूला गया मूल्य	
		करोड़ रुपये	अम. डॉलर (मिलियन)
कैलेण्डर वर्ष 1997	398977	4661.58	1285.95
जनवरी, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक	244103	3803.94	953.66

[हिन्दी]

व्यापार और प्रदर्शनी स्थल

2065. श्री अभयसिंह एस० भोंसले :
श्री माधवराव पाटील :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
नामदेव राव मोहोल :
तुपे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कई भागों में व्यापार और प्रदर्शनी स्थलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन स्थलों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय की जाएगी और इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इन स्थलों का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन स्थलों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने/पूरा होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार देश में व्यापार और प्रदर्शनी परिसरों की स्थापना नहीं कर रही है। तथापि, सरकार, राज्य सरकारों को क्षेत्रीय औद्योगिक एककों के उत्पादों का प्रदर्शन करने में उनकी मदद करने के लिए ऐसे उद्यम शुरू करने के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहित कर रही है। प्रस्ताव यह है कि ऐसी परियोजनाएं इटपो और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यमों के स्वरूप की होंगी जिनमें राज्य सरकारों द्वारा भूमि और बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी और इटपो द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वाणिज्यिक राजस्व में इटपो द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किए गए तरीके से राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी की जाएगी।

इटपो इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है।

राजस्थान में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग छात्रों को ऋण

2066. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विभिन्न राज्यों में विशेषकर राजस्थान के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार एवं बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस तरह के ऋण उपलब्ध नहीं कराए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 1995-96 (अभी भी जारी) के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत, देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1996, 1997 और 1998 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान, मंजूर किए गए शैक्षणिक ऋणों के राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरे, क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं। बैंक आफ बड़ौदा (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान का संयोजक बैंक) द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार राजस्थान राज्य में मुख्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों के बैंक-वार विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंक निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में ऐसे विद्यार्थियों को ऋण देते हैं जो पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं और इस उद्देश्य हेतु बैंकों से सम्पर्क करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के 10 बैंक अर्थात, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया और यूको बैंक ने देश में विद्यार्थियों को ऋण न मंजूर करने की सूचना दी है।

विवरण-I

मार्च 1996 [1995-96 (अप्रैल-मार्च)] को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार) निजी व्यावसायिक कालेजों में चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित शैक्षणिक ऋणों को दर्शाने वाला बैंक-वार/राज्य-वार विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	राज्यों के नाम									
		महाराष्ट्र		कर्नाटक		तमिलनाडु		आन्ध्र प्रदेश		हरियाणा	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	11	2.70	1	0.15	–	–	1	0.50	–	–
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8	2.25	–	–	–	–	–	–		
3.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	–	–	3	0.36	–	–	–	–	–	–
4.	केनरा बैंक	6	2.30	12	1.92	1	0.25	1	0.19	–	–
5.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	–	3	0.78	–	–	1	0.50	–	–
6.	विजया बैंक	1	0.15	5	1.45	–	–	–	–	–	–
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	14	5.36	–	–	–	–	–	–	–	
8.	इण्डियन बैंक	2	1.00	1	0.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50
9.	कार्पोरेशन बैंक	–	–	2	0.30	–	–	–	–	–	–
10.	सिण्डिकेट बैंक	1	0.15	2	0.30	–	–	–	–		
11.	इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.50
12.	देना बैंक	1	0.50	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	44	14.41	29	5.76	2	0.75	4	1.69	2	1.00

अखिल भारत : विद्यार्थियों की संख्या–81, राशि–23.61 लाख रुपये

विवरण-II

मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार) निजी व्यावसायिक कालेजों में चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित शैक्षणिक ऋणों को दर्शाने वाला बैंक-वार/राज्य-वार विवरण

(राशि लाख रुपये)

क्र. सं.	बैंक का नाम	राज्यों के नाम													
		महाराष्ट्र		गुजरात		हरियाणा		तमिलनाडु		कर्नाटक		आंध्र प्रदेश		बिहार	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8	2.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	आन्ध्रा बैंक	1	0.14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बैंक आफ बड़ौदा	9	2.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6	1.95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	विजया बैंक	4	1.3	–	–	–	–	–	–	1	0.5	–	–	–	–
7.	बैंक आफ इण्डिया	1	0.15	1	0.43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	0.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9.	देना बैंक	3	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	इंडियन बैंक	3	1.03	–	–	1	0.5	1	0.5	–	–	2	1	–	–
11.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.15	–	–	–	–
13.	इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10.5
	कुल	49	14.82	1	0.43	1	0.5	1	0.5	2	0.65	4	2	1	0.5

...ार्थी 50; राशि 19.40 लाख

विवरण-III

मार्च 1998 [1997-98 (अप्रैल-मार्च)] को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार) निजी व्यावसायिक कालेजों में चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित शैक्षणिक ऋणों को दर्शाने वाला बैंक-वार/राज्य-वार विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	राज्यों के नाम															
		महाराष्ट्र		गोआ		तमिलनाडु		हरियाणा		आंध्र प्रदेश		कर्नाटक		पंजाब		बिहार	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं	राशि
1.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	12	3.55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	बैंक आफ बड़ौदा	4	0.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5	1.45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	कार्पोरेशन बैंक	–	–	1	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5.	देना बैंक	2	0.65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	इंडियन बैंक	5	1.10	–	–	1	0.50	1	0.50	1	0.50	–	–	–	–	–	–
7.	केनरा बैंक	–	–	–	–	2	0.60	–	–	–	–	2	0.65	–	–	–	–
8.	पंजाब नेशनल बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0.75	–	–
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	0.45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.50	–	–	–	–
10.	इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.50
	कुल	29	7.95	1	0.15	3	1.10	1	0.50	1	0.50	3	1.15	2	0.75	1	0.50

अखिल भारत : विद्यार्थियों की संख्या 41; राशि 12.60 लाख रुपये

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा के लिए विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की मंजूरी

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	22.32	9.38	34.53
2.	इलाहाबाद बैंक	0.44	0.76	1.84
3.	बैंक आफ बड़ौदा	5.50	7.50	8.00
4.	बैंक आफ इंडिया	2.50	4.99	6.93
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	6.24	4.00
6.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	1.25
7.	पंजाब नेशनल बैंक	-	-	2.23
8.	बैंक आफ राजस्थान	-	1.00	7.00
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	-	3.00

[अनुवाद]

रेशम उद्योग हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

2067. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित रेशम उद्योग परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रति वर्ष राज्यवार क्या सफलता प्राप्त हुई?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय के पास रेशम उत्पादन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं नहीं हैं। तथापि, राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड सभी चार प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इनमें योजनाओं से अनुसंधान व विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, केन्द्रीय रेशम बोर्ड की एककों के नेटवर्क द्वारा क्षेत्र के विस्तार तथा आधारी संरचना सहायता तथा उन्नत रेशम के उत्पादन के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय विकासात्मक/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल है। विगत तीन वर्षों के राज्यवार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	राज्य का नाम	1995-96				1996-97				1997-98			
		गैर-योजना	गैर-उप-योजना	योजना	कुल	गैर-योजना	गैर-उप-योजना	योजना	कुल	गैर-योजना	गैर-उप-योजना	योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.48	2.91	0.98	4.17	0.58	2.81	0.99	4.38	0.69	0.00	2.76	3.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.28	0.28
3.	असम	0.21	4.35	5.02	9.58	0.23	0.71	3.04	3.98	0.32	0.00	2.73	3.05
4.	बिहार	0.23	0.62	1.15	2.00	0.27	2.24	1.77	4.28	0.64	0.00	2.61	3.25
5.	दिल्ली	0.19	0.09	0.28	0.56	0.19	0.05	2.10	2.34	0.25	0.00	2.26	2.51
6.	गुजरात	0.00	0.54	0.01	0.55	0.00	0.27	0.04	0.31	0.00	0.00	0.18	0.18
7.	हरियाणा	0.00	0.31	0.13	0.44	0.00	0.17	0.07	0.24	0.00	0.00	0.04	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.03	0.24	0.35	0.10	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.05	0.19
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.15	2.55	0.27	2.97	0.17	2.53	0.54	3.24	0.32	0.00	1.94	2.26
10.	कर्नाटक	0.03	7.32	0.85	8.20	0.02	8.80	1.67	10.49	0.04	0.00	5.96	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	केरल	0.00	0.51	0.10	0.61	0.00	0.63	0.18	0.81	0.00	0.00	0.53	0.53
12.	मध्य प्रदेश	0.19	0.41	0.95	1.55	0.19	0.46	1.22	1.87	0.31	0.00	1.95	2.26
13.	महाराष्ट्र	0.11	1.10	0.31	1.52	0.13	0.71	0.61	1.45	0.18	0.00	1.22	1.38
14.	मणिपुर	0.70	0.00	0.10	0.80	0.65	0.00	0.27	0.92	0.91	0.00	0.32	1.23
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.79	0.79
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.30	0.30
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.25	0.25
18.	उड़ीसा	0.25	0.77	0.95	1.97	0.24	1.10	0.94	2.28	0.34	0.00	1.65	1.99
19.	पंजाब	0.04	0.07	0.04	0.15	0.04	0.04	0.05	0.13	0.06	0.00	0.08	0.14
20.	राजस्थान	0.00	0.49	0.01	0.50	0.00	0.28	0.07	0.35	0.00	0.00	0.22	0.22
21.	सिक्किम	0.04	0.00	0.02	0.06	0.05	0.00	0.02	0.07	0.06	0.00	0.02	0.08
		0.42	2.34	0.57	3.33	0.51	2.46	0.72	3.69	0.63	0.00	2.02	2.65
		0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.10	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	0.32	1.37	1.49	3.18	0.38	3.00	1.57	4.95	0.47	0.00	2.36	2.83
25.	पश्चिम बंगाल	0.25	4.38	1.82	6.45	0.25	4.30	1.67	6.22	0.41	0.00	4.41	4.82
26.	मुख्य संस्थान एवं अन्य	5.70	9.33	10.92	25.95	8.20	17.80	11.52	37.52	9.00	0.00	14.95	24.95
	कुल	9.39	39.49	27.22	76.10	12.20	48.36	30.35	90.91	14.75	0.00	49.98	64.73

औद्योगिक पार्क

2068. श्री टी० गोविन्दन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में पहले से कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं और राज्य-वार, प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) 1998-99 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नए पार्कों की स्थापना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) योजना में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारों को बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर किए गए पूंजीगत व्यय के 75 प्रतिशत जो 10 करोड़ तक सीमित होगा, की पूर्ति केन्द्रीय अनुदान में से की जाएगी। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों एवं सरकार द्वारा राज्यों को मुहैया कराई गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मणिपुर में एक ई पी आई पी की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव 1998-99 में अनुमोदित किया गया है। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1998-99 के बजट में चल रहे और नए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है।

विवरण

अनुमोदित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (ई पी आई पी) और जारी किए गए केंद्रीय अनुदान के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य सरकार का नाम	ई पी आई पी का स्थान	जारी किया गया केंद्रीय अनुदान (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	केरल	कक्कानाड, जिला एर्नाकुलम	8.49 रु०
2.	महाराष्ट्र	अम्बरनाथ जिला थाणे	10.00 रु० पार्क पूरा हो गया

1	2	3	4
3.	हिमाचल प्रदेश	वाड्डी जिला सोलन	3.00 रु०
4.	राजस्थान	सीतापुरा जिला जयपुर	10.00 रु० पार्क पूरा हो गया
5.	हरियाणा	कुंडली जिला सोनीपत	5.00 रु०
6.	कर्नाटक	हुडी जिला बंगलौर	10.00 रु० पूरा होने वाला है
7.	उत्तर प्रदेश	सूरजपुर जिला गौतमबुद्ध नगर	10.00 रु० पूरा होने वाला है
8.	तमिलनाडु	गुम्मीडीपुंडी जिला चेंगलपट्टू एमजीआर	3.37 रु०
9.	आंध्र प्रदेश	पाश्म्मलारम जिला मेढक	7.05 रु०
10.	गुजरात	सावली जिला बड़ौदा	7.20 रु०
11.	बिहार	हाजपुर जिला वैशाली	30.00 रु०
12.	मेघालय	बिर्नीह्राट जिला रिबोई	7.50 रु०
13.	प० बंगाल	दुर्गापुर जिला बर्धवान	5.75 रु०
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर जिला खुर्दा	4.50 रु०
15.	पंजाब	थांदरीकलां जिला लुधियाना	5.90 रु०
16.	असम	अमीनगांव गुवाहाटी के समीप जिला कामरूप	6.75 रु०
17.	जम्मू एवं कश्मीर	साम्बा जिला जम्मू	4.25 रु०
18.	मध्य प्रदेश	पीतमपुर जिला धार	4.50 रु०
19.	मणिपुर	खूनूता चिंगजिन थौबल जिले में	केन्द्रीय सहायता की कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्रियों की समिति

2069. **श्री प्रसाद चाबूराव तनपुरे :**
डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में बिक्री युद्ध की जांच करने, कर लगाने और पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 6 मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करने, निगरानी रखने और विनियमों का कड़ाई से पालन करने के बारे में कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक समिति का निम्नलिखित विचारार्थ विषय हेतु गठन किया गया है–

(i) बिक्री कर की एक-समान न्यूनतम दरों हेतु एक कार्यान्वयन अनुसूची तैयार करना;

(ii) बिक्री कर पर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश करना;

(iii) उन पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारित करने हेतु मापदंड तैयार करना जो प्रोत्साहन योजनाओं के पात्र हों, ऐसे प्रोत्साहनों की अधिकतम मात्रा और उसकी मानीटरिंग हेतु प्रक्रिया को तैयार करना; और

(iv) केंद्रीय बिक्री कर (सी०एस०टी०) में कटौती करने और मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) को लागू करने हेतु समय-सीमा का सुझाव देना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निपटाए नहीं गए लंबित दावे

2070. **श्री एस०एस० ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री** निपटाए नहीं गए लंबित दावों के बारे में जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं० 5460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने दावे निपटाए गए हैं; और

(घ) सभी लंबित दावों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक मामले की विशेष रूप से जांच करने तथा उनके तीव्र निष्पादन के तरीके का पता लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों का संकलित विवरण

क्र०सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	अवधि	राशि (लाख रु० में)	न्यायाधिकरण को भेजे गए मामलों की संख्या	वर्ष-वार निपटाए गए मामलों के ब्यौरे वर्ष	मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	[illegible] व्यापार निगम	1-2 वर्ष	शून्य	:	:	:
	[illegible]लौर	2-3 वर्ष	3.39	शून्य	शून्य	शून्य
		3 वर्ष तथा अधिक	10.74	:	:	:
2.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी	1-2 वर्ष	13286	:	1995-96	682
	निगम लि०, मुंबई	2-3 वर्ष	4755	1	1996-97	816
		3 वर्ष तथा अधिक	23	:	1997-98	763
3.	भारतीय परियोजना एवं	1-2 वर्ष	50	:	1995-96	शून्य
	उपस्कर निगम लि०, नई दिल्ली	2-3 वर्ष	20	4	1996-97	1
		3 वर्ष तथा अधिक	3812	:	1997-98	1
4.	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन,	1-2 वर्ष	185.33	:	1995-96	19
	नई दिल्ली	2-3 वर्ष	59.78	4	1996-97	25
		3 वर्ष तथा अधिक	39.25	:	1997-98	14
5.	भारतीय राज्य व्यापार	1-2 वर्ष	433.21	:	1995-96	201
	निगम लि०, नई दिल्ली	2-3 वर्ष	219.43	64	1996-97	43
		3 वर्ष तथा अधिक	15400.35	:	1997-98	82
6.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार	1-2 वर्ष	16100	:	1995-96	32
	निगम लि०, नई दिल्ली	2-3 वर्ष	3700	109	1996-97	34
		3 वर्ष तथा अधिक	9400	:	1997-98	28

उपरोक्त सूचना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में है तथा इसमें संयुक्त उद्यमों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विकास निधि

2071. **श्री सुरेश वरपुडकर : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्कोप' (एस०सी०ओ०पी०ई०) ने सरकार से देश भर में रुग्ण और हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अर्थक्षम बनाने के लिए एक पृथक् 'सार्वजनिक उद्यम विकास कोष' स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त कोष की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

[हिन्दी]

बिहार में हथकरघा उद्योग का विकास

2072. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार हथकरघा विकास निगम ने हथकरघा बढ़ईगिरी, कांस्य और कांच की वस्तुओं, हैंड डाई, कालीन और साड़ी की बुनाई तथा पॉटरी जैसे हथकरघा उद्योगों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केंद्र से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कुशल और अकुशल कामगारों तथा कारीगरों के लिए धनराशि आवंटित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम ने हथकरघा विकास हेतु हाल में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान बिहार राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास हेतु प्लान स्कीमों के अंतर्गत क्रमश: 53.72 लाख रु० और 19.13 लाख रु० रिलीज किए गए हैं।

(ग) से (ङ) बिहार राज्य सहित देश में हथकरघा विकास हेतु निर्मित प्लान स्कीमों के अंतर्गत—वर्कशेड-सह-हाउसिंग, परियोजना पैकेज, हथकरघा विकास केंद्र उत्तम स्तर की रंगाई यूनिटें, समूह बीमा, स्वास्थ्य पैकेज, थ्रिफ्ट फंड आदि शामिल हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा विकास हेतु हथकरघा बुनकरों को सहायता देना है। वर्ष 1997-98 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में विभिन्न प्लान स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 6924.37 लाख रुपये रिलीज किए गए। 1997-98 के दौरान वर्कशेड-सह-हाउसिंग योजना के अंतर्गत 18658 वर्कशेड्स के निर्माण के लिए निधियां जारी की गईं। थ्रिफ्ट निधि योजना में 213191 बुनकरों को शामिल किया गया। समूह बीमा योजना और स्वास्थ्य पैकेज योजना में क्रमश: 106432 और 67463 बुनकरों को शामिल किया गया। परियोजना पैकेज स्कीम के अंतर्गत 769 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और हथकरघा विकास केंद्र योजना के अंतर्गत 260 हथकरघा विकास केंद्र तथा क्वालिटी रंगाई एकक योजना के अंतर्गत 78 क्वालिटी रंगाई एकक स्वीकृत किए गए।

[अनुवाद]

तम्बाकू का उत्पादन

2073. **श्री ए० सिदराजू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक में तम्बाकू का वर्तमान उत्पादन/निर्यात का क्या लक्ष्य है;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान तम्बाकू का उत्पादन/निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1998-99 के लिए कर्नाटक में एफ०सी०वी० तम्बाकू का उत्पादन लक्ष्य 40 मिलि०कि०ग्रा० है। राज्यवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ख) कर्नाटक में अगले वर्ष के लिए एफ०सी०वी० तम्बाकू की फसल का निर्धारण करने का अभी समय नहीं आया है। अगले वर्ष के लिए एफ०सी०वी० तम्बाकू की फसल का आकार प्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति, आगे ले जाए गए स्टॉकों, घरेलू मांग तथा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा।

(ग) तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछेक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—

(i) उत्पादन तथा विकासात्मक कार्यनीतियों को बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना अर्थात् लो तार, लो निकोटिन तथा हल्की मिट्टी वाले तम्बाकू के उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा अवांछनीय मृदा में उत्पादन को हतोत्साहित करना।

(ii) भारतीय तम्बाकू की गुणवत्ता तथा उत्पादकता स्तरों को बढ़ाना तथा उत्पादन की लागत को कम करना ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक कीमत-प्रतियोगी बनाया जा सके।

(iii) कीटनाशी अपशिष्टों की निगरानी तथा सख्ती से नियंत्रण करना।

(iv) ग्रेडिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कृषक स्तर पर ग्रेडिंग की व्यवस्था करना।

(v) 'ऋण पुनर्भुगतान मार्ग' से रूस को तम्बाकू के निर्यातों की अनुमति देना।

(vi) विदेश में शिष्टमंडलों को भेजना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता।

(vii) तम्बाकू पर जिन देशों का एकाधिकार है, उन देशों से भारत में शिष्टमंडलों को आमंत्रित करना ताकि वे भारतीय तम्बाकू की गुणवत्ता तथा लागत प्रभाविता को समझ सकें

और भारतीय तम्बाकू विशेषज्ञों के साथ उनकी बैठकें आयोजित की जा सकें।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विज्ञापनों के माध्यम से तथा उत्पाद ब्रोचरों के द्वारा भारतीय तम्बाकू के लिए बाजार संवर्धन कार्य करना।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

2074. श्री रामशकल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में शामिल किए जाने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

(श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के प्रमुख कार्यकलाप सरकार की पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति के प्रलेख के माध्यम से प्रतिपादित किए गए हैं। 1997-2002 की वर्तमान एग्जिम नीति निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है–

(1) देश को तेजी से वैश्वाभिमुख सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना ताकि बढ़ रहे विश्व बाजार के अवसरों से अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सकें;

(2) उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित अनिवार्य कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती सामान, संघटक, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत सामान तक पहुंच मुहैया कराकर दीर्घकालीन आर्थिक विकास को तेज करना;

(3) रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने को बढ़ावा देते हुए भारतीय कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रौद्योगिकीय प्रयास और कार्यकुशलता को बढ़ाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाना;

(4) उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर अच्छी कोटि का सामान उपलब्ध कराना।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) न केवल सरकार को एग्जिम नीति बनाने में सहायता करता है अपितु, नीति को लागू भी करता है। 1991 से शुरू किए गए आर्थिक और व्यापार सुधारों के बाद निदेशालय का प्रमुख कार्य निर्यात बढ़ाना और निर्यात व्यापार संवर्धन के लिए आयात को सुविधाजनक बनाना है।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर एग्जिम नीति देश अभिमुखी होने की बजाय उपभोक्ता वस्तु और स्कीम अभिमुखी है। व्यापार सुधारों में प्रगति होने से आयात और निर्यात की निषेधात्मक सूची धीरे-धीरे छोटी हो रही है। मुक्त रूप से आयात और निर्यात योग्य, निषिद्ध, प्रतिबंधित और सरणीकृत मदों को एग्जिम नीति के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है जिनका अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार और उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के साथ किए जाने वाले परामर्श के आधार पर वार्षिक संशोधन किया जाता है। एग्जिम नीति में नवीनतम संशोधन 13 अप्रैल, 1998 को किए गए हैं।

निर्यात-आयात नीति में परिवर्तन

2075. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान आलू, प्याज, दालों तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा इसके लिए मुख्य रूप से गलत निर्यात-आयात नीति जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यात-आयात नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) हाल ही के महीनों में इन उत्पादों की कीमतों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु यह सही नहीं है कि कीमतों में यह वृद्धि निर्यात-आयात नीति के कारण हुई है। दालों और अधिकांश खाद्य तेलों का मुक्त रूप से आयात किया जा रहा है जबकि प्याज का निर्यात नेफेड के जरिए सरणीकृत किया गया है। इसलिए, इन नीतियों के कारण संभावित रूप से कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। परंतु, कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के उद्देश्य से निर्यात-आयात नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं–

(1) 15 अक्तूबर, 1998 से प्याज को मुक्त रूप से आयात करने योग्य बनाया गया है।

(2) विखंडित और चटखे रूप में सोयाबीन को 15 अक्तूबर, 1998 से मुक्त रूप से आयात करने योग्य बनाया गया है।

(3) 27-10-98 से आलू को निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

(4) प्याज को 12-10-1998 से 31 जनवरी, 1999 तक निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

उद्योगों की स्थापना करना

2076. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण के पश्चात् राज्यवार अब तक स्थापित किए गए मध्यम और बड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) निजी और संयुक्त क्षेत्र में अलग-अलग कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) इन उद्योगों से राज्यवार कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए;

(घ) देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने उद्योग बंद कर दिए गए और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) उदारीकरण के बाद, अधिकतर उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उद्यमी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करके मझौले और बड़े उद्योग स्थापित करने की अनुमति है। निवेश आशयों को फलने में सामान्यत: 4 से 5 वर्ष की समयावधि लगती है। उद्योगों की स्थापना करने संबंधी सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, औद्योगिक निवेश आशयों का राज्यवार विवरण औद्योगिक सहायता सचिवालय के मासिक प्रकाशन शीर्षक औद्योगिक सांख्यिकी में तथा भारतीय निवेश केंद्र द्वारा जारी मासिक न्यूजलैटर में नियंत्रित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और इनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) देश में औद्योगिकीकरण का संवर्धन करने के उद्देश्य से सरकार नीतिगत पहल करती है ताकि औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश किए जाने प्रक्रियात्मक सरलीकरण किए जाने, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आदि के लिए नीति तथा प्रक्रिया में और उदारीकरण किए जाने की सुविधा प्रदान की जा सके।

(ङ) श्रम मंत्रालय द्वारा रखी जा रही सूचनानुसार वर्ष 1993-1997 की अवधि में देशों के विभिन्न बंद किए गए उद्योगों की संख्या नीचे दी गई है–

वर्ष	बंद एककों की संख्या (अनंतिम)
1993	493
1994	228
1995	183
1996	204
1997	154

बंद होने के कारणों में वित्तीय तंगी, विद्युत की कमी, उत्पादों की मांग में कमी, कच्चे माल की कमी, मशीनरी में खराबी होना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बैंक दर

2077. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जिसके माध्यम से बैंक दर स्वत: ही 'रेफरेंस' दर बन जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के प्रथमार्द्ध के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 अप्रैल, 1997 को यह घोषणा की थी कि बैंक दर मौद्रिक नीति की अवस्थिति को दर्शाने वाले सन्दर्भ दर तथा संकेतन दर के रूप में कार्य करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजन पर ब्याज की दरों, जिसे अब तक बैंक दर से नहीं जोड़ा गया था, को उससे जोड़ दिया गया है। तब से प्रचलित चल निधि स्थिति पर निर्भर करते हुए और साथ ही विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में बैंक दर को मौद्रिक नीति की अवस्थिति को दर्शाने के लिए कई बार परिवर्तित किया गया था। जैसे-जैसे कारोबार निर्णयों की ब्याज संवेदनशीलता में सुधार होता है, बैंक दर का महत्व बढ़ेगा और यह अधिक प्रभावी सन्दर्भ दर हो जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की बर्खास्तगी

2078. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले 28 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में अधिकारियों की जाति की स्थिति का सत्यापन करने के लिए इन मामलों को संबंधित जिला सत्यापन समितियों के पास भेजा गया है। बैंक को तीन कर्मचारियों के जाति वैधता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक को स्वीकार किया गया है और मामला समाप्त कर दिया गया है। जिला सत्यापन समिति से प्राप्त सकारात्मक पुष्टिकरण के आधार पर अन्य दो प्रमाण-पत्र भी बंद किए जाने की प्रक्रिया में हैं। शेष 25 मामलों में से 2 व्यक्तियों ने कार्यवाही पर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है और यह मामला कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जिला सत्यापन समितियों से

शेष मामलों में प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बैंक द्वारा उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड कर्मचारियों को उपदान का भुगतान

2079. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1995 से 1 जनवरी, 1996 तक की अवधि के दौरान सेवा-निवृत्त हुए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड के कर्मचारियों को उपदान की बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1 अप्रैल, 1995 के बाद अपने कर्मचारियों के लिए उपदान की बढ़ी हुई राशि स्वीकृत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ ऐसा करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान समय-समय पर जारी सरकार के अनुदेशों के मुताबिक किया जाता है। वे कर्मचारी जो दिनांक 1-4-95 से 1-1-1996 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए, को निर्धारित 1 लाख रुपये में से ही ग्रेच्युटी का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किया गया है।

(ग) सरकार के ध्यान में लाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने 1 अप्रैल, 1995 के बाद सेवानिवृत्त हुए अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी मंजूर की है।

(घ) और (ङ) चूंकि, भेल ने सरकार के लागू आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है तथा वे सभी कर्मचारी जो इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, इन आदेशों के तहत ही कवर हुए हैं, अत: कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बंगलादेश के निर्यात के लिए नया मार्ग खोलना

2080. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री 29 नवंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हलदीबारी रेलवे स्टेशन स्थित लैंड कस्टम स्टेशन कार्यरत नहीं है क्योंकि हलदीबारी-चिलाहाटी रूट पर भारतीय भू-भाग में लगभग आधा किलोमीटर और बंगलादेश में पांच किलोमीटर तक रेलवे लाइन के अभाव में यहां रेल यातायात नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टूटी रेल लाइन को बहाल करने का है; और

(ग) भारत सरकार के साथ-साथ बंगलादेश सरकार के माध्यम से टूटी रेल लाइन को बहाल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल०आई०सी० म्युचुअल फंड

2081. श्री राजनारायण पासी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार एल०आई०सी० म्युचुअल फंड योजना चलाने का है जिससे इसके निवेशकों को नियमित रूप से लाभार्जन होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तरह की कोई दूसरी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी शुरू की जाने वाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली वे योजनाएं कौन-सी हैं जो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषरूप से श्रमिक वर्ग और गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) एल०आई०सी० म्युचुअल फंड द्वारा समय-समय पर नियमित आय योजनाएं शुरू की जाती रही हैं, जिसमें निवेशकों के लिए नियमित आय विकल्पों सहित विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था है। एल०आई०सी० म्युचुअल फंड द्वारा अब तक शुरू की गई 30 योजनाओं में से 'धन वर्षा' के ब्रांड नाम के अंतर्गत 13 योजनाओं में निवेशकों को मासिक अथवा वार्षिक आधार पर नियमित आय विकल्प देय हैं।

(ग) से (ङ) विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई म्युचुअल फंड स्कीम अलग से नहीं है। तथापि, जीवन बीमा निगम के पास विशेष तौर से ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए 4 सामाजिक सुरक्षा स्कीमें हैं। समाज के कमजोर वर्गों; भूमिहीन खेतीहर मजदूर समूह बीमा; समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों के लिए समूह बीमा योजना; ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना आदि को कवच प्रदान करने के लिए 24 चिन्हित व्यावसायिक समूह योजनाएं हैं।

जोग फॉल्स

2082. श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को कर्नाटक के 'जोग फॉल्स' में सड़कों और अन्य पर्यटन बुनियादी ढांचों के विकास के संबंध में कर्नाटक सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार 'जोग फॉल्स' को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य में जोग जलप्रपात में अतिरिक्त पर्यटक सुविधाओं के विस्तार सहित 14 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है। सड़क का सुधार कार्य इस परियोजना में सम्मिलित नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार ने जोग जल प्रपात के विकास हेतु बाह्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

डिमांड ड्राफ्टों को रद्द करने के लिए सेवा प्रभार

2083. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को डिमांड ड्राफ्ट रद्द करने के लिए ग्राहकों से सेवा भार वसूलने का अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डिमांड ड्राफ्टों को रद्द कराने पर वसूल किए जाने वाले सेवा प्रभार को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सेवा-प्रभार लगाने के बारे में बैंकों को निर्देश या मार्गदर्शन देने की परंपरा कई वर्षों पहले से ही बन्द कर दी है।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों पर निर्णय लेना बैंकों का काम है न कि सरकार का।

अग्रिम भुगतान

2084. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, सेक्टर-वार प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम के रूप में कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा ये कुल ऋण का कितना प्रतिशत रही?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल बैंक ऋण तथा प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उप-क्षेत्रों को दिया गया ऋण निम्नानुसार है–

(राशि करोड़ रुपये में)

	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998
1. निवल बैंक ऋण	184391	189684	218219
2. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	69609	79131	91319
3. निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत (लक्ष्य 40 प्रतिशत)	37.75	41.72	41.85
4. कृषि अग्रिम	26351	31012	34304
5. निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत (लक्ष्य 18 प्रतिशत)	14.29	16.35	15.72
6. लघु उद्योग को ऋण	29482	31542	38109
7. निवल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योग अग्रिमों का प्रतिशत	15.99	16.63	17.46
8. कमजोर वर्गों को अग्रिम	15579	16478	18134
9. निवल बैंक ऋण की तुलना में कमजोर वर्गों को अग्रिमों का प्रतिशत (लक्ष्य 10 प्रतिशत)	8.45	8.69	8.31

[हिन्दी]

नाबार्ड की शाखाएं स्थापित करना

2085. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषरूप से बिहार में 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की राज्य-वार कितनी शाखाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उनमें से अभी तक राज्य-वार और स्थान-वार कितनी शाखाएं स्थापित की गईं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरा नाबार्ड की कुछ और शाखाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कोई शाखा कार्यालय खोलने का विचार नहीं बनाया है। नाबार्ड ने 25 क्षेत्रीय कार्यालय, एक उप-कार्यालय और श्रीनगर-प्रकोष्ठ श्रीनगर में स्थापित किए हैं। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों के 256 जिलों में जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) नियुक्त किए हैं, सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों में 10 जिला प्रबंधक विकास नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1997-98 में कोई भी जिला विकास प्रबन्धन कार्यालय नहीं खोला गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों में 25 जिला विकास प्रबन्धन कार्यालय खोलने का विचार बनाया है। 1998-99 के दौरान प्रस्तावित जिला विकास प्रबंधन कार्यालय खोलने का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

ज्यवार क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
4.	बिहार	पटना
5.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
6.	गोवा	पणजी
7.	गुजरात	अहमदाबाद
8.	हरियाणा/पंजाब	चंडीगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
11.	कर्नाटक	बंगलौर
12.	केरल	त्रिवनंतपुरम
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल
14.	महाराष्ट्र	पुणे
15.	मणिपुर	इम्फाल
16.	मेघालय	शिलांग
17.	मिजोरम	आइजवाल
18.	नागालैंड	दिमापुर
19.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
20.	राजस्थान	जयपुर
21.	सिक्किम	गंगटोक
22.	तमिलनाडु	चेन्नई
23.	त्रिपुरा	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
25.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

विवरण-II

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधन कार्यालयों का राज्यवार विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नाबार्ड के जिला कार्यालय की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	असम	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	22
5.	दिल्ली	—
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	13
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू व कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	15
12.	केरल	13
13.	मध्य प्रदेश	22
14.	महाराष्ट्र	19
15.	मणिपुर	—
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	—
18.	नागालैंड	—
19.	उड़ीसा	14
20.	पंजाब	9

1	2	3
21.	राजस्थान	17
22.	सिक्किम	—
23.	तमिलनाडु	17
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	34
26.	पश्चिम बंगाल	9
27.	पांडिचेरी	1
	कुल	256

विवरण-III

1998-99 के दौरान खोले जाने वाले नाबार्ड कार्यालयों का विवरण

क्र०सं०	राज्य	स्थान/जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	प्रकासम
2.	बिहार	बेगुसराय
3.		भागलपुर
4.		बोकारो
5.		दरभंगा
6.		पूर्व सिंहभूम
7.		पूर्वी चम्पारण
8.		गुमला
9.		मुंगेर
10.		गिरीडीह
11.		सिवान
12.	मध्य प्रदेश	गुना
13.		खरगोन
13.		शिवपुरी
15.		नयागढ़
16.		केन्द्रपाड़ा
17.		सुन्दरगढ़
18.		नवरंगपुर
19.	पंजाब	अमृतसर
20.		भटिंडा
21.	तमिलनाडु	शिवगंगा
22.	उत्तर प्रदेश	बागपत
23.		गाजियाबाद
24.		मथुरा
25.	प० बंगाल	बांकुरा

[अनुवाद]

सिगरेट उद्योग स्थापित किया जाना

2086. डॉ० संजय सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को युनाइटेड किंगडम के मैसर्स रोथमैंस द्वारा देश में सिगरेट उद्योग की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के संबंध में प्रस्तावित स्थान, क्षमता एवं निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग के स्थापित किए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानत: कितना अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स रोथमैंस ऑफ पाल माल (इंटरनेशनल) लि०, यू०के० ने निम्नलिखित क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए कंपनी में 150 मिलियन अमेरिकी डालर तक की इक्विटी निवेश के साथ एक शतप्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं–

- निर्यात के लिए तम्बाकू की खरीद,
- प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू का एकीकृत कृषि विज्ञान संबंधी विकास,
- भारतीय उपभोक्ताओं के लिए रोथमैंस से अन्तरराष्ट्रीय ब्रांड की शुरुआत,
- भारत में मनोनीत विनिर्माताओं को विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी तथा जानकारी का हस्तांतरण,
- इसके स्थानीय कर्मचारियों को प्रबंधकीय सुविज्ञता का हस्तांतरण,
- भारत में निवेश वातावरण पर इसकी मूल कंपनियों/मूल कंपनी की सहायक कंपनियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करना, तथा
- खेल स्पर्धाओं का प्रायोजन।

कंपनी ने 5 वर्ष की अवधि के अन्दर भारतीय सहयोगी/भारतीय जनता को अपनी शेयरधारिता अंश का 26 प्रतिशत का अधिकार हस्तांतरण करने का वचन दिया है।

(ग) आवेदक द्वारा इस प्रकार के कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

भारत के तम्बाकू व्यापार में विदेशी कंपनियां

2087. श्री सोडे रमैया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तम्बाकू व्यापार में प्रवेश करने के लिए कुछ विदेशी कंपनियां आवेदन करना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी तम्बाकू कंपनियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तम्बाकू बोर्ड ने उनके प्रवेश के लिए सावधानीपूर्वक शर्तें निर्धारित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्री **(श्री रामकृष्ण हेगड़े)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निर्यात में लगी व्यापारिक कंपनियों को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 7 वर्षों से अधिक की निर्यात आय की धनराशि के समतुल्य संतुलनकारी लाभांश के अध्यधीन विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) तम्बाकू बोर्ड द्वारा अनुशंसित कुछ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : तम्बाकू निर्यात को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, उच्चकोटि के तम्बाकू का विकास, नए क्षेत्रों में तम्बाकू का विकास और तम्बाकू के उत्पादों और सिगरेटों के निर्यात।

(च) विदेशी कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, आधुनिकीकरण, गुणात्मकता उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होने और उच्चकोटि की तम्बाकू का विकास होने की संभावना है।

अंतर मंत्रालीय समिति

2088. श्री गिरबला वेंकटस्वामी नायडू : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग तथा विदेशी इक्विटी के संबंध में नीति निर्माण में अंतर मंत्रालय समिति की क्या भूमिका है;

(ख) किस प्रकार ये अन्तर मंत्रालय समितियां स्थापित की जाती हैं;

(ग) गत तीन माह के दौरान औद्योगिक निवेश नीतियों के संबंध में सरकार को कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) विदेशी सीधे निवेश के संबंध में ऐसे सुझावों का क्या ब्यौरा है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, जो एक उच्चाधिकार प्राप्त अन्तर मंत्रालयी समिति है, की स्थापना निम्नोक्त तरीके से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है—(1) निवेश संवर्धन क्रियाकलाप आरंभ करके, तथा (2) उन परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, अप्रवासी भारतीयों तथा अन्य विदेशी निवेशकों द्वारा देश में निवेश संबंधी सुविधा देकर, जिन्हें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद मानी जाती हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वत: अनुमोदन के पात्र नहीं होते हैं और/या निवेश प्रस्तावों की कलेयरेंस के लिए विद्यमान नीति के पैरामीटर से बाहर होती हैं। बोर्ड सभी निवेश-प्रस्तावों पर, तकनीकी सहयोग और/या औद्योगिक लाइसेंस सहित या उसके बिना विचार करेगा।

बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करता है—विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का शीघ्र अनुमोदन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अवधिक पुनरीक्षण, प्रशासनिक मंत्रालयों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबद्ध सामान्य एवं क्षेत्रीय नीति व्यवस्था की सतत् रूप से पुनरीक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सुविधा देने के लिए पारदर्शी मार्गनिर्देशनों का एक सैट तैयार करना।

तम्बाकू का निर्यात

2089. डॉ० रवि मल्लू : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में तम्बाकू के निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के हजारों नए तम्बाकू एककों के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) अगले पांच वर्षों के दौरान विश्व बाजार में तम्बाकू के प्रत्याशित निर्यातों का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मांग और खपत के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारतीय तम्बाकू का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में बाकी पड़ा स्टॉक, घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतों पर निर्भर होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

माही, पांडिचेरी में कुप्रबंधन

2090. श्री एस० अरुमुगम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रणाधीन माही वस्त्र मिल में कुप्रबंधन चल रहा है और यह मिल घाटे में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पांडिचेरी में माही वस्त्र मिल में कदाचार और घाटे को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन टी सी की एक मिल नामत: केन्नानूर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल (सी एस डब्ल्यू एम) माहे में है जो एन टी सी लि०, बंगलौर के नियंत्रणाधीन है। मिल अपने प्रचालनों की गैर-अर्थक्षमता तथा कार्यशील पूंजी की लगातार कमी के कारण लगातार घाटे उठा रही है। एन टी सी द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता के अध्ययन के आधार पर, सरकार उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के साथ-साथ एन टी सी की अर्थक्षम सहायक निगमों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बीआईएफआर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक होने के बीआईएफआर के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

केन्नानूर स्पिनिंग तथा वीविंग मिलों में कुप्रबंधन के आरोप संबंधी कुछ आम शिकायतें हुई हैं जिनको सिद्ध नहीं किया जा सका है।

आर० एन० समिति

2091. प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की कमी के मामले और बी०सी०सी०एल० में कोयले के उत्पादन के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर सूचना देने की जांच करने के लिए गठित आर०एन० समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित और क्या उन सिफारिशों को समय पर क्रियान्वित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार समिति की सिफारिशों के संदर्भ में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने बी०सी०सी०एल० के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों के खिलाफ भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई टिप्पणी और की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय ने दिनांक 15-6-94 को पूरी की जाने वाली आर०एन० मिश्रा समिति रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। कार्रवाई पूरी करने के उद्देश्य से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जाना था, विभागीय कार्रवाई को शुरू किया जाना और उन्हें अंतिम रूप दिया जाना था। प्रक्रियागत कठिनाइयां जांच की कार्रवाई में हुए विलम्ब के कारण थे।

(घ) दिनांक 30-6-98 की स्थिति के अनुसार समिति की सिफारिश के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के ऊपर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) आर०एन० मिश्रा समिति ने यह पाया था कि भा०को०को०लि० प्रबंधन न केवल स्टॉक की कमियों के बारे में जानता था अथवा दुरभिसन्धिपूर्ण भूमिका निभा रहा था, बल्कि उत्पादन के बारे में अधिक रिपोर्ट करने के लिए भी उकसा रहा था। चार अभ्यारोपित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक में से दो अधिकारी जो अभी भी सेवारत थे उन्हें दिनांक 20-5-94 को कारण बताओं नोटिस दिया गया था और उनके द्वारा दिए गए जवाबों पर विचार करते हुए कोयला मंत्रालय ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित मामलों को बंद करने का निर्णय लिया। वे अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं शेष 2 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों, जो मिश्रा समिति के गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू किए जाने के संबंध में कोल इंडिया लि० के आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली, 1978 में कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय कार्रवाई के अभाव में सेवानिवृत्त अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू किया जाना प्रामाणिक नहीं होता। अत: कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 9-3-95 को यह निर्णय लिया गया था कि उक्त सेवानिवृत्त अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू न की जाए।

विवरण

भा०को०को०लि० पर आर०एन० मिश्रा समिति रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की स्थिति

विवरण	30-6-98 पर स्थिति
1	2
अधिकारियों की संख्या	220
मामलों की संख्या	260
मामले जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी	
मृत्यु	2
सेवानिवृत्त	12
आरोप-पत्र जारी करने के बाद बंद कर दिए गए	28
उप-जोड़ (क)	42
जांच के बाद दिए गए दंड	
सेवा से मुक्त	5
पदावनति	19
पिछले चरण में अवनति	11
पदोन्नति पर रोक	3
वेतनवृद्धि पर रोक	13

1	2
सावधान करना	8
चेतावनी	13
निंदा	11
अनुग्रह राशि पर रोक	3
उप-जोड़ (ख)	86
दोषमुक्त (ग)	122
कुल निर्णीत मामले क + ख + ग	250
विलंबित मामले	
जांच पूरे कर लिए गए निर्णय में विलंब	8
निर्णयाधीन	2
कुल विलंबित मामले	10
	260

यात्रियों द्वारा वैष्णो देवी की यात्रा

2092. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने-कितने तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा की;

(ख) चढ़ावे के रूप में मंदिर को उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, वर्षवार; और

(ग) तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और मंदिर के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय हुआ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या निम्न प्रकार से थी—

वर्ष	पर्यटक आगमन
1995	40,32,127
1996	43,35,532
1997	44,34,233

(ख) और (ग) मंदिर का चढ़ावा मंदिर बोर्ड द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और मंदिर का रख-रखाव करते हैं। मंदिर बोर्ड के आय और व्यय के ब्यौरे पर्यटन मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी मिलों की लाइसेंस देना

2093. **डॉ० रामविलास वेदान्ती :**
श्री आदित्यनाथ :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों को वर्ष-वार कितने लाइसेंस देने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्ष-वार कितनी चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किया गया; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कितने लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लाइसेंसों को जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तदनुसार, उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 अगस्त, 1998 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12 के तहत चीनी उद्योग को भी लाइसेंसिंग से छूट दे दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी किए गए आशय पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है—

वर्ष	आशय पत्रों की संख्या
1992-93	2
1993-94	31
1994-95	7
1995-96	9
1996-97	56

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान (अप्रैल से अगस्त, 1998 तक) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए 4 आशय पत्र जारी किए गए हैं। सितम्बर, 1998 के उद्यमियों को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करके चीनी एककों की स्थापना करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

मादक पदार्थों की तस्करी

2094. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1998 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'चाइना से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) यह तस्करी किन-किन देशों से होकर की जा रही है; और

(घ) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीन से अन्य देशों के जरिए भारत में नशीले पदार्थों को भेजने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं। तथापि, म्यानमार से थोड़ी मात्रा में स्थानीय उपभोग के लिए विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में उपभोग के लिए नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के बारे में सरकार को जानकारी है।

(घ) नशीले पदार्थों की मांग को कम करने और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा म्यानमार सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय करार किया गया है। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी द्रव्य-पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त सभी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा बैठकों में प्रवर्तन संबंधी ऐसी गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन बैठकों में सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षकों को नशीले पदार्थों को निषिद्ध घोषित करने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

नकदी फसलें

2095. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नकदी फसल उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कुछ कदमो में अन्य बातों के साथ ये शामिल हैं--गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, क्षेत्र का विस्तार, फसलोत्तर प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास, नए रोपण के जरिए उत्पादकता में सुधार लाना, पुनर्रोपण और नवरोपण, समेकित कीट नियंत्रण कार्यकलापों को अपनाना, क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना करना, अादर्श क्लोन वाले बागानों की स्थापना करना, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रदर्शनी प्लाटों की स्थापना करना, कायिक रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री का उत्पादन व वितरण, क्लोन बीज के बागानों की स्थापना और रखरखाव, विपणन और प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, मिनीकिटों का वितरण, उन्नत सिंचाई और पर्याप्त जल प्रबंधन प्रणाली का विकास, संकरण बीजों का उत्पादन, मूल एवं प्रमाणित बीजों का वितरण, छिड़काव सेटों का वितरण, उन्नत खेती के उपकरण और पौध संरक्षक उपकरण और नर्सरियों की स्थापना करना।

हथकरघा बुनकरों की दयनीय दशा

2096. **डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मदुरै, तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इस मामले को पूछताछ के लिए तमिलनाडु सरकार के पास भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उद्योग में सामान्य मंदी के कारण भंडार के एकत्रित होने से हथकरघा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। अत: राज्य सरकार ने मदुराई सहित तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों के लिए कुछ उपायों की घोषणा की जिसमें 20 प्रतिशत छूट के साथ-साथ तीन महीनों की अवधि के लिए प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों व तमिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि० (कोपटैक्स) द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट, कोपटैक्स द्वारा 50.00 करोड़ रुपये के हथकरघा कपड़ा मूल्य की वसूली, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां तथा कोपटैक्स से सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा सीधे हथकरघा कपड़ों की खरीद, तमिलनाडु हथकरघा कामगारों (रोजगार की शर्तें तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 1981 का कार्यान्वयन, नाबार्ड पुन: वित्त स्कीम आदि के अंतर्गत साख सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

(ङ) तमिलनाडु सरकार ने समय पर उचित सहायता उपाय किए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कोपटैक्स तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को अब तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार विकास सहायता के रूप में 12.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

आयातित सोयाबीन में बैक्टीरिया और विषाणु

2097. **श्री इन्द्रजीत सिंह राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1998 के 'द स्टेट्समैन' में 'एक्सपर्ट्स वार्न अगेंस्ट इम्पोर्टेड सोयाबीन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें बैक्टीरिया और विषाणु पाए जाने के कारण खाद्य विशेषज्ञों ने अमेरिका से आयातित सोयाबीन का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी खेप को रद्द करने का है या संक्रमित सोयाबीन वापस भेजने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) सरकार ने विखंडित या चिटक रूप में सोयाबीन का आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है बशर्ते कि वह पौधा संगरोधन की शर्तें पूरी करता हो। पौधा संगरोधन की शर्तों और अन्य मानवीय, पाश्विक और पौधा सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाली खेपों के संबंध में उपायों के जरिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इन उपायों में शामिल हैं—उतराई और/या पुन: लदान की बन्दरगाह पर प्रवेश के लिए मना करना। इसके अतिरिक्त और उपाय भी किए जा सकते हैं।

प्याज के बीजों का आयात

2098. श्री **रामकृष्ण बाबा पाटील** :
श्रीमती रानी नरह :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले मौसम के लिए किसानों को बीज वितरित करने हेतु प्याज के बीजों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से प्याज का आयात किया जाना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) कृषि मंत्रालय ने बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रवासी भारतीय मंच

2099. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री तारिक अनवर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अप्रवासी भारतीय मंच स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रवासी भारतीयों को दी गई रियायतों के बावजूद भी अप्रवासी भारतीय उत्साहित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। 12-13 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में हुए हाल ही के विश्व भारतीय उद्यमी सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों के साथ चल रहे विचार-विमर्श को प्रभावी बनाने के लिए सरकार में एक उचित तथ्य तथा मंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय निवेश केन्द्र की पुनर्संरचना का मामला शामिल होगा ताकि अप्रवासी भारतीयों की निवेश की चिन्ता को अधिक कारगर एवं प्रभावी ढंग से केंद्रित करके सामने लाया जा सके। वर्तमान में, हमारे पास अप्रवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों के निवेश प्रस्तावों से निपटने के लिए एस० आई० ए० में एक पृथक् कक्ष पहले ही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जिन प्रस्तावों में 74356.04 मिलियन रुपये के अप्रवासी भारतीय निवेशकों की परिकल्पना की गई है 1991 से सितम्बर 1998 तक के ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। अप्रवासी भारतीय निवेश का वास्तविक अन्त:प्रवाह 73844.70 लाख रुपये की सीमा तक है। देश में, 1998 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी पुनरुत्थान मील भारतीय बांड के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों से 4.16 विलियम अमरिकी डालर का निवेश भी प्राप्त हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन

2100. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन में नए समझौते के लिए बातचीत करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यापार और उद्योग सलाहकार परिषद्

2101. **डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी** :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 1998 के दौरा प्रधानमंत्री ने व्यापार और उद्योग सलाहकार परिषद् की पहली बैठक को संबोधित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पहली बैठक में व्यापार तथा उद्योग के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है तथा इस पर सहमति हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सलाहकार परिषद् ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सिफारिशें क्रियान्वित करने के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे–

कृतिक बल स्वरूप के 6 विशेष विषय समूहों का गठन किया गया था जो निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित करने योग्य कार्य योजनाओं पर विचार करेंगे तथा उन पर सिफारिशें देंगे–

(i) खाद्य तथा कृषि उद्योग प्रबंध नीति

(ii) अवस्थापना

(iii) पूंजीगत बाजार तथा वित्तीय क्षेत्र की पहल

(iv) जानकारी पर आधारित उद्योग

(v) सेवा उद्योग

(vi) प्रशासन तथा कानूनी सरलीकरण।

(ग) ये विशेष विषय समूह संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परस्पर रूप से विचार-विनिमय करेंगे जो उन्हें सभी आवश्यक सहायता तथा आंकड़े प्रदान करेंगे। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समूहों के विचार-विनिमय को पीएमओ द्वारा सुविधाजनक बनाया जाएगा और आवश्यकतानुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को तथा बाहर के विशेषज्ञों को भी सहयोजित किया जाएगा। ये समूह निर्धारित अनुसूची के अनुसार अपनी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देंगे और परिषद् के परवर्ती विचार-विमर्शों में उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) इन 6 विशेष विषय समूहों ने अब अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। व्यापार तथा उद्योग जगत की अगली बैठक शीघ्र ही की जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

2102. **डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला :**
श्री जी० गंगा रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विश्व बैंक सहायता संबंधी अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से कुछ आंध्र प्रदेश जिला गरीबी निवारण हेतु प्रारम्भ की गई परियोजना, आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार और पुनर्निर्माण परियोजना तथा समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना से संबद्ध हैं। ये परियोजनाएं विश्व बैंक, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के मध्य इन्हें अंतिम रूप देने हेतु विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्निर्माण परियोजना, जिसके लिए 543.30 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता संभाव्य है और जिसमें आईडीए से 242 मिलियन अमरीकी डालर तथा आईबीआरडी से 301.30 मिलियन अमरीकी डालर की राशि शामिल है के संबंध में पहले ही विचार-विमर्श कर लिया गया है तथा इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है।

[हिन्दी]

कॉपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग लाइसेंस

2103. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया का कई वर्षों तक पंजीयन करने के बावजूद भी उसे बैंकिंग लाइसेंस जारी करने में विलंब करने का क्या कारण है; और

(ख) उक्त बैंक को कब तक लाइसेंस जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीबीआइएल) को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अधीन नेशनल को-आपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसके वास्तविक नाम से पंजीकृत कराया गया था जिसे तदनन्तर भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर वर्तमान नाम में बदल दिया गया। चूंकि प्रस्तावित बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अत: बैंककारी विनियमन अधिनियम के संशोधन के पश्चात् ही बैंक को लाइसेंस दिए जाने पर विचार किया जा सकता था।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बरामद सामान

2104. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल (झंझारपुर) :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **वित्त मंत्री** सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बरामद सामान के बारे में 19-5-98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 557 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर के भाग (घ) के संबंध में सूचना अब एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो यह सूचना कब तक एकत्रित करने और सदन के पटल पर रख दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) दिनांक 29-5-98 के उक्त प्रश्न संख्या 557 के आश्वासन को अब 4-12-98 को पूरा कर दिया गया है। यह उत्तर दिया गया है कि गत 3 वर्षों के दौरान ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, उत्तर की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1998 की 12वीं लोक सभा का दूसरा सत्र

वित्त मंत्रालय		राजस्व विभाग	पूर्ति की तिथि	
प्रश्न संख्या, तिथि और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा दिनांक 29.5.95 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 557	**सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त सामान** जिसमें पूछा गया था कि– (क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान का गलत आकलन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिकारियों के संबंधियों के सामानों का आकलन कम और अन्य व्यक्तियों के सामानों का आकलन अधिक किया जाता है; (ख) इस प्रकार की कुप्रथा से बचने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं और क्या इस प्रकार के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदाचार से बचने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और			
	(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समाहर्तालय-वार कितनी शिकायतें हुई हैं?	गत तीन वर्षों के दौरान समाहर्तालय-वार इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की सं. के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।	गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।	क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने में समय लगा।

[हिन्दी]

एस०ई०सी०एल० का वनरोपण कार्यक्रम

2105. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एस०ई०सी०एल० ने दक्षिण बिहार के कोयला क्षेत्रों में वनरोपण का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह काम कब से शुरू हो जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) वनरोपण कार्यक्रम केवल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा०ई०को०लि०), के प्रचालन क्षेत्रों अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एल०सी० धोखाधड़ी

2106. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **वित्त मंत्री** 24-7-1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि वर्ष 1997 में सेंचूरियन बैंक लि०, मुंबई और चंडीगढ़, टाइम्स बैंक लि०, मुंबई तथा वैश्य बैंक लि०, नई मुंबई में जाली साखपत्रों के तहत हुंडियां भुनाकर कुल 27.00 करोड़ रुपये की राशि की धोखाधड़ी हुई थी। अपराधियों ने जाली साखपत्रों के अंतर्गत आहरित हुंडियां बैंक से भुनाने की कार्य प्रणाली अपनाई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ये साखपत्र इसी उद्देश्य से जारी किए थे। साखपत्रों को भुनाने वाले बैंक और वह बैंक जिसके नाम को जाली साखपत्र में खाता खेलने वाले के रूप में उपयोग किया गया था उन दोनों ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। बैंकों ने अभी तक 13.6 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है।

मुफस्सल केंद्रों में आयकर के सरल फार्म उपलब्ध कराना

2107. श्री ए० गणेशमूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मुफस्सल केंद्रों में गैर-निगमित निर्धारितियों द्वारा विवरणियां भरने के लिए आयकर के सरल फार्म उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन फार्मों को उपलब्ध कराने में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर विवरण भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तमिलनाडु के सभी मुफस्सल केंद्रों में सरल फार्म उपलब्ध कराए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो ये फार्म कब तक वहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। सरल फार्म को 14 सितंबर, 1998 को अधिसूचित किया गया था और इसके बाद इसे सभी मुख्य आयकर आयुक्तों और आयकर आयुक्तों को उपलब्ध कराया गया था जिन्होंने आगे इनको सभी मुफस्सल केंद्रों में उपलब्ध कराया था।

(ग) और (घ) गैर निगमित कर निर्धारितियों की दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए आयकर की विवरणी दायर करते हेतु अंतिम तारीख दो अवसरों पर 30 जून, 1998 और 31 अगस्त, 1998 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 1998 कर दी गई थी।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू क्षेत्र में कोयला

2108. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के कला कोट और जंगल क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में कोयले का भंडार विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संसाधनों की खोज के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के कला कोट और जंगल गली इलाकों में कोयला भंडार का आकलन निम्नलिखित के अनुसार किया है–

क्र०सं०	कोयला-क्षेत्र	भंडार 150 मि० गहराई (मिलियन टन में)
1.	कला-कोट	2.53 (प्रमाणित)
2.	जंगल गली	4.79 (अनुमानित)

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों में कोयला सीम अपनी प्रकृति में पतले और अनिश्चित हैं। कोयला सीम सिकुड़ते और फैलते हैं, विभाजित और एकत्रित होते हैं और कार्बोनसिअस शेल में विकृत हो जाते हैं। पतले सीमों, सीम सघनता में द्रुत परिवर्तनों, संश्लिष्ट ढांचे, खड़ी ग्रेडिएंट, कमजोर रूफ और फ्लोर स्ट्रॉटा, गैसीनेस आदि, सहित खनन और भूवैज्ञानिक परिस्थितियां कठिन हैं।

पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खनन ब्यूरो और भूविज्ञान और खनन निदेशालय, जम्मू और कश्मीर द्वारा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों जैसे कि कलाकोट कुरा, मेटका और मल्होगली में भूवैज्ञानिक मैपिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण संचालित किए गए हैं। अन्वेषण के परिणाम

उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं, चूंकि कोयला सीम सघनता में अनिश्चित प्रकृति के हैं और स्ट्राइक और डिप-डाइरेक्शन में सीमित निरंतरता वाले हैं, जिस कारण कोयला सीमों का विषम विकास हुआ है जो भूमिगत प्रणालियों द्वारा वैज्ञानिक खनन के अनुरूप नहीं हैं।

[हिन्दी]

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई गई राशि

2109. **श्री इन्द्रजीत मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई०सी०आई०सी०आई०, आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को कितनी राशि जुटाई गई;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में कितनी राशि का निवेश किया गया था;

(ग) इनके द्वारा निवेशित शेयर पूंजी का वर्तमान मूल्य क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी ऋण राशि माफ की गई थी; और

के धन को हानि को रोकने और इसकी सुरक्षित क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

2110. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु प्राप्त किए गए आवेदन प्रक्रिया संबंधी अड़चनों के कारण लंबित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ग) क्या आवेदन स्वीकृत करने में बैंक अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करने में प्रक्रियात्मक वाद-विवाद कोई नहीं है। बैंकों द्वारा आवेदन रद्द करने के मामलों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए आर्थिक अक्षमता और अत्यधिक आवेदन प्रायोजित किया जाना आवेदन रद्द किए जाने के कारण हैं।

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कोयले की सुपुर्दगी आदेश देना

2111. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर कोयले का सुपुर्दगी आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को कितने सुपुर्दगी आदेश दिए गए;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे के नाम से सुपुर्दगी आदेश देने का बहाना लगाकर कोयले को हेरा-फेरी करने से संबंधित कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

नोटों/सिक्कों की मांग और आपूर्ति

2112. **श्री सी०डी० गामीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कम मूल्यों वाले नोटों/सिक्कों की अनुमानित मांग कितनी है और उनकी आपूर्ति की स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त कमी को पूरा करने तथा फटे-पुराने नोटों से छुटकारा पाने के लिए सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति कब तक होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 1998-99 के दौरान नोटों-सिक्कों की अनुमानित मांग और आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है–

(मिलियन अदद में)

	मांग	पूर्वानुमानित आपूर्ति
नोट	14874	9300
सिक्के	1950	3500*

*इसमें विदेश से मंगाए गए 1000 मिलियन अदद शामिल हैं।

(ख) कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई स्थित टकसालों के आधुनिकीकरण का काम मार्च, 1999 तक पूरा होने की संभावना है और उसके बाद उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए नोएडा प्रेस को दो-पाली के आधार पर चलाने का प्रस्ताव है। आशा की

जाती है कि 1999-2000 के अंत तक देश में सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी जो कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोटों का स्थान ले लेंगे।

एल०आई०सी० और जी०आई०सी० द्वारा जल आपूर्ति तथा जल-मल व्ययन के लिए सहायता

2113. **श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं तथा जल-मल व्ययन परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) एल०आई०सी०, जी०आई०सी० तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार स्वीकृत/जारी धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आवंटित निधियों का अपेक्षित ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कंपनियां जलापूर्ति योजनाओं तथा मल व्ययन परियोजनाओं के लिए निधियां आवंटित नहीं करती हैं।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत उनसे जलापूर्ति एवं मल व्ययन परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता सहित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में उनकी निवेश योग्य निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक के निवेश की अपेक्षा की जाती है। अनुसचित जातियों से संबंधित उन लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़े जो योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए, अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और आवंटित सहायता (राज्यवार)

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
		स्वीकृत	आवंटित	स्वीकृत	आवंटित	स्वीकृत	आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3827.7	2272.5	2894.7	2370.6	5538.3	3686.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.3	2.5	9.4	0.9	33.8	3.8
3.	असम	640.3	121.4	103.5	242.1	82.1	88.1
4.	बिहार	433.8	249.5	539.1	234.4	1096.7	758.9
5.	गोआ	236.4	116.4	264.2	105.8	426.4	180.8
6.	गुजरात	9132.3	4582.8	8043.0	5723.0	12042.2	9516.5
7.	हरियाणा	1408.6	855.3	1296.8	1013.8	1618.3	1193.7
8.	हिमाचल प्रदेश	855.0	256.2	247.9	335.5	340.3	337.2
9.	जम्मू और कश्मीर	39.1	30.4	22.0	17.3	23.8	13.7
10.	कर्नाटक	5273.5	2375.0	4047.1	2418.8	3603.1	3012.4
11.	केरल	643.0	354.3	585.3	581.4	859.5	420.4
12.	मध्य प्रदेश	3016.5	1777.1	1534.4	1668.0	6352.4	1687.7
13.	महाराष्ट्र	12159.3	7143.2	8033.8	7245.1	15850.5	10039.0
14.	मणिपुर	2.3	4.3	2.1	2.1	2.5	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	2.1	2.0	8.6	4.4	5.0	6.6
16.	मिजोरम	0.5	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7
17.	नागालैंड	5.4	6.1	10.5	9.4	1.5	3.0
18.	उड़ीसा	511.2	255.0	1504.7	370.9	1355.1	553.1
19.	पंजाब	960.3	680.0	904.6	603.7	1251.4	927.9
20.	राजस्थान	2271.4	1718.5	2311.4	1400.2	2425.1	1173.9
21.	सिक्किम	3.9	10.0	8.5	2.6	14.0	3.6
22.	तमिलनाडु	6257.9	3280.7	4579.0	3154.7	6957.9	2793.7
23.	त्रिपुरा	3.9	8.1	4.7	4.7	4.0	3.8
24.	उत्तर प्रदेश	4317.6	2772.7	3449.9	2900.6	2791.3	2251.7
25.	पश्चिम बंगाल	2607.6	1064.6	1939.9	1135.5	3303.9	2140.4
26.	राष्ट्र राजधानी						
		1446.5	1550.7	1720.3	782.1	1360.8	1144.6
	न प्रदेश	894.9	382.9	610.6	434.2	531.0	506.7
	(क) अंडमान और निकोबार	14.2	1.8	5.0	10.8	5.0	5.2
	(ख) दमन और दीव	78.7	59.6	44.7	50.8	62.7	42.6
	(ग) दादरा और नगर हवेली	318.5	238.5	431.4	268.0	379.7	414.0
	(घ) चण्डीगढ़	68.0	20.9	63.8	44.7	14.8	14.5
	(ङ) लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	—
	(च) पांडिचेरी	423.5	62.1	65.7	60.5	68.8	30.4
28.	बहुराज्य/अवर्गीकृत क्षेत्र	2711.5	2920.5	3278.9	2785.0	3620.7	2854.4
	जोड़	60561.7	35176.2	48566.4	35981.9	72013.3	45811.9

विवरण-II

जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन जलापूर्ति योजनाएं और मल व्ययन परियोजनाएं

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
		स्वीकृत	आवंटित	स्वीकृत	आवंटित	स्वीकृत	आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4.22	3.84	4.64	4.64	3.00	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.38	—	0.29	—	—	—
3.	असम	0.57	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
6.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
7.	गोआ	5.24	5.24	6.29	6.29	6.23	6.23
8.	गुजरात	27.83	—	—	—	34.55	—
9.	हरियाणा	1.45	—	—	—	—	—
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.00	—	19.87	—
11.	जम्मू और कश्मीर	6.65	—	6.00	—	13.00	—
12.	कर्नाटक	7.43	4.00	7.00	8.27	8.76	10.76
13.	केरल	20.28	20.28	22.66	22.66	27.83	27.83
14.	मध्य प्रदेश	20.37	9.54	72.81	7.95	28.51	3.58
15.	महाराष्ट्र	31.50	17.34	49.88	31.14	68.88	73.12
16.	मणिपुर	1.68	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	3.68	—	2.00	—	4.59	—
18.	मिजोरम	2.86	2.86	0.81	0.67	—	—
19.	नागालैंड	2.76	2.76	1.48	1.48	5.38	0.39
20.	उड़ीसा	16.65	—	13.88	—	27.50	—
21.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
22.	पंजाब	26.85	—	29.28	—	31.10	—
23.	राजस्थान	7.53	7.53	8.43	—	9.27	17.70
24.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	48.94	48.94	54.81	54.81	68.52	83.52
26.	त्रिपुरा	8.85	—	—	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	8.67	—	1.98	—	2.00	—
	जोड़	255.39	122.33	292.24	145.91	358.99	231.13

क्षेत्रीय बैंकों को लाभ/हानि

2114. **श्री चेतन चौहान :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ और हानि हुई;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं और सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों ने कितने प्रतिशत ऋण की वसूली की;

(घ) क्या सरकार का इन बैंकों के घाटे को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98

के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित किए गए लाभ और उठाई गई हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बातों के साथ-साथ, सीमित प्रसार, उच्च संचालन लागतों, निम्न उत्पादकता, अपर्याप्त वसूलियों, ग्राहकों का चुनाव करने और परिचालन क्षेत्र पर प्रतिबंध, शाखा नेटवर्क की तुलना में व्यापार की न्यूनता और स्थापना लागत की अधिकता के कारण हानियां उठा रहे हैं। उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें इन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) सभी क्षेत्रीय बैंकों की शेयर-पूंजी प्रति बैंक एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलग-अलग मामलों के आधार पर पुनर्गठित करने के प्रयास के रूप में 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्रदान की गई है ताकि गत चार वर्षों (1994-98) की अवधि के तुलन-पत्र परिमार्जित किए जा सकें। केंद्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 773.57 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

बैंक की विशिष्ट विकास योजनाएं तैयार की गई हैं और ग्रामीण बैंकों ने अपने प्रायोजक बैंकों के साथ समझौता ज्ञा तैयार किए हैं।

(iv) 1995-96 से आय का पता लगाने और आस्ति वर्गीकरण के मानदंड लागू किए गए हैं जबकि व्यवस्था मानदंड 1996-97 से लागू किए गए हैं।

(v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानि उठाने वाली शाखाओं का पता लगाकर उन्हें बेहतर व्यापारिक स्थानों/केन्द्रों में ले जाने या अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र दायित्व वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी कुछ शर्तें पूरी करने पर अपने सेवा क्षेत्रों के बाहर नई शाखाएं खोलने की भी अनुमति दी गई है।

(vi) वाणिज्यिक बैंकों के समान सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न-निधि का निवेश करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभकारी अवसर प्रदान किए गए हैं।

(vii) इससे पूर्व, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने नए ऋणों के 60 प्रतिशत तक हिताधिकारियों के गैर लक्ष्य गत समूह को वित्त प्रदान करने की अनुमति थी। 1 अप्रैल, 1997 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक बैंकों के समान प्राथमिकता क्षेत्र को उनके अग्रिम उनके बकाया अग्रिमों के 40 प्रतिशत के बराबर हों।

(viii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ब्याज दर ढांचे को 26 अगस्त, 1996 से पूरी तरह से अविनियमित कर दिया गया है।

(ix) प्रायोजक बैंकों को अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूर्ण प्रबन्धन और संगठनात्मक नियंत्रण रखने की और बेहतर भूमिका निभाने का कार्य सौपा गया है।

(ग) जून, 1995, जून, 1996 और जून, 1997 को समाप्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण की वसूली का प्रतिशत क्रमश: 50.98 प्रतिशत, 55.10 प्रतिशत और 56.73 प्रतिशत था। जून, 1994, जून, 1995 और जून, 1996 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कृषि अग्रिमों की वसूली स्थिति क्रमश: 57.60 प्रतिशत, 59.46 प्रतिशत और 61.88 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन आर बी आई) की स्थापना सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने के पश्चात् अलग-अलग मामलों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्र को परिमार्जित करके उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-98 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ हानि की स्थिति

(लाख रुपये)

क्र०सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
			लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हरियाणा		-344.03		-1599.56	17.99	
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	-तदैव-	181.23			-567.42	1230.01	
3.	हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	5.50		64.25		158.06	
4.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-68.06		-12.37	85.69	
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश	8.15			-269.89	109.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश		-20.30		-106.39	46.64	
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	जम्मू एवं कश्मीर	6.30		25.27		507.70	
8.	इर्लाकी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-748.84		-580.20		-722.86
9.	कामराज ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-309.79		-480.28		-299.40
10.	शिवालीक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब	78.67		59.52		261.18	
11.	कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-236.01		-481.56	51.24	
12.	गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-125.74		-293.07	76.75	
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	94.89		150.47		283.14	
14.	फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	17.06		119.88		150.01	
15.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	राजस्थान	53.49			-296.97		-76.63
16.	मारवाड ग्रामीण बैंक	-तदैव-	5.50		96.90		139.20	
17.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-358.49		-1023.20	33.16	
18.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-354.29		-151.54		-393.96
19.	अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-341.48		-774.07		-26.07
20.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-269.30		-441.52		-234.46
21.	हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-268.08		-1252.27		-187.58
22.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-141.87		-124.56		-105.55
23.	धार आंचलिक ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-252.21		-98.08		-104.10
24.	बन्दी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-244.65		-411.70	40.38	
25.	भिलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	4.55		8.27		108.71	
26.	दुर्गापुरा-बंसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-160.12		-280.30		-82.15
27.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-169.37		-147.04		-38.18
28.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-93.22		-103.91		-36.55
29.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	अरुणाचल प्रदेश		-8.65		-35.51	8.03	
30.	प्राग्यज्योतिष गोयनलिया बैंक	असम		-348.44		-2370.42	318.45	
31.	लक्ष्मी गोयनलिया बैंक	-तदैव-		-318.96		-1604.27	797.06	
32.	कच्छर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-330.96		-284.07		-125.16
33.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-175.89		-246.16		-198.69
34.	सुबनसिरी गोयनलिया बैंक	-तदैव-		-254.25		-501.91	45.10	
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	मणिपुर		-103.48		-333.16		-61.13
36.	खासी जयन्तीया ग्रामीण बैंक	मेघालय	7.51		89.26		312.99	
37.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	मिजोरम		-103.36		-103.36	64.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	नागालैंड		–10.35		–43.47	3.33	
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	त्रिपुरा		–1952.14		–3929.83		–1299.52
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	बिहार		–166.05		–2315.94	466.92	
41.	चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–1008.53		–867.07		–862.82
42.	मगध ग्रामीण बैंक	–तदैव		–377.11		–1594.07	122.25	
43.	कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–755.71		–1023.63		–803.53
44.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–1527.15		–1787.05		–962.50
45.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–237.38		–1749.95	12.18	
46.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	–तदैव	33.17			–1335.30		–102.66
47.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–465.42		–712.90		–627.01
48.	नालंदा ग्रामीण बैंक	–तदैव		–516.37		–638.89		–691.30
49.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–210.94		–574.99	19.80	
	[illegible]य ग्रामीण बैंक	–तदैव		–480.36		–943.18		–449.87
	[illegible]य ग्रामीण बैंक	–तदैव		–473.57		–297.54		–308.93
52.	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–395.71		–687.03		–331.60
53.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–348.19		–410.67		–250.69
54.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव	71.38			–142.19	252.63	
55.	सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–382.48		–739.00		–385.96
56.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव	55.17			–112.15	102.70	
57.	गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–51.86		–109.58	48.43	
58.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव	17.28		37.61		56.25	
59.	पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–92.73		–77.04	13.47	
60.	भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–57.64		–190.68		–6.69
61.	बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–तदैव		–52.22		–157.01	14.99	
62.	पुरी ग्रामीण बैंक	उड़ीसा		–628.69		–789.28		–933.33
63.	बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–1470.70		–1607.56		–1105.71
64.	कटक ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–548.07		–2686.34		–735.65
65.	कोरापुत पंचबटी ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–464.42		–309.90	325.49	
66.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–299.55		–652.60		–195.10
67.	बेतारनी ग्रामीण बैंक	उड़ीसा		–374.07		–691.11		–431.66
68.	बालासोर ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–476.17		–964.83		–793.59
69.	ऋषिकुला ग्रामीण बैंक	–तदैव–		–345.48		–351.14	11.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	धेनकनाल ग्रामीण बैंक	उड़ीसा		-189.30		-165.12	14.02	
71.	गौर ग्रामीण बैंक	पश्चिम बंगाल		-1299.91		-1866.78		958.15
72.	मल्लाभुम ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-1105.04		-1594.30		-807.61
73.	मयूरक्षी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-459.75		-723.89		-312.04
74.	उत्तर बांगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-559.19		-2103.66		-595.76
75.	नादिया ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-563.91		-410.58		-137.95
76.	सागर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-566.31		-1675.87	16.39	
77.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-194.53	103.82		107.07	
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	35.45		132.46		104.06	
79.	मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-119.36	6.15		10.93	
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	मध्य प्रदेश		-365.57		-1137.82	13.56	
81.	बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-726.56		-462.00		-328.49
82.	रिवा-सिधी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-138.86		-151.00	27.68	--
83.	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-274.16		-964.00		-117.98
84.	शारदा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-352.74		-541.00		-64.30
85.	सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-1003.35		-185.04		-360.17
86.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-386.74		-436.00		-341.06
87.	दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-914.52		-607.00	101.46	
88.	झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-384.90		-1360.00		-274.73
89.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-222.77		-215.00		-107.92
90.	शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-430.02		-337.00		-147.29
91.	दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-263.69		-532.00		-226.28
92.	देवास-शाहजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-124.82		-279.00		-73.12
93.	निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-254.62		-219.00	30.98	
94.	मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-256.62		-276.00		-196.86
95.	छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-251.95		-357.00		-245.08
96.	राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-170.17		-148.00		-126.96
97.	शाहडौल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-258.52		-290.00		-301.54
98.	रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-65.29	4.00		5.90	
99.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-257.06		-165.00		88.08
100.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-193.96		-521.00		-236.64
101.	इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-85.93		-171.00	3.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश		-85.94		-164.00		-75.87
103.	विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-95.88		-155.00	0.96	
104.	प्रथमा बैंक	उत्तर प्रदेश		-225.56		-432.60	1291.43	
105.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	1037.61		1380.16		1451.55	
106.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	212.19		255.36		1879.01	
107.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	-तदैव-	121.76		152.22		375.09	
108.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-114.74		-210.25	12.30	
109.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	-तदैव-	17.86		38.15		426.66	
110.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	-तदैव-	371.98		279.50		1039.89	
111.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-122.13		-2258.24	171.02	
112.	सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-175.91		-211.41	77.52	
113.	अवध ग्रामीण ग्रामीण बैंक	-तदैव-	189.75			-180.50	514.09	
	[illegible]य ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-591.71		-1976.85	160.69	
	[illegible] बैंक	-तदैव-		-225.34		985.86	548.41	
116.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		196.70		-657.75		-355.73
117.	किसान ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-252.60		-366.51		-65.05
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-192.24		-578.72		-301.09
119.	काशी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-371.53		-1757.17	9.77	
120.	बस्ती ग्रामीण बैंक	-तदैव-	38.76			-635.23	441.38	
121.	इलाहाबाद ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-512.10		-1016.93		-770.34
122.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-253.89		-239.15		-137.46
123.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-47.72		-239.81	208.41	
124.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-263.44		-363.55		-163.29
125.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-432.04		-384.13	2.11	
126.	देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	11.35			-280.92	292.35	
127.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	100.54		187.01		736.16	
128.	तुलसी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-374.38		-912.26	193.76	
129.	इटा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-75.05	11.58		229.75	
130.	गोमती ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-132.99		-687.81	431.14	
131.	क्षत्रसाल ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-427.26		-166.83	113.68	
132.	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-331.52		-465.08		-295.45
133.	विदूर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-123.67		-26.61	88.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134.	शाहजहानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश		-58.67	16.06		146.16	
135.	नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-129.64	1.71		76.26	
136.	विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-177.65		-649.88	76.68	
137.	सरयु ग्रामीण बैंक	-तदैव-	28.03		167.34		347.52	
138.	जमुना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-141.33		-195.67	296.05	
139.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	0.55			-210.63	45.83	
140.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-तदैव-	41.33		50.19		113.58	
141.	गंगा-जमुना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-50.26		-157.16	16.80	
142.	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-42.94		-109.29	78.21	
143.	हिंडन ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-63.12		-109.93	23.15	
144.	कक्ष ग्रामीण बैंक	गुजरात		-131.26	50.58		123.91	
145.	जामनगर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-143.68		-170.66	108.05	
146.	बंसकांटा-मेहसाना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-353.19		-466.90		-192.16
147.	पंचमहल ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-114.80		-187.54	159.38	
148.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-99.72		-125.16	64.94	
149.	वलसाद-दांगस ग्रामीण बैंक	-तदैव-	2.48			-66.62	165.56	
150.	सूरत-भरुच ग्रामीण बैंक	-तदैव-	31.72		22.27		207.23	
151.	साबरकंठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-4.66	27.56		81.84	
152.	जुनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-107.18		-36.65	112.37	
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र		-346.93		-190.73		-153.44
154.	औरंगाबाद-जाल्ना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-17.31		-264.54	104.62	
155.	चन्द्रपुर-गदचिरोली ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-198.03		-180.91		-189.13
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-139.14		-145.86		-162.96
157.	रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-102.41		-117.14	1.33	
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-114.64		-219.57	38.34	
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-184.52		-353.12		-179.54
160.	यावतमल ग्रामीण बैंक	-तदैव-	6.83		7.58		98.99	
161.	बुलढाना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-66.68		-5.72	25.19	
162.	थाने ग्रामीण बैंक	-तदैव-	33.91		80.76		123.69	
163.	नगरजूना ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश		-91.74		-766.89		-84.63
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-75.90		-305.39	460.56	
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		-175.84		-1144.21	5.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166.	श्री अनंत ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	36.77		309.45		741.74	
167.	श्री वेंकटेश्वरा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–216.43		–18.62	202.26	
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	-तदैव-	14.76		40.76		166.60	
169.	संगमेश्वरा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–1301.25	157.72		391.10	
170.	मंजीरा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–373.59		–476.92	223.04	
171.	पिंकिनी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–332.27		–854.83	229.77	
172.	ककथिया ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–252.46		–167.85		–29.97
173.	चट्टनया ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–24.94		–20.21	171.09	
174.	श्री सतवाहना ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–245.69		–468.42	161.12	
175.	गोलकुंडा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–69.69		–54.96	78.43	
176.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	40.76		46.33		109.83	
177.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	64.39		121.48		172.50	
	ग्रामीण बैंक	-तदैव-	23.75		81.77		142.58	
	मीण बैंक	कर्नाटक	275.19		749.26		1125.00	
180.	मालप्रभा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	341.40		30.15		922.18	
181.	कावेरी ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–60.14		–662.83	255.69	
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–644.73	284.44		386.08	
183.	चित्रदुर्गा ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–138.59		–447.08	223.45	
184.	कल्पतरु ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–188.72		–426.34	135.06	
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–115.50		–323.42	290.37	
186.	विजापुर ग्रामीण बैंक	-तदैव-	134.45		314.46		550.50	
187.	चिकमंगलूर-कोडाग ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–21.12	81.34		236.48	
188.	सहयादरी ग्रामीण बैंक	-तदैव-	6.40		44.59		87.15	
189.	नेत्रावती ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–28.21		–23.94	6.89	
190.	वरदा ग्रामीण बैंक	-तदैव-	48.15		148.99		100.07	
191.	विश्वेश्वरिया ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–8.99		–15.86	20.11	
192.	साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक	केरल	51.82			–219.57	888.16	
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	-तदैव-	218.92		793.20		1059.85	
194.	पांडियन ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु		–444.46		–548.31	216.07	
195.	अधीमान ग्रामीण बैंक	-तदैव-		–15.93		–22.49	133.52	
196.	वल्लार ग्रामीण बैंक	-तदैव-	65.04		138.00		225.38	
	अखिल भारत		4243.75	–46537.31	6967.85	–87935.73	30290.95	–23075.71

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

2115. श्री सुरेश चंदेल :
श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति को लागू करने के बाद भारत में किन विदेशी बैंकों को कारोबार करने की अनुमति दी गई है और किन बैंकों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों द्वारा कुल कितना मुनाफा कमाया गया और इन बैंकों द्वारा कितनी राशि अपने-अपने देशों को विदेशी मुद्रा के रूप में भेजी जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) उन विदेशी बैंकों के नाम, जिन्हें उदारीकरण के बाद भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है और अब कार्य करना शुरू कर दिया है, 31 मार्च, 1996, मार्च 1997 तथा मार्च 1998 के दौरान इन बैंकों द्वारा अर्जित कुल लाभ और वर्ष 1996, 1997 तथा 1998 में अनुमति प्राप्त लाभ के प्रेषण का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

प्रवेश की अनुमति प्राप्त बैंकों के नाम

क्र० सं०	बैंक का नाम	देश	भारत में प्रथम ब्रांच खोलने की तारीख
1	2	3	4
1.	आई एन जी बैंक	नीदरलैंड	1.6.1994
2.	चेइज मैनहटन बैंक	यूएसए	21.9.1994
3.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	मारीशस	1.11.1994
4.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर	15.3.1995
5.	ड्रसनर बैंक ए०जी०	जर्मनी	21.8.1995
6.	बैंक ऑफ सिलोन	श्रीलंका	30.10.1995
7.	कॉमर्ज बैंक	जर्मनी	1.12.1995
8.	सियाम कार्शियल बैंक पीसीएल	थाईलैंड	14.12.1995
9.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	4.4.1996
10.	अरब बंगला देश बैंक लि०	बंगलादेश	6.4.1996
11.	चाईना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	ताइवान	8.4.1996
12.	चोहंग बैंक लि०	दक्षिण कोरिया	6.5.1996
13.	फूजी बैंक लि०	जापान	20.5.1996
14.	क्रूंग थाई बैंक पीसीएल	थाईलैंड	6.1.1997
15.	ओवरसीज चाईनिज बैंकिंग कार्पोरेशन	सिंगापुर	31.1.1997
16.	कॉमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया	दक्षिण कोरिया	12.3.1997
17.	हनिल बैंक	दक्षिण कोरिया	2.4.1997
18.	सुमीटोमो बैंक लि०	जापान	20.6.1997
19.	टोरंटो डोमिनियन बैंक	कनाडा	25.10.1997
20.	बैंक मस्कट इंटरनेशनल, साओग	मस्कट	9.9.1998
21.	मोरगन गारंटी ट्रस्ट कंपनी ऑफ न्यूयार्क	यूएसए	7.9.98 को लाइसेंस जारी किए गए परंतु अभी तक खोले नहीं गए हैं।

विवरण-II

वे विदेशी बैंक जिन्होंने उदारीकरण के पश्चात् परिचालन प्रारंभ किया, के लाभ/हानियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	बैंक का नाम	समाप्त हुए वर्ष के निवल लाभ		
		31.3.1996	31.3.1997	31.3.1998
1	2	3	4	5
1.	आईएनजी बैंक	–4.59	14.29	10.75
2.	चेइज मैनहटन बैंक	–3.44	0.27	3.14
3.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	4.34	3.32	8.70
4.	डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	0.96	2.35	1.48
5.	ड्रेसनर बैंक ए०जी०	–9.57	–1.56	4.43
6.	बैंक ऑफ सिलोन	0.34	1.71	3.07
7.	कॉमर्ज बैंक	–4.32	0.50	–0.84
8.	सियाम कामर्शियल बैंक पीसीएल	0.09	4.08	6.13
9.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	–1.50	3.82	–9.06
10.	अरब बंगलादेश बैंक लि०	लागू नहीं	0.14	0.76
11.	चाईना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	-वही-	0.11	0.002
12.	चो हंग बैंक लि०	-वही-	1.18	4.12

1	2	3	4	5
13.	फूजी बैंक लि०	-वही-	-5.16	4.59
14.	क्रूंग थाई बैंक पीसीएल	-वही-	0.01	2.30
15.	ओवरसीज चाईनिज बैंकिंग कार्पोरेशन	-वही-	-2.13	0.38
16.	कामर्शियल बैंक ऑफ कोरिया	-वही-	0.16	0.68
17.	हनिल बैंक	-वही-	लागू नहीं	1.85
18.	सुमीटोमो बैंक लि०	-वही-	-वही-	2.00
19.	टोरंटो डोमिनियन बैंक	-वही-	-वही-	1.23
20.	बैंक मस्कट इंटरनेशनल, साओग	-वही-	-वही-	लागू नहीं

(-) वर्ष के लिए सूचित हानियों को दर्शाता है।

विवरण-III

वर्ष 1996, 1997 और 1998 में स्वीकृत किए गए लाभों के संप्रेषण के ब्यौरे

[illegible]	वर्ष	विप्रेषित लाभ	निप्रेषण की तारीख अनुमोदन की तारीख
1. चेइज मैनहट्टन बैंक	1997	0.09	15.7.1998
	1998	2.34	15.7.1998
2. डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	1996	0.36	25.3.1997
3. स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	1996	1.64	14.6.1997
	1997	1.74	23.3.1998
4. सियाम कामर्शियल बैंक	1996	0.06	6.12.1997
	1997	2.85	12.1.1998
5. चो हंग बैंक	1997	0.81	17.2.1998
6. कॉमर्ज बैंक	1996	0.11	18.7.1998

[अनुवाद]

गुजरात में रुग्ण कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री

2116. श्री दिलीप संघानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात की ऐसी कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या क्या है जिन्हें बंद करने तथा उनकी परिसंपत्तियां बेचने के संबंध में सरकार ने आदेश दिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने सूचित किया है कि दिनांक 30.11.1998 की स्थिति के अनुसार उसने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) के अंतर्गत 48 कंपनियों की आस्तियों की बिक्री के आदेश दिए हैं। बिक्री की इन आयों को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संवितरण के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना अपेक्षित है।

(ग) गुजरात राज्य की 55 रुग्ण औद्योगिक कंपनियां जिन्हें दिनांक 30-11-1998 तक परिसमाप्त किए जाने की सिफारिश की गई थी, में से बी आई एफ आर ने शुरुआत में निम्नलिखित पांच कंपनियों के संबध में आस्तियों की बिक्री के आदेश दिए थे—

1. श्री पृथ्वी कॉटन वर्क्स लि०
2. के० एस० डीजल्स
3. चेमोक्स सिंथेटिक्स
4. डल्सन फाउंड्री प्रा० लि०
5. आशुतोष टैक्स-ओ-बैंक प्रा० लि०

तदनंतर, क्रम सं० 1, 2, 3 और 5 में वर्णित कंपनियों के संबंध में आस्तियों की बिक्री के आदेश या तो वापस ले लिए गए हैं/वापस भेज दिए गए हैं/योजना मंजूर की जा चुकी है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

2117. श्री एच०जी० रामुलू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण के राज्यों विशेषकर कर्नाटक से मुंबई स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण की अपील प्राधिकरण में दायर किए गए अपील की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बैंकों तथा कर्नाटक एवं अन्य दक्षिण राज्यों के ऋणकर्ताओं की सुविधा हेतु सरकार का विचार उक्त अपील प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक महीने बंगलौर में कराए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996, 1997 और 1998 (अब

तक) के दौरान, दक्षिणी राज्यों द्वारा अधिकरण में 98 मामले दायर किए गए हैं, जिसमें से 50 मामले कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत, अपीलीय अधिकरण को, उन स्थानों सहित, जहां पर उसकी बैठकें होंगी, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए, अपीलीय अधिकरण, बंगलौर सहित देश के किसी भी स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए सक्षम है।

चाय उद्योग

2118. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का चाय उद्योग कृषि उत्पाद और विनिर्मित उत्पाद के रूप में दोहरी कर नीति का बोझ सहन करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार चाय से प्राप्त आय के 60 प्रतिशत भाग पर राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत कृषिज कर लगाया जाता है और उक्त आय के 40 प्रतिशत भाग पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर से उद्गृहीत निगम कर लगाया जाता है।

(ग) सरकार ने प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों से कृषि आयकर को कम करने और चाय उद्योग के लाभार्थ कर प्रोत्साहनों को शुरू करने का आग्रह किया है।

सीमेंट उत्पादकों द्वारा जूट के थैलों का उपयोग

2119. **श्री टी०आर० बालू** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने रिसाव/मिलावट से बचने के लिए सीमेंट पैकिंग हेतु सीमेंट विनिर्माताओं को अनिवार्य रूप से जूट के थैलों का प्रयोग करने से छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां।

सरकार के निर्णय को शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी मिलों को ऋण

2120. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **वित्त मंत्री** चीनी मिलों को ऋण देने के बारे में 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2558 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 21 चीनी सहकारी मिलों को सहायता मंजूर की है। यद्यपि इन समितियों को इस आशय के पत्र जारी किए जा चुके हैं, फिर भी, इन समितियों को अभी ऋण समझौता करना है तथा ऋण प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रतिभूति समेत अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करने हैं।

विद्यमान सहायता प्राप्त सहकारी चीनी मिलों का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक रहा है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रति बड़ी मात्रा में चूकें हुई हैं।

महाराष्ट्र सरकार, जिसने चूक के विरुद्ध प्रतिभूतियां दी हैं, उस प्रतिभूति के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है और कुछेक मामलों में देय राशियों की वसूली के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मुकदमा दायर करना पड़ा था। आधारभूत चीनी मिलों के वित्त पोषण से संबंधित मामले पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया था और यह सहमति हुई है कि महाराष्ट्र सरकार से संस्थाओं की देय राशियों की निकासी के लिए ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इन इकाइयों को किए जाने वाले संवितरणों पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्याज का आयात

2121. **डॉ० चिन्ता मोहन :**
डॉ० सुशील इन्दौरा :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :
श्री मोतीलाल वोरा :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री के०एस० राव :
श्री माधवराव पाटील :
श्री डी०एस० अहिरे :
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :
श्री ए०सी० जोस
श्री मोइनुल हसन :
श्री मोहन सिंह :
श्री नरेश पुगलीया :

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री सुरेश वरपुडकर :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तारिक अनवर :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री एस०एस० ओवेसी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्याज का कितना उत्पादन हुआ और वर्षवार इसकी मांग/आपूर्ति कितनी रही;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में देश में प्याज की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से प्याज का आयात किया है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों को ब्यौरा क्या है और इन देशों से कितनी मात्रा में और इन देशों से प्याज का आयात किया गया;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में आयातित प्याज बड़ी मात्रा में सड़ गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण

(च) चालू वर्ष के दौरान माह-वार कितनी प्याज का निर्यात किया गया;

(छ) प्याज के आयात/निर्यात में कौन-कौन सी एजेंसियां सम्मिलित थीं;

(ज) चालू वर्ष के दौरा प्याज के निर्यात/आयात पर पृथक्-पृथक् कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई/अर्जित की गई;

(झ) विभिन्न राज्यों को कितनी प्याज की आपूर्ति की गई;

(ञ) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्याज का आयात करने का प्राधिकार दिया है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू बाजार में प्याज की कमी को देखते हुए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क)

वर्ष	प्याज का उत्पादन लाख मी० टन
1996-97	44.3 (अनुमानित)
1997-98	36.8 (अग्रिम अनुमान)
1998-99	44.5 (अग्रिम अनुमान)

स्रोत : बागवानी प्रभाग कृषि और सहकारिता विभाग

एक सामान्य उत्पादन वर्ष में निर्यात योग्य अल्प बेशी सहित आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति सामान्य रूप से पर्याप्त होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अक्तूबर-नवंबर, 1998 के दौरान आयातों को मुक्त बनाने के बाद सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5594 मी० टन प्याज का आयात किया गया है। नाफेड ने दुबई तथा किरगिजस्तान से अक्तूबर-नवंबर, 1998 के दौरान 687 मी० टन प्याज का आयात किया है।

(घ) मुंबई पत्तन पर पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मानव खपत के लिए लगभग 69 मी० टन प्याज को अनुपयुक्त पाया गया था।

(ङ) प्याज के सड़ने का सही कारण ज्ञात नहीं है और यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि क्या ये प्याज आयात के समय ही खराब हुए अथवा बाद में।

(च) नाफेड के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर, 1998 के दौरान प्याज का निर्यात निम्नानुसार है–

मात्रा : मी० टन
मूल्य : करोड़ रुपये

माह	मात्रा	मूल्य
अप्रैल	69735	47.24
मई	56427	33.45
जून	40674	35.48
जुलाई	27981	30.28
अगस्त	15316	22.80
सितम्बर	2539	4.05
अक्तूबर	537	1.18

(छ) प्याज का आयात मुक्त रूप से कोई भी कर सकता है। नाफेड के जरिए निर्यात का सारणीकरण किया गया है।

(ज) अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान किए गए प्याज के निर्यात का मूल्य 296.85 करोड़ रु० है। प्याज के आयात के मूल्य से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत : नाफेड

(झ) चूंकि प्याज का आयात कोई भी मुक्त रूप से कर सकता है, इसलिए विभिन्न राज्यों को सप्लाई किए गए प्याज की मात्रा संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ञ) और (ट) प्याज को मुक्त किए जाने के बाद राज्य सरकारों को प्याज का आयात किए जाने हेतु प्राधिकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। प्याज को मुक्त रूप से आयात योग्य बनाने से पूर्व 3000 मी० टन प्याज का आयात करने के लिए दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को लाइसेंस प्रदान किया गया था। प्याज के निर्यात को 12.10.1998 को प्रतिबंधित किया गया था जो 31.1.99 तक जारी रहेगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश

2122. श्रीमती कमल रानी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थलवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निगम को उनसे कितना मुनाफा हुआ;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में स्थित अपनी इकाइयों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है/तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है–

क्रम सं०	संगठन का नाम	योजना व्यय	
		वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक	वर्ष 1998-99 से अक्तूबर, 98 तक (अनंतिम)
		(रुपये लाखों में)	
1.	होटल वाराणसी, अशोक, वाराणसी	11.87	–
2.	होटल आगरा अशोक, आगरा	28.95	0.20
3.	ताज रेस्तरां, आगरा	0.01	–
4.	कोसी रेस्तरां, कोसी	1.39	0.15
5.	परिवहन एकक	8.84	–
	जोड़	50.26	0.35

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने लाभ नहीं कमाया है। उत्तर प्रदेश में अपने एककों को चलाने से लेकर उपर्युक्त अवधि तक के दौरान 670.02 लाख रुपये की कुल हानि हुई है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना वर्ष 1998-99 में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वर्तमान एककों के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए 90 लाख रुपये का कुल योजना प्रावधान शामिल है–

क्रम सं०	एकक का नाम	परिव्यय 1998-99 (रुपये लाखों में)
1.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	35.00
2.	होटल आगरा अशोक, आगरा	30.00
3.	कोसी रेस्तरां, कोसी	25.00
	जोड़	90.00

पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश

2123. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार से पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के मालिक कथित रूप से 'फेरा' का उल्लंघन करने के लिए जांचाधीन हैं; और

(च) यदि हां, तो पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम० आर० जनार्दनन) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(च) पूंजी बाजार में प्रवेश के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है।

वस्त्र मशीनरी का निर्यात

2124. श्री रवि सीताराम नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात की गई वस्त्र मशीनरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) वस्त्र मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है–

वर्ष	कुल निर्यात मूल्य (लगभग) (मिलियन अकरीकी डालर में)	(रु० करोड़ में)
1995-96	62.04	216
1996-97	87.00	313
1997-98	85.39	325

(ग) वस्त्र मशीनरी के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार आयात-निर्यात नीति के माध्यम से वस्त्र मशीनरी सहित सभी इंजीनियरिंग मदों के निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है। वस्त्र मशीनरी विनिर्माण (निर्यात के लिए) के लिए कच्चा माल संघटकों का आयात शुल्क मुक्त करने की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां भारत तथा विदेश में प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित की जाती हैं जिससे वस्त्र मशीनरी निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

प्रमुख देशों के नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
	398.78	125.69	90.45
अर्जेन्टीना	4521.76	4909.55	5333.29
मिस्र	341.41	319.81	836.84
जर्मनी	2212.30	1853.67	2643.92
इंडोनेशिया	2800.30	2211.21	1566.50
ईरान	57.48	2674.25	874.49
इटली	338.54	460.79	608.46
केन्या	360.22	943.19	483.08
मलेशिया	106.67	55.30	69.63
नेपाल	317.29	124.02	149.44
नीदरलैंड	729.08	671.17	139.29
नाइजीरिया	747.66	972.14	1029.37
ओमान	172.46	39.29	221.26
फिलीपिंस	88.23	155.70	32.53
रूस	169.16	67.47	115.44
श्रीलंका	658.31	982.33	681.60
सउदी अरब	153.67	102.17	178.39
सिंगापुर	290.78	307.85	121.36
स्विट्जरलैंड	2972.27	6146.16	9844.86
दक्षिण अफ्रीका	75.75	105.88	222.71
थाईलैंड	455.91	632.92	333.13
तुर्की	226.98	1815.81	727.84
तंजानिया	696.62	341.49	727.58
संयुक्त अरब अमीरात	132.43	208.15	463.76
यू० के०	340.66	299.98	911.97
संयुक्त राज्य अमरीका	907.05	836.42	1425.07
वियतनाम	97.31	1087.09	413.48
अन्य	1272.35	2872.57	2203.24
कुल	21641.43	31322.07	32448.98

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योगों के लिए धनराशि

2125. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जूट का निर्यात

2126. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के जूट की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान जूट निर्यात के प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पैकिंग हेतु यूरोप तथा अन्य देशों को पारिस्थितिकी अनुकूल जूट बैग तथा जूट कपड़ा संबंधी वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकार ने पटसन के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में भारत सरकार के सांविधिक निकाय पटसन विनिर्माण विकास परिषद ने बाजार अनुसंधान शुरू किया है तथा विदेशों में महत्वपूर्ण मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर विविधिकृत पटसन के सामान पर सूचना संप्रेषित की है। जे०एम०डी०सी० निर्यात प्रतिनिधिमंडलों का प्रायोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, आयातकों और अंतप्रयोक्ताओं के साथ संपर्क भी स्थापित करती है तथा नई शृंखला के विविधिकृत पटसन के सामान का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास के लिए निधियां प्रदान करती हैं।

इसके अतिरिक्त पटसन यार्न और पटसन मदों की विशिष्ट श्रेणी के निर्यात के लिए बाह्य बाजार सहायता योजना प्रोत्साहन प्रदान करती है। निर्यात संवर्धन के अन्य कदमों में यू०एन०डी०पी० सहायित राष्ट्रीय पटसन कार्यक्रम का क्रियान्वयन, एन०सी०जे०डी० द्वारा उद्यमीय विकास तथा सरकारी खाते पर बी ट्विल कोटा आदेश प्राप्त करने के लिए पटसन मिलों के निर्यात दायित्व को लगाना शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पटसन के सामान की कुल राशि निम्नानुसार है–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु०)
1995-96	634.71
1996-97	702.23
1997-98	755.00 (अनंतिम)

(ग) सरकार ने चालू वर्ष 1998-99 के दौरान पटसन के सामान के निर्यात के लिए 230 मिलियन अमरीकी डालर (9500 मिलियन रु०) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) और (ङ) भारत ने भारतीय पटसन मिल संघ (इज्मा) और भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) के तकनीकी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए हाइड्रो कार्बन मुक्त फूडग्रेड पटसन बोरों और कपड़े का विकास किया है। उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न पटसन मिलों के साथ इस मद का निर्माण करने के लिए उत्पादन सुविधा सृजित की गई है। भारत ने विभिन्न देशों को पारि-अनुकूल फूडग्रेड पटसन बोरों और कपड़े का निर्यात करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

1. जे०एम०डी०सी० द्वारा प्रायोजित एक संयुक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 1997 में कोको एसोसिएशन ऑफ लंदन और नेस्ल, स्विट्जरलैंड के साथ बैठकें की हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों के हाइड्रो कार्बन मुक्त बोरों की भारतीय क्षमता के बारे में उद्योग को अवगत कराया जा सके। इसी मुद्दे पर फरवरी, 1998 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इस पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

2. बाह्य बाजार सहायता योजना के अंतर्गत हाइड्रो कार्बन मुक्त बोरों को भी शामिल किया गया है ताकि भारतीय पटसन निर्यातक उद्योग को इस मद का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

3. फूडग्रेड की सामग्री की पैकेजिंग में इस मद का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए अगस्त, 1998 में वस्त्र सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनिंदा पश्चिम अफ्रीकी और यूरोपीय देशों का दौरा किया।

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951

2127. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य वित्त निगम के प्रशासनिक नियंत्रण को सीधे अपने हाथ में लाने के लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य वित्त निगमों को पुनः पूंजी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्य वित्त निगमों को आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई आदि के समान दर्जा अथवा बैंक का दर्जा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ङ) क्या राज्य वित्त निगमों को आम जनता से धन जुटाने तथा अपना अलग कोष सृजित करने की अनुमति दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम० आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, बदलती वित्तीय प्रणाली की आवश्यकताओं का सामना कर पाने की परिणामी क्षमता के साथ-साथ कार्य स्वायत्तता एवं परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करके राज्य वित्तीय निगमों के शेयरधारक आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में संशोधन किए जाने की परिकल्पना की गई है;

(घ) वर्तमान में नौ ऋण वसूली अधिकरण और एक अपीलीय प्राधिकरण हैं। अधिकरणों की स्थापना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जब कभी जरूरी होगा ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की जाएगी।

(ङ) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य वित्तीय निगमों को आम जनता सहित विभिन्न एजेंसियों से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है जो राज्य वित्तीय निगम की चुकता पूंजी के दोगुने से अधिक नहीं होगी। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस सीमा को चुकता पूंजी के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध

2128. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार अलग-अलग कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के फल तथा सब्जियों का निर्यात किया गया;

(ख) इससे देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात पर स्थायी [illegible] और

[illegible] तो कब तक तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित फलों और सब्जियों की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं–

वर्ष	ताजी सब्जियां		ताजे फल	
	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1995-96	434401	301.19	109704	229.96
1996-97	498863	341.16	217753	241.17
1997-98*	उपलब्ध नहीं	319.45	उपलब्ध नहीं	268.98

*अनंतिम (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता/एपीडा)

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकीय के मासिक/वार्षिक बुलेटिनों में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाइड्रो कोटिंग उद्योग

2129. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के अंत तक हाइड्रो कोटिंग्स/काइल कोटिंग के लिए प्लाइंट/फैक्टरी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फैक्टरी द्वारा भारतीय एवं अन्य सार्क देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) मै० हाइड्रो कोटिंग्स इंडिया लि० को वेल्लारी रोड, साडाहल्ली, बंगलौर (ग्रामीण) स्थित मै० हाइड्रो कोटिंग्स, यू०के० के तकनीकी सहयोग से सिंथेटिक स्पेशलिटी कोटिंग्स के विनिर्माण के लिए 21 अगस्त, 1996 को विदेशी सहयोग अनुमोदन की मंजूरी दी गई है। कंपनी द्वारा 19 नवम्बर, 1996 को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किया गया था। कंपनी द्वारा बताई गई उत्पादन शुरू करने की संभावित तारीख जून 1997 थी। कंपनी के वक्तव्य के अनुसार, स्पेशलिटी कोटिंग एक आयात प्रतिस्थापन मद है।

पश्चिमी क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति

2130. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो नीति की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों की भी पहचान हो गई है जो पिछड़े हैं तथा जिनके औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके विकास के लिए पैकेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का त्वरित विकास किए जाने हेतु कई उपायों को क्रियान्वित किया जाता है। इन उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं–

(1) जुलाई 1971 से परिवहन राजसहायता योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के विशिष्ट पहाड़ी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में प्रचलन में है और इस योजना को 31-03-2000 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में यह योजना 31-03-2007 तक बढ़ा दी गई है।

(2) क्षेत्र, जनसंख्या और औद्योगिक पिछड़ेपन के स्वरूप को दृष्टिगत करते हुए संयुक्त मानदंड के आधार पर 71 विकास

केन्द्रों को स्थापित किए जाने संबंधी एक विकास केन्द्र योजना प्रचलन में है।

(3) औद्योगिक रूप से विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थापित किए गए औद्योगिक उपक्रम करावकाश तथा अन्य कर लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

(4) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किए जाने हेतु एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है।

भारतीय कंपनियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध

2131. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :**
श्री नरेश पुगलीया :
श्री जयराम आई०एम० शेट्टी :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री डी०एस० अहिरे :
श्री अभय सिंह भोंसले :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा उन्हें काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन पर आयात प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के पास भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वैकल्पिक/नए बाजार का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत द्वारा आणविक विस्फोट के बाद पहला 13 मई, 1998 को नाभिकीय प्रसार निवारण अधिनियम, 1994 के तहत कुछेक प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपायों की घोषणा की थी। 29 मई, 1998 को अमरीकी वाणिज्य विभाग के अधीन निर्यात प्रशासन ब्यूरो (बी एक्स ए) ने कुछेक अंतरिम दिशानिर्देशों की घोषणा की थी जिनमें दोहरे इस्तेमाल की ऐसी वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी के अमरीका से होने वाले निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया गया था जो पहले निर्यात लाइसेंस के अधीन थीं, उसके बाद 18 जून, 1998 को विशिष्ट उपायों की अधिसूचना जारी की गई। 19 नवम्बर, 1998 को अमरीका ने संघीय रजिस्टर में 40 भारतीय कंपनियों के साथ-साथ 200 मातहत कंपनियों को अधिसूचित किया है जिन पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सूची में ऐसी कंपनियों का उल्लेख है जिनके बारे में संयुक्त राज्य अमरीका को विश्वास है कि ये नाभिकीय तथा मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हैं और सूची में शामिल संगठन हैं—आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा क्षेत्र में संलग्न संगठन, परंपरागत सैन्य क्रियाकलापों में संलग्न संगठन, भारतीय सरकारी और निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां। ये प्रतिबंध यू एस ए से होने वाले निर्यातों पर लागू होंगे न कि भारत से होने वाले निर्यातों पर। अमरीकी वाणिज्य विभाग, निर्यात प्रशासन ब्यूरो की दिनांक 13 नवम्बर, 98 की प्रेस विज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय कंपनियों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सूचीबद्ध कंपनियों को निर्यात करने के लिए संयुक्त राज्य निर्यातकों को लाइसेंस लेने होंगे, तथा नागर विमानन की सुरक्षा तथा वाणिज्यिक यात्री विमानों के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए आशयित मदों को छोड़कर, अधिकांश को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार, भारत के विरुद्ध घोषित उपायों की बारीकी से जांच कर रही है तथा उसके संभावित प्रभाव का लगातार जायजा ले रही है। यद्यपि उपायों के प्रभाव का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, तथापि अभी तक प्रभाव बहुत ही कम रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं इतनी मजबूत हैं कि वे इन प्रतिबंधों से पड़ने वाले किसी भी दबाव को सहन कर सकती हैं। इस मसले को डब्ल्यू टी ओ में उचित ढंग से उठाने समेत भारत के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक सभी प्रयास किए जाएंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

परमाणु अथवा प्रक्षेपास्त्र संबंधी कार्यकलापों में संलग्न भारतीय सरकारी कंपनियां

परमाणु ऊर्जा आयोग (एआरसी) मुम्बई (पहले बम्बई) और अधीनस्थ कंपनियां विशेषकर जो इस अनुपूरक में शामिल हैं

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी), मुम्बई (पहले बम्बई)

केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (एका केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान), बंगलौर

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसड कम्प्यूटिंग, पुणे

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), नई दिल्ली और अधीनस्थ कंपनियां जो विशेषकर इस अनुपूरक में सूचीबद्ध हैं।

एरियल डिलेवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई), आगरा

एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर

एरोनोटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट (एडीई), बंगलौर

आर्मामेंट रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट (एआरडीई), पुणे

सेंटर फार एरोनोटिकल सिस्टम्स स्टडीज एण्ड एनामिसिस (सीएएसएसए), बंगलौर

काम्बेट विहाइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट (सीवीआरडीई), चेन्नई/मद्रास

डिफेंस बॉयो इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रो-मेडिकल लेबोरट्री (डीईबीईएल), बंगलौर

डिफेंस इलैक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेट्री (डीईआरएल), देहरादून

डिफेंस इलैक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेट्री (डीईआरएल अथवा डीएलआरएल), हैदराबाद

डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेट्री (डीएफआरएल), मैसूर

डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च (डीआईईआर), दिल्ली

डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल एण्ड एलाइड साइंसेंस (डीआईपीएएस), दिल्ली

डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल रिसर्च (डीआईपीआर), नई दिल्ली

डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कस्टडी (डीआईडब्ल्यूएस), मसूरी

डिफेंस लेबोरेट्री (डीएल), जोधपुर

रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई), [illegible]

[illegible] संधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), हैदराबाद

रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीआरडीई), ग्वालियर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास लेबोरेट्री (डीआरडीएल), हैदराबाद

प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान एवं विकास परिषद, इमारात, हैदराबाद

रक्षा अनुसंधान एवं विकास एकक (डीआरडीयू), कलकत्ता

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डीआरएल), तेजपुर

रक्षा विज्ञान केन्द्र (डीएससी), नई दिल्ली

रक्षा टेरिम अनुसंधान प्रयोगशाला (डीटीआरएल), नई दिल्ली

इलैक्ट्रानिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान (ईआरडीई अथवा एलआरडीई), बंगलौर

विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (जीटीआरई), बंगलौर

इंस्टीट्यूट ऑफ अर्पामेंट टेक्नॉलॉजी (आईएटी), पुणे

इंस्टीट्यूट फार सिस्टम्स स्टडीज एण्ड एनालिसीज (आईएसएसए), दिल्ली

उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (आईआरडीई), देहरादून

नेशनल टेस्ट रेंज, बलियाबाद

नेवल कैमिकल्स एण्ड मैटलर्जीकल लेबोरेट्री (एनसीएमएल), मुम्बई (पहले बम्बई)

नेवल कैमिकल्स एण्ड ओसिनोग्राफिक लेबोरेट्री (एनपीओएल), कोचीन

नेवल साइंस एण्ड टेक्नालाजिकल लेबोरेट्री (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम

नाभिकीय विज्ञान केन्द्र (एनएससी), नई दिल्ली

प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट, चांदीपुर

अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर्स) (आर एण्ड डीई) (इएनजीआरएस), पुणे

वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी), नई दिल्ली

सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेट्री (एसएसपीएल), नई दिल्ली

टर्मिनल बेलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री (टीबीआरएल), चण्डीगढ़

वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर

परमाणु ऊर्जा विकास (डीएई), मुम्बई (पहले बम्बई) और अधीनस्थ कंपनियां जो विशेष तौर पर इस अनुपूरक में सूचीबद्ध हैं

एडवांस फ्यूल फैब्रीकेशन फैसिलिटी, तारापुर

एटामिक मिनरल्स डिविजन (एएमडी), हैदराबाद

बैरिलियस मशीनिंग फैसिलिटी, मुम्बई/बम्बई (अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक भाग भी)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), ट्राम्बे, मुम्बई (पहले बम्बई)

असपारा अनुसंधान रिएक्टर, ट्रांबे (मुम्बई का उपनगर)

सेंट्रल वर्कशाप, ट्रांबे (मुम्बई का उपनगर)

सेंटर फार कंपोजिशनल करेक्टराइजेशन ऑफ मटिरियल्स, हैदराबाद

सिराज रिएक्टर, मुम्बई

ध्रुव रिएक्टर, मुंबई

प्लेटनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट (एक ट्रांबे रिप्रोसेसिंग प्लांट), ट्रांबे (मुम्बई उपनगरी)

प्रीफर रिप्रोसेसिंग प्लांट, तारापुर

पुरिनिया फैसिलिटी, ट्रांबे (मुम्बई उपनगरी)

यूरेनियम कन्वरशन प्लांट, ट्रांबे (मुम्बई उपनगरी)

यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, ट्रांबे (मुम्बई उपनगरी)

बोर्ड ऑफ रेडिएशन एण्ड आरसोटोप टेक्नालॉजी (बीआरआईटी), मुम्बई

सेंटर फार एडवांस टेक्नालॉजी (सीएबी), इन्दौर

क्रय एवं भण्डार निदेशालय (डीपीएस), मुम्बई

निर्माण सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन समूह, मुम्बई

सामान्य सेवा संगठन, कलपक्कम

तकनीकी जन-संपर्क मिशन (टीएलएम)

हेवी वाटर बोर्ड, मुम्बई

उत्पादन सुविधाएं : बड़ोदा, हजिरा, कोटा, मांगरू, नागल, तलचर महाराष्ट्र में थाल-वैशेट, तुतिकोरन

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च (आईजीसीएआर), कल्पक्कम

फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर), कल्पक्कम

फस्ट रिएक्टर फ्यूअल रिप्रोसेसिंग प्लांट (एफआरएफआरपी), कल्पक्कम

कल्पक्कम रीप्रोसेसिंग प्लांट (केएआरपी) एकेए कल्पक्कम फ्यूअलरी प्रोसेसिंग (प्लांट), कल्पक्कम

कामिनी रिसर्च रिएक्टर, कल्पक्कम

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कल्पक्कम

इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमैटीकल साइसेंज, चेन्नई/मद्रास

इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर

इंटरयूनिवर्सिटी कंस्टोरिअम ऑफ डीएई फैसीलिटीन, इंदौर, मुम्बई (पहले बम्बई)

मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड मैथ्स फिजिक्स, इलाहाबाद

न्यूक्लीयर फ्यूअल कम्लैक्स, हैदराबाद

सिरामिक फ्यूअल्स फैब्रीकेशन प्लांट, हैदराबाद

न्यू जरकोनियम स्पोंज प्लांट, हैदराबाद

स्पेशल मैटीरीअल्स प्लांट, हैदराबाद

यूरेनियम फ्यूल असैम्बली प्लांट, हैदराबाद

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामैंटल रिसर्च, मुम्बई (पहले बम्बई)

टी वेरीएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सैंटर, कलकत्ता

डिपार्टमैंट ऑफ स्पेस, बंगलौर एंड सबाओरडीनेट एन्टीटीज स्पैसीफीकली लिस्टिड इन दिस सपलीमैंट

इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन, बंगलौर

अम्मोनीयम परक्लोरेट एक्सपैरीमैंटल प्लांट, अलवाई

बर्ल्लीयम कशीनिंग फैसीलिटी, मुम्बई/बम्बई (परमाणु ऊर्जा विभाग का ही एक हिस्सा)

ईसरो इनरशियल सिस्टम्स यूनिट, थिरुबंथापुरम

इन्ट्रीम टैस्ट रेंज (मैट्रोलोजीकल रोकिट स्टेशन) बालासोर

लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सैंटर, थिरुबंथापुरम, बंगलौर, बालीमाला

लिक्विड प्रोपल्शन टैस्ट फैसीलिटी, महेन्द्रगिरी

स्पेस एप्लीकेशन्स सैंटर, अहमदाबाद

श्रीहरि कोटा स्पेस सैंटर, आंध्रप्रदेश

सोलिड प्रोपेलैंट स्पेस बूस्टर प्लांट

थंबा इक्वीटोरिअल रोकिट लांचिंग स्टेशन

विक्रम साराबाई स्पेस सैंटर, थिरुबंथापुरम

स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी, थिरुबंथापुरम

फीजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईईआईएस)

बंगलौर कैम्पस में एकमात्र डिपार्टमैंट ऑफ एसेस्पेस इंजीनियरिंग एंड स्पेस टैक्नोलोजी सैल

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी (आईआईटी)

चेन्नई/मुम्बई कैम्पस में केवल एयरो स्पेस इंजीनियरिंग एंड स्पेस टैक्नोलोजी सैल

नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी, बंगलौर

नेशनल ट्रासोनिक एयरोडायनमिक फैसीलिटी, बंगलौर।

मिसाइल कार्यकलापों में लगी भारतीय परा-राजकीय तथा गैर-सरकारी हस्तियां

ए यू आर ओ इंजिनियरिंग, पांडिचेरी

भारी पानी संयंत्रों के साथ स्थापित अमोनिया संयंत्र : बड़ौदा, हजीरा, तलचर, थाल-वैसहेट (महाराष्ट्र), तुतीकोरिन

बड़ौदा अमोनिया प्लांट, गुजरात फर्टीलाइजर

भारत डायनामिक्स लि०, हैदराबाद, भानुर

भारत अर्थ मूवर्स लि० (बी ई एम एल), बंगलौर

भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि० (बी ई एल) बंगलौर, हैदराबाद, गाजियाबाद

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लि० (भेल) ट्राइची (तिरुचिरापल्ली), हैदराबाद, हरिद्वार, नई दिल्ली, रानीपेत

इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (ई सी आई एल), हैदराबाद

फेरोडाई प्राइवेट लि० (एफ पी एल), थाणे

फर्टीलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, तलचर अमोनिया प्लांट, तलचर

गोदरेज एंड ब्यायके मैनुफैकचरिंग लि०, प्रीमिजन इक्विपमेंट डिविजन (पी ई डी) एंड टूल रूम डिविजन, मुम्बई (भूतपूर्व बम्बई)

हजीरा अमोनिया प्लांट, किरसक भ्राती को-ओपरेटिव लि०, हजीरा

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि० (एच ए एल), एरोस्पेस एंड इंजिन डिविजन, बंगलौर

इंडिया रेयर अर्थ्स लि० (आई आर ई एल), मुम्बई (भूतपूर्व बम्बई)

मिनरल्स रिकवरी प्लांट, चवारा

मिनरल सेपरेशन प्लांट, छतरपुर (उड़ीसा)

उड़ीसा सैंड्स कॉम्पलेक्स (ऑसकॉम), उड़ीसा राज्य के छतरपुर जिले में गुंजन

रेयर अर्थ डेवलपमेंट लेबोरेटरी (ए के ए थोरियम प्लांट) ट्राम्बे (स्यूबर्बनी सिटी ऑफ मुम्बई (भूतपूर्व बम्बई)

रेयर मेटेरियल प्लांट, मैसूर

थोरियम प्लांट, उड़ीसा में छत्तरपुर

जिरकोनियम ऑक्साइड प्लांट, मनवलकुरुची

किर्लोस्कर ब्रदर्स लि० (के बी) पुणे

लारसेन एंड टूब्रो, हजीरा वर्क्स, हजीरा

मैशीन टूल ऐड्स एंड रीकंडिशनिंग (एम टी ए आर), हैदराबाद

मिश्रा धातु निगम लि० (मिडहानी), हैदराबाद

न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एन पी सी आई एल) मुम्बई (भूतपूर्व बम्बई)

हेवी वाटर अपग्रेड प्लांट, थाल-वैसहेट, महाराष्ट्र

कैगा एटमिक पावर प्रोजेक्ट (के ए पी पी), (निर्माणाधीन)

कुनडनकुलम एटामिक पावर प्रोजेक्ट, कुंडनकुलम (निर्माणाधीन)

काकरापार एटामिक पावर स्टेशन (के ए पी एस), काकरापार

ांट

...वर स्टेशन (एम ए पी एस), कल्पक्कम

नरौरा एटामिक पावर स्टेशन (एन ए पी एस), बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)

राजस्थान एटामिक पावर स्टेशन (आर ए पी एस), रावतभाटा

राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट, रावतभाटा (निर्माणाधीन)

तारापुर एटामिक पावर प्रोजेक्ट, तारापुर (निर्माणाधीन)

तारापुर एटामिक पावर स्टेशन (टी ए पी एस), तारापुर

प्रीसीजन कंट्रोल्स, चेन्नई/मद्रास

प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी डी आई एल), धनबाद

रामकृष्ण इंजीनियरिंग वर्क्स (आर ई डब्ल्यू), चेन्नई/मद्रास

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर, थाल-वैसहट

साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, तुतीकोरिन

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (यू सी आई एल), जादुगोड़ा

भटिन यूरेनियम माइन एंड मिल, भटीन

फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (एफ ए सी टी)

यूरेनियम रिकवरी पाइलट प्लांट, कोचीन

जादुगोड़ा यूरेनियम माइन एंड मिल, जादुगोड़ा

नारवैपहर यूरेनियम माइन एंड मिल, नारवैपहनर

तुरामिडह यूरेनियम माइन

यूरेनियम रिकवरी प्लांट्स कोचीन, मोसबिनी (एका मासाबेनी) रक्खा, मुरदा (एका मुरदत)

वालचानडनगर इंडस्ट्रीज लि० (डब्ल्यू आई एल) नाडु देसराय एंड महद

परंपरागत सैनिक कार्यकलापों में लगी भारत सरकार की कंपनियां

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग एवं अधीनस्थ कंपनियां विशेषतः इस अनुपूरक में सूचीबद्ध

ऑर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड एवं अधीनस्थ कंपनियां विशेषतः इस अनुपूरक में सूचीबद्ध

अंबाजहारी आयुध फैक्टरी

अंबरनाथ मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी

अंबरनाथ आयुध फैक्टरी

अणीवैंकडू कोरडाइट फैक्टरी

अवदी कम्बाइन इंजन संयंत्र

भुसावल आयुध फैक्टरी

चंदा अस्त्र-शस्त्र लोडिंग संयंत्र

चंडीगढ़ आयुध केबल फैक्टरी

कोसीपोर बंदूक एवं शैल फैक्टरी

अवदी भारती वाहन फैक्टरी

अवदी आयुध कपड़ा फैक्टरी

चंदा आयुध फैक्टरी

चंडीगढ़ आयुध पैराशूट फैक्टरी

देहरादून ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी

देहरादून ऑर्डनेन्स फैक्टरी

देहू रोड ऑर्डनेन्स फैक्टरी

दमदम ऑर्डनेन्स फैक्टरी

हजरतपुर ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी

ईशापुर मेटल एंड स्टील फैक्टरी

ईशापुर राइफल फैक्टरी

इटारसी ऑर्डनेन्स फैक्टरी

जबलपुर गन कैरिज फैक्टरी

जबलपुर ग्रे आयरन फाउंड्री

कानपुर रील्ड गन फैक्टरी

कानपुर ऑर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी

कानपुर ऑर्डनेन्स पैराशूट फैक्टरी

कानपुर ऑर्डनेन्स फैक्टरी

कानपुर स्माल आर्म्स फैक्टरी

कटनी ऑर्डनेन्स फैक्टरी

खमेरा ऑर्डनेन्स फैक्टरी

किर्की हाई एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी

मुरादनगर ऑर्डनेन्स फैक्टरी

शाहजहांपुर ऑर्डनेन्स क्लोथिंग फैक्टरी

तिरुचिरापल्ली ऑर्डनेन्स फैक्टरी

मेडक ग्रे आयरन फाउंड्री

तिरुचिरापल्ली हैवी अलॉय पेनीट्रेटर प्रोजेक्ट

वारागांव ऑर्टनेन्स फैक्टरी

तिलागढ़ एम्युनिशन प्लांट

ऑर्डनेन्स फैक्ट्रिज स्टाफ कॉलेज नागपुर (अम्बाजहारी)

ऑर्डनेन्स फैक्ट्रिज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ईशापुर, कानपुर, जबलपुर (खरमियार), अम्बामाता, अम्बाजहारी।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा व्यापार समझौतों का उल्लंघन

2132. **श्री रामटहल चौधरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय दूतावासों के व्यापार समझौतों के उल्लंघन के लिए भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों के खिलाफ कंपनी-वार शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कपड़े का निर्यात लक्ष्य

2133. **श्री एम० बागा रेड्डी :**
श्री अभय सिंह एस० भोंसले :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 से कपड़े के निर्यात में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 से अब तक वर्ष-वार किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या खाड़ी देश अफ्रीकी और अमरीकी देशों के साथ सरकार ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो किस हद तक वस्त्र के निर्यात में वृद्धि की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अक्टूबर, 98 तक) के दौरान हस्तशिल्प, पटसन और कयर सहित वस्त्रों के निर्यात तथा विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि निम्नानुसार सूचित की गई है–

वर्ष	मूल्य (अमरीकी मिलियन डालर में)	वृद्धि
1995-96	10,685.05	7.1%
1996-97	11,839.13	10.8%
1997-98	12,389.91	4.6%
1998-99	7,037.10	(–) 0.7%
(अक्टूबर, 98 तक)	(अनंतिम)	

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदें

चालू वर्ष में अक्टूबर, 1998 तक डालरों के रूप में गिरावट रही है।

(ग) पश्चिम यूरोप में मांग में मंदी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई मुद्रा संकट, पिछले वर्ष में धीमी वृद्धि और चालू वर्ष में मामूली गिरावट के प्रमुख कारण रहे हैं।

(घ) सरकार नियमित आधार पर वस्त्र मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि। हाल ही में, सरकार ने सूती यार्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा की है जिनमें हैंक यार्न दायित्व से सूती यार्न के निर्यात को अलग करना, काउंट/घरेलू कपास के प्रयोग के प्रतिबंधों में ढील दे करके सूती यार्न के निर्माता शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को प्रचालन संबंधी अत्यधिक लोचशीलता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) यूरोपीय यूनियन द्वारा 31-12-1994 को हस्ताक्षरित वस्त्र उत्पादों के लिए बाजार प्रवेश संबंधी समझौता ज्ञापन के उपबंधों के अंतर्गत यूरोपीय यूनियन को कुछ वस्त्र और परिधान उत्पादों के निर्यात विनियमित हैं। समझौता ज्ञापन तथा वस्त्र और कलोदिंग संबंधी करार (ए०टी०सी०) में निर्यात कोटा स्तरों में वार्षिक वृद्धि करने का प्रावधान है। ए०टी०सी० के अनुसार करार के अंतर्गत सभी प्रतिबंध 1 जनवरी, 2005 से समाप्त कर दिए जाएंगे।

भारत द्वारा खाड़ी और अफ्रीकी देशों के साथ वस्त्रों के निर्यात संबंधी किसी भी प्रकार के विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड

2134. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने के लिए इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड हेतु विशेष आयात लाइसेंस देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 'नेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल' का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऋण के रूप में वसूल की जाने वाली राशि

2135. **श्री ए० सी० जोस :**
श्री एस० एस० ओवेसी :
श्री प्रसाद काबूराव तनपुरे :
श्री मदन पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तत्काल भुगतान अर्थात 'पैसे दो और कोयला लो' के आधार पर कोयले की आपूर्ति करने के बारे में राज्य सराकरों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्तमान में ऋण के रूप में राज्यवार कुल कितनी धनराशि ली जानी है;

(घ) राज्यों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने प्राइवेट कंपनियों से भी कोई ऋण राशि वसूल करनी है;

(च) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कोल इंडिया लिमिटेड कब तक बकाया ऋण राशि को वसूल कर लेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि० और विद्युत उपयोगिता परिषद के बीच दिनांक 1-11-98 से सहमत भुगतान की शर्तों को कड़ाई से पालन करने के लिए सभी राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत उपयोगिताओं के साथ-साथ संबद्ध राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कोयले के मूल्य के 90 प्रतिशत के बराबर अग्रिम भुगतान के साथ रायल्टी और परिवहन शुल्क आदि तथा सांविदिक लेवी का शतप्रतिशत, 10 दिनों के लिए कोयले की संयोजित मात्रा को समाहित करने के लिए विलंब से आई०आर०एल०सी० खोले जाने का प्रावधान है। संयुक्त रूप से नमूना लिए जाने के परिणामों के आधार पर आपूर्तित कोयले की कीमत के शेष 10 प्रतिशत तक को एक महीने के अंदर निबटा लिया जाएगा। मासिक संयोजित एक-तिहाई मात्रा के लिए 10 दिनों के अंतराल पर अग्रिम भुगतान किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) 31-10-98 की स्थिति के अनुसार को०इं०लि० की राज्य विद्युत बोर्ड-वार और विद्युत उपयोगिता-वार देय राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) एक राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्यों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तथापि, राज्य विद्युत बोर्डों ने कोयले के लदान में कटौती कर दी है।

(ङ) और (च) निजी कंपनियों की ओर की देय राशि का ब्यौरा निम्न है–

उपभोक्ता का नाम	राशि (करोड़ रु० में) (अनंतिम)
कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम	27.56
अहमदाबाद विद्युत कं०	30.46
टाटा हाइड्रो	0.01
रेणूसागर विद्युत निगम	0.11
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०	2.86
अन्य	26.69
जोड़	87.69

(छ) बकाया देय राशि की वसूली के समय के संबंध में सही रूप से नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

31-10-1998 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों/ सार्वजनिक उपक्रमों की ओर देय बकाया राशि

(करोड़ रु. में)

(डाटा अनंतिम)

रा०वि०बो०/सा०उप०	विवादित	अविवादित	जोड़
बी एस ई बी	61.53	268.93	330.46
यू पी एस ई बी	48.25	458.37	506.82
पी एस ई बी	202.76	64.75	267.51
टी एन ई बी	93.21	176.73	269.94
एच एस ई बी	23.54	102.68	126.22
आर एस ई बी	7.32	80.38	87.70
एम एस ई बी	437.62	248.26	685.88
एम पी ई बी	41.89	425.43	467.32
जी ई बी	27.94	470.52	498.46
डब्ल्यू बी एम ई बी, डब्ल्यू बी पी डी सी, डी पी एल	198.93	216.69	415.62
ए पी ई बी	4.44	2.32	6.76
ए एम ई बी	—	0.29	0.29
के पी सी एल	6.41	39.44	45.85
डी वी सी	96.84	(—)12.21	84.63
डी वी बी	19.05	11.99	31.04
बी टी पी एस	273.29	274.29	547.58
एन टी पी एस	89.58	106.81	196.39
सी ई एस सी	1.19	30.53	31.72
ए ई सी	18.22	18.57	36.79
बी एस ई एस	0.03	1.14	1.17
अन्य ..	0.22	19.12	19.34
कुल जोड़	1652.26	3005.03	4657.29

पारिस्थितकीय पर्यटन

2136. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारिस्थितकीय पर्यटन विकसित करने के लिए अन्य संबद्ध विभागों के साथ मिलकर कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों का ब्यौरा क्या है जो मिलकर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) स्वास्थ्य रक्षा और पशु व्यवहार की ओर विशेष ध्यान देते हुए क्या मार्गनिर्देश बनाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए नीति एवं दिशा-निर्देश वर्ष 1998 में ही बनाए हैं। ये दिशा-निर्देश यात्रा व्यवसाय, हिमालयन पर्यटन परामर्शी बोर्ड, राज्य सरकारों और पारिस्थितिकी पर्यटन में विशेषज्ञों से विस्तृत परामर्श के बाद बनाए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षण एवं इन्हें समृद्ध बनाना है। इसमें सरकार, विकासकों, पारिस्थितिकी पर्यटन प्रबंधकों, आगंतुकों, मेजबान जनसंख्या एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा दिया गया ऋण

2137. श्री एच०पी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा किन प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन केन्द्रों के लिए संपर्क सड़कों की पुनः मरम्मत के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की मांग की गई और इस राशि का उपयोग कितने पर्यटन केन्द्रों के लिए किया जाएगा; और

(च) नाबार्ड की सहायता से बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, बेगुसराय और जमुई जिलों में कितनी सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ऋण 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) से (च) नाबार्ड ने सूचित किया है कि बिहार सरकार ने गत तीन वर्षों से इस प्रयोजन हेतु किसी वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है। बिहार राज्य सरकार से नाबार्ड को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि नाबार्ड की वित्तीय सहायता से बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, बेगुसराय और जमुई जिलों में किसी सड़क अथवा पुल का निर्माण नहीं हो रहा है।

बिहार में लघु उद्योगों से ऋण की वसूली

2138. श्री शकुनी चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 15 प्रतिशत लघु उद्योग बन्द हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इनसे संबंधित उद्यमी बेरोजगार हो गए हैं और उनसे बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों की वसूली संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा इन उद्योगों को दिए गए ऋणों को आईडीबीआई द्वारा पुनः वित्त पोषित किया गया था;

[illegible] कार का विचार इन ऋणों को माफ कर देने का

[illegible], तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार राज्य में मार्च, 1997 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित 120.62 करोड़ रु० की बकाया राशि वाले 22,702 रुग्ण लघु उद्योग एकक थे।

(ख) बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग एककों को दिए गए सावधि ऋण का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा और तदनन्तर 1991-92 तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया गया था। 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रति की गई कुल चूक 182.94 करोड़ रु० थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम-मूंगा-लसर की खेती

2139. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में तथा कितने क्षेत्रफल में रेशम-मूंगा-लसर शहतूत तथा एरी की खेती होती है;

(ख) क्या आगामी योजना के दौरान रेशम उत्पादन में वृद्धि की कोई योजना है और यदि हां, तो रेशम की किस्मों का तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस योजना का विस्तार किया जाना है;

(ग) क्या रेशम बोर्ड में शहतूत क्षेत्र का प्रभुत्व होने के कारण एवं उनके द्वारा इसी क्षेत्र में निवेश किए जाने के कारण देश में टसर रेशम की खेती के क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है;

(घ) क्या रेशम बोर्ड के कार्यालय को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के कारण रेशम के विकास में व्यवधान आया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस निर्णय पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम बोर्ड द्वारा तसर, मूंगा एवं 'इरी' के विकास के लिए कितनी योजनाएं आरंभ की गईं, इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तसर, तथा असम में मूंगा एवं 'इरी' के विकास की क्या स्थिति है;

(छ) क्या मूंगा रेशम के विकास में ठहराव आ गया है, तथा इसका उत्पादन केवल भारत में ही होता है; और

(ज) क्या 'इरी' रेशम के विकास में भी करीब-करीब ठहराव-सा आ गया है, मगर रेशम बोर्ड उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) शहतूत की खेती देश के सभी राज्यों में होती है हालांकि प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्रप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल हैं। राज्यों द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार खेती का क्षेत्र 2.82 लाख हेक्टेयर है। उष्ण कटिबंधीय तसर की खेती आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में की जाती है। प्रमुख उत्पादक बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा है। मूंगा की खेती असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल में की जाती है। प्रमुख उत्पादक असम है। एरी की खेती असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में होती है। मुख्य उत्पादक असम तथा मणिपुर है। जंगली खाद्य पौधों सहित उष्ण कटिबंधीय तसर, मूंगा तथा एरी खाद्य पौधों का अनुमानित क्षेत्र लगभग क्रमशः 61000, 3100, 18000 हेक्टेयर है।

(ख) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सभी चार प्रकार के रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। इनमें अनुसंधान व विकास का विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के लिए अध्यसंरचनात्मक तथा विस्तार सहायता तथा उन्नत रेशम के उत्पादन के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रथाओं के अभिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए कतिपय विकासात्मक/प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इन योजनाओं को संबंधित किस्म के रेशम उत्पादक राज्यों के सम्भावित क्षेत्रों में रेशम की सभी चार किस्मों का विस्तार उत्पादन के लिए क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। उष्ण कटिबंधीय तसर में प्रखंड वृक्षारोपण के अंतर्गत लगभग 7800 हेक्टेयर को छोड़कर अधिकतर खाद्य पौधे जंगली क्षेत्रों में हैं। विगत तीन वर्षों में तसर रेशम उत्पादन क्रमश: 194, 235 तथा 312 टन रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्यों को, जैसा नीचे दर्शाया गया है, अनेक योजनाओं की पेशकश की है :

	प्रस्तावित योजनाओं की संख्या		
वर्ष	तसर	एरी	मूंगा
1995-96	10	5	10
1996-97	10	5	10
1997-98	09	6	12

अनुसंधान व विकास बीज सहायता तथा विकासात्मक योजनाओं पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा खर्च की गयी कुल राशि नीचे दर्शायी गयी है।

	(रु० करोड़ में)		
वर्ष	तसर	एरी	मूंगा
1995-96	4.05	0.57	5.03
1996-97	5.32	0.28	2.60
1997-98	5.79	0.27	2.81

बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में तसर का उत्पादन 1997-98 में क्रमश: 144, 97 तथा 47 टन था। 1997-98 में असम में मूंगा तथा एरी का उत्पादन क्रमश: 60 तथा 407 टन था।

(छ) मूंगा रेशम के उत्पादन में आउटडोर रीयरिंग, प्रतिकूल जलवायु तथा प्रीडेट्स के प्रति खुला छोड़ना, पर्याप्त व्यवस्थित वृक्षारोपण की आवश्यकता गुणन के लिए राज्यों में कमजोर अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं के कारण बीज की अपर्याप्त आपूर्ति तथा राज्यों में संगठित बाजार सहायता प्रणालियों के कारण उतार-चढ़ाव होता रहा है। मुंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत में ही होता है।

(ज) जी, नहीं। एरी रेशम का उत्पादन आठवीं योजना के आरंभ में 704 टन से बढ़कर 1997-98 में 814 टन हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी

2140. **श्री तेजवीर सिंह :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या हाल ही में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अत्यधिक कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 27 नवम्बर, 1998 को विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और एस०डी०आर० को छोड़कर) 26491 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर था।

(ख) जी, नहीं। वास्तव में, विदेशी मुद्रा भंडार में इसके मार्च, 1998 के अन्त के स्तर की तुलना में 516 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग

2141. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या वित्त मंत्री 12-6-1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने विनिवेश कोष स्थापित करने और विनिवेश को वार्षिक बजट प्रक्रिया से अलग करने के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिश की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार विनिवेश आयोग की सिफारिशों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

सोने/वस्तुओं की तस्करी

2142. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी :**
श्री एन० डेनिस :
श्री दिनशा पटेल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी०एस० अहिरे :
श्री संदीपान थोरात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी/घरेलू उपभोक्ता सामग्री, वर्जित वस्तुएं तथा सोना, चांदी, हेरोइन, विदेशी मुद्रा इत्यादि तथा स्वापक औषधियों की तस्करी के मामले पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सितम्बर, 1998 तक प्रत्येक मामले में कितने मामलों का पता लगाया गया तथा वस्तुओं की कितनी मात्रा जब्त की गई;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उपरोक्त वस्तुओं विशेष रूप से स्वापक पदार्थों की पूरे देश में तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) प्राप्त रिपोर्टों/आसूचना और किए गए अभिग्रहणों के संबंध में प्राप्त सूचना से यह पता नहीं चलता है कि सोना, चांदी, हेरोइन, विदेशी मुद्रा या स्वापक औषधियों विदेशी/स्वदेशी उपभोक्ता माल की तस्करी के मामले देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान, सितम्बर, 1998 तक की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा/मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण I से V में दिए गए हैं।

हेरोइन/स्वापक औषधियों के मामलों के अलावा, उपरोक्त श्रेणियों के मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उचित न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने के अलावा अभिगृहीत माल को जब्त करने के लिए और उचित अर्थदण्ड लगाने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाते हैं। हेरोइन/स्वापक औषधियों के अभिग्रहणों के मामलों में शामिल/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) राजस्व विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, स्वापक औषधियों सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी की गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए काफी सतर्क हैं। स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार और तस्करी में शामिल सरगनाओं एवं नशीले पदार्थों के प्रमुख गिरोहों की पहचान के लिए आसूचना एकत्र करने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के प्रवर्तन कार्यों के लिए प्राधिकृत विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने हेतु नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं तथा इनकी अध्यक्षता नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा की जाती है। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के मामलों में निहित/पता लगाई गई नवीन कार्य प्रणाली के संबंध में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों को समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं और अथवा उन्हें सचेत भी कर दिया जाता है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान सोने की तस्करी के संबंध में किए गए अभिग्रहणों की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा/मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल की मात्रा (कि.ग्रा. में)	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	1474	4165.862	5561.51	285
1996-97	1465	3846.831	4971.40	365
1997-98	1817	4942.986	5833.67	337
1998-99	567	1133.396	1390.70	59

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान चांदी की तस्करी के संबंध में किए गए अभिग्रहणों की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा/मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल की मात्रा (कि.ग्रा. में)	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	19	541.035	43.32	6
1996-97	29	812.097	64.42	9
1997-98	35	5760.096	355.34	4
1998-99	7	2210.971	180.11	3

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान विदेशी मुद्रा की तस्करी के संबंध में किए गए अभिग्रहणों की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा/मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	2036	4887.11	203
1996-97	1714	5249.61	248
1997-98	1271	4737.59	245
1998-99	850	1292.87	74

विवरण-IV

कैलेंडर वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान हेरोइन की तस्करी के संबंध में किए गए अभिग्रहणों की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल की मात्रा (कि. ग्रा. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	3236	1678	4534
1996-97	3043	1257	3299
1997-98	2990	1332	3262
1998-99	1353	382	1510

विवरण-V

कैलेंडर वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान हेरोइन की तस्करी के संबंध में किए गए अभिग्रहणों की संख्या, अभिगृहीत माल की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	किए गए अभिग्रहण संबंधी मामलों की संख्या	अभिगृहीत माल की मात्रा (कि. ग्रा. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	9495	147326	9837
1996-97	9808	74599	9760
1997-98	10825,	89112	11008
1998-99	4115	47887	4553

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

2143. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांस और प्रसंसाधित खाद्य और सब्जी निर्यातक जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एकक 'हजार्ड ऐनेलेसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट सिस्टम' के सात सिद्धांतों में से दो को लागू करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता समझौता के अंतर्गत इस मामले को उठाने का है; और

(ग) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण निर्यात एककों की सहायतार्थ क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) लघु इकाइयां अपने बूते 'हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट' (एचएसीपी) प्रणाली, विशेषकर, निम्नलिखित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं :

1. सत्यापन
2. प्रलेखन

(ख) खाद्य स्वच्छता संबंधी कोडेक्स समिति (यह समिति एचएसीपी के मानदंड तैयार करने के लिए उत्तरदायी है) की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि "विकासशील देशों के संदर्भ में लघु व्यवसायों में एचएसीपी जैसी प्रणालियों के बारे में मानक विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें 'सत्यापन' और 'प्रलेखन' के संबंध में संशोधनों के साथ बुनियादी तौर पर एचएसीपी के सभी सिद्धांत निहित होंगे।"

(ग) हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीपी) प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए प्रस्तावित कुछ उपाय निम्नानुसार हैं–

1. इन प्रणालियों के कार्यान्वयन में भारतीय उद्योग की सहायता के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. लघु इकाइयों में एचएसीपी को कार्यान्वित करने के लिए समूह परियोजाएं शुरू की जा रही हैं।
3. विभिन्न क्षेत्रों में एचएसीपी के माड्यूल विकसित किए जा रहे हैं जिनसे एचएसीपी प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें दिशा-निर्देशों के रूप में प्रयोग करने के निमित्त लघु विनिर्माताओं को सहायता मिलेगी।
4. निर्यात इकाइयों को अपनी परीक्षण-सुविधाएं तैयार करने के लिए सहायता दी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए जांच माड्यूल का विकास किया जा रहा है, जिसमें जांच हेतु अपेक्षित मापदण्डों, जांच के तरीकों, अपेक्षित उपकरण और उपकरण के स्रोत निहित होंगे।
5. देश के भीतर परामर्शदाताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि एचएसीपी के कार्यान्वयन के लिए उद्योग जगत द्वारा उन्हें उपयोग में लाया जा सके।

बंगलौर में केनरा बैंक के ए०टी०एम० सेंटर

2144. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में बैंक के एटीएम सेंटर किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या बंगलौर में सभी क्षेत्रों में एटीएम खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या बंगलौर में एटीएम कार्ड-धारकों को चैक जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो बंगलौर में एटीएम से चैक जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बंगलौर में निम्नलिखित स्थानों पर स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) कार्य कर रही हैं–

1. केनरा बैंक, ट्रिनिटी सर्किल शाखा।
2. केनरा बैंक, कनिंघम रोड शाखा।
3. केनरा बैंक, जयनगर शापिंग काम्प्लेक्स शाखा।
4. केनरा बैंक, वेलफेयर सेंटर विस्तार पटल, टाउन हाल शाखा।
5. केनरा बैंक, मल्लेश्वरम शाखा।
6. केनरा बैंक, विजयनगर शाखा।

शेषाद्रिपुरम शाखा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

2145. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में बाधाओं को दूर करने के लिए काई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सरकारी नीति का उल्लेख अधिशासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्गठन, पुनर्स्थापन तथा विनिवेश सहित सरकारी क्षेत्र में व्यापक सुधारों का प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कठिनाइयां तथा समस्याएं प्रत्येक एकक के अनुसार अलग-अलग हैं। इसलिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए तथा रुकावटें दूर करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इनकी प्रक्रिया चलती रहती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2146. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाक :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने नवम्बर, 1998 के दौरान व्यापार संभावनाओं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार करने के लिए बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच कितना व्यापारिक सुधार होगा;

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त (एम०एन०एफ०) देश का दर्जा दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच नवम्बर, 1998 में वाणिज्य सचिव स्तर के विचार-विमर्शों के दौरान दोनों देशों के शिष्टमंडलों में द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार-विनिमय हुआ था। सहयोग के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जाने पर विचार-विमर्श किए गए थे। यह सहमति हुई थी कि भारत और पाकिस्तान से रेलवे और ऊर्जा के तकनीकी दल इन क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा के लिए मिलेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पाकिस्तान भारत के प्रति भेदभावपूर्ण और प्रति-बंधात्मक आयात नीति का पालन करता रहा है। नवम्बर, 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय शिष्टमंडल ने बताया कि हालांकि, भारत ने 1970 के दशक से ही पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ है किन्तु, पाकिस्तान को अभी गैट/डब्ल्यू टी ओ के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप ऐसा ही दर्जा भारत को देना है। पाकिस्तान के शिष्टमंडल ने प्रत्युत्तर दिया कि वे अपने दायित्व को 'यथा समय' पूरा करेंगे।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

2147. **श्री विकास चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एम०एन० दस्तूर एंड कंपनी द्वारा तैयार किए गए रूप में बर्न स्टैंडर्ड कंपनी का पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लालकोटी, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी ग्रुप के दुर्गापुर वर्क्स सहित मैसर्स एम०एन० दस्तूर एंड कंपनी की रिपोर्ट से सहमत है;

(घ) क्या सरकार का विचार लालकोटी, दुर्गापुर एंड अदर वर्क्स ऑफ बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने और जीर्णोद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स एम०एन० दस्तूर (एमएनडी) ने भारत सरकार को 709.59 करोड़ रुपये (261.06 करोड़ रुपये की निधियों के नए निवेश तथा 448.53 करोड़ रुपये की कुल अन्य राहतें) की कुल लागत पर दो इंजीनियरिंग इकाइयों तथा 5 रिफ्रेक्टरी इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) बी०आई०एफ०आर० ने दिनांक 5-3-1997 को हुई अपनी सुनवाई में कहा कि दुर्गापुर वर्क्स के पुनरुद्धार के लिए मैसर्स एम०एन० दस्तूर (एमएनडी) द्वारा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना को आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। बी०आई०एफ०आर० ने 17-10-1997 को हुई अपनी सुनवाई में फिर निदेश दिया कि हानि उठा रही रिफ्रेक्टरी यूनिटों की जैव्यता की जांच पृथक् आधार पर की जानी चाहिए। पृथक् आधार पर लालकोटी वर्क्स की जैव्यता पर ऑपरेटिंग एजेंसी की परिकल्पना पर विचार करने के बाद, यह विभाग इसके पुनरुद्धार में सहायता करने की स्थिति में नहीं था। बी०आई०एफ०आर० ने अब दिनांक 21-9-1998 को कंपनी के लिए एक मसौदा पुनरुद्धार योजना (डी आर एस) को परिचालित किया है जिसके लिए एन०आर०एफ० से 34 करोड़ रुपये के साथ-साथ सरकार से 132.51 करोड़ रुपये मुहैया कराना अपेक्षित है।

विश्व बैंक की टिप्पणी

2148. **श्री मगन्ती बाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ज्ञान अंतराल के और अधिक बढ़ने की संभावना की चेतावनी दी है जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देश विकास की दौड़ में और पीछे रह जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे धनी तथा गरीब देशों के बीच विषमता और अधिक तीव्र गति से बढ़ जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या-क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने अपने 'वर्ल्ड डिवलपमेंट रिपोर्ट 1998-99 नॉलेज फॉर डिवलपमेंट' में उन जोखिमों तथा अवसरों का विश्लेषण किया है जिन्हें सार्वभौम सूचना क्रांति विकासशील देशों के सम्बन्ध में सृजित कर रही है और यह निष्कर्ष निकाला है कि गरीब लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वित्तीय, तकनीकी तथा चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान होना महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि निम्न राष्ट्रीय आय ही इस बात का एकमात्र कारण नहीं है कि गरीब देश समृद्ध देशों की अपेक्षा कम समृद्ध क्यों हैं। अधिकांश विकासशील देशों में उस आर्थिक, तकनीकी तथा सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने और उसे अनुकूल बनाने की क्षमता का अभाव है जिससे विश्व के विकास की सफलता की बहुत-सी कहानियों को प्रेरणा मिली है। चूंकि, इस जानकारी का सृजन अक्सर महंगा साबित हुआ है, इसलिए औद्योगिक देशों के समक्ष अपनी जनसंख्या को बेहतर तथा समृद्ध बनाने में इस ज्ञान का उपयोग करने के अपेक्षा अधिक अवसर हैं।

(ग) सरकार-प्राथमिक, सेकण्डरी, तकनीकी और उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए यथोचित ध्यान दे रही है। साथ ही सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्प्रवाह, उन्नत प्रौद्योगिकी का ज्ञान तथा तकनीकी जानकारी हेतु अर्थव्यवस्था को खोल रही है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग के स्टाक रजिस्टर

2149. **श्री चन्द्रसेखर साहू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के खादी ग्रामोद्योग फुटकर बिक्री केन्द्रों पर स्टाक रजिस्टर नहीं रखे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्टाक रजिस्टर न रहने पर स्टाक की स्थिति का पता लगाने हेतु क्या मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) खादी ग्रामोद्योग की परचून की दुकानों (आउटलेट्स) और मुख्य-शोरूमों एवं शाखाओं के गोदामों में स्टॉक रजिस्टर रखे जाते हैं।

मात्रात्मक/चालान-वार अर्थात आंतरिक (इनवर्ड) और बाह्य (आउटवर्ड) रजिस्टर विक्रय आउटलेटों में रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ओंकार गोस्वामी समिति

2150. **श्री अरविन्द कांबले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पांच वर्षों के बाद भी औद्योगिक रुग्णता संबंधी ओंकार गोस्वामी समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों, जिन पर कुछ कार्यवाही हो गई है तथा उनका भी जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस रिपोर्ट की सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) औद्योगिक रुग्णता और कंपनी पुनर्संरचना के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा और जांच करने के लिए डा० ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति अप्रैल, 1993 में गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1993 में प्रस्तुत कर दी जिसमें उसने व्यापक सिफारिशें कीं जिसमें रुग्णता की परिभाषा में परिवर्तन से लेकर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को तुरंत कार्रवाई सुविधादाता के रूप में परिवर्तन करना है। रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को डील करने के लिए नए समेकित विधान तैयार करते समय गोस्वामी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। तदनन्तर, सरकार ने 16 मई, 1997 को एक नया विधेयक अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक 1997 संसद में पेश किया। तथापि, ग्यारहवीं लोक सभा के भंग होने के कारण यह उपर्युक्त विधेयक को नया रूप देने हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

ढांचागत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2151. श्री मित्रसेन यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को देश की कुछ ढांचागत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल की अपनी विदेश यात्रा के दौरान उनके द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) निम्नलिखित ढांचागत परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अप्रैल/मई, 1998 में बातचीत हुई है—

(i) पावरग्रिड पारेषण प्रणाली परियोजना (450 मिलियन अमरीकी डालर)

(ii) नवीकरण ऊर्जा विकास परियोजना (135 मिलियन अमरीकी डालर)

(iii) हरियाणा राज्य राजमार्ग परियोजना (275 मिलियन अमरीकी डालर)

(iv) गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना (381 मिलियन अमरीकी डालर)

उक्त ऋण हेतु विश्व बैंक के निदेशक बोर्ड से अभी अनुमोदन अपेक्षित है।

इनके अलावा विभिन्न राज्यों में राज्य सड़क ढांचागत वित्त तकनीकी सहायता ऋण के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से कुछ सड़क परियोजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। इनमें से कुछ सड़क परियोजनाओं को सफलतापूर्ण तैयार होने पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त होने की भी आशा है।

(ग) हाल ही में विदेशी दौरों के दौरान अन्य देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक उधार

2152. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998-99 के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण मार्गनिर्देशों में संशोधन के बाद अपेक्षित परिणाम मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में आगे कौन-से उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) जी, हां। सामान्य विदेशी वाणिज्यिक उधार विंडो तथा दीर्घकालिक विंडो के अंतर्गत स्वीकृत कुल विदेशी वाणिज्यिक उधार (7-12-98 की स्थिति के अनुसार) क्रमशः 3142 मिलियन अमरीकी डालर तथा 418 मिलियन अमरीकी डालर है। साथ ही, 5 मिलियन अमरीकी डालर योजना (पूर्व में 3 मिलियन अमरीकी डालर) के अंतर्गत 31-10-98 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अनुमोदन 224 मिलियन अमरीकी डालर है।

विश्व की बदली हुई परिस्थितियों तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों को विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन के अनुरूप उनकी निधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशी वित्तीय बाजारों में और अधिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशी वाणिज्यिक उधार नीतियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

विदेश व्यापार

2153. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान आज तक कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) भारत के विदेश व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है और आयात तथा निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश से होने वाले निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को घटाने और विभिन्न सीमावर्ती देशों के साथ व्यावसायिक संबंध मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के आंकड़ों के अनुसार आयात और निर्यात मूल्य निम्नानुसार हैं–

वर्ष	आयात		निर्यात	
	(करोड़ रु०)	मिलि० अमरीकी डालर	(करोड़ रु०)	मिलि० अमरीकी डालर
1997-98(अ)	151553.5	40778.8	126285.8	33979.9
1998-99(अ)	103088.5	24671.4	78866.5	18874.5

(अ) अनंतिम

(ख) और (ग) व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से सोने और चांदी के आयात में वृद्धि के कारण हुई है। व्यापार घाटे को कम करने का प्रमुख उपाय और अधिक निर्यात वृद्धि में निहित है। इस प्रयोजन से सरकार द्वारा निर्यातोनुकूल वातावरण मुहैया कराने के लिए नीतियों और क्रियाविधियों में परिवर्तन करके, निर्यात संवर्धन में राज्यों की भागीदारी और व्यापार एवं उद्योग के साथ परामर्श करने के जरिए निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय निरंतर किए जा रहे हैं। निर्यातों के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसमें शामिल है–निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत को घटाना और क्रियाविधियों का सरलीकरण एवं एग्जिम नीति को यथानिर्धारित अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, ग्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान के जरिए भी निर्यात संवर्धन के लिए कदम उठाए गए हैं। निर्यात निष्पादन की समीक्षा के लिए विदेश व्यापार संबंधी मंत्रिमंडल समिति का भी गठन किया गया है। सरकार निर्यातों को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और निर्यातों को उच्चतम वृद्धि स्तर पर पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सार्क अधिमानी व्यापार करारों (साप्टा) के समग्र ढांचे के अधीन सीमावर्ती देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाया जा रहा है।

इलायची के निर्यात में कमी

2154. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों के दौरान देश में इलायची के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। इलायची के निर्यात में आई गिरावट के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

(i) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वाटेमाला की इलायची की तुलना में भारतीय इलायची की अप्रतिस्पर्धात्मक कीमतें।

(ii) ग्वाटेमाला की इलायची द्वारा अपने भारी उत्पादन, उच्च उत्पादकता और घरेलू मांग के अभाव के कारण भारी निर्यात योग्य अतिरिक्त इलायची की वजह से प्रस्तुत की गई कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा।

(iii) मध्य-पूर्व के बाजारों में उपभोक्ता की प्राथमिकता कम कीमत वाली ग्वाटेमाला की इलायची की तरफ होना।

(ग) इलायची के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं–

(i) इलायची के निर्यात पर उपकर की छूट;

(ii) मध्य-पूर्व के स्थानों को हवाई मार्ग से उपभोक्त पैकों में छोटी इलायची के निर्यात के लिए 20 रु० प्रति किलोग्राम की दर से हवाई भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

(iii) व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना और विदेशों में व्यापार मेलों में सहभागिता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की चीनी मिलें

2155. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही बिहार की सिरोहरा और उत्तर प्रदेश की पडरौना और कठकुइयां जैसी चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादक किसानों के करोड़ों रुपये बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि कब तक अदा कर दी जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम बिहार में कोई मिल नहीं चलाता है। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी माईनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि०, जो कि एन०टी०सी० (उ०प्र०) लि० की एक सहायक कंपनी है, के अंतर्गत उनके स्वामित्वाधीन गणेश शूगर मिल्स, आनंद नगर है। इस मिल के संबंध में गन्ने की बकाया राशि के कारण कोई बकाया नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०, कानपुर शूगर वर्क्स लि० की एक सबसे बड़ी शेयरधारक है, लेकिन उसके पास अधिकांश शेयर नहीं हैं। इसकी 4 चीनी फैक्टरियां हैं जिनमें से 3 पडरौना, कठकुइयां, गोरी बाजर, उत्तर प्रदेश में तथा 1 मरहोवाड़ा, बिहार में है। कानपुर शूगर वर्क्स लि० राष्ट्रीयकृत सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। बी०आई०सी० की भूमिका एकमात्र सबसे बड़ी शेयरधारक होने के नाते प्रासंगिक मात्र ही है। कानपुर शूगर वर्क्स लि० को रुग्ण घोषित कर दिया गया था तथा इसका मामला बी०आई०एफ०आर० को भेजा गया है। 24-11-98 की स्थिति के अनुसार इन मिलों की गन्ने की

देय बकाया राशि 25.47 करोड़ रु० है। चूंकि यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, इसलिए सरकार इस कंपनी को निधियां प्रदान नहीं करती है।

भारत-जर्मन समझौता

2156. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने अपने-अपने देशों में किए गए निवेश को संरक्षण प्रदान करने और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की शर्तें क्या-क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक प्रभावी कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जर्मनी के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बी० आई० पी० ए०) दिनांक 10-7-1995 को निष्पादित किया गया है, अन्य बातों के अलावा, दोनों में से किसी देश में किए गए निवेशों का संरक्षण, सर्वाधिक अनुग्रह-प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार और निवेशों हेतु राष्ट्रीय व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के माध्यम से निवेश विवादों का निपटान, स्वामित्वहरण/राष्ट्रीयकरण के मामले में क्षतिपूर्ति तथा आय के प्रत्यावर्तन के लिए सुविधा आदि शामिल हैं।

(ग) यह करार 13-7-1998 से प्रवृत्त हो गया है।

वस्त्र निर्यात कोटा

2157. **श्री कल्लप्पा आवाडे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिसेक्टर लाइस्ड विद्युत करघा द्वारा विनिर्मित वस्त्रों के निर्यात के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत करघों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रावधान किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) चालू वस्त्र निर्यात हकदारी नीति (1997-99), यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए श्रेणी 3 एवं 3क के अंतर्गत आने वाले, बुने हुए सिंथेटिक फैब्रिक्स को छोड़कर, वार्षिक कोटा स्तर का 10 प्रतिशत विद्युतकरघा निर्यातकों के लिए उद्दिष्ट किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में से 21 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को 16 करोड़ रु० (लगभग) के अनुमानित व्यय से उन्नत/आधुनिकीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि इन सेवा केन्द्रों को उद्योग के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

जल और मल-व्ययन परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण

2158. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल आपूर्ति/मल-व्ययन परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम और आय वित्तीय संस्थानों से दिया जाने वाला ऋण स्वीकृत लागत से 50 प्रतिशत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजनाओं की लागत वृद्धि के लिए जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पर्याप्त ऋण दिया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम, जल आपूर्ति और मल व्ययन योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक श्रेणीकृत पैटर्न अपनाती है जो योजनाओं की लागत पर निर्भर करता है। वित्तपोषण का वर्तमान पैटर्न नीचे दिया गया है–

जीवन बीमा निगम का हिस्सा

योजना की लागत	शहरी	ग्रामीण
यदि लागत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	लागत का 2/3	लागत का 50 प्रतिशत।
यदि लागत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक होती है लेकिन 5.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं जाती।	0.67 करोड़ रुपये जमा 1.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50 प्रति.।	0.50 करोड़ रुपये जमा 1.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50 प्रतिशत।
यदि लागत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक होती है लेकिन 10.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती।	2.67 करोड़ रुपये जमा 5.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 40 प्रति.।	2.50 करोड़ रुपये जमा 5.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 40 प्रतिशत।
यदि लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक हो।	4.67 करोड़ रुपये जमा 10.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25 प्रति.।	4.50 करोड़ रुपये जमा 10.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25 प्रतिशत।

उपर्युक्त पैटर्न के आधार पर 5.00 करोड़ रुपये तक की लागत वाली स्कीमों के लिए जीवन बीमा निगम स्कीमों की लागत के अनुसार

67 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की सीमा के ऋण प्रदान करता है। 5.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत स्कीमों के लिए स्कीमों की लागत के अनुसार श्रेणीकृत आधार पर जीवन बीमा निगम का ऋण संघटक घटा दिया जाएगा। यह पैटर्न बड़ी संख्या में स्कीमों के वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के मामले में जीवन बीमा निगम लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है क्योंकि सामान्यत: शेष लागत राज्य सरकार के अनुदानों से पूरी कर ली जाती है।

(घ) और (ङ) योजनाओं की मूल अनुमानित लागत में वृद्धि होने पर जीवन बीमा निगम मूल अनुमानित और संशोधित अनुमानित लागत के बीच अन्तर के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही ऋण पर विचार करता है। चल रही योजनाओं के लिए केवल एक बार ही इस प्रकार की सहायता राशि में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वृद्धि की जाती है–

(1) लागत में हुई वृद्धि के शेष भाग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निधियां प्रदान करने/व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

(2) संशोधित अनुमानित लागत प्रशासनिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हुई हो।

[अनुवाद]

ऋण की वसूली

2159. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं के अन्धाधुन्ध वित्तपोषण ने वित्तीय संस्थाओं को कमजोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि कई ऋणधारक आईडीबीआई, आईसीआईसीआई तथा आईएफसीआई जैसे संस्थानों से लिए गए ऋण को लौटाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं के चूककर्ता ऋणधारकों को बचाने के बड़े प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका तथा लाभ कमा रहे 'प्रमोटर्स' के मूल्य पर इन संस्थानों को जबर्दस्त झटका लगा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। वित्तीय संस्थाएं उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करती रही हैं, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं एवं अर्थक्षमता कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रवर्तक/कंपनी के संबंध में पूर्ण जांच के बाद तथा विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थक्षमता एवं अन्य मानदंड पूरे किए जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, सहायता के प्रस्ताव तदर्थ विशेषज्ञ समिति को भेज दिए जाते हैं। परियोजनाओं को वित्तपोषित करने संबंधी निर्णय लेते समय वित्तीय संस्थाएं अपने निदेशक बोर्डों द्वारा निर्धारित ऋण-नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुसरण करती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल शेयर होल्डिंग ट्रस्ट

2160. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का निजीकरण करने के विकल्प के रूप में नेशनल शेयर होल्डिंग ट्रस्ट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विनिवेश आयोग ने कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सरकार को अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के एककों के निजीकरण के वैकल्पिक तरीके के रूप में नेशनल शेयरहोल्डिंग ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

(ख) से (घ) विनिवेश आयोग ने नेशनल शेय रहोल्डिंग ट्रस्ट स्थापित करने का सुझाव दिया है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

1. सरकारी क्षेत्र के अभिज्ञात उपक्रम में सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता ट्रस्ट को अंतरित की जाए।
2. नेशनल शेयर होल्डिंग ट्रस्ट कहलाया जाने वाला ट्रस्ट संगत संविधि/अधिनियम के तहत स्थापित किया जाए।
3. शेयरों की बिक्री की व्यवस्था मात्रा तथा तौर-तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सलाह प्राप्त करने के बाद तथा बिक्री मूल्य के संबंध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ट्रस्ट द्वारा की जा सकती है और उसके बाद प्राप्तियां सरकार को अंतरित कर दी जाएंगी।
4. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह को सौंपी जाएगी।

चाय की कीमतों में वृद्धि

2161. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी मात्रा में चाय निर्यात की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) चाय की कीमतों में वृद्धि भारतीय चाय की अपेक्षाकृत अधिक घरेलू तथा निर्यात मांग के कारण हुई है।

(ख) और (ग) चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 2001-2002 तक 1000 मिलियन कि०ग्रा० के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्रोपण, विस्तार रोपण, नए बागानों की स्थापना, विस्तार क्रियाकलापों में छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान करने, गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में चाय बागानों का विकास तथा अनुसंधान एवं विकास इत्यादि जैसे उपाय शामिल हैं।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान चाय के निर्यातों और लक्ष्यों का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार है–

निर्यात (मात्रा मि०कि०ग्रा० में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति
	170	167.47
	180	169.04
1997-98	180	211.76

पर्यटन परियोजनाएं

2162. डा० रामचन्द्र डोम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को पेश की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिली है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास करने की जिम्मेदार मुख्यतया राज्य सरकार की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन आधारित संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 26 परियोजनाएं, केरल राज्य के लिए 27 परियोजनाएं और त्रिपुरा राज्य के लिए 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान पश्चिम बंगाल के संबंध में 5 परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकीं, क्योंकि परियोजना प्रस्ताव अधूरे थे।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र एवं बढ़िया निष्पादन करने वाले बैंकों का निरीक्षण

2163. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर वर्ष निरीक्षण किया जाता है परन्तु बढ़िया निष्पादन करने वाले बैंकों का निरीक्षण एक से दस वर्षों के अन्तराल में किया जाता है तथा चुनिन्दा आधार पर शाखाओं का दौरा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं और बढ़िया निष्पादन करने वाले बैंकों का वर्ष-वार दौरा किया गया;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किए गए निजी बैंकों एवं उनकी शाखाओं के निरीक्षण का क्या परिणाम रहा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मुकाबले बैंकों ने क्या कार्यवाही की;

(घ) क्या निजी बैंकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुवर्ती कार्य योजना को क्रियान्वित किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण 12 से 18 महीने में एक बार किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच किए गए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या और शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है–

वर्ष	जांच किए गए बैंकों की संख्या	जांच की गई शाखाओं की संख्या
1995-96	19	551
1996-97	18	557
1997-98	36	676

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों/निदेशों का विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कार्यकरण वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत नियमित अंतरालों पर जांच करवायी है। गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में उनके उचित कार्यकरण पर नजर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही दौरों का आयोजन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच/दौरे की अवधि के दौरान उसके द्वारा जारी स्वयं के अपने मानदंडों/अनुदेशों के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है और बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, प्रबंधन, सतर्कता, ऋण मंजूरियों, निगरानी,

लाभप्रदता, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था आदि में कमियों की जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई के लिए बैंक को अवगत कराया जाता है। निरीक्षण के निष्कर्षों पर निरीक्षणोपरांत विचार-विमर्श के दौरान बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है। निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक उपचारी उपाय करते हैं।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात/निर्यात

2164. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात/निर्यात नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात/निर्यात करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वस्तुओं के आयात कर्त्ताओं ने निर्यात की सभी अनिवार्यताएं पूरी कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान इस संबंध में निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) एग्जिम नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक मदों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन इलेक्ट्रॉनकि मदों का आयात जो उपभोक्ता सामान के स्वरूप की है, कुल मिलकर प्रतिबंधित हैं। अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक मदों के संबंध में नीति वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले 'आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण' प्रकाशन के नवीनतम संस्करण में दी गई है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) निर्यात दायित्व वहां उत्पन्न होते हैं जहां आयातों की अनुमति शुल्क मुक्त या रियायती शुल्क के आधार पर लाइसेंस पर दी जाती है। यदि शुल्क के भुगतान पर आयात किए जाते हैं तो कोई निर्यात दायित्व नहीं होता।

(ङ) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के संबंध में वर्ष 1998-99 के लिए मूल रूप से निर्धारित कुल निर्यात लक्ष्य 962 मिलियन अमरीकी डालर का था।

[हिन्दी]

कनाडा से सहायता

2165. **डॉ० अशोक पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत में काफी पूंजी निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सम्बन्धित शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। कनाडा सरकार भारत को अनुदानों के रूप में अधिकारिक विकास सहायता प्रदान करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

2166. **श्री गोरधनभाई जादवभाई** :
श्री रामशकल :
श्री ए०सी० जोस :
डॉ० असीम बाला :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए तुरंत कार्यवाही करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुनरुद्धार के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के एककों को धन आवंटित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस-किस ऐसे रुग्ण एकक को धन दिया गया है और देश में विशेषत: गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार की आवश्यकता के प्रति सरकार अवगत है और उद्यमों को पुन:जीवन प्रदान करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय कर रही है। तथापि, उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ सामान्य उपाय हैं—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल का व्यावसायीकरण, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सावधिक समीक्षा बैठकें, मानव शक्ति को तर्कसंगत बनाना, संगठनात्मक और पूंजी पुनर्निर्माण आदि। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकार गुण-अवगुण के आधार पर आवश्यकता आधारित बजटीय सहायता का भी आवंटन करती है। सरकारी उद्यमों को सामान्यत: वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्रदान की गई आयोजना और आयोजना-भिन्न सहायता क्रमश: 55708 करोड़ रुपये, 56542 करोड़ रुपये और 72805 करोड़ रुपये है। गुजरात में स्थित नेशनल टेक्सटाईल कारपो० (गुजरात) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उद्यम है, जिसे ऐसे पुनरुद्धार की आवश्यकता है, जिसे इन अवधियों के दौरान 44.60 करोड़ रुपये, 42.77 करोड़ रुपये और 37.63 करोड़ रुपये एनटीसी (धारक कंपनी) के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

नवरत्नों का कार्य निष्पादन

2167. **डॉ० असीम बाला** :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवरत्नों के कार्यनिष्पादन के पूर्व रेटिंग को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) कार्य निष्पादन की रेटिंग कम करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) नवरत्नों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) सरकार द्वारा नवरत्नों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में इन कंपनियों के निदेशक मंडल को स्वायत्तता तथा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना तथा गैर-सरकारी निदेशक शामिल करके निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण करना शामिल है।

लघु कार परियोजनाएं

आई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी और कितनी लघु कार परियोजनाएं कार्य कर रही हैं; और

(ख) देश में पेट्रोलियम के बढ़ते हुए बिल को ध्यान में रखते हुए सरकार की क्या नीति है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार द्वारा सभी अनुमोदन यात्री कारों के लिए दिए जाते हैं तथा फर्मों को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार कार मॉडलों का निर्माण करें तथा उनका मूल्य तय करें। कोई छोटी कार परियोजना नहीं है। 800 सी०सी० कार मारुती उद्योग लि० द्वारा उत्पादित की जा रही है तथा उसके दो बोक्स चैम्बर हैं जो 'छोटी कार' के रूप में विख्यात हैं। इस परिभाषा के अन्तर्गत, यात्री (पैसेंजर) कार मारुती उद्योग लि० द्वारा, नामत: मारुती 800 'तथा' मारुती जैन फीयट उनो मै० इन्ड आटो लि० द्वारा, 'सैंट्रो' मै० हुण्डई इण्डिया लि० द्वारा तथा मैटीज मै० देवू इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित की जा रही है और वर्तमान में ये छोटी कार श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं।

(ख) मौजूदा उदारीकरण के समय में, निवेश संबंधी निर्णय, निवेशकों के वाणिज्यिक अनुमान पर छोड़ दिया जाता है।

[हिन्दी]

रुपये का पूंजीगत खातों में परिवर्तन

2169. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये को पूंजीगत खातों में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पूंजीगत खाते के लेन-देनों में भारतीय रुपये को अभी तक पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिलावटी नमक

2170. **श्रीमती रानी नरह** :
श्री गुरुदास कामत :
श्री तारिक अनवर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों को मिलावटी नमक की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसी कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपड़े का निर्यात

2171. **श्री अजीत जोगी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और हैंडलूम कपड़े का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) उक्त निर्यात किन देशों को किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे हुए लाभ और अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिकों के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं–

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1995-96	59.62	254.82
1996-97	47.69	232.42
1997-98	42.90 (अनंतिम)	219.69 (अनंतिम)

स्रोत : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई।

खादी व ग्राम उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ने सूचित किया है कि वे सीधे खादी का निर्यात नहीं करते हैं तथा उसके द्वारा वित्तपोषित संस्थानों ने भी पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी प्रकार के निर्यात की सूचना नहीं दी है।

भारत के हथकरघा उत्पादों के निर्यात 100 से भी अधिक देशों को किए जाते हैं। तथापि, यूरोपीय यूनियन के सदस्य राज्य तथा संयुक्त राज्य अमरीका भारत के हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं।

(घ) सरकार हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है, जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन आदि।

[अनुवाद]

दुपहिया और तिपहिया वाहनों से प्रदूषण

2172. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेटकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तरह के दुपहिया और तिपाहिया वाहन अन्तर्दहन के बाद मोनोऑक्साईड उत्सर्जित करते हैं;

(ख) क्या वे प्रदूषण मानक को पूरा करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सभी दुपहिये तथा तिपहिये वाहन अंतर्दहन प्रक्रिया के फलस्वरूप अन्य पदार्थों सहित अनिवार्य रूप से कार्बन मोनो आक्साइड उत्सर्जित करते हैं, अन्य पदार्थ हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रस आक्साइड हैं।

(ख) इस समय नये दुपहियों और तिपहियों के लिए प्रदूषण मानक (उत्सर्जन मानदंड) लागू हैं। बेचे जा रहे सभी नये वाहनों के लिए, उनका परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराए जाने से पहले उक्त दोनों मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। 'प्रयोगाधीन दुपहियों और तिपहियों' के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (सी०एम०वी०आर०) में उल्लिखित 'प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों' को पूरा करना अपेक्षित होता है। मौजूदा सी०एम०वी०आर० नियमों के अनुसर, ट्रैफिक अधिकारी सड़क में इसकी जांच करते हैं।

(ग) यदि नये दुपहिये तथा तिपहिये 'उत्सर्जन मानदंडों' को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें सी०एम०वी०आर० अनुपालन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है और वे परिवहन प्राधिकरण में पंजीकृत भी नहीं किए जा सकते हैं। यदि प्रयोग किए जा रहे दुपहिये एवं तिपहिये वाहन 'लागू उत्सर्जन मानदंडों' की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको वैध प्रदूषण नियंत्रणाधीन स्टिकर आवंटित नहीं किया जाएगा जो सी०एम०वी०आर० के तहत सड़क पर वाहन चलाने के लिए आवश्यक है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा

2173. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आग, बाढ़, चक्रवात और भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्धन लोगों के नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए बीमा सुरक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निर्धन लोगों के लाभार्थ कोई अन्य योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए एक झोंपड़ी बीमा योजना उपलब्ध है जो ऐसे अत्यन्त गरीब परिवारों को कवर करती है जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4800 रुपये से अधिक नहीं है। यह स्कीम केवल आग द्वारा नष्ट हुई झोंपड़ी के लिए 1000 रुपये और झोंपड़ी में रखे सामान के नष्ट होने पर 500 रुपये का मुआवजा मुहैया कराती है। इस स्कीम के अन्तर्गत समस्त प्रीमियम केन्द्र सरकार वहन करती है और हिताधिकारी से कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाता। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कंपनियों के पास एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने पर अन्य अनेक कवच भी उपलब्ध हैं, जैसे कि अग्नि, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए मकान मालिकों के लिए व्यापक बीमा; जिसमें मकान और संपत्तियां कवर होती हैं और किसानों के लिए पैकेज पॉलिसी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अग्नि, बाढ़, चक्रवात आदि जैसे जोखिमों के विरुद्ध मकान/घर का सामान कवर होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तीनमूर्ति में साउंड एण्ड लाईट कार्यक्रम

2174. **श्री जबसिंहभी चौहान** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीनमूर्ति हाऊस में साउंड एंड लाईट कार्यक्रम का शो पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, नहीं। ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन कार्यक्रम नवम्बर, 1991 में रोक दिया गया था क्योंकि जो उपकरण 1974 में पहले खरीदा गया था वह मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रयुक्त (बेकार) पाया गया।

(ग) कार्यक्रम को पुन: शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चेन्नई की निर्यात चूककर्त्ता कंपनियां

2175. श्री के० कृष्णमूर्ति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और चेन्नई में कुछ चूककर्त्ता कंपनियां अपनी निर्यात बाध्यताएं पूरी नहीं कर रही हैं और वे लगातार चूककर्त्ता रही हैं;

(ख) तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन चूककर्त्ता कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) निर्यात दायित्व विविध योजनाओं के अधीन कई तरीकों से उत्पन्न होता है। अधिकांश कंपनियां विविध योजनाओं के अधीन वार्षिक रूप से अनेक लाइसेंस प्राप्त करती हैं और इन लाइसेंसों में से कुछ के संबंध में निर्यात निष्पादन में चूक करती हैं। इसलिए आंकड़े लाइसेंस-वार रखे जाते हैं न कि कंपनी-वार।

(ग) और (घ) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन निर्यात दायित्व के चूककर्त्ताओं के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। ऐसे कार्रवाई में शामिल हैं– लाइसेंस का निरसन या निलंबन, आर्थिक दण्ड लगाना और गंभीर मामलों में आयातकों और निर्यातकों की कोड संख्या का निलंबन/निरसन।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

2176. श्री रामनारायण मीणा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित कपास मिलों में उत्पादन की स्थिति संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कपास मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए नियत धनराशि को प्राथमिकता के आधार पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) मिलों द्वारा सूती यार्न तथा सूती कपड़े के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	सूती यार्न उत्पादन (मिलियन कि०ग्रा०)	सूती कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मी०)
1995-96	1,894	1,159
1996-97	2,148	1,222
1997-98	2,213	1,238
1998-99 (अप्रैल-जून)	489.41	280.30

स्थिति को संतोषप्रद माना गया है।

(घ) और (ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की स्थापना का प्रस्ताव अभी अनुमोदित किया जाना है।

[अनुवाद]

ऋण नीति

2177. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मण्डल परिसंघ ने सरकार से ऋण नीति में सुधार करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस हद तक यह आर्थिक पुनरुद्धार में सहायक होगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने भारतीय रिजर्व बैंक को 30 अक्तूबर, 1998 को जारी किए गए 1998-99 की मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा संबंधी विवरण में सम्मिलित किए जाने के लिए कई सुझाव भेजे थे।

(ख) फिक्की द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वाणिज्यिक तथा संवितरण क्षेत्र को ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से ऋण नीति को मांग उद्दीपक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। दिए गए अन्य सुझाव ऋण संवितरण को सुप्रवाही बनाने, सामूहिक ऋण प्रदान करने में सामूहिक दृष्टिकोण, ऋण दर में कमी करने, सांविधिक नकदी अनुपात (एस०एल०आर०) को कम करने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) को ऋण देने, बैंच मार्क दर की स्थापना करने तथा बचाव लिखितों, ब्याज कर की शुरूआत करने आदि के बारे में थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय इन सुझावों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है। अचल

सम्पदा क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को बैंकिंग प्रणाली में सुविधाजनक नकदी स्थिति को देखते हुए पर्याप्त रूप में पूरा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को ठगना

2178. **श्री नृपेन गोस्वामी** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 1998 के 'नवभारत टाइम्स' में 'आगरा में विषाक्त भोजन कराकर ठगी का धंधा जोरों पर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) अभी तक कितने विदेशी और भारतीय पर्यटक ठगी का शिकार हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन ठगों से पर्यटकों की रक्षा के लिए कोई उचित कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है।

केन्द्रीय ऋण राशि

2179. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1997 और 1 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्यवार केन्द्रीय ऋण की कितनी राशि लंबित थी;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार ऋण के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई और वर्ष 1998-99 के दौरान ऋण के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान राज्यों द्वारा ब्याज सहित कुल कितनी राशि दी जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

राज्य	राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय को भुगतान किया जाने वाला ऋण		वर्ष 1997-98 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया गया ऋण	1998-99 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला प्रस्तावित ऋण**	1998-99 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय को ब्याज के साथ लौटाये जाने वाला ऋण
	01-04-1997 तक लंबित	01-04-1998 तक लंबित			
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	10340.77	11908.02	2037.64	1381.23	1913.11
2. अरुणाचल प्रदेश	229.94	265.63	45.31	58.00	44.12
3. असम	3644.50	3777.61	646.44	153.15	641.22
4. बिहार	9487.22	10836.81	1789.45	1434.48	1774.07
5. गोवा	799.96	860.88	90.74	55.25	108.92
6 गुजरात	9639.37	11517.43	2069.81	741.52	1917.81
7 हरियाणा	3517.96	4093.22	800.34	403.08	762.99
8. हिमाचल प्रदेश	1660.25	2322.51	709.38	105.79	365.34
9. जम्मू और कश्मीर	2849.50	3063.38	379.05	276.28	519.04
10. कर्नाटक	6712.51	7576.73	1112.56	717.62	1247.43
11. केरल	4550.07	4929.11	563.75	571.97	810.67
12. मध्य प्रदेश	6390.73	7515.37	1421.35	1050.60	1234.20
13. महाराष्ट्र	15854.42	19039.95	3827.83	1210.65	3156.64
14. मणिपुर	204.76	261.24	128.96	59.12	41.91

1	2	3	4	5	6
15. मेघालय	234.23	260.30	36.93	36.91	43.68
16. मिजोरम	149.69	174.92	99 25	31.60	28.88
17. नागालैंड	249.83	271.58	34.17	35.39	45.85
18. उड़ीसा	4666.23	5546.66	1148.48	846.06	898.44
19. पंजाब	10642.41	11577.00	1450.71	382.95	2017.95
20. राजस्थान	6994.12	8108.28	1796.18	788.76	1296.89
21. सिक्किम	136.50	155.96	40.70	23.58	25.86
22. तमिलनाडु	8403.85	9427.39	1364.08	953.78	1581.16
23. त्रिपुरा	354.52	419.35	81.86	75.22	71.30
24. उत्तर प्रदेश	21096.97	24246.84	3992.55	2447.38	3976.61
25. पश्चिम बंगाल	13217.32	16400.18	3609.22	1314.37	2619.37
	142227.63	164556.35	29276.74	15154.73	27143.46

**आंकड़े केवल योजना ऋणों से सम्बन्धित हैं और योजना में अल्प बचत हेतु राज्यों को ऋण वास्तविक उगाही के आधार पर जारी किए जाने पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

पर्यटन के विकास हेतु धनराशि

2180. श्री दिनशा पटेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पर्यटन के विकास हेतु आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसाधनों के अभाव में कई पर्यटक स्थलों का या तो उचित रूप से विकास नहीं किया जा सका है अथवा इनका रख-रखाव वांछित स्तर का नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा इसके विकास हेतु समुचित संसाधन जुटाने हेतु क्या प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार के बजटीय संसाधन सीमित हैं और पर्यटन मंत्रालय उसी में से प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों को उन चुनी हुई अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) सरकार की नीति, पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की है और तदनुसार पर्यटन मंत्रालय को कर छूट, ब्याज इमदाद, रियायती आयात शुल्क आदि जैसे कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है और इसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात गृह का दर्जा दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	14.52	10.99	125.50	20.37	206.70	69.10

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	70.24	39.00	155.96	32.66	288.88	94.20
3.	अरुणाचल प्रदेश	52.26	25.50	2.00	1.75	271.00	82.50
4.	बिहार	115.84	53.53	72.53	18.22	233.07	76.38
5.	गोवा	221.55	121.32	101.46	50.98	144.62	42.08
6.	गुजरात	7.98	7.28	82.21	35.12	111.84	41.90
7.	हरियाणा	126.91	99.29	146.23	80.47	108.24	44.83
8.	हिमाचल प्रदेश	485.91	300.75	196.93	88.33	119.00	37.50
9.	जम्मू व कश्मीर	99.09	51.60	88.47	30.00	293.35	86.25
10.	कर्नाटक	229.36	148.00	356.86	151.65	130.78	44.16
11.	केरल	209.94	86.95	235.59	126.50	282.00	106.50
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	119.31	49.22
13.	महाराष्ट्र	63.75	37.89	187.69	84.00	169.84	49.14
14.	मणिपुर	75.81	36.28	51.90	22.00	186.11	56.35
15.	मेघालय	4.08	2.04	88.81	32.50	85.70	28.05
16.	मिजोरम	100.86	68.94	107.18	40.44	142.45	43.50
17.	नागालैण्ड	51.58	39.76	100.62	70.00	116.90	40.58
18.	उड़ीसा	108.86	54.00	453.28	116.99	557.05	180.00
19.	पंजाब	140.49	67.57	47.83	18.66	52.87	15.72
20.	राजस्थान	230.75	109.95	103.89	39.50	107.33	52.27
21.	सिक्किम	29.61	17.21	93.09	18.55	65.20	24.55
22.	तमिलनाडु	250.11	127.44	190.20	102.10	59.74	22.86
23.	त्रिपुरा	25.60	22.67	105.40	56.60	126.68	40.16
24.	उत्तर प्रदेश	31.10	25.55	237.78	91.45	221.10	76.17
25.	पश्चिम बंगाल	184.81	106.20	199.72	61.25	157.76	45.65
26.	अंडमान एवं निकोबार	45.00	20.00	2.00	1.00	60.00	60.00
27.	चंडीगढ़	17.20	10.86	3.00	1.50	—	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	84.66	60.23	5.20	2.60
29.	दिल्ली	28.23	17.77	6.28	5.28	229.43	79.22
30.	मन	48.21	23.39	15.00	6.00	60.17	17.25
31.	लक्षद्वीप	24.65	24.65	123.81	51.00	5.00	2.50
32.	पांडिचेरी	28.12	13.30	4.00	2.00	35.64	12.83
	कुल जोड़	3122.49	1769.68	3769.88	1517.10	4752.96	1785.02

लघु उद्योगों के लिए डॉ० पी०आर० नायक समिति

2181. श्री के०एस० राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ० पी०आर० नायक समिति की सिफारिशों के अनुसार लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण जो उत्पादन का 12 प्रतिशत था, को उत्पादन का 20 प्रतिशत किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सिफारिश को किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ग) नायक समिति की सिफारिशों को पूर्णत: क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लघु उद्योगों के ऋण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ...क बैंकों को नायक समिति की सिफारिशों से संबंधित ... जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को ग्राम स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी/मार्च, 1997 में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि वाणिज्यिक बैंकों की चयनित शाखाओं द्वारा मंजूर किए गए कार्यशील पूंजी के 3754 मामलों में से कार्यशील पूंजी आवश्यकता का अभिकलन, 3124 मामलों में (83.20 प्रतिशत) नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

(घ) जून 1998 में वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार करने के उद्देश्य ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं—

(i) बैंकों को 4 करोड़ रु० की कार्यशील पूंजी सीमाओं पर आधारित कुल निधि आवश्यकता वाले सभी लघु उद्योग इकाइयों (नई एवं विद्यमान) के अनुमानित वार्षिक आवर्त के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

(ii) लघु उद्योग इकाइयों के ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने के उद्देश्य से बैंक के लघु उद्योग विशेषज्ञ शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक ऋण प्रस्तावों का निपटान शाखा स्तर पर किया जा सके।

(iii) बैंकों से कहा गया है कि वे अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाली लघु उद्योग इकाइयों की ऋण लागत को परिमित करने के उद्देश्य से प्राथमिक उधार दरों की तुलना में कम ब्याज के लाभ अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाली लघु उद्योग इकाइयों को दें।

(iv) बिलों को भुनाने हेतु लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कंपनी उधारकर्ता उनकी घरेलू उधार खरीद को उनके नाम आहरित और स्वीकार किए गए बिलों के माध्यम से कम से कम 25 प्रतिशत तक लघु उद्योग इकाइयों से वित्तपोषित करें।

(v) लघु उद्योग आपूर्तिकर्ता पर कंपनी को भारी मात्रा में बकाया अतिदेय की समस्या से निपटने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे अपने मझोले/बड़े औद्योगिक उधारकर्ताओं से उनके देयों और यदि कोई अतिदेय हों तो उसका निपटान समय-समय पर सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऐसी कंपनियों के बारे में, जिनका अतिदेय लघु उद्योग इकाइयों पर काफी पुराना है, कंपनी उधारकर्ताओं की बकाया राशि पर ब्याज दर निर्धारित करते समय नकारात्मक पहलू के लिए बैंकों को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अभ्रक पेपर संयंत्र

2182. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन्दबाड़ा, हजारीबाग में अभ्रक पेपर संयंत्र स्थापित करने पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इस संयंत्र का कुल शीर्षक उत्पादन क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र को प्रतिवर्ष भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या यह संयंत्र बन्द होने के कगार पर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (च) ऐसा कोई कारखाना उद्योग मंत्रालय के रिकार्ड में विद्यमान नहीं है। विशिष्ट एकक के संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना पर व्यय की गई राशि, वित्तीय निष्पादन आदि के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

आयकर/उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क अधिकारियों की संपत्ति

2183. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार उन आयकर और उत्पाद शुल्क अधिकारियो पर नजर रखती है जिन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जुटायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक वर्षवार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार करावंचन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) महोदय, समूह 'क' एव समूह 'ख' के सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा वार्षिक अचल सपत्ति विवरणी जमा किया जाना अपेक्षित है। कोई भी सरकारी सेवक, निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के अलावा, अचल संपत्ति के ऐसे किसी लेन-देन में शामिल नहीं हो सकता, और यदि उसके साथ सरकारी कार्य-व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा कोई लेन-देन है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक की चल संपत्ति के लेन देन के संबंध में सरकारी सेवकों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को लेन देन किए जाने के एक माह के अंदर इसकी सूचना दिया जाना अपेक्षित है।

(ग) आयकर तथा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के विरुद्ध कर अपवंचन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तथापि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए भ्रष्टाचार के 188 मामले पृथक् रूप से नीचे दिए गए हैं–

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	42
1996	47
1997	59
1998 (31.12.1998 तक)	40

बी०सी०सी०एल० में तैनाती

2184. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1998 की स्थिति के अनुसार बी०सी०सी०एल० कोयला भवन के मुख्यालय में कितने अधिकारियों को विभागवार तैनात किया गया।

(ख) कितने अधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक अवधि और दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तैनात किया गया है;

(ग) क्या अधिकारियों को बारी-बारी तैनात करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई अधिकारी जो कर्मकारों के आयु से संबंधित विवादों का निपटान कर रहे हैं; अपनी आयु को कम दिखाकर स्वयं मुख्यालय में काम कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० के मुख्यालय में विभिन्न कार्यालयों मे 485 अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। विभाग वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) उपर्युक्त 485 अधिकारियों में से 83 अधिकारी 5 वर्ष से अधिक समय से मुख्यालय मे तैनात हैं और 188 अधिकारी 10 वर्षो से अधिक समय से तैनात हैं।

(ग) और (घ) अधिकारियों के स्थानातरण/बारी बारी से तैनाती निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाता है–

(1) मानदंडों को पूरा करने वाले कम से कम 10 प्रतिशत अधिकारियों का प्रत्येक वर्ष स्थानांतरण कर दिया जाता है।

(2) एम-1 और उससे अधिक श्रेणी के अधिकारी, जो 10 वर्षों से अधिक समय से उसी कंपनी में कार्यरत हैं का स्थानांतरण अन्य कंपनियों मे कर दिया जाता है।

(3) विनिर्दिष्ट संवेदनशील पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का स्थानातरण/बारी बारी से तैनाती निम्नलिखित मानदंडो के अनुसार किया जाता है–

(i) एम-1, एम-2 और एम 3 ग्रेड के अधिकारियों का स्थानातरण 5 वर्ष पूरे होने के बाद, कपनी से बाहर कर दिया जाएगा।

(ii) इं-1 से इं-5 तक के अधिकारी का बारी-बारी से तैनाती तीन वर्ष पूरा होने के बाद कपनी के अंदर किया जाएगा।

(ङ) वर्तमान में कोल इंडिया लि० को किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

मुख्यालय की सूची में विद्यमान अधिकारियों की संख्या

विभाग	अधिकारियों की संख्या
1	2
सी०एम०डी० – सी०एम०डी० सचिवालय	4
सी०एम०डी० – बोर्ड सचिवालय	3
सी०एम०डी० – सतर्कता	11
सी०एम०डी० – आंतरिक आडिट	11
निदेशक (वित्त) – फंड सचिवालय	4

1		2
निदेशक (वित्त)–	लागत और बजट	9
निदेशक (वित्त)–	डी (एफ) सचिवालय	7
निदेशक (वित्त)–	कैंट, खाता	7
निदेशक (वित्त)–	वेतन कार्यालय, सिविल	6
निदेशक (वित्त)–	वेतन कार्यालय पी० एंड पी०	11
निदेशक (वित्त)–	वेतन कार्यालय	7
निदेशक (वित्त)–	ई०डी०पी०	21
निदेशक (टी०)–	बिक्री बिलिंग और वसूली	13
निदेशक (टी०)–	ई० एंड एम०	13
निदेशक (टी०)–	कोल प्रीप०	2
निदेशक (टी०)–	डी०ओ०टी० सचिवालय	4
निदेशक (टी०)–	सेफ्टी	22
	एस० एंड पी०टी०	4
निदेशक (टी०)–	सर्वे	3
निदेशक (टी०)		
(पी० एंड टी०)–	धुलाई/मरम्मत	14
निदेशक (टी०)		
(पी० एंड टी०)–	धुलाई/मरम्मत	1
निदेशक (टी०)–	सिविल इंजीनियरिंग	42
निदेशक (टी०)–	टेलीकोम	2
निदेशक (टी०)–	सी०एस० स्टोर ऐकरा	3
निदेशक (टी०)–	जील० सी/स्टौर	5
निदेशक (टी०)–	एम०एम० डिवीजन	11
निदेशक (टी०)–	वित्त	1
निदेशक (टी०)–	बिक्री	19
निदेशक (टी०)–	उत्पादन	9
निदेशक (टी०)–	उत्पादन	7
निदेशक (टी०)–	यातायात	4
निदेशक (टी०)–	आई०ई०डी०	8
निदेशक (टी०)–	पी० एंड पी०	24
निदेशक (टी०)–	भूविज्ञान	8
निदेशक (टी०)–	गुणवत्ता/नियंत्रण	19
निदेशक (टी०)		
(पी० एंड पी०)–	गोलुकडीह वेतन/वर्कशाी	16
निदेशक (टी०)–	खरीद	5
निदेशक (पी०)–	के०एन०टाउन प्रशासन	7
निदेशक (पी०)–	के०एन० अस्पताल	11
निदेशक (पी०)–	सी०ए०टी० गोधुर	4
निदेशक (पी०)–	डी० (पी०) सचिवालय	5
निदेशक (पी०)–	सी०एम०ओ० सचिवालय	5
निदेशक (पी०)–	कल्याण	8
निदेशक (पी०)–	हिंदी	1
निदेशक (पी०)–	इस्टेट	6
निदेशक (पी०)–	कार्मिक	27
निदेशक (पी०)–	सुरक्षा	1
निदेशक (पी०)–	सामान्य प्रशासन	9
निदेशक (पी०)–	प्रशिक्षण	20
निदेशक (पी०)–	प्रेस	3
निदेशक (पी०)–	पी०आर०ओ०	1
निदेशक (पी०)–	विधि	7
निदेशक (पी०)–	ओ० एंड एम०	5
निदेशक (पी०)–		5
अधिकारियों की कुल संख्या		485

चावल का निर्यात

2185. **श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :**
श्री विट्ठल तुपे :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री माधव राव पाटील :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गैर-बासमती भिन्न चावल ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है और उसे कई देशों की काली सूची में डाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी चावल निर्यातकों और मिलों का अनिवार्य रूप में पंजीकरण करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात की अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ऋण भुगतान पर रूबल के अवमूल्यन का प्रभाव

2186. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन सोवियत संघ के सम्बन्ध में भारत को ऋण अदायगी देयता पर रूबल के अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) तत्कालीन सोवियत संघ के अंग बने रूस और अन्य 15 देशों को अब तक कितने ऋण की अदायगी की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) चूंकि रूसी परिसंघ को रुपया ऋण भंडार एस०डी०आर० में सूचीबद्ध किया जाता है, अत: रूबल के अवमूल्यन से ऋण वापसी अदायगी देयता पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले का उत्पादन

2187. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसमें कितनी सफलता मिली;

(ख) क्या नौवीं योजना के दौरान सी०आई०एल० की कोयले के उत्पादन बढ़ाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) नौवीं योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया द्वारा कितनी धनराशि निवेश करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 8वीं योजनावधि के दौरान कोयला उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धि नीचे दी गई है–

(मिलियन टन में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
लक्ष्य	238.20	245.00	253.60	274.50	288.65
उपलब्धि	238.11	246.04	253.73	270.13	285.66

(ख) और (ग) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात, 2001-02 के अंतिम वर्ष में कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले का लक्ष्य वर्तमान में 314 मिलियन टन प्रस्तावित किया गया है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) द्वारा कोयले के उत्पादन हेतु किया जाने वाला कुल प्रस्तावित निवेश 13100 करोड़ रु० है।

निर्यात संवर्धन परिषदों का पुनर्गठन

2188. **श्री आर०एस० गवई** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्रों के क्षेत्र में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ नियमित आधार पर संपर्क बनाए रखती है ताकि निर्यात संवर्धन परिषदों को उत्तरदायी बनाया जा सके तथा वस्त्रों और कलोदिंग के निर्यात को बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों को अनुकूलतम बनाया जा सके। वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में सभी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों की समन्वय समिति भी परिषदों के क्रियाकलापों का समन्वय करती है।

(ग) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें स्वत: किसी प्रकार का निर्यात नहीं करती हैं। तथापि, वे विभिन्न कार्यकलापों द्वारा अपने संबंधित उत्पाद क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के कार्य में लगी हुई हैं जिनमें बैठकों का आयोजन, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना/सहभागिता करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

बुनकरों को वित्तीय सहायता

2189. **श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी संगठनों के गठन पर बल दिए जाने के बजाए बुनकरों को वित्तीय सहायता के रूप में मियादी ऋण/अनुदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को राज्य हथकरघा

विकास निगमों को ऋण देने की अनुमति दे दी गई है, ताकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बुनकरों द्वारा हथकरघा माल के उत्पादन, अधिप्राप्ति एवं विपणन हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

बी०आई०एफ०आर० द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को बंद किया जाना

2190. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अक्टूबर, 1998 तक प्रत्येक वर्ष औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम और निजी क्षेत्र की राज्यवार कितनी कपड़ा मिलों को बंद करने के आदेश दिए गए; और

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम/राज्य व्यापार निगम/निजी क्षेत्र की उक्त बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने तथा उक्त बंदी के दौरान उनमें कार्यरत कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार की क्या नीति है और [illegible] खर्चा आया है?

[illegible] काशीराम राणा) : (क) जहां तक एन०टी०सी० का संबंध है, बी०आई०एफ०आर० ने अभी तक एन०टी०सी० की किसी भी मिल को बंद करने का आदेश नहीं दिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, बी०आई०एफ०आर० ने निजी क्षेत्र की जिन वस्त्र मिलों को बंद करने के आदेश दिए हैं उनकी राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने वर्ष 1995 में एन०टी०सी० की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया था। यह योजना एन०टी०सी० की बेशी भूमि/परिसंपत्तियों की बिक्री से निधियां अर्जित करके क्रियान्वित की जानी थी। ऐसी अधिकांश भूमि मुंबई में स्थित है। भूमि की बिक्री के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है। इसके अतिरिक्त, एन०टी०सी० के 4 सहायक निगमों अर्थात् एन०टी०सी० (उ०प्र०), एन०टी०सी० (गुजरात), एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी० एंड ओ०) और एन०टी०सी० (एम०पी०) के मामले में बी०आई०एफ०आर० ने निर्धारित अवधि के भीतर उनकी निवल पूंजी के सकारात्मक न बनने के कारण योजना का अनुमोदन नहीं किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

एन०टी०सी० के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना विचाराधीन है जिसके लिए बी०आई०एफ०आर० द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के उसके मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करना शामिल है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या
1.	गुजरात	7
2	उत्तर प्रदेश	6
3	मध्य प्रदेश	2
4.	राजस्थान	2
5	हरियाणा	1
6.	तमिलनाडु	4
7	कर्नाटक	2
8	महाराष्ट्र	7
9.	आंध्र प्रदेश	3
10	पंजाब	1
11	दादर और नगर हवेली	1

फूड क्राफ्ट संस्था

2191. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूड क्राफ्ट संस्थान पथराजपुर, उड़ीसा में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है जहां इस प्रयोजन के लिए भवन का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) उड़ीसा के पथराजपुर में स्थित पाक कला संस्थान में इस समय विद्यार्थियों को कोई शिक्षा/प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस संस्थान के गठन के प्रस्ताव का औपचारिक निपटान वित्त मंत्रालय, भारत द्वारा नवम्बर, 1998 में ही हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीमा व्यापार तंत्र

2192. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को नया सीमा-व्यापार तंत्र चलाने हेतु म्यामार के अपने समस्तरीय बैंकों के साथ समझौता करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो देशों के बीच वर्तमान सीमा-व्यापार समझौते में कई अनियमितताएं नजर आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोग के सफल होने पर मेघालय-बांग्लादेश सीमा चौकियों पर विद्यमान व्यापार तंत्र में भी अपने इस अनुभव को दोहराएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सीमा-व्यापार समझौतों के अंतर्गत, दो बैंकों अर्थात् युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक की पहचान निर्यात और आयात लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के रूप में की गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दो देशों के बीच सीमा-व्यापार में न तो किसी अनियमितता की रिपोर्ट उन्हें मिली है और न ही उपर्युक्त वर्णित बैंकिंग समझौतों में किसी अनियमितता की सूचना दी गई है। केवल कुछ निर्यात लेन-देनों के जो कुछ समय पहले किए गए थे और जिन्हें समायोजित नहीं किया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध आयात नहीं किया गया था। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने संबंधित निर्यातकों के साथ मामले को उठाया है।

(घ) और (ङ) ऐसे बैंकिंग समझौते वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित सीमा-व्यापार समझौतों पर निर्भर करेंगे।

[हिन्दी]

मादक द्रव्य विभाग द्वारा अफीम की खरीद

2193. श्री मोती लाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादक द्रव्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पोस्त (पॉपी) उत्पादकों से किस मूल्य पर अफीम की खरीद की जाती है;

(ख) क्या पोस्त (पॉपी) उत्पादकों को कम खरीद मूल्य के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 52 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से अफीम पर कर निर्धारित किया है जबकि उत्तर प्रदेश में यह केवल 42 किलो प्रति हैक्टेयर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विसंगति को समाप्त करने और पोस्त (पॉपी) उत्पादकों के आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) महोदय, सरकार द्वारा पोस्त उत्पादकों से जिस दर पर अफीम खरीदी जाती है वह पूरे देश में एक समान है। इस समय लागू मूल्य खंड इस प्रकार है–

प्रति हेक्टेयर उपज (कि०ग्रा० में)	देय मूल्य (70 संशक्ति वाली अफीम दर)
55 कि०ग्रा० अफीम तक	575/- रुपए
55 कि०ग्रा० से अधिक और 60 कि०ग्रा० तक	720/- रुपए
60 कि०ग्रा० से अधिक और 75 कि०ग्रा० तक	970/- रुपए
75 कि०ग्रा० से अधिक और 100 कि०ग्रा० तक	1065/- रुपए
100 कि०ग्रा० से अधिक	1250/- रुपए

(ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा अफीम का मूल्य समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काश्तकार को अदा किया गया मूल्य लाभप्रद है।

(ग) और (घ) अफीम काश्तकार के लिए कोई लेवी निश्चित नहीं की गई है क्योंकि उससे वह अपेक्षित है कि वह अपनी अफीम की पूरी उपज सरकार को प्रस्तुत करे। तथापि, सरकार ने आगामी वर्ष के लिए अफी लाइसेंस मंजूर करने के लिए फसल वर्ष 1998-99 के दौरान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 52 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 42 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हकारी उपज निर्धारित की है।

उक्त न्यूनतम अर्हकारी उपज पोस्त उगाने वाले तीन राज्यों में कृषि-जलवायु विभिन्नताओं के आधार पर उपज के वैज्ञानिक विश्लेषणों पर आधारित है। अत: ऐसी कोई विसंगति नहीं है।

[अनुवाद]

अनुसूचित/गैर-अनुसूचित बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण

2194. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों में पिछले वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को कुल कितना ऋण दिया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों ने लघु उद्योगों को कुल कितना ऋण दिया; और

(ग) अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान दिए गए कुल ऋण की तुलना में लघु उद्योगों को कितना प्रतिशत ऋण दिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा

दिए गए कुल ऋणों में से लघु पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋण मार्च, 1998 के अन्तिम शुक्रवार को 38109 करोड़ रु० (अनन्तिम आंकड़े) थे जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों का 17.5 प्रतिशत रहा।

(ख) नौ शाखाओं वाले दो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़े आरबीआई के पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

नारियल जटा प्रौद्योगिकी पार्क

2195. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कुछ राज्यों में, विशेष रूप से उड़ीसा में नारियल जटा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या कार्ययोजना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) कयर बोर्ड ने अपनी वार्षिक योजना 1998-99 में देश के नारियल उगाने वाले राज्यों में कयर प्रौद्योगिकी पार्कों का विकास करने की आवश्यकता का [illegible] न इस प्रकार के कयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना [illegible] से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नारियल जटा उत्पादन पर छूट

2196. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा उत्पादों पर छूट के लिए आग्रह/सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने, घरेलू बाजार में कयर यार्न तथा कयर उत्पाद की बढ़ती खपत तथा कयर उद्योग में तीव्रता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1998-99 के दौरान 90 दिनों के लिए, कयर यार्न तथा कयर उत्पादों की बिक्री पर छूट योजना को जारी रखने का अनुरोध किया है।

(ग) भारत सरकार ने इस छूट योजना को 1998-99 के दौरान जारी रखने के लिए 4 सितम्बर, 1998 को आदेश जारी किए हैं।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

2197. श्री टी० गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बैंकों में जमा की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान किसानों को स्वीकृत की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा को स्वीकार करना

2198. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 'यूरो' मुद्रा लागू होने के फलस्वरूप बैंकों को 1 जनवरी, 1999 के बाद जर्मन की ड्यूशमार्क मुद्रा में जमा करने के लिए दी गई विदेशी मुद्रा स्वीकृत नहीं करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन परिवर्तनों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जो यूरोपीय संघ द्वारा एक मुद्रा-यूरो अपनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएंगे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संगठन ने रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध नहीं किया है कि 'यूरो' मुद्रा लागू होने के फलस्वरूप बैंकों को पहली जनवरी, 1999 के बाद ड्यूशमार्क मुद्रा में अंकित मूल्य पर विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियां (एफसीएनआर) स्वीकृत नहीं करने चाहिए। वास्तव में, रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि वे 31 दिसम्बर, 2001 तक ड्यूशमार्क मुद्रा में जमा राशियों को निरन्तर स्वीकृत करते रहें, क्योंकि ड्यूशमार्क मुद्रा उस तारीख तक निरन्तर मौजूदा रहेगी।

(ग) रिजर्व बैंक ने 'यूरो' मुद्रा शुरू करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कार्यकारी दल बनाया है। इस दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को अग्रेषित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को ऋण देना

2199. श्री रामशकल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने उनमें हो रही अनियमितताओं का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चार वर्षों में उद्योग सेवा एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 7 लाख लघु उद्यमों की स्थापना करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायतार्थ 2 अक्तूबर, 1993 को प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की। यह योजना 1997-98 और 1998-99 के दौरान भी प्रत्येक वर्ष में 2.20 लाख युवाओं को सहायता देने के वार्षिक लक्ष्य के साथ जारी रखी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1995-96 से 1997-98 की अवधि में हुई इस योजना की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ऐसे मामले हैं जिनमें बैंकों द्वारा समानांतर त्रिपक्षीय गारंटियां मांगी गई हैं और जिनमें लाभानुभोगियों द्वारा ऋण का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे विशिष्ट मामले जब भी ध्यान में आते हैं उनको आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **पात्रता**

(1) आयु 18 से 35 वर्ष के बीच।

(2) अर्हता मैट्रिक (पास अथवा फेल) या आई०टी०आई० पास अथवा सरकार द्वारा प्रयोजित कम-से-कम 6 महीने का कोई तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

(3) निवास—उस क्षेत्र विशेष में कम से कम 3 वर्ष से स्थायी तौर पर रह रहा हो।

(4) पारिवारिक आय—अभिभावकों की वार्षिक आय 34,000 रु० तक होनी चाहिए और लाभभोगी एवं पति-पत्नी दोनों की अलग-अलग आय प्रतिवर्ष 24,000 रु० तक होनी चाहिए।

(5) ऋणकर्त्ता—वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थान में ऋण चुकता नहीं करने का दोषी न पाया गया हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए

(1) आयु—18 से 40 वर्षों के बीच हो।

(2) पारिवारिक आय—अभिभावक की वार्षिक आय 40,000/- रुपये तक और लाभभोगी तथा पति-पत्नी दोनों की अलग-अलग वार्षिक आय 40,000/- तक हो।

2. **वित्तीय शर्तें**

(1) **परियोजना लागत**

अलग-अलग व्यक्तियों के मामले में 1 लाख रु० तक 5 लाख रु० तक की परियोजनाएं, यदि पात्र व्यक्ति संयुक्त रूप में भागीदार करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 लाख रु० की अधिकतम सीमा के अध्यधीन।

(2) **सीमांत धन, बैंक ऋण तथा ब्याज दर**

लाभानुभोगी द्वारा नकद सीमांत धन के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत। शेष 95 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को ऋण दिए जाने के लिए लागू प्रचलित ब्याज दर बैंक से ऋण के रूप में।

(3) **बैंक ऋण पर समानांतर गारंटी**

ऋण के लिए कोई समानांतर गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल इस योजना के तहत सज्जित परिसंपतियां ही बैंक में बंधक रखी जाएंगी।

(4) **राजसहायता**

भारत सरकार द्वारा 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 75000/- रु० होगी।

साझेदारी-राजसहायता की गणना प्रत्येक भागीदार के लिए परियोजना लागत में उसके हिस्से के 15 प्रतिशत की दर से की जाएगी जिसकी अधिकतक सीमा 7500/- रुपए (प्रति भागीदार) होगी।

विवरण-II

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1995-1996, 1996-97 और 1997-98 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है

क्र०सं०	वर्ष	लक्ष्य (अदद)	बैंक स्वीकृति (अदद)	बैंक द्वारा संवितरण (अदद)
1.	1995-96	2,20,000*	2,88,604	2,26,759
2.	1996-97	2,20,000	2,66,161	1,87,838
3.	1997-98	2,20,000	2,64,696	1,59,641

*बैंक लाग सहित लक्ष्य 2,60,000 था। 1997-98 के लिए वितरण भी जारी है।

[अनुवाद]

शराब और तम्बाकू के लिए पृथक् प्रकोष्ठ

2200. **श्री सोडे रमैया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब और तम्बाकू के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित और आकर्षित करने के लिए कोई पृथक् कोष्ठ गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन उत्पादों का प्रचार भारत में करने के लिए उनकी विपणन निपुणता का लाभ अंतर्राष्ट्रीय रूप से ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को महत्व देने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काली मिर्च का पेटेंट करना

2201. **श्री अभयसिंह एस० भोंसले** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1998 के 'दैनिक जागरण' में 'अब काली मिर्च हाथ से गई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पेटेंट से भारतीय मसालों के निर्यात में काफी कमी आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के पेटेंट को रोकने तथा उनके निर्यात में संभावित गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि यूनाइटिड स्टेट के पेटेंट कार्यालय ने मैसर्स सविंसा कार्पोरेशन यू०एस०ए० को 'पौषणिक यौगिकों की जैव-उपलब्धता बढ़ाने के लिए पिपैरिन के उपयोग' से संबंधित दिनांक 16 जुलाई, 1996 का पेटेंट संख्या 5536506 जारी किया है।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत से मसालों का निर्यात निम्न प्रकार रहा है—

वर्ष	मात्रा (मिट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
1994-95	155,088	62010.53
1995-96	203.398	80443.01
1996-97	225,295	123071.77
1997-98 (पी)	228,821	140830.56
1998-99 (अप्रैल-अक्तूबर)	112,200	87501.25

संबंधित सरकारें अपने पेटेंट कानूनों के अंतर्गत पेटेंट प्रदान करती हैं। जब भी कतिपय उत्पादों, जिन्हें पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है, पर पेटेंट लेने के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या पेटेंट प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट कार्ड

2202. **श्री संदीपान थोरात** :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ऋण नीति में बहुउद्देशीय और व्यापक नवीकरण करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र के किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर तथा पर्याप्त ऋण सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित/लागू किए गए परिवर्तनों को ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई ऋण नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (के०सी०सी०) जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है; ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं आदि जैसी कृषि निविष्टियां तत्काल खरीद सकें और अपनी उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के लिए नकदी आहरित कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने परिचालन क्षेत्र में इस योजना को शीघ्र शुरू करें। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- पात्र किसानों को किसान कार्ड एवं पास बुक या कार्ड-सह-पास बुक दी जानी है;
- पूरे वर्ष के लिए सम्पूर्ण उत्पादन ऋण आवश्यक है तथा फसल उत्पादन से संबंधित सहायक क्रिया-कलापों पर सीमा निर्धारित करते समय विचार किया जाना है;
- परिचालनात्मक जोत, फसल पैटर्न तथा वित्त-मान के आधार पर सीमा निर्धारित की जानी है;
- प्रत्येक आहरण की पुनर्अदायगी 12 महीने के भीतर की जानी है;
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को क्षति होने के मामले में ऋणों के परिवर्तन/पुनर्निवारण की भी अनुमति होगी;
- प्रतिभूति मार्जिन, ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार;
- संचालन कार्य जारी करने वाली शाखा या बैंक के स्वनिर्णय पर अन्य नामोदिष्ट शाखाओं द्वारा किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

बी०आई०सी० का बी०आर०एफ०

2203. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड और एल्गिन मिल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कोई पैकेज सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धारीवाल (पंजाब) की दो बी०आई०सी० ऊन मिलों और कानपुर ऊनी मिल के पुनरुद्धार के लिए ऊन अनुसंधान संघ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड तथा एल्गिन मिल्स कंपनी लि० के मामले बी०आई०एफ०आर० के पास भेजे गए थे जिसने इन कंपनियों को बंद करने की सिफारिश की थी। इन कंपनियों द्वारा बंद करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई अपील को ए०ए०आई०एफ०आर० द्वारा खारिज कर दिया गया था। मामला इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सरकार इन कंपनियों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव कर रही है।

(ग) और (घ) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यू०आर०ए०) ने बी०आई०सी० वूलन मिल्स के पुनर्वासन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डब्ल्यू०आर०ए० रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन मिलों के लिए भावी रणनीति संबंधी मामला इस समय सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नई वस्त्र नीति

2204. **श्री सुनील खां :**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री विकास चौधरी :
श्री वासुदेव आचार्य :
डॉ० असीम बाला :
श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री इंद्रजीत सिंह राव :
श्री जयराम आई०एम० :
श्री आर०एस० गवई :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच नई वस्त्र नीति के तैयार करने के लिए विशेषज्ञ दल गठित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) उक्त दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समिति को छः महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

विवरण

1. संकल्प सं० 8/7/98-टीपीसी दिनांक 24-7-98 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार है—

1.	श्री एस०आर० सत्यम, सेवानिवृत सचिव, वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई	सदस्य
3.	डॉ० टी०वी० रत्नम, सलाहकार, सितरा, कोयम्बटूर	सदस्य
4.	श्री ए०एन० जरीवाला	सदस्य
5.	श्री संजय एस० लालभाई, मै० अरविंद मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	सदस्य
6.	डॉ० ओंकार गोस्वामी, संपादक, बिजनेस इंडिया, मुंबई	सदस्य
7.	डॉ० राकेश मोहन, महानिदेशक, एन०सी०ए०ई०आर०, नई दिल्ली	सदस्य

8.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य
9.	श्री बी०डी० जेचरा, सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
10.	डॉ० अशोक लहिरी, निदेशक, राष्ट्रीय लोक एवं वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री अजय जी० पिरामल, अध्यक्ष, मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एवं विविंग कं० लि०, मुंबई	सदस्य
12.	वस्त्र आयुक्त, मुंबई	सदस्य-सचिव

2. विचारार्थ विषय

1. मौजूदा वस्त्र नीति के प्रभाव की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना तथा परिवर्तनों का पता लगाना जो विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के नए पहलुओं के मामले में आवश्यक है।

2. वस्त्र क्षेत्र का एक स्वच्छ दृष्टिकोण लेने के उपरांत वस्त्र उद्योग के प्रत्येक पहलुओं तथा प्रत्येक क्षेत्र से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से नीति निर्देशों का एक नया सैट तैयार करने को शामिल करना–

(1) (सभी फाइबर तथा उससे उत्पन्न मूल्य वर्द्धित उत्पाद)

(2) सभी क्रियाकलाप (स्पिनिंग, वीविंग प्रोसेसिंग, फिनिसिंग तथा पैकेजिंग) तथा

(3) सभी क्षेत्र (संगठित मिलें, विद्युतकरघे तथा हथकरघे)।

3. समग्र व्यापार नीति सुधार तथा विशिष्ट रूप से वस्त्र तथा क्लोदिंग पर बहु-फाइबर समझौता एम०एफ०ए० का विघटन तथा संबद्ध गैर सीमा-शुल्क अवरोधों से उत्पन्न परिवर्तनों पर प्रकाश डालने के लिए वस्त्र उद्योग के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव देना। ऐसे नीतिगत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) ब्रान्डेड उत्पादों को स्थापित करने के लिए सुलभता सहित उत्पादों (ख) प्रौद्योगिकी (ग) वित्तीय व्यवस्था (घ) ब्रॉड संवर्द्धन सहित बाजार विकास तथा (ङ) वस्त्र उद्योग में मानव संसाधन विकास के उन्नयन हेतु उपाय शामिल होंगे।

4. वस्त्र उद्योग के विभिन्न पहलुओं की उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के संबंध में प्रतिस्पर्द्धात्मक जांच करना तथा प्रत्येक पहलु की प्रतिस्पर्द्धी तीक्ष्णता को सुधारने के लिए नीति-निर्धारण उपायों को सुझाना तथा वस्त्र उद्योग के आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक मूल आधारों को सुदृढ़ करने हेतु उपायों को सुझाना। इसमें विभिन्न फाइबरों का विशेष महत्व पर एक अध्ययन भी शामिल होगा।

5. वर्ष 2005 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्त्र उद्योग का पुनर्संरचना के लिए सहायता देने के लिए नीतिगत उपायों को सुझाना।

6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों तथा वस्त्र उद्योग के संबंध में वित्तीय एवं व्यापार नीतियों सहित मौजूदा औद्योगिक नीति की जांच करना तथा उद्योग में आधुनिकीकरण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

7. वस्त्र क्षेत्र में नियंत्रण व विनियमन की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने तथा वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तनों का सुझाव देना।

8. उत्पादन प्रौद्योगिकी, डिजाइन, विपणन कुशलता तथा आसूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र में सभी क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए एक व्यापक नीति तथा रणनीति तैयार करना। इसमें वस्त्र उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की प्राप्ति के लिए क्षेत्र में आवश्यक नीतिगत उपायों की वर्तमान परिदृश्य की जांच करना भी शामिल है।

9. वस्त्र उद्योग में रुग्णता का सामना करने के लिए अब तक उठाए गए उपायों की समीक्षा करना तथा वस्त्र उद्योग की आर्थिक अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए सुझाव देना तथा उन कदमों को अभिज्ञात करना जो श्रम तथा पूंजी की पुनर्नियुक्ति के द्वारा संरचनात्मक सामंजस्यों की आवश्यकता सहित उद्योग में रुग्णता रोकने तथा सामना करने के लिए आवश्यक होंगे।

10. विशेष तौर पर वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित वित्तीय व्यवस्था की स्थापना करने की वांछनीयता जांच करना।

विदेशों के साथ व्यापार

2205. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छः महीनों के दौरान और विशेषकर पोखरण परीक्षण के पश्चात् किन-किन देशों ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत ने इन देशों के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 18-9-98 को भारत और सेशेल्स के बीच एक औपचारिक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत और रूस ने ''व्यापारिक, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के विकास संबंधी संयुक्त दस्तावेज'' निष्पादित किया है।

विवरण

क्र० सं०	उन देशों के नाम जिन्होंने पिछले छः महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की है	प्राप्त प्रस्ताव और की गई प्रगति के ब्यौरे
1	2	3
1.	म्यांमार, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर	आमतौर पर ये देश भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के इच्छुक रहे हैं। विचार-विमर्श किए गए विशेष प्रस्तावों में शामिल हैं—म्यांमार के साथ द्विपक्षीय और सीमा व्यापार के लिए प्रस्ताव, आस्ट्रेलिया के साथ ऊर्जा संबंधी एक संयुक्त कार्य दल का गठन, न्यूजीलैंड के साथ एक द्विपक्षीय संद्यरोध करकर को अंतिम रूप देना, मलेशिया के साथ एक व्यापार करना।
2.	जापान, चीन जनवादी गणराज्य चीन, गणराज्य (ताइवान), कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मंगोलिया	व्यापार, शिष्ट मंडलों के दौरों, जे बी सी की बैठकों इत्यादि के जरिए इन देशों के साथ व्यापार विनिमय।
3.	रूस	भारत रूसी अंतर सरकारी आयोग की 26-28 नवम्बर '98 को मास्को में बैठक हुई थी और इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
4.	बेलारूस	संयुक्त आयोग की दिनांक 26-27 अक्तूबर, 1998 को मिन्स में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के बढ़ाने के बारे में व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
5.	मध्य एशिया	अगले कुछ सप्ताहों में अंतर सरकारी आयोग की एक बैठक के लिए उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ चर्चा प्रगति पर है इससे इन देशों के साथ व्यापार संबंधों में बढ़ोत्तरी होने की आशा है।
6.	जिम्बाब्वे, केन्या	संयुक्त व्यापार समितियों का अयोजन क्रमशः हरारे और नई दिल्ली में किया गया है।
	सेशेल्स	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
7.	अर्जेन्टीना	1998 के पूर्वार्द्ध में भारत-अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।
	क्यूबा	(i) संयुक्त उद्यम परियोजनाओं, खनन प्रोसेसिंग तथा निकेल वे विपणन के बारे में विचार-विमर्श किए गए। (ii) क्यूबा के अनुरोध पर भारत सरकार ने क्यूबा को 12,500 मी० टन के आठ ट्रांचेज में एक लाख मी० टन गैर-बासमती चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है।
8.	यूरोपीय संघ	अनेक व्यापारिक मुद्दों पर ईसी प्रतिनिधि-मंडल के साथ नई दिल्ली में 18-19 नवम्बर, 98 को द्विपक्षीय बातचीत तथा उसके साथ-साथ चर्चाएं की गईं।
9.	बेल्जियम, साइप्रस, फ्रांस	ऐसे व्यापार और निवेश के लिए द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं जिनकी पहचान और जिनके बारे में संकेत सहमति प्राप्त कार्यवृत्त में किया गया है।
10.	पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका	इस क्षेत्र के सभी देशों ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने में व्यावहारिक तौर पर रुचि दिखाई है।
11.	दक्षिण एशिया	पाकिस्तान के साथ नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 98 को व्यापार वार्ताएं की गईं। प्रस्तावित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के बारे में 16-17 नवम्बर, 98 को श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में वार्ताएं की गईं। पारगमन समझौते के बारे में नई दिल्ली में 17-20 नवम्बर, 1998 को नेपाल के साथ वार्ताएं की गईं।

1	2	3
		साप्टा वार्ताओं के तीसरे दौर को सम्पन्न करने के लिए काठमाण्डु में साप्टा के अन्तर्गत आईजीसी की तीसरी बैठक आयोजित की गई।
12.	पोलैण्ड	व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर कार्यकारी विचार-विमर्श 22-23 जून, 1998 को वार्सा में किया गया था।
	बुल्गारिया	भारत-बुल्गारिया संयुक्त आयोग की बैठक 22-25 सितम्बर, 1998 को सोफिया में आयोजित की गई।
	चेक गणराज्य	भारत-चेक संयुक्त समिति की बैठक 5-6 अक्तूबर, 98 को प्राग में आयोजिक की गई।
	स्लोवाक गणराज्य	भारत-स्लोवाक संयुक्त समिति की बैठक 7-8 अक्तूबर, 98 को ब्रतिस्लावा में आयोजित की गई।
		भारत-क्रोएशिया संयुक्त समिति की बैठक 16-17 नवम्बर, 98 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योग

2206. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री बी०एम० मेनसिंकाई :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में केन्द्रीय सहायता से कृषि आधारित वन आधारित और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार देश में कृषि आधारित, वन-आधारित और खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करने के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में ये कदम शामिल हैं—कतिपय कृषि-आधारित उत्पादों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करना, सूती कपड़ा, जूट वस्त्र, चीनी, खाद्य तेल और विविध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे अधिकांश कृषि-आधारित उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करना, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी तक विदेशी प्रत्या निवेश हेतु स्वत: अनुमोदन के लिए पात्र उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शामिल करना, इत्यादि।

स्नातक और उच्चतर/डिप्लोमाधारी बेरोजगार लोगों को भत्ते

2207. **डॉ० प्रभा ठाकुर :**
श्री भैरूलाल मीणा :

क्या **वित्त** मंत्री 24 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक प्राप्त करने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) लोक सभा के दिनांक 24-7-98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5479 के उत्तर में दिया गया आश्वासन अक्तूबर, 1998 में पूरा किया गया था। इसमें निहित सूचना नीचे दी गई है—

शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए 1983 में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। 7 लाख लघु उद्यम स्थापित करके 1 मिलियन से अधिक शिक्षित शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 2-10-93 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) प्रारम्भ की गई। समस्त देश को शामिल करने के लिए योजना को 1991-95 से आगे बढ़ाया गया। उसी वर्ष से शहरी शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री योजना में शामिल कर ली गई।

नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर सकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा। इससे बेरोजगार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमाधारी लाभान्वित होंगे।

केन्द्र सरकार, संसाधनों की कमी के कारण किसी भी श्रेणी के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में पर्यटक स्थलों का विकास

2208. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थलों में सुधार लाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटक/तीर्थ स्थलों को विकसित करने की जिम्मेदारी प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकार की है। पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों को पर्यटक/तीर्थ स्थलों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए सहमत हो गया है। बिहार सरकार के परामर्श से वर्ष 1998-99 के लिए 325 लाख रुपए की 12 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। तथापि, बिहार सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार एवं मध्य प्रदेश के लिए ओ०ई०सी०एफ० सहायता

2209. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए ओ०ई०सी०एफ० से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के इन अनुरोधों को ओ०ई०सी०एफ० को भेज दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ओ०ई०सी०एफ० से अपेक्षित सहायता कब तक प्राप्त हो जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से, वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए ओ०ई०सी०एफ० ऋण सहायता के लिए निम्नलिखित छह सिंचाई परियोजनाओं के नाम भेजे थे। बिहार राज्य से कोई सिंचाई परियोजना नहीं थी—

1. राजघाट सिंचाई परियोजना,
2. माही सिंचाई परियोजना,
3. सिंध परियोजना,
4. महान सिंचाई परियोजना,
5. बरियारपुर लेफ्ट बैंक कनाल बृहद सिंचाई परियोजना,
6. बारगी विपथन परियोजना।

(ग) ओ०ई०सी०एफ० सहायता के लिए प्रस्तुत उपर्युक्त छह परियोजनाओं में से राजघाट सिंचाई परियोजना को सहायता हेतु चुना गया।

(घ) ओ०ई०सी०एफ० के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दों के बारे में सतर्क होने के कारण केवल एक परियोजना को चुना गया था।

(ङ) राजघाट सिंचाई परियोजना के लिए ओ०ई०सी०एफ० के साथ 13222 मिलियन येन के एक ऋण समझौते पर 25-2-1997 को हस्ताक्षर किए गए जिसका आहरण 29-5-2006 से पूर्व किया जाना है।

[अनुवाद]

पर्यटन के कायाकल्प संबंधी योजना

2210. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की अत्यधिक संभावना है;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में कश्मीर में व्याप्त अशांति के कारण पर्यटन को धक्का लगा है;

(ग) क्या सरकार राज्य में पर्यटन के कायाकल्प संबंधी कुछ विशेष योजनाएं बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने जम्मू व कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए एक समिति बनाई है। वर्ष 1998-99 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 525.00 लाख रुपए राशि की 17 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

स्थानीय भाषा में लिपिक श्रेणी की परीक्षा

2211. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों ने लिपिक श्रेणी की परीक्षाओं में एक प्रश्न-पत्र का उत्तर स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के इस निर्णय से ऐसे उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे जिन्हें अपने माता-पिता के स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सेवाओं में होने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना पड़ा और मैट्रिक तथा विभिन्न राज्यों में अध्ययन करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार को रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि कतिपय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों (बी०एस०आर०बी०) ने यह अनिवार्य कर दिया है कि लिपिक ग्रेड परीक्षा के एक पत्र का उत्तर अनिवार्य रूप से स्थानीय भाषा में दिया जाए। मामले की जांच की गई और संबंधित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से यह शर्त वापस लेने को कहा गया और उन विज्ञापनों के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी करने को कहा गया जहां स्थानीय भाषा में एक पत्र का उत्तर देने की अपेक्षा की गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा शुद्धि-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

मुकदमेबाजी में फंसी बैंकों की धनराशि

2212. श्री श्रीराम चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक धनराशि मुकदमों

- हां, तो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि फंसी थी और उक्त धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार मुकदमों में फंसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को 1 करोड़ रु० और अधिक के मुकदमा दायर खातों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, जो कि भारत का सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, के 1 करोड़ रु० और अधिक के मुकदमा दायर खातों में अधिकतम राशि फंसी पड़ी है।

(ख) 1 करोड़ रु० और अधिक के मुकदमा दायर खातों के 445 खातों में 2530.65 करोड़ रु० की राशि अंतर्ग्रस्त है। भारतीय स्टेट बैंक ने इन खातों में अंतर्ग्रस्त निधियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1 करोड़ रु० और अधिक के मुकदमा दायर खातों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन राशियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के साथ-साथ वसूली कार्य की निगरानी के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में वसूली कक्षों की भी स्थापना की गई है। वसूली कार्य की संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालक द्वारा मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।

विवरण

वाद दाखिल खाते के ब्यौरे—राष्ट्रीयकृत बैंक

क्र०सं०	बैंक का नाम	खातों की सं०	राशि (करोड़ रु०)
1.	इलाहाबाद बैंक	84	284.62
2.	आन्ध्रा बैंक	52	122.77
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	192	606.36
4.	बैंक ऑफ इंडिया	278	1113.28
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	70	252.37
6.	केनरा बैंक	163	594.41
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	188	580.51
8.	कार्पोरेशन बैंक	18	43.30
9.	देना बैंक	38	95.70
10.	इंडियन बैंक	175	999.91
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	76	362.08
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	27	89.09
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	69	368.41
14.	पंजाब नेशनल बैंक	204	1117.84
15.	सिंडिकेट बैंक	75	201.41
16.	यूको बैंक	120	461.03
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	97	271.08
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	103	403.30
19.	विजया बैंक	53	223.49
	कुल	2082	8191.56

[हिन्दी]

रुपया का विनिमय मूल्य

2213. श्री माधवराव पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री एच० पी० सिंह :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत छः महीनों के दौरान रुपये के गिरते हुए विनिमय मूल्य पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में कितनी गिरावट आई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रुपए के अवमूल्यन के क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय रुपए के अवमूल्यन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) सरकार ने रुपए के विनिमय मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा इसमें कितनी सफलता मिली है;

(च) क्या नागरिकों के माध्यम से रुपए के प्रसार को रोकने तथा उन्हें कार्डधारी बनाने मात्र से इस समस्या को हल करने की कोई सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में मई, 1998 में 40.47 रुपए से नवम्बर, 1998 में 42.38 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर की मासिक औसत दर से पिछले छः महीनों के दौरान लगभग 4.5 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ है।

(ग) और (घ) भारत में रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है तथा भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों पर विदेशी मुद्रा के अन्तर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों में घटित प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती है। पिछले छः महीनों या उससे अधिक में रुपए की विनिमय दर में आए उतार-चढ़ाव से भारत की विदेशी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिली है। इससे निर्यातों में वृद्धि के रास्ते खुलने और लागत प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के हमारे प्रयासों के सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

(ङ) से (छ) विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) दोनों द्वारा बारीकी से अनुवीक्षण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जब कभी आवश्यक हो, विदेशी विनिमय बाजारों में हस्तक्षेप करता है और रुपए पर अनिश्चित दबावों को रोकने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक और अन्य उपाय लागू करता है। इन उपायों से बाह्य दबावों की अवधि के दौरान रुपए के विदेशी मूल्य में पर्याप्त स्थिरता को बनाए रखने और विनिमय दर के स्तर को भारत की विदेशी प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संरक्षण और उसमें सुधार लाने के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

फार्म माल का निर्यात

2214. श्री विट्ठल तुपे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फार्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन से देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितनी प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) कृषिजन्य उत्पादों की निर्यात नीति देश की आयात निर्यात नीति का एक अभिन्न अंग है। कृषिजन्य उत्पादों के निर्यातों से संबंधित नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा के अर्जन से शासित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उसमें तद्नुसार नीति संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं।

फार्म वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं–

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पाद के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोधानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पक्कवन क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्कृत इकाइयों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना;

(6) पुष्पोदन मदों और चुनिन्दा ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शिनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना;

(9) डाटा बेस के विकास तथा बाजार सूचना के प्रसार में सहायता देना;

(10) गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास सुनिश्चित करने के निमित्त उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना;

(ग) कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार में देश के हिस्से के संभावित प्रतिशत का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि, यह अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, निर्यातों के लिए उपलब्ध बेशीमाल और विदेशी क्रेताओं के गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा करने वाली कृषि वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर होगा।

(घ) इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन्हें जारी रखा जाएगा।

स्थाई खाता संख्या

2215. **श्री राजो सिंह :**
श्री वैको :
श्री इन्द्रजीत सिंह राव :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री नृपेन गोस्वामी :
डॉ० चिंता मोहन :
डॉ० सुशील इन्दौरा :
डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिसूचना जारी करके नवम्बर, 1998 से कतिपय प्रकार सौदों में लोगों द्वारा स्थाई खाता संख्या (पी०ए०एन०) लिखना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सौदों में स्थाई खाता संख्या लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थाई खाता संख्या (पी०ए०एन०) के आवंटन के लिए राज्यवार कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया है;

(घ) अब तक वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितने आवेदनों का निपटान कर दिया गया है; और

(ङ) शेष आवेदनों का निपटान ना किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या (जी०आई० आर० संख्या) का निम्न श्रेणियों के लेन-देनों से संबंधित दस्तावेजों में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है–

(i) 5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक की धनराशि की किसी अचल संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय।

(ii) दुपहिया से भिन्न मोटर वाहनों का क्रय अथवा विक्रय।

(iii) बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक धनराशि की मियादी जमा।

(iv) डाकघर बचत बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि जमा करना।

(v) दस लाख रुपये से अधिक की धनराशि की प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित ठेके।

(vi) बैंक में खाता खोलना।

(vii) दूरभाष लगाने हेतु आवेदन-पत्र।

(viii) 25 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का होटलों एवं रेस्टोरेंटों में भुगतान करना।

परन्तु, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है अथवा उसके पास कोई सा०अनु०र० संख्या नहीं है और जो उपरोक्त श्रेणियों के लेन-देनों के संबंध में रेखांकित चैक अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट की अपेक्षा नकदी अथवा अन्य रूप में भुगतान करता है, से अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्धारित फार्म में एक साधारण घोषणा दायर करने की ही अपेक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना कम्प्यूटर केन्द्र-वार रखी जाती है। इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ङ) करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन फार्मों में दी गई अपूर्ण सूचना के मूल कारण की वजह से आवेदकों को स्थायी खाता संख्या जारी किए जाने में विलंब हुआ है। इसके फलस्वरूप त्रुटियां दर्शाने वाले पत्रों को जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। ऐसे सभी मामलों में कर दाताओं द्वारा त्रुटियों को दूर करने के बाद ही अगली कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा हाल ही के महीनों में अधिकांश संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

केन्द्र	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99 (31-10-98 तक)	
	प्राप्त हुए स्थाई खाता संख्या के आवेदनों की संख्या	आवंटित स्थाई खाता संख्या की संख्या	प्राप्त हुए स्थाई खाता संख्या के आवेदनों की संख्या	आवंटित स्थाई खाता संख्या की संख्या	प्राप्त हुए स्थाई खाता संख्या के आवेदनों की संख्या	आवंटित स्थाई खाता संख्या की संख्या	प्राप्त हुए स्थाई खाता संख्या के आवेदनों की संख्या	आवंटित स्थाई खाता संख्या की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	101,323	99,581	351,087	204,328	147,403	244,110	254,050	179,412
मुम्बई	714,760	356,509	181,498	323,995	113,970	223,641	307,570	37,200
चेन्नई	116,364	63,040	297,477	143,329	101,687	215,062	91,292	53,444
आगरा					21,000	0	118,811	9,935
अहमदाबाद					2,760	2,760	606,954	23,472
इलाहाबाद							80,605	8,959
अमृतसर							208,914	46,559
बंगलौर					65,975	15,975	469,252	63,091
बड़ौदा							402,571	6,589
भोपाल							545,061	7,318
भुवनेश्वर							151,570	6,580
कलकत्ता					10,309	10,309	1,688,753	3,529
कोचीन							283,110	2,999
कोयम्बतूर					20,215	0	78,067	9,358
हैदराबाद					1,938	11,938	373,119	23,303
जबलपुर							229,718	593
जयपुर					2,614	2,614	600,179	24,633
जालंधर					4,873	4,873	372,747	63,010
जोधपुर					25,775	0	348,448	28,109
कानपुर					1,284	1,284	122,705	11,202
कोल्हापुर					97,025	0	189,216	7,430
लखनऊ					4,718	0	243,308	6,355
मदुरै							107,958	13,324
मेरठ					2,183	2,183	234,409	27,830
नागपुर							339,618	16,979

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नासिक					12,345	0	274,573	20,026
पटियाला					3,092	3,092	586,092	72,153
पटना					99,937	0	176,847	4,656
पुणे					38,326	7,629	609,727	19,952
राजकोट					543	0	432,358	11,492
रांची							466,772	6,608
रोहतक					13,117	7,196	405,209	47,025
शिलांग					64,121	0	262,392	51
सूरत					8,415	0	340,585	13,295
त्रिवेन्द्रम					21,451	0	126,485	1,683
विशाखापटनम							287,396	5,256
कुल योग	992,447	519,180	830,062	671,652	885,076	742,666	12,399,441	883,418
	संख्या आवेदनों का कुल योग							15,107,826
	संख्याओं का कुल योग							2,816,866

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड

2216. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के बारे में 24 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (ग) से संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (वैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31 मई, 1998 से उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसी भी वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध मामला नहीं दर्ज किया है।

पवित्र शहरों का विकास

2217. **श्री वैको :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के प्रत्येक पवित्र शहर के विकास के लिए दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रयोजन हेतु एक करोड़ रुपए वहन करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार इन शहरों में स्थित मंदिरों का भी विकास करेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़ दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमांग अपांग) : (क) से (च) पर्यटन मंत्रालय ने विनिर्दिष्ट पर्यटक/तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार राज्य सरकारें विनिर्दिष्ट पर्यटक स्थलों पर अवसंरचना विकास और उनके सुन्दरीकरण की विशेष कार्य योजनाएं बनाएंगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता चालू वर्ष के दौरान तथा आगामी वर्ष में 50 लाख रुपए प्रत्येक, तक सीमित रहेगी बशर्ते कि राज्य सरकारें भी इतनी ही धनराशि लगाएं।

(छ) और (ज) जी, नहीं। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चालू वर्ष में तथा आगामी वर्ष में योजना के क्रियान्वयन के लिए दो केन्द्रों का चयन करें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

2218. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगा लिया है जिनमें विनिवेश किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकार ने 'सिद्धान्त रूप से' उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 23 उपक्रमों को सुदृढ़ एवं जैव्य बनाने के लिए एक दीर्घावधि नीति के एक भाग के रूप में संयुक्त उद्यम में बदलने का अनुमोदन कर दिया है। इन 23 इकाइयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

बहुत सारे मामलों में, परामर्शदाताओं/मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति कर ली गई है और विभिन्न स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। इन इकाइयों में से कुछ को विनिवेश आयोग को भी संदर्भित कर दिया गया है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जिन्हें सरकार ने 'सिद्धान्त रूप से' संयुक्त उद्यम में बदलने का अनुमोदन दे दिया है

1. एण्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए०वाई० एंड कं०)
2. भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बी०एच०पी०वी०)
3. भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बी०एल०सी०)
4. भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०)
5. ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी० एंड आर०)
6. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी०सी०आई०)
7.* इजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ई०पी०आई०)
8. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच०सी०एल०)
9. एच०एम०टी० लिमिटेड
10. एच०एम०टी० (बेयरिंग्स) लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०)
12. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स् मैन्यु० कंपनी लिमिटेड (एच०पी०एफं०)
13. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एच०एस०एल०)
14. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आई०एल०के०)
15. लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (लगन)
16. माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एम०एन०पी०एम०)
17.* नेपा लिमिटेड (नेपा)
18. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन०आई०डी०सी०)
19. प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी०टी०एल०)
20. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एस०आई०एल०)
21. सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एस०एस०एल०)
22. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी०एस०पी०एल०)
23. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी०सी०आई०एल०)

*विनिवेश आयोग को संदर्भित

[हिन्दी]

घरेलू बाजार से ऋण

2219. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार से ऋण लेने के लिए ऋण की कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस कारण गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अक्तूबर, 1998 तक कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया; और

(घ) मार्च, 1999 के अंत तक सरकार द्वारा अनुमानत: कितने ऋण का भुगतान किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के अनुमानों में सकल घरेलू बाजार उधार 79,375 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) पिछले 3 वर्षों में सकल घरेलू बाजार उधार निम्नानुसार था—

(करोड़ रुपए)

1995-96	40509
1996-97	36152
1997-98	59637

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1998 तक सकल घरेलू बाजार उधार 67,431 करोड़ रुपए था।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान देय होने वाला बाजार उधार 31049 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

डीजल कार

2220. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री पी० शंकरन :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री रंजीव विस्वाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन कार निर्माताओं की संख्या और नाम क्या है जिन्होंने अपनी डीजल कारें निकाली हैं और भविष्य में डीजल कारों के निर्माण के लिए परियोजनाएं लगाई गई हैं;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या नीति है;

(ग) ऐसी कारों की वार्षिक बिक्री कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी कारों का निर्यात किया गया; और

(ङ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) ऑटोमोबाइल फर्मों को बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप—या तो पैट्रोल अथवा डीजल रूप में—यात्री कारों के विनिर्माण हेतु छूट है। कंपनियों की सूची तथा उक्त कंपनियों द्वारा 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 (अप्रैल-अक्तूबर, 98) के दौरान उनके द्वारा बिक्री की गई डीजल यात्री कारों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) कारों की कुल संख्या तथा कीमत एवं वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान निर्यात किए गए बहु-प्रयोगार्थ वाहनों की संख्या नीचे दी गई है—

	मात्रा (सं०)	कीमत (करोड़ रु०)
1995	33,321	608.77
1996-97	39,645	849.41
1997-98	33,008	763.48

विवरण

विभिन्न कार विनिर्माताओं द्वारा डीजल यात्री कारों की बिक्री

क्र० सं०	कंपनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल-अक्तूबर, 98)
1	2	3	4	5
1.	मारुति उद्योग	—	—	1183
2.	महिन्द्रा फोर्ड इंडिया लि०	2505	4865	1622
3.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	21734	19873	10218
4.	टेल्को	7315	4697	1530
5.	मर्सीडीज बेंज इंडिया लि०	121	84	51
6.	जनरल मोटर्स इंडिया लि०	—	—	247
7.	प्रिमियर टाटा ऑटो मोबाइल लि०	7758	6772	2153

जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज

2221. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर के त्वरित विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए औद्योगिक पैकेज की भांति इस राज्य को भी औद्योगिक पैकेज प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर के औद्योगिकीकरण हेतु उपायों के पैकेज के ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

1. विकास केन्द्रों पर 15 करोड़ रुपये तक का कुल व्यय केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरा किया जाएगा।
2. भारत सरकार तथा सिडबी के बीच एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों (आई०आई०डी०सी०) के लिए वित्त पोषण का पैटर्न 4 : 1 तक परिवर्तित किया गया है।
3. परिवहन राजसहायता योजना की अवधि 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाई गई और राशि पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम के जरिए वितरित की जानी है।
4. विकास केन्द्रों तथा आई०आई०डी०सी० को 10 वर्ष के लिए आयकर तथा उत्पाद शुल्क के लिए कर-मुक्त क्षेत्र बनाया जाना है तथा संयंत्र तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत की राजसहायता दी जाएगी लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।
5. उत्पादन शुरू होने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों पर 3 प्रतिशत की ब्याज राजसहायता प्रदान की जाएगी।
6. नये औद्योगिक एककों के लिए व्यापक बीमा योजना।

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय बलों की मदद से उद्योगों सहित सभी अति संवेदनशील क्षेत्रों (सैक्शन) को संरक्षण प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

2222. **श्री इन्द्रजीत मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है तथा इनकी वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सहकारी बैंकों के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो शहरी सहकारी बैंकों के कार्यकरण को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 5220 शाखाओं सहित कुल 1811 शहरी सहकारी बैंक (वेतनभोगी सहकारी बैंकों तथा परिसमापनाधीन बैंकों सहित) कार्यरत हैं। 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति (सूचना देने वाले 1418 बैंकों से प्राप्त अनंतिम आंकड़े) निम्नानुसार है–

(i) स्वाधिकृत निधियां	–	5659 (करोड़ रु०)
(ii) जमा राशियां	–	38472
(iii) उधार	–	839
(iv) बकाया ऋण	–	26455

(ख) और (ग) सरकार का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) शहरी सहकारी बैंकों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं–

- शहरी सहकारी बैंकों का द्विवार्षिक अन्तरालों पर आवधिक सांविधिक निरीक्षण, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति, शोधक्षमता और जमाकर्त्ताओं के दावों को सकारने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।
- अर्थक्षमता मानदंड निर्धारित करना ताकि बैंकों की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
- शहरी सहकारी बैंकों पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करना अर्थात् आय की पहचान, परिसम्पत्ति का वर्गीकरण और अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करना।
- एक्सपोजर उधार मानदंडों की शुरुआत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एकल उधारकर्ता/समूह की बैंक ऋण तक एकाधिकारिक पहुंच नहीं है।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र/कमजोर वर्गों के लिए ऋण के अभिनियोजन की निगरानी करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान किया जाना ताकि वे अति लघु और कुटीर उद्योगों की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें।
- कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- बैंकिंग सेवा में कमियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भी बैंकिंग ओमबड्समैन योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों का सांविधिक नकदी अनुपात वापस किया जाना

2223. **श्री एस०एस० ओवेसी**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऐसे बांडों के सांविधिक नकदी अनुपात, जो सरकारी बाजार ऋण कार्यक्रम के भाग नहीं हैं, को वापस करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 की धारा 5 को संशोधित करने की मांग की है ताकि इसे प्रतिभूति जो कि सांविधिक नकदी अनुपात का हिस्सा नहीं है के निर्यात से अधिक शक्ति प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा प्रस्ताव किया है।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार

2224. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में उपचार कराने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों का कहां तक पालन किया गया है;

(ग) क्या कई अधिकारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बदले दूसरे महंगे अस्पतालों में उपचार कराने के बाद पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकारियों और गैर-अधिकारियों दोनों के लिए जटिल विशेषित और अति विशेषित मामले अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, को आगे जांच और इलाज हेतु भेजे गए हैं। संस्थान के दावों/बिलों की प्रतिपूर्ति नियमानुसार कर दी जाती है।

सी०आई०एल०/एम०सी०एल० द्वारा सूचीकृत अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के केवल कुछ जटिल विशेषित एवं चयनित अतिविशेषित मामले, रोग की प्रकृति के अनुसार जांच और इलाज हेतु भेजे गए हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित नियमों और पैकेज प्रभारों के अनुसार प्रतिपूर्ति दावे स्वीकार किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

2225. श्री अशोक प्रधान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक इनमें से कितने प्रस्ताव लम्बित अथवा विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश व्यापार संवर्धन प्राधिकरण से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या और उनमें से लंबित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं–

1995-96		1996-97		1997-98	
प्रस्तावों की संख्या	लंबित	प्रस्तावों की संख्या	लंबित	प्रस्तावों की संख्या	लंबित
12	शून्य	17	शून्य	12	2

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए तैयार योजनाओं में, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, नए एम्पोरियम खोलना और विद्यमान एम्पोरियमों का नवीकरण/विस्तार, प्रदर्शनी एवं प्रचार आदि शामिल हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में नवम्बर, 1998 तक, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए 12.35 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाना

2226. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो 30 अप्रैल 1998 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्ग के कितने लोग भर्ती किए गए; और

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के बकाया पद कब तक भर लिए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 8 सितम्बर, 1993 से प्रारम्भ किया गया है। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1997 तक 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न संवर्गों में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 5331 व्यक्तियों की भर्ती की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भर्ती के लिए संशोधित रोस्टर रखने का निदेश दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 8 सितम्बर, 1993 के बाद भरे गए सभी रिक्त पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा भरा जाने वाला विशेष रोस्टर प्वाइंट सम्मिलित है।

[अनुवाद]

आयातित प्याज

2227. श्री दिलीप संघाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दुबई से आयातित 150 टन प्याज सीमा शुल्क स्वीकृति में विलंब के कारण विमान पत्तनों पर पड़ा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स, दिल्ली के माध्यम से प्याज के आयात के बारे में सूचना मिली है। ये आयात 10 से 30 टन की छोटी-छोटी ढेरियों में कुल मिलाकर 26 खेपों में किए गए थे तथा इनका कुल भार 575 मीट्रिक टन था। बाद में नियमित आगमपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर आयात शुल्क अधिकारियों ने इन सभी आयातों की कच्चे आगमपत्र के आधार पर निकासी की अनुमति दे दी थी। इन निकासियों के लिए सीमा शुल्क स्वीकृति देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

नमक आयुक्त को भूमि की स्वीकृति देना

2228. **श्री टी०आर० बालू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पार्क 'एन्नोर' के आस-पास की भूमि जो पैट्रो रसायन पार्क के लिए निर्धारित है को वापस लौटाने हेतु नमक आयुक्त को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। पैट्रो-रसायन औद्योगिक पार्क का विकास किए जाने हेतु चेन्नई के समीप एन्नोर स्थित लगभग 1434 हेक्टेयर की साल्ट भूमि की अभ्यर्पित किए जाने हेतु नमक आयुक्त को प्रशासनिक मंजूरी जारी करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु सरकार का एक उपक्रम है, से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश में इक्विटी

2229. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी-वार उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की संख्या एवं नाम क्या-क्या हैं, जिनकी देश में 51 प्रतिशत या ज्यादा की विदेशी इक्विटी हैं; और

(ख) कंपनी-वार ऐसी कंपनियों की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त विदेशी इक्विटी के लिए आवेदन किया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) अगस्त 1991 से सितम्बर 1998 की अवधि के दौरान, 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की विदेशी इक्विटी वाले विदेशी सहयोग के लिए कुल 3732 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। देशवार तथा कंपनीवार ब्यौर, इस विभाग द्वारा प्रकाशित एस आई ए न्यूजलैटर में मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं जिसे संसद पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

[अनुवाद]

वेतन संशोधन संबंधी एस० मोहन समिति

2230. **श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन करने संबंधी एस० मोहन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस रिपोर्ट की सिफारिशें कब तक कार्यान्वित करने का है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ग) सरकार ने न्यायमूर्ति एस० मोहन समिति का गठन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों की वर्तमान वेतन संरचना, भत्तों, अनुलाभों तथा अन्य लाभों पर विचार करने के लिए किया था और इस समिति ने दिनांक 30-10-1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार समिति की अनुशंसाओं पर विचार कर रही है।

बी०सी०सी०एल० में रेलवे साइडिंग और डिस्पैच पोस्ट्स

2231. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०सी०सी०एल० में रेलवे साइडिंग और डिस्पैच पोस्ट्स की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से उन रेलवे साइडिंग और डिस्पैच पोस्ट्स की संख्या कितनी है जहां धर्मकांटा सुविधा उपलब्ध है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन धर्मकांटों से तौले गए और बिना तौले गए संप्रेषित कोक, वाश कोक, डिलिंग और अन्य किस्म के कोयलों की मात्रा कितनी थी;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान रेलवे के धर्मकांटों पर तौलने के बाद भेजे गए कोयले की मात्रा में कमी को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अलग-अलग कितनी मात्रा में कोयला कम पाया गया; और

(च) तौलने के बाद अथवा बिना तौले हुए भेजे गए कोयले की मात्रा कम पाए जाने के कारण कितनी धनराशि की हानि हुई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भा०को०को०लि० में धुलाई स्थलों पर के साइडिंग सहित रेलवे साइडिंग की कुल संख्या 73 है और कुल प्रेषण स्थल 82 हैं।

(ख) सभी रेलवे साइडिंग और प्रेषण स्थलों, जहां से वैगन भरी जाती हैं, पर वे-ब्रिज सुविधा उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों हेतु कोयला, कोक और मिडलिंग के प्रेषण का वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है–

आंकड़े '000 टन में

वर्ष	कुल प्रेषण	भारित मात्रा	अभारित मात्रा
1995-96	22,153	17,982	4,171
	22,564	19,670	2,894
	22,331	20,652	1,679

(घ) और (ङ) उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु जहां इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज पर भारित किए जाने के आधार पर प्रेषण किया जाता है और आर०आर० जारी किए जाते हैं, वहां ऐसे दावे स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभारित वैगनों में उपभोक्ता को प्रेषित किए गए कोयले की कमी के दावे/कटौतियों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं–

1995-96	18.07 करोड़ रु०
1996-97	9.30 करोड़ रु०
1997-98	9.08 करोड़ रु०

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

2232. श्रीमती कमल रानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और अब तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से वित्तीय सहायता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1995 96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राप्त किए गए, मंजूर किए गए और खारिज किए गए आवेदनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अप्रैल सितम्बर) के दौरान, आई०डी०बी०आई० द्वारा प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत मंजूर और संवितरित राज्य-वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से आई०डी०बी०आई० द्वारा प्राप्त आवेदन–राज्य-वार

क्र०सं०	राज्य	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99 (अप्रैल-सित.)		
		प्राप्त	मंजूर	रद्द	प्राप्त	मंजूर	रद्द	प्राप्त	मंजूर	रद्द	प्राप्त	मंजूर	रद्द
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	181	123	4	127	97	4	164	129	1	61	3	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	–	–	1	1	–	0	–	–	–	–	–
3.	असम	19	15	1	7	6	–	5	6	–	3	–	–
4.	बिहार	21	15	–	20	14	1	14	8	–	7	3	–
5.	गोवा	9	5	1	12	9	–	6	4	–	7	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गुजरात	168	107	6	140	104	6	172	135	3	73	20	—
7.	हरियाणा	66	37	2	45	28	1	57	38	—	25	1	—
8.	हिमाचल प्रदेश	23	13	1	13	9	—	20	12	—	10	1	—
9.	जम्मू व कश्मीर	5	4	—	4	4	—	0	—	—	1	—	—
10.	कर्नाटक	122	78	—	56	34	—	94	63	1	32	5	—
11.	केरल	43	21	10	15	12	—	16	13	—	24	5	—
12.	मध्य प्रदेश	100	58	2	52	37	3	80	63	2	28	6	—
13.	महाराष्ट्र	323	224	17	231	165	8	308	240	10	152	24	—
14.	उड़ीसा	18	10	—	10	8	—	21	16	1	6	—	—
15.	पंजाब	50	34	1	33	18	2	58	42	1	23	3	—
16.	राजस्थान	142	90	6	57	41	3	89	58	8	46	5	—
17.	सिक्किम	0	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	206	152	3	127	86	9	180	122	3	72	11	—
19.	उत्तर प्रदेश	137	91	1	81	46	6	102	67	5	45	7	—
20.	पश्चिम बंगाल	89	64	1	66	49	1	95	72	—	33	4	—
संघ राज्य क्षेत्र													
	चंडीगढ़	7	2	—	2	1	—	3	2	—	2	—	—
	दादरा व नगर हवेली	20	11	1	18	16	—	17	15	—	8	3	—
	दिल्ली	48	32	—	30	16	1	46	24	2	12	5	—
	दीव व दमन	6	5	—	5	5	—	8	6	—	3	—	—
	पांडिचेरी	8	4	—	4	4	—	3	2	—	5	—	—
	अंडमान/निकोबार	0	—	—	0	—	—	1	1	—	—	—	—

विवरण-II

आई०डी०बी०आई० द्वारा मंजूर संवितरित राज्य-वार वित्तीय सहायता

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	राज्य	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99 (अप्रैल-सितं.)	
		मंजूर	संवितरित	मंजूर	संवितरित	मंजूर	संवितरित	मंजूर	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1292.34	764.95	1002.76	845.74	2014.81	1763.79	1199.02	585.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.60	0.34	0.00	0.00	5.00	0.00	—	—
3.	असम	70.44	43.80	15.35	24.21	14.56	14.71	25.70	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	77.17	70.36	98.41	47.52	370.55	329.29	640.90	19.01
5.	गोवा	65.00	12.18	64.19	7.90	65.85	27.06	118.89	42.87
6.	गुजरात	2611.12	1635.48	2847.43	1879.55	3920.77	3155.07	857.12	1196.85
7.	हरियाणा	306.55	174.94	377.17	227.66	487.46	356.50	162.49	122.28
8.	हिमाचल प्रदेश	295.68	110.52	35.89	170.32	241.05	193.98	32.90	38.88
9.	जम्मू व कश्मीर	12.65	3.23	10.72	8.11	3.78	1.09	—	—
10.	कर्नाटक	1363.69	570.11	1003.61	593.72	1357.92	1046.91	1068.35	653.14
11.	केरल	97.51	65.71	37.99	73.69	98.10	57.21	91.96	71.85
12.	मध्य प्रदेश	815.78	500.76	329.76	551.18	2447.81	697.29	242.50	196.91
13.	महाराष्ट्र	2787.03	1743.40	1992.77	1755.81	4350.26	2632.61	3204.75	1286.00
14.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	—	—
		96.07	117.15	1072.03	168.23	295.43	126.25	15.60	135.25
		323.79	181.54	227.07	177.21	266.21	283.25	360.17	268.96
17.	राजस्थान	504.85	419.18	931.04	622.74	760.06	518.67	499.24	217.66
18.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	—	—
19.	तमिलनाडु	1321.21	1164.14	1242.46	842.51	2957.30	928.92	1712.13	574.77
20.	उत्तर प्रदेश	1315.11	744.95	899.55	1166.95	686.72	676.11	1395.12	348.88
21.	पश्चिम बंगाल	387.58	278.71	504.81	291.87	950.24	796.97	503.16	195.90
संघ राज्य क्षेत्र									
	चंडीगढ़	10.00	1.30	21.35	20.49	2.90	9.10	47.70	—
	दादरा व नगर हवेली	102.99	88.78	78.97	62.97	136.73	93.74	50.50	57.94
	दिल्ली	598.93	518.73	628.43	261.01	308.70	376.71	657.00	232.03
	दीव व दमन	18.95	28.28	27.30	14.69	42.75	35.73	19.03	15.82
	पांडिचेरी	39.65	48.89	20.40	22.77	12.50	11.93	6.00	5.78
	अंडमान/निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	—	—

[हिन्दी]

विदेशों के संयुक्त उद्यमों में भारत का निवेश

2233. **श्री अमरपाल सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्वाधीन उद्यमों में पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में फास्ट ट्रैकरूट के तहत निवेश की सीमा 4.0 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 15.0 मिलियन अमरीकी डॉलर तक कर दी गई है। नेपाल और भूटान में फास्ट ट्रेक रूट के तहत रुपये के निवेश की सीमा भी बढ़ाकर 60.0 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।

(ग) उपरोक्त के संबंध में निर्णय दिनांक 2-11-98 और 28-8-98 की अधिसूचना सं० 4-1-93-ईपी (ओआई) के द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

दालों के निर्यात पर प्रतिबंध

2234. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने दालों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। 5 कि०ग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में दालों का निर्यात किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विद्युत करघा विकास निगम को स्थापित किया जाना

2235. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत करघा उद्योग के प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार से यह मांग की है कि एक राष्ट्रीय विद्युत करघा विकास निगम स्थापित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय विद्युतकरघा परिसंघ सहित विद्युतकरघा उद्योग के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य वर्द्धन के बाद यार्न की आपूर्ति तथा फैब्रिक्स के निपटान के संदर्भ में बाजार हस्तक्षेप के लिए 5000 करोड़ रुपए की लागत पर एन०एच०डी०सी० (राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम) की तरह राष्ट्रीय विद्युतकरघा विकास निगम की स्थापना की मांग की थी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

औद्योगिक विकास में गिरावट

2236. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री अर्जुन सेठी :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न उपाय करने के बावजूद चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान औद्योगिक विकास में गिरावट जारी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस रणनीति द्वारा किस हद तक वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के लिए क्षेत्रवार औद्योगिक वृद्धि निम्न प्रकार है—

(आधार : 1993-94 = 100)

क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1997-98 अप्रैल-सितम्बर	1998-99 अप्रैल-सितम्बर
सभी उद्योग	12.7	5.6	6.6	6.0	3.6
खनन तथा उत्खनन	9.5	-1.9	5.0	5.0	-0.4
विनिर्माण	13.8	6.7	6.7	6.0	3.4
विद्युत	8.1	4.0	6.6	7.2	3.6

उपयोग—आधारित वर्गीकरण

क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98	1997-98 अप्रैल-सितम्बर	1998-99 अप्रैल-सितम्बर
मूल वस्तुएं	10.7	3.0	6.5	7.0	2.6
पूंजीगत वस्तुएं	4.1	9.3	5.2	7.8	7.8
मध्यवर्ती	19.1	8.1	8.1	7.9	5.7
उपभोक्ता वस्तुएं	12.4	5.2	5.7	2.5	0.8
टिकाऊ	25.8	4.6	7.8	6.3	0.4
गैर-टिकाऊ	9.3	5.3	5.1	1.5	1.0

(ग) औद्योगिक वृद्धि में कमी घरेलू तथा बाह्य दोनों ही कारकों से हो सकती है घरेलू कारकों में विद्युत, पत्तन तथा परिवहन जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश की कम मांग भी शामिल है तथा सामान्य निवेश में कमी मुख्यतया पूंजी बाजार की परिस्थितियों के कारण तथा आंशिक तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों में निगमित पुन: संरचना के कारण है। बाह्य पक्ष की ओर, निर्यात वृद्धि नगण्य रही है जिसमें विश्व निर्यातों में कमी आने के कारण

वृद्धि हुई है। स्टील, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसी मूल भूत वस्तुओं की मांग में कमी रही है। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों तथा 'बिल्डअप इन्वैंट्रीज' द्वारा उत्पादन में कमी हुई है।

वर्ष 1995-96 में निर्यात विकास 21.4 प्रतिशत की चरम सीमा से उल्लेखनीय रूप से धीमा होकर वर्ष 1996-97 में 4 प्रतिशत और वर्ष 1997-98 में 2.6 प्रतिशत हो जाने के बाद अप्रैल अक्तूबर 1998 के दौरान गिरकर (−)5.08 प्रतिशत हो गया। क्योंकि निर्यात देश में कुल विनिर्माणकारी उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग है इसलिए निर्यात में गिरावट से औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) से (च) सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट के बाद और उपायों की घोषणा की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) निर्यात में विकास के पुनरुज्जीवन के लिए घोषित विशेष पैकेज।

— ने हाल ही में निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी पुनरुज्जीवन के लिए शेयरों की पुन: खरीद और ...पोरेट ऋणों की अनुमति दी है।

(3) औद्योगिक कार्यकलाप को तत्काल बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित व्यस्त मौसम साख नीति से ब्याज दरों में वृद्धि नहीं हुई है।

(4) सरकार द्वारा तीन प्रमुख फास्ट ट्रेक पावर प्रोजेक्टों को दी गई काउंटर गारंटियों से वित्तीय अवरोध पैदा होना अपेक्षित है और इस प्रकार मूल और अन्य मदों के लिए मांग पैदा होगी।

(5) इस्पात, पूंजीगत मदों, वाणिज्यिक वाहनों और सीमेंट क्षेत्रों की समस्याओं में नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए चार कार्य दलों का गठन किया गया है। कार्य दलों ने अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार ने इस्पात में प्रयुक्त होने वाली सात निविष्टियों को विशेष सीमा शुल्क से मुक्त करना पहले से ही अधिसूचित कर दिया है। अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणाएं शीघ्र ही होने की संभावना है।

आशा है कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप राजस्व एकत्र करने पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा और राजकोषीय घाटे को रोकने में सहायता मिलेगी।

बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2237. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री वी०वी० राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री पंकज चौधरी :
डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :
डॉ० असीम बाला :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री विकास चौधरी :
श्री सुनील खां :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इक्विटी भागीदारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्र में संयुक्त उद्यम और निजी भागीदारी के लिए कौन-सी कार्यविधि अपनाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबध में मजदूर संघों से परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि बीमा क्षेत्र प्राइवेट भारतीय कंपनियों से प्रतियोगिता के लिए खोला जाएगा और बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक सांविधिक प्राधिकरण में रूपान्तरित किया जाएगा। उपर्युक्त उपायों को पूरा करने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक में सभी ब्यौरे होंगे।

(घ) और (ङ) वर्ष 1994 में सरकार को श्री आर०एन० मल्होत्रा, पूर्व-गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मजदूर संघों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर बीमा क्षेत्र में सुधारों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था।

विदेशों के साथ व्यापार

2238. श्री डी०एस० अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों के साथ भारत का व्यापार (आयात और निर्यात) कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मुख्यत: किन-किन मदों का निर्यात और आयात किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०) द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के लिए भारत के आयातों और निर्यातों की वृद्धि दर नीचे दी गई है–

वर्ष	निर्यात वृद्धि दर		आयात वृद्धि दर	
	(करोड़ रु० में)	(मि०अम० डा० में)	(करोड़ रु० में)	(मि०अम० डा० में)
1977-98(अ.)	6.3	1.5	9.1	4.2
1996-97	11.7	5.3	13.2	6.7
1995-96	28.6	20.8	36.4	28.0

(अ) अनन्तिम

निर्यातों और आयातों के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) द्विपक्षीय और वाणिज्यिक संबंधों में सुधार लाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत कुछ वर्षों से विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों और संगठनों के बीच द्विपक्षीय सरकारी संपर्कों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इन देशों को भेजे गए और बुलाए गए व्यापार शिष्टमंडलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सहयोग को सुदृढ़ करने और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को नए स्तर तक ले जाने के लिए विशेष उपाय करने का भी प्रयास किया गया है।

(घ) निर्यात की मुख्य मदें हैं–कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चर्म एवं विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, इलैक्ट्रानिक सामान, हस्तशिल्प सहित वस्त्र। आयात की मुख्य मदें हैं–उर्वरक, मोती एवं कीमती पत्थर, मशीनरी, खाद्य तेल, कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद, लौह एवं इस्पात, सोना एवं चांदी, इलैक्ट्रानिक सामान, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, अलौह धातु, धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन, परियोजना सामान कोयला, कोक एवं क्रिकेट्स। गन्तव्य स्थान-वार ब्यौर डी जी सी आई एंड एस द्वारा निकाले गए "भारतीय विदेश व्यापार के आंकड़े" (फारेन ट्रेड स्टेटिक्स आफ इंडिया) नामक प्रकाशनों में उपलब्ध हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

क्षेत्रों और देशों से आयात : अप्रैल-मार्च, 1995-98

अमरीकी मिलियन डालर

देश/क्षेत्र	अप्रैल-मार्च			प्रतिशत वृद्धि			प्रतिशत भार		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. प० यूरोप	11395.41	11915.57	12980.60	33.59	4.56	8.94	31.07	30.45	31.83
(क) ई सी एम देश	9773.58	9913.29	9754.29	37.40	1.43	−1.60	26.65	25.33	23.92
1. बेल्जियम	1702.00	2251.69	2441.67	41.17	32.30	8.44	4.64	5.75	5.39
2. डेनमार्क	270.09	185.65	86.75	46.20	−31.26	−53.27	0.74	0.47	0.21
3. फ्रांस	840.81	768.10	786.62	36.64	−8.65	2.41	2.29	1.96	1.93
4. एफ आर जी	3144.90	2831.08	2500.92	43.79	−9.98	−11.66	8.57	7.23	6.13
5. ग्रीस	48.99	16.42	27.13	131.40	−66.48	65.21	0.13	0.04	0.07
6. आयरलैंड	25.44	20.28	−35.48	28.43	−20.30	74.95	0.07	0.05	0.09
7. इटली	1064.38	987.38	919.45	43.63	−7.23	−6.88	2.90	2.52	2.25
8. लक्जेमबर्ग	1.39	5.08	5.18	96.43	264.05	1.98	0.00	0.01	0.01
9. नीदरलैंड	570.27	493.98	432.65	47.80	−13.38	−12.41	1.55	1.26	1.06
10. पुर्तगाल	5.29	8.36	15.48	−54.32	57.97	85.27	0.01	0.02	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. स्पेन	182.13	210.60	162.97	0.37	15.63	–22.62	0.50	0.54	0.40
12. यू०के०	1917.89	2134.68	2339.98	23.01	11.30	9.62	5.23	5.46	5.74
(ख) इफ्ता देश	1568.88	1890.20	3145.13	17.50	20.48	66.39	4.28	4.83	7.71
1. फिनलैंड	170.79	199.78	175.42	57.96	16.98	–12.20	0.47	0.51	0.43
2. स्वीडेन	244.14	371.58	270.71	–18.23	52.20	–27.15	0.67	0.95	0.66
3. स्विटजरलैंड	999.02	1127.32	2563.65	21.20	12.84	127.41	2.72	2.88	6.29
(ग) शेष यूरोप	52.95	112.08	81.17	–35.23	111.66	–27.58	0.14	0.29	0.20
II. एशिया और ओसीनिया	16767.64	18637.86	19017.89	22.62	11.15	2.04	45.72	47.63	46.64
(क) एस्कैप	9293.59	9762.38	10544.51	23.94	5.04	8.01	25.34	24.95	25.86
1. बंगलादेश	85.87	62.23	51.14	124.97	–27.53	–17.82	0.23	0.16	0.13
2. नेपाल	49.15	64.07	94.59	34.33	30.35	47.64	0.13	0.16	0.23
श्रीलंका	41.35	45.16	32.69	34.58	9.21	–27.62	0.11	0.12	0.08
	1022.01	1317.20	1496.35	11.68	28.88	13.60	2.79	3.37	3.67
5. चान जन०गण०	812.04	756.91	1158.19	6.73	–6.79	53.01	2.21	1.93	2.84
6. हांगकांग	388.07	319.12	293.39	35.21	–17.77	–8.07	1.06	0.82	0.72
7. इंडोनेशिया	461.17	598.66	729.77	—	29.81	21.90	1.26	1053	2.79
8. जापान	2467.75	2187.45	2128.84	20.97	–11.36	–2.68	6.73	5.59	5.22
9. कोरिया गण०	824.90	883.59	896.43	31.17	7.12	1.45	2.25	2.26	2.20
10. मलेशिया	902.80	1041.36	1185.30	84.21	15.35	13.82	2.46	2.66	2.91
11. सिंगापुर	1113.57	1063.31	1187.92	23.77	–4.51	11.72	3.04	2.72	2.91
12. थाइलैंड	169.71	197.19	230.37	–1.11	16.20	16.83	0.46	0.50	0.56
(ख) अन्य	7474.05	8875.48	8473.38	21.01	18.75	–4.53	20.38	22.68	20.78
1. सऊदी अरब	2024.87	2769.65	2528.29	29.03	36.78	–8.71	5.52	7.08	6.20
2. सं०अ० अमीरात	1606.74	1736.06	1746.24	4.80	8.05	0.59	4.38	4.44	4.28
3. इसरायल	242.61	268.67	325.77	–6.08	10.74	21.25	0.66	0.69	0.80
III. अफ्रीका	2002.80	2880.91	2963.01	31.21	43.84	2.85	5.46	7.36	7.27
1. मिस्र	72.64	65.17	196.42	–68.18	–10.28	201.40	0.20	0.17	0.48
2. नाइजीरिया	769.80	1525.68	1116.92	81.63	98.19	–26.79	2.10	3.90	2.74
3. द० अफ्रीका	243.88	321.05	482.72	57.65	31.64	50.36	0.66	0.82	1.18
IV. अमरीका	4835.16	4592.86	4650.65	22.37	–5.01	1.26	13.18	11.74	11.40
(क) उ० अमरीका	4242.74	3999.26	4061.77	33.79	–5.74	1.56	11.57	10.22	9.96
1. कनाडा	381.24	313.36	426.68	43.62	–17.80	36.16	1.04	0.80	1.05
2 यू०एस०ए०	3861.50	3685.90	3635.07	32.89	–4.55	–1.38	10.53	9.42	8.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) द० अमरीका	515.92	522.10	479.17	-29.13	1.20	-8.22	1.41	1.33	1.18
1. ब्राजील	261.09	152.61	198.22	-52.39	-41.55	29.88	0.71	0.39	0.49
(ग) अन्य सेंट्रल एंड कैरिबीयन	76.50	71.50	109.70	46.38	-6.53	53.43	0.21	0.18	0.27
V. पूर्वी यूरोप	1673.93	1102.66	1100.04	72.99	-34.13	-0.24	4.56	2.32	2.30
(i) सी आई एस	1215.15	768.02	880.53	66.46	-36.80	14.65	3.31	1.96	2.16
(क) रूस	856.32	628.43	679.53	69.77	-26.61	8.13	2.33	1.61	1.67
(ख) शेष सी आई एस देश	358.83	139.59	201.00	59.07	-61.10	43.99	0.98	0.36	0.49
(ii) अन्य पूर्वी यूरोपीय देश	458.79	334.63	219.51	93.04	-27.06	-34.40	1.25	0.86	0.54
(क) पूर्ववर्ती आर पी ए देश	213.60	214.15	142.38	76.02	0.26	-33.52	0.58	0.55	0.35
(ख) शेष देश	237.12	111.81	71.65	103.87	-52.85	-35.92	0.65	0.29	0.18
कुल योग	36677.93	39132.47	40778.78	28.00	6.69	4.21	100.00	100.00	100.00

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

क्षेत्रों और देशों से निर्यात : अप्रैल-मार्च, 1995-98

अमरीकी मिलियन डालर

देश/क्षेत्र	अप्रैल-मार्च			प्रतिशत वृद्धि			प्रतिशत भार		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. प० यूरोप	9258.19	9265.13	9569.59	19.2	0.1	3.29	29.12	27.68	28.16
(क) ई सी एम देश	8418.37	8354.89	8554.80	19.7	-0.8	2.39	26.48	24.96	25.18
1. बेल्जियम	1120.53	1092.69	1191.03	13.4	-2.5	9.00	3.52	3.26	3.51
2. डेनमार्क	145.91	150.94	152.57	12.8	3.4	1.08	0.46	0.45	0.45
3. फ्रांस	747.03	716.17	740.10	28.3	-4.1	3.34	2.35	2.14	2.18
4. एफ आर जी	1977.56	1893.06	1854.43	13.2	-4.3	-2.04	6.22	5.66	5.46
5. ग्रीस	98.71	93.58	88.94	34.3	-5.2	-4.96	0.31	0.28	0.26
6. आयरलैंड	49.31	59.38	65.68	41.3	20.4	10.60	0.16	0.18	0.19
7. इटली	1014.09	933.70	1098.35	18.2	-7.9	17.63	3.19	2.79	3.23
8. लक्जेमबर्ग	2.60	3.22	3.11	-35.6	23.8	-3.34	0.01	0.01	0.01
9. नीदरलैंड	769.09	852.37	781.30	31.4	10.8	-8.34	2.42	2.55	2.30
10. पुर्तगाल	91.68	87.88	110.25	34.6	-4.1	25.46	0.29	0.26	0.32
11. स्पेन	390.95	425.00	430.05	45.2	8.7	1.19	1.23	1.27	1.27
12. यू०के०	2010.91	2046.91	2038.99	19.0	1.8	-0.39	6.32	6.12	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) इफ्ता देश	637.77	679.34	737.06	5.9	6.5	8.50	2.01	2.03	2.17
1. फिनलैंड	53.56	54.49	56.12	20.7	1.7	2.99	0.17	0.16	0.17
2. स्वीडेन	146.39	151.51	162.53	–0.4	3.5	7.27	0.46	0.45	0.48
3. स्विटजरलैंड	281.57	299.88	373.77	13.8	6.5	24.64	0.89	0.90	1.10
(ग) शेष यूरोप	202.05	230.90	277.73	51.0	14.3	20.28	0.64	0.69	0.82
II. एशिया और ओसीनिया	12856.03	13614.63	13195.87	23.3	5.9	–3.08	40.43	40.58	38.83
(क) एस्कैप	9892.32	10276.68	9524.35	26.1	3.9	–7.32	31.11	30.70	28.03
1. बंगलादेश	1049.14	868.96	764.00	62.7	–17.2	–12.08	3.30	2.50	2.25
2. नेपाल	160.06	165.72	159.87	33.3	3.5	–3.53	0.50	0.50	0.47
3. श्रीलंका	401.76	477.41	476.68	9.6	18.8	–0.15	1.26	1.43	1.40
4. आस्ट्रेलिया	375.69	385.36	425.59	8.4	2.6	10.44	1.18	1.15	1.25
[illegible] गण०	332.73	614.80	680.99	30.9	84.8	10.77	1.05	1.84	2.00
[illegible]	1821.53	1862.60	1919.30	20.0	2.3	3.04	5.73	5.57	5.65
7. इंडोनेशिया	662.46	591.84	435.38	14.4	–1.1	–26.44	2.08	1.77	1.28
8. जापान	2215.77	2005.88	1858.54	9.3	–9.5	–7.35	6.97	5.99	5.47
9. कोरिया गण०	448.29	518.48	411.68	34.8	15.7	–20.60	1.41	1.55	1.21
10. मलेशिया	393.19	531.14	481.24	37.2	35.1	–9.39	1.24	1.59	1.42
11. सिंगापुर	901.70	977.47	738.90	17.1	8.4	–24.41	2.84	2.92	2.17
12. थाइलैंड	472.96	447.08	337.59	16.3	–5.5	–24.49	1.49	1.34	0.99
(ख) अन्य	2963.70	3337.95	3671.52	14.7	12.6	9.99	9.32	9.97	10.80
1. सऊदी अरब	482.33	577.18	675.27	10.7	19.7	17.00	1.52	1.72	1.99
2. सं०अ० अमीरात	1428.39	1476.01	1595.44	12.8	3.3	8.09	4.49	4.41	4.70
3. इसरायल	216.61	211.41	328.95	44.2	–2.4	55.60	0.68	0.63	0.97
III. अफ्रीका	1684.77	1602.33	1876.54	68.9	–4.9	17.11	5.30	4.79	5.52
1. मिस्र	164.26	157.46	254.93	37.1	–4.1	61.91	0.52	0.47	0.75
2. नाइजीरिया	150.90	146.45	213.70	38.3	–3.0	45.93	0.47	0.44	0.63
3. द० अफ्रीका	329.54	316.19	383.91	110.5	–4.1	21.42	1.04	0.94	1.13
IV. अमरीका	6194.91	7390.43	7761.58	9.7	19.3	5.02	19.48	22.08	22.84
(क) उ० अमरीका	5826.38	6908.41	7046.97	10.2	18.6	2.01	18.32	20.64	20.74
1. कनाडा	305.46	352.99	416.76	14.5	15.6	18.07	0.96	1.05	1.23
2. यू०एस०ए०	5520.80	6555.42	6630.11	10.0	18.7	1.14	17.36	19.59	19.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) द० अमरीका	248.61	335.92	509.15	14.3	35.1	51.57	0.78	1.00	1.50
1. ब्राजील	86.16	132.49	139.91	4.1	53.8	5.60	0.27	0.40	0.41
(ग) अन्य सेंट्रल एंड कैरिबीयन	119.93	146.10	205.46	-16.5	21.8	40.63	0.38	0.44	0.60
V. पूर्वी यूरोप	1340.66	1099.52	1202.94	26.8	-18.0	9.41	4.22	3.29	3.54
(i) सी आई एस	1136.42	901.01	995.96	27.8	-20.7	10.54	3.57	2.69	2.93
(क) रूस	1045.07	811.16	889.42	29.5	-22.4	9.65	3.29	2.42	2.62
(ख) शेष सी आई एस देश	91.35	89.85	106.53	188.2	-1.6	18.57	0.29	0.27	0.31
(ii) अन्य पूर्वी यूरोपीय देश	204.24	198.51	206.99	21.8	-2.8	4.27	0.64	0.59	0.61
(क) पूर्ववर्ती आर पी ए देश	62.38	57.72	44.43	-0.1	-7.5	-23.03	0.20	0.17	0.13
(ख) शेष देश	133.49	129.51	149.79	26.7	-3.0	15.66	0.42	0.39	0.44
कुल योग	31797.19	33469.76	33979.94	20.8	5.3	1.52	100.00	100.00	100.00

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

बैंक ऋणों का उपयोग

2239. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितम्बर, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बैंक्स वांट होटल लीला टू डिस्कलोज एंड यूज ऑफ दि फंड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बैंक अधिकारी अपने ऋणधारकों के घरों का यह देखने के लिए आवधिक रूप से दौरा करते हैं कि दिया गया पैसा उसी उद्देश्य के लिए काम में लाया जाए जिसके लिए ऋण दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी बैंक अधिकारी को कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है; और

(च) यदि हां, तो ऋण की राशि वसूल करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणधारक उसी कार्य के लिए धनराशि का उपयोग करें जिसके लिए ऋण दिया गया था, क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और नेपाल के बीच अवैध व्यापार

2240. श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा से अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए हाल ही में सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या भारत-नेपाल पारगमन संधि का आगे नवीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और नेपाल द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताएं 17 से 20 नवम्बर, 1998 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं। इन विचार-विमर्शों का मुख्य विषय भारत-नेपाल पारगमन संधि का नवीकरण था। जो 5 दिसम्बर, 1998 को समाप्त होने वाली थी। इस बात पर सहमति हुई है कि मौजूदा पारगमन संधि का नवीकरण परस्पर सम्मत संशोधनों से किया जाए। पारगमन संधि का औपचारिक नवीकरण होने तक यह सहमति हुई है कि मौजूदा संधि की वैधता एक माह अर्थात् 5 जनवरी, 1999 तक या इसके औपचारिक नवीकरण की तारीख तक जो भी पहले हो, बढ़ाई जाएगी।

भारत-नेपाल सीमा के आर-पार के अनाधिकृत व्यापार को रोकने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श के दौरान जोर दिया गया और दोनों सरकारें इस पर नियंत्रण करने के लिए परस्पर सहयोग करने पर सहमत हुईं।

[हिन्दी]

लाल मिट्टी में खनिजों की स्थिति

2241. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाल मटिया तथा चीमा कोयला खानों में कोयले का वर्षवार वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या खानों तथा कालोनी में दूषित पेयजल के कारण यहां कार्यरत श्रमिकों के बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रति प्रबंधन ने उचित ध्यान दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन खानों के भूतपूर्व प्रबंधक की गोडा के उपायुक्त के साथ बैठक हुई थी और गोडा ब्लाक में मोलिया गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु कुआं बनाने का निर्णय लिया था;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या प्रबंधन का विचार मोलिया गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने का है;

(छ) क्या वहां उपभोक्ता सलाहकार समिति कार्य कर रही है;

(ज) यदि हां, तो क्या समिति का पुनर्गठन किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

—— के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 3 वर्षों के दौरान हुआ कोयला उत्पादन निम्न

(मिलियन टन में)

1995-96	8.52
1996-97	10.03
1997-98	9.21

कोल इंडिया लि० की किसी भी कोयला कंपनी में 'चीमा' नाम की कोई कोलियरी नहीं है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि लामटिया अस्थायी परियोजना परिसर तथा ऊर्जानगर कालोनी में रह रहे कोलियरी कर्मचारियों को सीधा बोरवैलों से जलापूर्ति की जा रही है और जल प्रदूषित नहीं है। जलाशयों की समय-समय पर सफाई की जाती है और जल को साफ करने के उपाय किए जाते हैं। जल के नमूने नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच किए जाने हेतु खान के स्वास्थ्य बोर्ड, आसनसोल भेजे जाते हैं।

(घ) कोल इंडिया लि० ने कहा है कि परियोजना में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) प्रबंधन को विधायकों द्वारा और कुछ मामलों में जिला प्राधिकरणों द्वारा अग्रेषित कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। निधियों की कमी के कारण, इस योजना को, जिसमें काफी मात्रा में निवेश अपेक्षित है, आरंभ नहीं किया जा सका।

(छ) से (झ) परियोजना में कोई उपभोक्ता सलाहकार समिति कार्यरत नहीं है। किंतु, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में एक क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् कार्यरत है। ई०को०लि० में कार्यरत क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद् में कोयला मंत्रालय द्वारा जनहित प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन किया गया है—

1. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव,
   ग्राम एवं डाकघर आकाशी,
   बरियारपुर, जिला मुंगेर, बिहार

2. श्री मानस रंजन मलिक,
   अप्रतिबिन्ध, भद्रक-756100

[अनुवाद]

संसद सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षा/दण्डमुक्ति

2242. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या संसदीय कार्य मंत्री 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2577 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस निर्णय के प्रभावों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस आशय का विधान लाने अथवा संविधान संशोधन करने का है कि अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षा/दंडमुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को दिए गए निर्णय के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 12 नवंबर, 1998 को पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की है।

नमक आयोग की भूमि का विकास

2243. डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर मध्य एवं मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में नमक आयुक्त का व्यापक भू-क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसमें से कुछ भूमि प्रदान करने अथवा उसका विकास करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस भूमि के विकास करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) नमक विभाग के स्वामित्वाधीन मुंबई के पश्चिम उपनगर में मालवानी, दाहिसार, गोरेगांव, मुंबई के उत्तर पूर्व उपनगर में कंजूर, भांदुप, मुलंद, चेम्बुर, घाटकोपार, ट्रोम्बे तथा मुंबई शहर सीमा में वडाला, माटुंगा में स्थित लगभग 5375 एकड़ भूमि को लाभदायक सामाजिक आर्थिक प्रयोजनों के लिए विकसित करने के उद्देश्य से शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को हस्तांतरण करने हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

इंडोनेशिया द्वारा कॉफी का आयात

2244. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने केन्द्र सरकार से इंडोनेशिया से रोबस्ता कॉफी का आयात नहीं करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंडियन ओवरसीज बैंक

2245. श्री पंकज चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में दिल्ली में 'ऐनी ब्रांच बैंकिंग' सेवा आरंभ की है। जिसके अंतर्गत कोई भी खाताधारक, दिल्ली में किसी भी इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा से अपने खाते का परिचालन कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भी ऐसी सेवा आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) दिल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक की 20 शाखाओं में 'एनी ब्रांच बैंकिंग' सेवा उपलब्ध है।

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत, ऐसी सुविधा के इच्छुक ग्राहकों को उनके अनुरोध पर कार्ड जारी किया जाता है।

इस प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं–

1. बचत खाता तथा व्यक्तिगत चालू खाता धारक अपने स्वयं के संचालन के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं।
2. नकदी आहरण, नकदी जमा, अधिशेष की पूछताछ तथा पिछले पांच संचालनों के विवरण संबंधी सेवाएं इस समय प्रदान की जा रही हैं।
3. नकदी लेनदेन की उच्चतम सीमा 25000 रुपए है।
4. इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सांकेतिक भाषा में भेजा जाता है।
5. ग्राहकों को जारी किए गए कार्डों का प्रयोग ए टी एम केन्द्रों पर भी किया जा सकता है (जो कि इस समय ग्रेटर कैलाश-II में है)।

(ग) और (घ) यह निर्णय लेना संबंधित बैंकों पर निर्भर करता है कि वे ऐसी सेवाएं आरंभ करना चाहते हैं या नहीं।

[अनुवाद]

फ्रांस द्वारा पूंजी निवेश

2246. श्री मगन्ती बाबू : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी लगाने को सहमत हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में फ्रांस से समझौता किया गया है;

(ग) क्या किसी फ्रेंच शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा कर भारत में पूंजी निवेश के संबंध में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) निवेश विगत दो वर्षों में फ्रांस से पर्याप्तरूप से बढ़ा है; यह 1991 में 193.3 करोड़ रुपए से शुरू होकर 1996 में 1671.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 1991-97 की अवधि के दौरान, फ्रांसीसी फर्मों को 3073.25 करोड़ रुपए मूल्य के कुल निवेश का अनुमोदन किया गया है जो कि कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों को 2 प्रतिशत से ज्यादा बनता है।

भारत में फ्रांसीसी निवेश को आकर्षित करने वाले क्षेत्र हैं–रसायन, विद्युत, तेलशोधन, इलेक्ट्रिकल, ईंधन, दूरसंचार, औद्योगिक मशीनरी, धातुकर्मी उद्योग, परिवहन तथा कांच।

(ग) और (घ) विदेशी व्यापार के फ्रांसीसी राज्यमंत्री मिस्टर जैकस डॉनडॉक्स ने 23-24 नवंबर, 1998 को नई दिल्ली में हुई इंडो-फ्रेंच संयुक्त समिति के 9वें सत्र में भाग लेने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

दो उपसंधियों (प्रोटोकाल्स) पर हस्ताक्षर किए गए :

(1) एक वित्तीय उपसंधि पर 23-11-98 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस वित्तीय उपसंधि में जल आपूर्ति, खनन आदि के क्षेत्रों में 68.8 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक (48.16 करोड़ रुपए) की फ्रांसीसी सहायता की व्यवस्था की गई है।

(2) 24 नवम्बर, 1998 को एक आशय उपसंधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उपसंधि का उद्देश्य, लघु तथा मझौले उद्यमों पर विशेष जोर देते हुए भारत तथा फ्रांसीसी फर्मों के बीच औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में निवेशों तथा संयुक्त उद्यमों की वृद्धि को बढ़ावा देना है।

[हिन्दी]

कृषि और गैर-कृषि उत्पादों का आयात

2247. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में कितने और कौन-से कृषि और गैर-कृषि उत्पादों का आयात किया गया; और

(ख) क्या आयातित उत्पादों का वर्तमान बाजार मूल्य कम/अधिक है?

श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997-98 ... आर कृषि-भिन्न सामान के कुल आयात क्रमश: 6645.48 करोड़ रु० और 151553.52 करोड़ रु० मूल्य के थे (स्रोत डी जी सी आई एंड एस कलकत्ता)। आयातित सामान में शामिल थे—गेहूं, खाद्यान्न के पदार्थ, दलहन, दूध और क्रीम, काजू की गिरी, फल और गिरीदार फल, मसाले, चीनी, तिलहन, वनस्पति तेल, प्राकृतिक रबड़, कच्चा जूट और कपास व अपशिष्ट कपास। आयातित कृषिभिन्न सामान में शामिल हैं—संश्लिष्ट रबड़, लुगदी और रद्दी कागज, रेशम, संश्लिष्ट और पुनरुत्पादित रेशे, टैक्सटाइल यार्न और फेब्रिक, कच्ची खालें और त्वचा, चमड़ा, उर्वरक, अविनिर्मित सल्फर और बिना पकाए हुए लौह की पाइराट्स, अयस्क और धात्विक रद्दी, कोयला, कोक और ईंटें, कच्चा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, वाष्पी तेल और प्रसाधन सामग्रियां, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, चिकित्सकीय और भेषजीय उत्पाद, विनिर्मित उर्वरक, कृत्रिम रेजिंस और प्लास्टिक की सामग्रियां, रसायनिक सामग्रियां और उत्पाद, अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और विनिर्मितियां, सीमेंट, सोना और चांदी, कीमती और अर्द्ध कीमती नगीने, लोहा और इस्पात, नॉन फैरस धातुएं, धातुओं से बनी वस्तुएं, मशीनरी, मशीनी औजार, बिजली की मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और परिवहन उपकरण।

(ख) व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अलग-अलग किस्म और विनिर्देशन ग्रेडिंग और पैकेजिंग में विभिन्नता होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों की सही-सही तुलना करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

भारत-चीन व्यापार

2248. डॉ० रवि मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत-चीन व्यापार में 14.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस वृद्धि को और अधिक करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत-चीन व्यापार में किस सीमा तक सुधार की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। डी जी सी आई एस, कलकत्ता से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा जनवरी-जून 1997 में 2,85,828.19 लाख रु० से बढ़कर जनवरी-जून, 1998 में 3,74,338.65 लाख रु० तक हो गई है। जिससे 1998 की पहली छमाही में 2.75 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ख) से (घ) उच्च स्तरीय शिष्टमंडलों के जरिए सरकारी और व्यापारिक स्तरों पर बैठकों के आयोजन, एक-दूसरे की क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक-दूसरे देश के व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता बढ़ाने, मदों प्रौद्योगिकियों और निर्यात प्रोत्साहन की संभावना वाले क्षेत्र की पहचान और दोनों देशों के व्यापार समुदायों के बीच अधिक संपर्क को सुकर बनाने जैसे उपायों के जरिए इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए द्विपक्षीय व्यापार के स्तर को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 1996 में भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले 10 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की खामियां

2249. श्री मित्रसेन यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के 'जनसत्ता' में 'सफेद हाथी बन गए हैं बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भर्ती की प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाने हेतु भविष्य में नियमों में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा लिए गए शुल्क के माध्यम से हुई आय, आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर हुए व्यय के लिए पर्याप्त

नहीं है और इसलिए आय और खर्च में कमी आई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान, सभी बैंकों द्वारा उठाया गया घाटा 13.16 करोड़ रुपए था। बैंकों द्वारा उम्मीदवारों की भर्ती में काफी समय से कमी आई है।

बी०एस०आर०बी०, चंडीगढ़ ने विभिन्न बैंकों को वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान क्रमशः 102, 460 और 615 उम्मीदवारों को आवंटन किया है।

अच्छी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को, भारत सरकार के अनुमोदन से समन्वयक बैंक द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड का वार्षिक बजट, उसी वित्तीय और अन्य लेखा-परीक्षाओं की शैली के अध्यधीन है जैसाकि समन्वयक बैंक अपने स्वयं के वित्तीय और प्रशासन को करता है।

(ग) और (घ) बी०एस०आर०बी० का कार्यकरण और भर्ती प्रक्रिया का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है और दिन-प्रतिदिन के अनुभव के आलोक में, भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

[अनुवाद]

चेन्नई स्थित नेशनल हाउसिंग बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

2250. श्री के० पेरी मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाउसिंग बैंक, चेन्नई, तमिलनाडु में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चेन्नई स्थित प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय कब से कार्य करना शुरू करेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक चेन्नई, तमिलनाडु में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदूषण के कारण ताजमहल का बंद किया जाना

2251. श्री मोहन रावले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचार माध्यमों की रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ताजमहल को दर्शकों के लिए बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इससे पर्यटन विभाग को कितनी वार्षिक हानि होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) यद्यपि मीडिया द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लेख है कि स्मारक पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है, फिर भी कोई वास्तविक क्षति नहीं पाई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा विदेश भ्रमण

2252. श्री सत्यपाल जैन : क्या संसदीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल (अर्थात् 10.3.98 से अब तक) के दौरान अपना कोई शिष्टमंडल, जिसमें कोई संसद सदस्य शामिल हो, विदेश में प्रायोजित किया है; अथवा भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों का भ्रमण किया और उन शिष्टमंडलों पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल को दिनांक 20-29 सितंबर, 1998 के दौरान सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के भ्रमण पर भेजा गया। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री ने किया था और इसमें निम्नलिखित संसद सदस्य शामिल थे–

1. कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री राम नारायण मीणा, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री रूपचन्द पाल, संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)
5. श्री कांची पनीरसेलवम, संसद सदस्य (लोक सभा)
6. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, (झंझारपुर) संसद सदस्य (लोक सभा)
7. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, संसद सदस्य (राज्य सभा)
8. श्री नीलोत्पाल बसु, संसद सदस्य (राज्य सभा)
9. श्री के० एम० शैफुल्ला, संसद सदस्य (राज्य सभा)

इस शिष्टमंडल के दौरे पर कुल 8,44,689.00 रुपए व्यय हुआ। विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा वहन किए गए खर्चे से संबंधित बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक प्रतिबंध

2253. **श्री विजय गोयल :**
श्री चन्द्रशेखर साहू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद उसके ऊपर किन-किन क्षेत्रों में आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में से कुछेक को हटाने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लगाए गए कुछ प्रतिबंध हटाने का निर्णय भारत-अमरीकी बातचीत का नतीजा है अथवा उसके पीछे कोई अन्य कारण हैं; और

(ङ) शेष आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में भारत के क्या विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) मई, 1998 में भारत द्वारा परमाणु विस्फोटों के परिणामस्वरूप, अमरीकी सरकार ने भारत पर प्रतिबंधों को लगाने की घोषणा की थी जिसमें निम्नलिखित प्रतिबंध शामिल थे–

(1) खाद्यान्न अथवा अन्य कृषि संबंधी जिंसों के संबंध में दी जाने वाली मानवीय सहायता को छोड़कर, 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम के अधीन सहायता की समाप्ति;

(2) आयुध निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अधीन रक्षा वस्तुओं, रक्षा सेवाओं की बिक्री अथवा डिजायन तथा निर्माण सेवाओं की समाप्ति, और अमरीकी सामग्री सूची से संबद्ध किसी वस्तु के निर्यात के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों की समाप्ति;

(3) आयुध निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अधीन सभी विदेशी सैन्य वित्तपोषण व्यवस्था की समाप्ति;

(4) अमरीकी सरकार के किसी विभाग, एजेंसी अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान किए जा रहे किसी उधार, उधार गारंटी अथवा अन्य वित्तीय सहायता की मनाही;

(5) किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जा रहे किसी ऋण अथवा वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता का अमरीका द्वारा विरोध;

(6) खाद्यान्न अथवा अन्य कृषि संबंधी जिंसों की खरीद के उद्देश्यों को छोड़कर अमरीकी बैंकों द्वारा भारत सरकार को कोई ऋण प्रदान करने अथवा कोई उधार देने से मना करना;

(7) गारंटी पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने, सुरक्षा देने अथवा उधार देने अथवा भारत में अमरीकी निर्यात के संबंध में उधार देने तथा उसे समर्थन प्रदान करने में 'एक्जिम' बैंक पर रोक लगाना; और

(8) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्यात लाइसेंसों के अधीन विशिष्ट वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकियों के भारत में निर्यात करने की मनाही।

(ख) और (ग) हाल में अमरीकी कांग्रेस द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति को भारत पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों को एक साल तक हटाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्राधिकार का आंशिक प्रयोग करते हुए अमरीकी सरकार ने निम्नलिखित से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है;

(i) आयात-निर्यात बैंक, समुद्रपारीय निजी निवेश निगम और व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से दी जाने वाली सहायता पर लगा प्रतिबंध;

(ii) अमरीकी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध; और

(iii) अमरीका और भारत के असूचित बलों के बीच सीमित शिक्षा और प्रशिक्षण सहयोग को सुसाध्य बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सेना शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनरारंभ।

ये हटाए गए प्रतिबंध कृषि जिंसों, औषधियों और उर्वरकों के लिए वित्त एवं ऋण गारंटियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा हैं, जिन पर जुलाई, 1998 में छूट दी गई थी।

(घ) भारत अमरीका के साथ निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार से संबंधित बहुत से मामलों पर ठोस बातचीत करता रहा है। इन बातचीतों से विचारों में व्याप्त भिन्नता को कम करने में सहायता मिली है। यह इसी बात का प्रमाण प्रतीत होता है कि अमरीका ने कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया है।

(ङ) भारत ने सदैव इस बात का समर्थन किया है कि एकपक्षीय एवं प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपाय असंगत तथा गैर-उत्पादक हैं, और इसलिए इन्हें पूर्णतया हटा लेना चाहिए।

[अनुवाद]

एफ०ई०एम०ए० (फेमा)

2254. **श्री के०पी० नायडू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने एफ०ई०एम०ए० (फेरा का स्थान लेने वाला नया अधिनियम) में विशेष रूप से धारा 49 का उल्लेख करते हुए कुछ खामियां बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए किन कदमों को उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ऐसोचैम) तथा दी मनी चेंजर्स एसोशियेशन ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा प्रबन्ध विधेयक, 1998 के खंड 49(3) के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है। इन

दोनों एसोसियेशनों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार 'फेरा के अंतर्गत उन सभी अपराधों को जो नए अधिनियम के अनुरूप नहीं होंगे, या तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 महीनों की अवधि के भीतर नए अधिनियम के अंतर्गत संयोजित कर सकती है। इसी प्रकार एपैक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पंजाब ने यह अभ्यावेदन दिया है कि 'फेरा' अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लंबित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के सभी मामलों पर विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1998 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(ग) मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1998 वित्त संबंधी स्थाई समिति के विचाराधीन है। वित्त संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

ड्रिलिंग मशीन की खरीद

2255. श्री महबूब जहेदी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनी इस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने जर्मनी से ड्रिलिंग मशीन खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो ड्रिलिंग मशीन की लागत क्या है और ई०सी०एल० कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या ई०सी०एल० प्राधिकरण ने मशीन के भागों को सूर्य की रोशनी और वर्षा में रखा और जिससे वर्ष 1997 के दौरान इसकी यांत्रिक क्षमता कम हुई;

(घ) क्या खान सुरक्षा विभाग ने माना कि इसका आकार इतना बड़ा तथा इतनी भारी है कि इसे खान स्थलों पर ले जाना कठिन है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में इस मूल्यवान मशीन की खरीद के लिए ई०सी०एल० के उस प्रबंधन के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जो इसके भागों को एकत्रित करके इसे संचालित करने में विफल रहा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) को०इं०लि० की किसी अनुषंगी कंपनी में किसी भूमिगत खान में नीचे फंसे खनिकों के आपात बचाव हेतु को०इं०लि० ने जर्मनी से एक बड़ी डी०आई०ए० बोरिंग मशीन खरीदी है। उक्त मशीन खान बचाव स्टेशन सीतारामपुर में स्थापित की गई है। मशीन की कुल लागत 14.97 करोड़ रु० है। को०इं०लि० अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यय नहीं करती है। तथापि को०इं०लि० द्वारा उनके जर्मनी आने-जाने के लिए 3.5 लाख रु० की राशि का व्यय किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

एम०सी०एल० में अस्थायी कामगार

2256. श्री चुन्नीलाल उराव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में एम०सी०एल० के बसुंधरा क्षेत्र में कुछ कामगार काफी समय से नैमित्तिक आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में महानदी कोलफील्ड्स लि० (म०को०लि०) के बसुंधरा क्षेत्र में कोई भी कामगार नैमित्तिक आधार पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आई०टी०डी०सी० के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

2257. श्री अजय कुमार एम० सरनायक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देकर प्रशिक्षण देने के लिए आई०टी०डी०सी० का अपना कोई संस्थान है;

(ख) यदि हां, तो कब से और हाऊस कीपर बावर्ची और स्वागती के पद पर कितने प्रशिक्षुओं को खपाया गया है;

(ग) क्या आई०टी०डी०सी० अपने प्रशिक्षित स्टाफ को प्राथमिकता नहीं दे रहा है और रिक्त पदों को बाहर से भर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इसके अपने उस प्रशिक्षित स्टाफ को अपने यहां खपाने का प्रस्ताव है जिस पर आई०टी०डी०सी० ने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए काफी धनराशि खर्च की है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम न कोई खुला प्रशिक्षण संस्थान चलाता है, न ही स्कॉलरशिप (वजीफा) देकर प्रशिक्षण प्रदान करता है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम का अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना एक इन-हाऊस जनशक्ति प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत, भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटल, श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कोटे के अनुसार

विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षु अधिनियम में प्रशिक्षुओं के विलयन का प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के भर्ती नियमों में प्रशिक्षुओं के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। भिन्न-भिन्न वर्गों के अंतर्गत रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मेरिट आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षु यदि कसौटी पर खरे उतरें तो उन पर अन्यों के साथ भी विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया जा रहा कोटा, वैयक्तिक होटलों की अपेक्षाओं/रिक्त स्थानों से कहीं ज्यादा है। इसलिए न ही यह संभव है और न ही भर्ती नियमों में प्रशिक्षुओं के विलयन का कोई प्रावधान है।

फ्रांस की फर्म से मुआवजा

2258. श्री महबूब जाहेदी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[illegible] इंडिया लि० ने कोट्टाडिह कोयला खान के सामला का सपोर्ट लांगवाल फेस आरंभ करने के लिए फ्रांस के संगठन से कोई समझौता किया है;

(ख) क्या पावर्ड सपोर्ट प्रणाली बुरी तरह विफल हो गई है, फ्रांस की फर्म द्वारा आपूर्ति की गई अधिकांश मशीनरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और छत के टुकड़े-टुकड़े हो जाने तथा आग के कारण अनुपयोगी हो गई है;

(ग) क्या फ्रांस की फर्म की ओर से शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण कोल इंडिया लिमिटेड ने मुआवजे की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो मुआवजे के रूप में कितनी राशि की मांग की गई है;

(ङ) क्या फ्रांस की फर्म ने मांगी गई मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने मल्टीस्लाइसिंग प्रौद्योगिकी के नियोजन द्वारा कोट्टाडिह भूमिगत खान से कोयले की गारंटी मात्रा के उत्पादन तथा आयातित और देशीय उपकरणों के डिजाइन, प्रबंधन और अधिप्राप्ति हेतु, एक फ्रांसीसी संगठन, कार्बोनेलिस डी फ्रांस इंटरनेशनल (सी०डी०एफ०आई०) के साथ 1989 में एक समझौता किया था। वर्ष 1991 में, को०इं०लि० तथा सी०डी०एफ०आई०, फ्रांस के बीच एकल लिफ्ट केविंग व्यवस्था सहित कोट्टाडिह में कोयले के उत्खनन हेतु एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) अप्रैल 1997 में, भारी मात्रा में गतिशील लदान के कारण पावर्ड सपोर्ट लांगवाल फेस उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) को०इं०लि० ने क्षतिग्रस्त/ठीक न हो सकने वाले उपकरणों हेतु 47.52 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक का दावा करते हुए दिसंबर, 1997 में मैसर्स सी०डी०एफ०आई०, फ्रांस से इस राशि की मांग की।

(ङ) जी, नहीं।

(च) को०इं०लि० द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा फरवरी 1998 में दिए गए कानूनी नोटिस के उत्तर में, सी०डी०एफ०आई० ने लांगवाल फेस उपकरण के खराब हो जाने का दायित्व स्वीकार नहीं किया तथा दावे की राशि का भुगतान करने से भी इंकार कर दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल को संदर्भगत किए जाने हेतु को०इं०लि० प्रबंधन के विचाराधीन है।

कर संग्रहण

2259. श्री रूपचंद मुर्मू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से लघु बचतों जैसी अनेक स्रोतों से सरकार को राज्यवार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितना कर संग्रहण हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को पृथक रूप से कितनी राशि वापस दी गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संग्रहणों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। लघु बचत संग्रहण आय नहीं है, अपितु निवेशकों से सरकार द्वारा लिया गया उधार है, जिसे निर्धारित अवधि के पश्चात् निवेशकों को ब्याज सहित लौटा दिया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से हुए संग्रहण इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपये)

कर/शुल्क	वास्तविक 1995-96	वास्तविक 1996-97	संशोधित अनुमान 1997-98
1. आयकर	15592	18234	18700
2. संघीय उत्पाद शुल्क	40187	45008	47700
3. सीमा शुल्क	35757	42851	41000

(ग) वर्तमान में केवल आयकर और संघीय उतपाद शुल्क में ही राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों को दिए गए हिस्से का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में लघु बचत, संग्रहण तथा निवल संग्रहणों के एवज में राज्यों को दिया गया ऋण संलग्न विवरण-II और III में दर्शाया गया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर, बुनियादी उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के वितरण को राज्य-वार दर्शाते हुए

क्र० सं०	राज्य	वास्तविक आंकड़े 1995-96				वास्तविक आंकड़े 1996-97				संशोधित आंकड़े 1997-98			
		आयकर	बुनियादी उत्पाद शुल्क	बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	जोड़	आयकर	बुनियादी उत्पाद शुल्क	बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	जोड़	आयकर	बुनियादी उत्पाद शुल्क	बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	952.86	1408.33	201.48	2562.67	1145.35	1560.38	232.98	2938.71	1144.59	1365.23	258.09	2767.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.80	103.05	2.67	124.52	23.03	152.90	3.10	179.03	22.97	204.54	3.41	230.92
3.	असम	313.38	567.88	63.50	944.76	376.71	724.88	73.97	1175.56	376.42	806.27	81.14	1263.83
4.	बिहार	1449.44	1832.15	203.86	3485.45	1740.16	2101.38	236.67	4078.21	1738.98	2074.51	260.81	4074.30
5.	गोआ	20.01	45.06	5.98	71.05	24.38	59.26	6.91	90.55	24.33	64.58	7.66	96.57
6.	गुजरात	457.98	526.85	154.43	1139.26	547.24	633.69	178.61	1359.54	547.23	651.96	197.81	1397.00
7.	हरियाणा	139.41	160.09	60.97	360.47	167.49	193.90	70.49	431.88	167.40	199.80	78.10	445.30
8.	हिमाचल प्रदेश	78.89	306.12	15.27	400.28	95.29	425.77	17.73	538.79	95.17	536.52	19.54	651.23
9.	जम्मू और कश्मीर	122.22	462.79	21.91	606.92	148.55	656.09	25.50	830.14	148.24	839.67	28.01	1015.92
10.	कर्नाटक	600.93	696.09	147.65	1444.07	722.47	836.20	171.13	1729.80	721.85	860.07	188.97	1770.89
11.	केरल	436.44	504.24	96.28	1036.96	524.32	606.91	111.42	1242.65	523.95	624.49	123.30	1271.74
12.	मध्य प्रदेश	934.78	1073.20	186.35	2194.33	1121.63	1298.39	215.58	2635.60	1120.97	1337.47	238.66	2697.10
13.	महाराष्ट्र	702.27	794.43	309.76	1806.46	828.14	959.46	358.32	2145.92	828.86	987.99	396.74	2213.59
14.	मणिपुर	31.42	129.34	5.04	165.80	38.18	187.80	5.87	231.85	38.11	244.86	6.44	289.41
15.	मेघालय	31.60	123.27	4.84	159.71	38.32	173.62	5.60	217.54	38.25	220.85	6.18	265.28
16.	मिजोरम	16.50	105.12	2.05	123.67	20.19	159.24	2.35	181.78	20.13	213.83	2.64	236.60
17.	नागालैंड	20.05	162.50	3.55	186.10	24.51	246.16	4.08	274.75	24.45	338.04	4.57	367.06
18.	उड़ीसा	506.15	692.92	85.86	1284.93	608.20	858.13	99.66	1565.99	607.78	875.97	109.86	1593.61
19.	पंजाब	165.51	188.34	87.92	441.77	197.50	228.82	101.95	528.35	197.62	235.92	112.49	546.03
20.	राजस्थान	623.57	733.95	125.70	1483.22	751.25	869.40	145.18	1765.83	750.46	897.20	161.07	1808.73
21.	सिक्किम	17.64	45.82	1.37	64.83	17.08	62.99	1.58	81.65	17.01	78.55	1.78	97.35
22.	तमिलनाडु	753.38	853.87	198.33	1805.58	897.53	1039.49	228.48	2165.50	897.77	1072.19	254.33	2224.29
23.	त्रिपुरा	42.32	178.60	7.37	228.29	51.16	259.10	8.52	318.78	51.10	340.51	9.45	401.06
24.	उत्तर प्रदेश	2008.48	2743.82	374.93	5127.23	2410.06	3134.66	434.17	5978.89	2408.20	2873.84	480.05	5762.09
25.	प० बंगाल	844.29	966.37	206.61	2017.27	1010.62	1170.12	239.41	2420.15	1010.37	1205.55	264.50	2480.42
	कुल जोड़	11288.32	15404.20	2573.68	29266.20	13529.44	18598.74	2979.26	35107.44	13522.21	19150.42	3295.58	35968.21

विवरण-II

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार (विधान मंडल वाले) डाकघरों में लघु बचत योजनाओं के सकल और निवल संग्रहण

(हजार रुपये)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1.	आंध्र प्रदेश	19958137	6098805	16312710	2012149	21269303	6618089
2.	बिहार	19413942	4334751	21059550	6584181	28613839	13055988
3.	गोवा	567023	55234	676066	90890	935409	247082
4.	दिल्ली	12507907	6582091	11877627	1623378	17974906	9975085
5.	जम्मू और कश्मीर	3058872	1615304	3031014	1274885	4313799	2069725
6.	कर्नाटक	13535696	2939543	13073121	3518226	17709240	3253876
7.	मध्य प्रदेश	12101251	3908285	12558301	4672933	16477546	7533516
		7245679	2754609	6987443	1382484	8666872	3647044
		14627854	5107055	16558127	5834044	22696437	10446194
10.	उत्तर प्रदेश	50400738	19898689	49338957	15740097	65833906	27757708
11.	हरियाणा	9519613	3203755	10508271	3942578	13836396	6665290
12.	तमिलनाडु	19659165	3798104	20519874	3629762	22065504	3952546
13.	पांडिचेरी	127858	23145	143426	30385	201022	78853
14.	महाराष्ट्र	32311263	-5714312	34177070	30014825	51908600	24355618
15.	गोआ	695367	89144	699539	127606	986048	384824
16.	गुजरात	25916660	10056479	27073629	9237244	38747689	17543789
17.	केरल	9383308	2970765	9114816	1768512	11405989	2634381
18.	पंजाब	14608028	5805677	15587170	7267328	22260992	12136985
19.	हिमाचल	8983164	3899512	8141793	-1775584	19578008	9419506
20.	पश्चिम बंगाल	43786368	19366101	45418200	21445951	63743159	38016095
21.	सिक्किम	85685	60217	73243	39343	113682	77184
22.	असम	6660156	2390678	7406284	2178173	8470751	2745294
23.	मणिपुर	225101	119853	267188	142984	338061	188178
24.	मेघालय	365323	-72176	398341	110641	495786	161629
25.	त्रिपुरा	975424	333909	931669	277197	1447130	708986
26.	मिजोरम	160875	53977	156331	5309	230912	47902
27.	नागालैंड	91900	24897	151910	89866	158983	78341
28.	अरुणाचल प्रदेश	122710	53131	131021	58408	200416	125269
	कुल जोड़	326995067	99757222	332372691	121323795	460680385	203924977

विवरण-III

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को स्वीकृत लघु बचत ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	621.38	212.11	435.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.56	2.75	6.67
3.	असम	183.86	321.45	210.77
4.	बिहार	428.49	510.06	841.74
5.	गोवा	21.83	27.74	36.33
6.	गुजरात	1004.87	911.48	1418.14
7.	हरियाणा	287.13	256.45	484.03
8.	हिमाचल प्रदेश	134.20	276.09	648.88
9.	जम्मू और कश्मीर	63.34	181.91	154.16
10.	कर्नाटक	434.43	479.30	491.88
11.	केरल	338.41	180.25	182.65
12.	मध्य प्रदेश	295.18	363.37	562.70
13.	महाराष्ट्र	990.11	1518.00	2521.69
14.	मणिपुर	1.44	9.48	12.60
15.	मेघालय	2.28	2.94	15.16
16.	मिजोरम	1.54	1.45	3.27
17.	नागालैंड	0.45	4.78	4.68
18.	उड़ीसा	209.91	111.92	263.53
19.	पंजाब	560.00	573.01	990.26
20.	राजस्थान	499.96	563.82	782.64
21.	सिक्किम	0.00	4.01	4.7
22.	तमिलनाडु	291.40	390.61	396.99
23.	त्रिपुरा	2.28	17.32	43.30
24.	उत्तर प्रदेश	1462.98	1329.67	1991.47
25.	पश्चिम बंगाल	1541.86	1744.79	2550.54
	जोड़	9377.89	9994.76	15054.69
	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली	607.38	666.61	668.32
2.	पांडिचेरी	4.82	9.68	9.18
	जोड़	612.20	676.29	677.50
	कुल योग	9990.09	10671.05	15732.19

[हिन्दी]

लाल-मटिया का विकास

2260. श्री सोम मरांडी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों का प्रबंध-वर्ग कोयला खानों के आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाल-मटिया कोयला खान के प्रबंध-वर्ग ने इस संबंध में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला कंपनियों का प्रबंधन कोयला खानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। किन्तु, कोयलाधारी क्षेत्रों को प्रबंधन, उनके उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर, परियोजना/खानों के आस-पास के/समीपवर्ती विस्तृत क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाता है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, लाल-मटिया क्षेत्र में जिला स्तर के प्राधिकारियों के साथ प्रत्येक बैठक के दौरान, परियोजना प्रबंधन किए गए कल्याणकारी और सामुदायिक विकास के कार्यों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है और उसकी समय-समय पर जांच की जाती है। शुरू किए गए तथा पूर्ण किए गए कार्यों की रिपोर्ट जिला प्राधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।

[अनुवाद]

वस्तु बोर्ड के वैज्ञानिकों के लिए योजना

2261. श्री पी०सी० थॉमस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु बोर्ड के वैज्ञानिकों के लिए लचीली मानार्थ योजना क्रियान्वित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या इसके क्रियान्वयन में कोई बाधा है; और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) जी, हां। वस्तु बोर्ड के वैज्ञानिकों पर लचीली मानार्थ योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक लाइसेंस

2262. श्री गिरजला वेंकटस्वामी नायडू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामाजिक दृष्टि से उन संवेदनशील क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके माल का उत्पादन करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है;

(ख) उद्योग के सामाजिक पहलुओं को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों का विस्तार प्रतिबंधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) फिलहाल ऐसे छः उद्योग हैं जो सुरक्षा व सामरिक विषयों, सामाजिक कारणों, सुरक्षा और अभिभावी पर्यावरण के मुद्दों से संबद्ध समस्याओं तथा खतरनाक प्रकृति के उत्पादों के विनिर्माण के कारणों से उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अध्यधीन हैं। ये उद्योग हैं–(1) मद्यसारिक पेयों का आसवन और किण्वासन, (2) तम्बाकू के सिगार और सिगरेट तथा विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, (3) इलैक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, (4) प्रस्फोटक संगलकों, सुरक्षा संगलकों, बारूद, नाइट्रो-सैल्युलोस व माचिसें, (5) खतरनाक रासायन और (6) औषध तथा भेषज (सितम्बर, 1994 में जारी संशोधित औषधीय नीति के अनुसार)।

उद्योग में क्षमता के विस्तार संबंधी वे सभी प्रस्ताव जिनके लिए लाइसेंसीकरण अनिवार्य है, उन पर गुणों के आधार पर प्रभावी क्षेत्रीय नीति और समय-समय पर प्राप्त न्यायालयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

एल०टी०सी० के अंतर्गत पर्यटक सुविधाएं

2263. श्री महेश्वर सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकारी अधिकारियों को भारत दर्शन के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) के अंतर्गत रेल भाड़े के अलावा और क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) क्या 1986-89 और 1990-93 के प्रत्येक ब्लाक वर्षों के लिए डेढ़ वर्ष का विस्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या 1994-97 ब्लाक वर्ष की अवधि भी जून, 1999 तक बढ़ायी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) पर यात्रा करते समय सरकारी कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार सबसे छोटे सीधे मार्ग पर हवाई/रेल भाड़ा स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी इस उद्देश्य से अपने अर्जित अवकाश को भुना सकते हैं बशर्ते कि एक बार में दस दिन से ज्यादा और पूरे सेवाकाल में 60 दिन से ज्यादा न हों।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। सरकारी कर्मचारियों के पास एल०टी०सी० सुविधा लेने के लिए वर्ष 1994 से अब तक पर्याप्त समय था और इसीलिए इसे दिनांक 31.12.1998 तक बढ़ाने की कोई वजह नहीं है।

[अनुवाद]

केरल के पर्यटन विकास

2264. श्री ए०सी० जोस : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार को कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार केरल में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कोई व्यापक कार्य योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बेकल विशेष पर्यटन क्षेत्र की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1.9 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है।

(ग) और (घ) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के परामर्श से 467.00 लाख रुपयों की राशि की 15 परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से मांगी गई सहायता

2265. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य नवीकरण कोष में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धनराशि देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि गुजरात राज्य वस्त्र निगम के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत धन दिया जा सके जिसे गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में गुजरात सरकार द्वारा बंद कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात में बंद होने वाली गैर-सरकारी मिलों के कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि के संबंध में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को गुजरात सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो निम्नानुसार हैं–

(1) गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (जी०एस०टी०सी०) का राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन०आर०एफ०) से सहायता का प्रस्ताव।

(2) गुजरात सरकार का बंद वस्त्र मिलों के लिए एन०आर०एफ० सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव।

इस समय एन०आर०एफ० से सहायता केवल केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा सुव्यवस्थित कामगारों को पुन: प्रशिक्षण देने, परामर्श देने के लिए ही दी जाती है।

कोयले की ढुलाई करने वाले संयंत्र

2266. श्री सुनील खां : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई०सी०एल० की विभिन्न कोयला खानों में कोयले की ढुलाई करने वाले कितने संयंत्रों का निर्माण किया गया है;

(ख) कोयले की ढुलाई करने वाले ऐसे कितने संयंत्र हैं जो बेकार रहे हैं अथवा विवधा अनुचित उपयोग किया गया है;

(ग) क्या धामो मुख्य और चिनकापुरी खानों में कोयले की ढुलाई करने वाले संयंत्रों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार कोयले की ढुलाई नहीं की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके कारण इन कोयला खानों को कितना अनुमानित घाटा हुआ;

(च) क्या सरकार ने ऐसे घाटे के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) इं०को०लि० के विभिन्न कोलियरियों में 10 मुख्य सी०एच०पी० और 38 लघु सी०एच०पी० हैं।

(ख) सिडुली, उत्तर सीअरसोल और बी०सी० इन्कलाइन में 3 लघु सी०एच०पी०, मुख्य मरम्मत के लिए अस्थायी रूप में बंद की गई हैं। किसी भी सी०एच०पी० का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) धिमोमेन कोलियरी में सी०एच०पी० पूर्ण होने के पूर्व ही बंद कर दिया गया था, चूंकि इसमें पहले जितने कोयले के पूर्व में उत्खनन का अनुमान किया गया था, वह संभव नहीं पाया गया। चिनकुरी कोलियरी में सी०एच०पी०, 0.7 एम०टी० कोयला, वार्षिक रूप में निपटाने के योग्य है, किन्तु इस खान में कोयले के कम उत्पादन के कारण पूर्णत: उपयोग में नहीं लाई गई है।

(ङ) धिमोमेन सी०एच०पी० के निर्माण पर 4.18 करोड़ रु० का खर्च किया गया है। प्राप्त किए गए उपकरणों का अन्य स्थानों पर लाभपूर्ण रूप में उपयोग किया गया। अन्य संरचनात्मक तत्वों का उपयोग भी अन्य सी०एच०पी० स्थापनों में किया जा रहा है।

(च) और (छ) अप्रत्याशित और कठिन भूगर्भीय खनन परिस्थितियों के कारण कुछ परियोजनाओं में उत्पादन के वांछित स्तर प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके कारण कुछ सी०एच०पी० पूरी तरह उपयोग में नहीं लाए जा सके और एक सी०एच०पी० को बंद करना पड़ा। इसके लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।

श्री भारती मिल्स को निधियां

2267. श्री एस० अरूमुगम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एन०टी०सी० के अंतर्गत चलने वाली श्री पांडिचेरी स्थित श्री भारती मिल्स को देयताओं का भुगतान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त मिल राज्य सरकार को अपने बिजली के बिलों के बकायों का भुगतान करने में अक्षम है और उसे बिजली काट देने का नोटिस भी दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार पांडिचेरी में श्री भारती मिल्स सहित एन०टी०सी० के अधीन सभी मिलों को बजटीय सहायता के रूप में निधियां जारी कर रही है।

(ग) और (घ) श्री भारती मिल्स द्वारा 1995-96 की अवधि के लिए राज्य सरकार को 123.91 लाख रुपये मूल्य की विद्युत शुल्क की बकाया राशि देय है। मिल की जटिल वित्तीय अड़चनों के कारण विद्युत विभाग, पांडिचेरी सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वह विद्युत आपूर्ति को ना काटे तथा आसान किस्तों में भुगतान स्वीकार कर लें।

जम्मू और कश्मीर को अनुदान

2268. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में जम्मू और कश्मीर को सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए कितना अनुदान प्रदान किया गया तथा इन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कश्मीरी विस्थापितों के लिए राहत, राशन इत्यादि के संबंध में कितना अनुदान प्रदान किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमानत: कितनी मांग की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किए गए दावों और तीन वर्षों 1995-96, 1996-97

तथा 1997-98 के दौरान उन्हें जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सुरक्षा संबंधी व्यय		विस्थापितों को सहायता	
	दावे	जारी	दावे	जारी
1995-96	142.69	143.26	26.03	24.43
1996-97	151.99	141.96	30.44	30.44
1997-98	249.52	139.96	33.84	26.24

चालू वर्ष (1998-99) के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए राज्य सरकार को अभी तक 75.00 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम के तौर पर जारी की गई है।

उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर में चुनाव के लिए वर्ष 1995-96 में 38.74 करोड़ रुपये, 1996-97 में 93.03 करोड़ [illegible]-98 में 15.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सुरक्षा [illegible]या। वर्ष 1996-97 के दौरान विस्थापित कैंपों में [illegible]00 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी गई।

सुरक्षा संबंधी व्यय, पुलिस बल के आवागमन तथा सामग्रियों व आपूर्तियों की ढुलाई, गाड़ियों की खरीद, सुरक्षा कर्मियों के आवासीय ठिकानों के किराए का भुगतान करने, सुरक्षा कार्यों, हवाई प्रभारों इत्यादि जैसी मदों पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

सिगरेट उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2269. श्री आर०एस० गवई :
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील :
श्री के०एस० राव :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री एस०एस० ओवेसी :
श्री नांदेदला भास्कर राव :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री बलराम सिंह यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री वी०वी० राघवन :
श्री पी०आर० किंडिया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री सोडे रमैया :
डॉ० संजय सिंह :
श्री गिरवला वेंकट स्वामी नायडु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का सिगरेट/तम्बाकू उद्योग और ऐसे अन्य गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) को अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार के पास इस समय कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) क्या ऐसे प्रस्तावों का किसी स्तर पर विरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसे प्रस्तावों की अनुमति देते समय श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका तेंदु और बीड़ी श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ज) नए प्रस्तावों के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में सिगरेटों सहित गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी की भागीदारी की मात्रा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि चूंकि अभी तक सिगरेटों के मामले में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है, इसलिए दिनांक 27 अगस्त, 1998 के प्रैस नोट सं० 11 (1998 की शृंखला) द्वारा यह स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया था कि 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सिगरेटों के विनिर्माण के प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसीकरण संबंधी प्रावधानों के अध्ययीन भी विचार किया जाएगा। निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

(ग) अब तक प्राप्त एकमात्र प्रस्ताव मै० रोथमंस ऑफ पाल माल (इंटर नेशनल) लिमिटेड, यू०के० का है।

(घ) और (ङ) प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अनेक अभ्यावेदन अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ संसद सदस्य, ट्रेड यूनियनें, तम्बाकू उत्पादक, बीड़ी श्रमिक आदि शामिल हैं। प्रस्ताव के विपक्ष में स्वास्थ्य को खतरा, बीड़ी मजदूरों की बेरोजगारी, स्वदेशी सिगरेट उद्योग से अनुचित प्रतिस्पर्धा और सरकार के लिए नकारात्मक राजस्व प्रभाव जैसे आधारों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त अभ्यावेदनों में तम्बाकू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक के किसानों को लाभ, विदेशी मुद्रा की आय आदि जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

(च) से (ज) यह प्रस्ताव अब भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विचाराधीन है तथा इस पर अंतिम निर्णय संबंधित मुद्दों पर उचित विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाओं संबंधी मुखर्जी समिति

2270. प्रो० रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) की गजलीटांड खान दुर्घटना की जांच करने के लिए गठित मुखर्जी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतिवेदन के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, महोदया। समिति ने सरकार को 29.6.1998 को श्रम मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट भेजी है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें, सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विस्तार

2271. श्री समर चौधरी :
श्री ए०सी० जोस :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 प्रतिशत की राजसहायता और 40 वर्ष की संशोधित आयु सीमा के साथ बागवानी, सूअर पालन, मत्स्य पालन और लघु चाय बागान को सामूहिक निवेश पोषण के अंतर्गत लाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन की प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को लाभान्वित किया गया; और

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और अनुमानत: कितने बेरोजगारों को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की मदद करना है। यह सहायता बैंक ऋण राजसहायता, प्रशिक्षण आदि के रूप में दी जाती है। इस योजना में कुल मिलाकर देश के उद्योगों, सेवा और व्यवसाय क्षेत्रों में लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लक्ष्य बनाया गया है। राजसहायता 15 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 1997-98 से सभी आर्थिक रूप से जीव्यक्षम कार्यकलापों को शामिल करने के उद्देश्य से बागवानी, सुअरपालन, मछली पकड़ने, छोटे चाय बागान जैसे कार्यकलाप शामिल कर लिए गए हैं। ऊपरी आयु सीमा में व्यक्ति तथा किसी समूह के लिए 40 वर्ष तक ढील दे दी गई है। परिवार आय पात्रता पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से संशोधित करके माता-पिता के साथ-साथ लाभार्थी और उसके/उसकी पति/पत्नी के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष तक कर दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित संपूर्ण देश की राज्यवार समग्र उपलब्धि के साथ-साथ अनु०जा०/अनु०ज०जा० की उपलब्धि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) कार्यान्वयनकारी बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों को 15 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये है, राजसहायता पहुंचाने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है। प्रशिक्षण आदि के लिए निधियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए लक्ष्य, उपलब्धि तथा भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों का जारी निधियों की राशि दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचनानुसार

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्रों के नाम	लक्ष्य	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा वितरित ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० को स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० को वितरित ऋण (सं०)
1	2	3	4	5	6	7
	उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	7200	9003	7199	781	581

1	2	3	4	5	6	7
2.	हिमाचल प्रदेश	2100	2570	2350	438	370
3.	जम्मू व कश्मीर	3100	2658	1692	143	54
4.	पंजाब	15000	15312	12301	2372	1626
5.	राजस्थान	10400	9936	6891	1602	1086
6.	चंडीगढ़	150	177	153	19	15
7.	दिल्ली	4550	4358	2537	532	253
	उत्तरपूर्वी क्षेत्र					
8.	असम	9900	8784	7478	1762	1304
9.	मणिपुर	4000	1272	1134	269	184
10.	मेघालय	550	534	391	492	174
11.	नागालैंड	300	295	292	264	172
12.	त्रिपुरा	1300	1407	673	313	150
13.	अरुणाचल प्रदेश	300	256	226	242	48
		250	250	215	117	106
		200	161	144	30	22
	पूर्वी क्षेत्र					
16.	बिहार	22150	17100	12506	3107	2095
17.	उड़ीसा	8250	7941	5708	1280	853
18.	प० बंगाल	22900	11535	7188	1699	1066
19.	अंडमान व निकोबार	100	92	71	16	10
	मध्य क्षेत्र					
20.	मध्य प्रदेश	27050	30592	22789	5133	3232
21.	उत्तर प्रदेश	35813	34477	28308	5689	3341
	पश्चिमी क्षेत्र					
22.	गुजरात	8500	10455	8905	1313	1132
23.	महाराष्ट्र	35900	40070	31852	5643	4695
24.	दमण व दीव	100	44	29	6	6
25.	गोवा	550	514	409	28	19
26.	दादरा व नगर हवेली	150	188	177	81	79
	दक्षिणी क्षेत्र					
27.	आंध्र प्रदेश	31900	29776	23904	4613	3048
28.	कर्नाटक	17700	15877	13341	1912	1647
29.	केरल	15000	14211	12556	1427	1230

1	2	3	4	5	6	7
30.	तमिलनाडु	21800	18311	14959	2363	1808
31.	लक्षद्वीप	50	35	35	35	35
32.	पांडिचेरी	500	402	339	46	37
	विनिर्दिष्ट नहीं		11	7	2	2
	संपूर्ण भारत		288604	226759	43769	30480

वर्ष 1996-97 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचनानुसार

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्रों के नाम	लक्ष्य	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा वितरित ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/ अ०ज०जा० को स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/ अ०ज०जा० को वितरित ऋण (सं०)
1	2	3	4	5	6	7
	उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	7200	8247	5780	603	446
2.	हिमाचल प्रदेश	2100	2406	2185	282	227
3.	जम्मू व कश्मीर	3500	1240	645	94	70
4.	पंजाब	8600	9814	7368	1314	791
5.	राजस्थान	10400	10274	5899	1514	704
6.	चंडीगढ़	150	148	105	9	6
7.	दिल्ली	4550	1883	949	162	70
	पूर्वोत्तर क्षेत्र					
8.	असम	15000	7809	5497	1177	938
9.	मणिपुर	3000	1916	1344	306	249
10.	मेघालय	550	495	419	356	319
11.	नागालैंड	450	309	281	255	165
12.	त्रिपुरा	1950	1355	548	585	302
13.	अरुणाचल प्रदेश	450	283	261	260	243
14.	मिजोरम	375	225	179	225	179
15.	सिक्किम	200	126	102	92	77
	पूर्वी क्षेत्र					
16.	बिहार	22150	17353	12811	2251	1073
17.	उड़ीसा	8250	7363	3341	972	365
18.	प० बंगाल	22900	8674	5660	1069	603
19.	अंडमान व निकोबार	100	81	58	45	38

1	2	3	4	5	6	7
	मध्य क्षेत्र					
20.	मध्य प्रदेश	27050	31545	19240	4152	2280
21.	उत्तर प्रदेश	35813	33549	24880	3540	2566
	पश्चिमी क्षेत्र					
22.	गुजरात	8500	9590	8301	1148	1002
23.	महाराष्ट्र	35900	36819	29674	4907	3719
24.	दमण व दीव	100	24	19	—	—
25.	गोवा	550	485	376	6	5
26.	दादरा व नगर हवेली	150	173	131	79	35
	दक्षिणी क्षेत्र					
27.	आंध्र प्रदेश	31900	27887	18110	2509	1412
28.	कर्नाटक	17700	15916	10946	2034	1312
29.	केरल	15000	14607	12646	1296	1170
		21800	15229	9852	1851	971
31.	लक्षद्वीप	50	36	36	36	36
32.	पांडिचेरी	500	282	181	31	21
	विनिर्दिष्ट नहीं		18	13	2	2
	संपूर्ण भारत		266161	187838	33162	24806

वर्ष 1997-98 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्रों के नाम	लक्ष्य	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा वितरित ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/ अ०ज०जा० को स्वीकृत ऋण (सं०)	बैंक द्वारा अ०जा०/ अ०ज०जा० को वितरित ऋण (सं०)
1	2	3	4	5	6	7
	उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	6300	6070	3785	542	352
2.	हिमाचल प्रदेश	2300	2331	1842	295	239
3.	जम्मू व कश्मीर	3500	2764	1718	238	162
4.	पंजाब	9000	9143	6642	1319	942
5.	राजस्थान	14300	12340	6847	1900	1033
6.	चंडीगढ़	200	165	94	10	8
7.	दिल्ली	4700	1086	493	135	53

1	2	3	4	5	6	7
	पूर्वोत्तर क्षेत्र					
8.	असम	13400	7871	1858	1118	272
9.	मणिपुर	1300	294	83	41	10
10.	मेघालय	550	439	124	100	30
11.	नागालैंड	450	412	290	109	44
12.	त्रिपुरा	1300	911	116	120	26
13.	अरुणाचल प्रदेश	300	222	31	59	18
14.	मिजोरम	400	213	—	29	—
15.	सिक्किम	100	62	28	14	10
	पूर्वी क्षेत्र					
16.	बिहार	21500	12961	7907	2496	1477
17.	उड़ीसा	9250	7218	912	914	140
18.	प० बंगाल	23000	4482	2560	588	365
19.	अंडमान व निकोबार	100	56	36	12	8
	मध्य क्षेत्र					
20.	मध्य प्रदेश	31500	27015	11752	3450	1638
21.	उत्तर प्रदेश	45200	36796	25538	5678	3798
	पश्चिमी क्षेत्र					
22.	गुजरात	12600	17834	13239	2439	1906
23.	महाराष्ट्र	42600	38744	27180	4195	3096
24.	दमन व दीव	50	31	30	2	2
25.	गोवा	600	311	223	13	9
26.	दादरा व नगर हवेली	50	75	67	22	20
	दक्षिणी क्षेत्र					
27.	आंध्र प्रदेश	34200	25017	14619	3903	2524
28.	कर्नाटक	22000	17003	9113	4324	1436
29.	केरल	16000	13814	10296	1170	971
30.	तमिलनाडु	27700	15133	9153	2164	1323
31.	लक्षद्वीप	50	47	38	47	38
32.	पांडिचेरी	500	409	185	42	17
	विनिर्दिष्ट नहीं किया गया					
	अखिल भारतीय		261269	156799	35488	21967

1997-98 के लिए विवरण जारी है।

विवरण-II

वर्ष 1994-95, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लक्ष्य उपलब्धियां तथा निधियों का आवंटन

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	वर्ष	लक्ष्य संख्या	स्वीकृत मामले संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत निधियां	राज्य/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित निधियां
1.	1994-95	2,20,000	1,82,178	7453.00	2029.41
2.	1995-96	2,20,000*	2,88,604	11820.00	2475.57
3.	1996-97	2,20,000	2,66,161	9800.00	1679.00
4.	1997-98	2,20,000	2,61,269	7900.00	1574.23

*पिछले शेष सहित लक्ष्य 2,60,000 था।

कपास की खरीद

2272. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कपास की क्रय नीतियों में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नीतियों में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) नीति में परिवर्तन करने से कपास का उत्पादन करने वाले किसानों की दशा में किस हद तक सुधार हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक मामला प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया गया था कि सरकार को भारतीय कपास निगम को आंध्र प्रदेश में कपास की बाजार आवकों का 20 प्रतिशत खरीदने का निदेश देना चाहिए। निगम को वस्त्र नीति, 1985 के अंतर्गत अन्य बातों में जब कभी कपास की बाजार कीमत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूती है, उस समय बिना किसी सीमा के मूल्य समर्थन अभियान चलाने तथा अपने जोखिम पर वाणिज्यिक क्रियाकलाप जिसमें किसी विशेष राज्य से निश्चित मात्रा की खरीद की परिकल्पना नहीं है, शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू की खेती

2273. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कुल कितने भू-क्षेत्र पर तम्बाकू की खेती होती है; और

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने भू-क्षेत्र पर तम्बाकू की खेती की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) चालू वर्ष अर्थात 1998-99 के दौरान एफ०सी०वी० तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र (अनंतिम) निम्नानुसार है–

राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर)
आंध्र प्रदेश	92,782.00
महाराष्ट्र	106.00
उड़ीसा	508.00
कर्नाटक	54,235.00
योग	1,47,631.00

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान एफ०सी०वी० तम्बाकू की खेती के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र निम्नानुसार है–

क्षेत्र-हैक्टेयर

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	87,531.00	76,645.00	96,114.00	1,19,437.00	1,12,578.00
महाराष्ट्र	117.00	89.00	196.00	196.00	210.00
उड़ीसा	48.00	52.00	100.00	180.00	252.00
कर्नाटक	35.136.00	29,601.00	27,729.00	32,910.00	40,988.00
योग	1,22,832.00	1,06,387.00	1,24,139.00	1,52,723.00	1,54,028.00

डी०आर०ई०ए०डी०

2274. **श्री के० येरननायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो काफी पहले भेजी गई आंध्र प्रदेश की लंबित योजनाओं की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमियता सहायता तथा विकास योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अब तक 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। 12 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव आंध्र प्रदेश से हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का विकास

2275. श्री सुरेश चंदेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रसिद्ध मंदिरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु अध्ययन दल गठित किया है और क्या उस दल ने हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को विकसित करने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और किन मंदिरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित एक तीर्थ समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में विकास हेतु निम्नलिखित तीर्थ केंद्रों को अभिनिर्धारित किया गया है–

(1) पौंटा साहिब।

(2) ज्वालाजी।

(ग) तीर्थ केंद्र का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार, पारस्परिक प्राथमिकता, धन की उपलब्धता आदि के आधार पर पर्यटक स्थलों के विकास हेतु धन आवंटन पर विचार करती है।

(घ) जिन केंद्रों का पर्यटक केंद्रों के रूप में विकास किया गया है उन्हें अभी तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है–

(1) ज्वालामुखी	49.43 लाख रु०
(2) पौंटा साहिब	27.11 लाख रु०

खाद्य वस्तुओं का आयात

2276. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार आयात की गई खाद्य वस्तुओं, फलों और सब्जियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आयातित खाद्य मदों, फलों और सब्जियों के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है–

मूल्य लाख रु० में

आयात का सी आई एफ मूल्य

खाद्य मदें*	1996 97	1997-98
गेहूं	40375.93	97096.26
चावल	1.87	7.28
अन्य अनाज	49.59	37.31
दालें	89.33.76	83363.51
सब्जियां		
(आई टी सी) एच एस (0701 से 0709)	140.59	372.38 (नवम्बर 97 तक)
फल (सूखे खजूर को छोड़कर)		
(आई टी सी) एच एस (0804 से 0810)	2293.69	483.44 (नवम्बर 97 तक)

*खाद्य मदों का मूल्य अनंतिम है।

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटक केंद्रों का विकास

2277. श्री खारबेल स्वाइन :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री जुआल उराम :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा अगले वर्ष उड़ीसा में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की परियोजनावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध धर्म स्थलों का विकास करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु चयन किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनमें से कुछेक बौद्धों के पर्यटक स्थल उड़ीसा में स्थित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन स्थलों का विकास करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने को अंतिम रूप, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य-दर-राज्य आधार पर दिया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम रूप से परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने को अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और यह विकास कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा करना होता है। तथापि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर पर्यटन आधारिक संरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उड़ीसा के बौद्ध धार्मिक स्थलों के लिए निम्नलिखित परियोजना को मंजूरी दी है–

1995-96	स्वीकृत राशि
धौली में सुविधा केंद्र	20.26 लाख रु०

1996-97	
जना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1. ललितगिरि में स्मारकों का नवीनीकरण	25.00
2. उदयगिरि में स्मारकों की नवीनीकरण	20.00
3. रत्नगिरि में स्मारकों का नवीनीकरण	31.00

1997-98	
1. पर्यटक स्वागत केंद्र, रत्नगिरि	75.00
2. पर्यटक स्वागत केंद्र, ललितगिरि	25.00
3. पर्यटक स्वागत केंद्र, उदयगिरि	25.00

अग्निदाह के कारण क्षति

2278. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री सुरेन्द्र यादव (जहानाबाद) :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों की खानों में प्रतिवर्ष आग लगने के कारण औसतन कुल कितना कोयला नष्ट हुआ है;

(ख) प्रतिवर्ष आग लगने की ऐसी घटनाओं के कारण अनुमानत: कितने मूल्य के कोयले की क्षति हुई है;

(ग) आग लगने के कारण डारिया में कुल कितना कोयला फंस गया और धंस गया;

(घ) क्या हाल के वर्षों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार डारिया टाऊनशिप से स्थानान्तरित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) को०इं०लि० द्वारा यह सूचित किया गया है कि खान में आग लगने की कोई घटना हो जाने पर उससे युद्ध स्तर पर निपटा जाता है। ऐसे मामले में जहां आग को बुझाया न जा सका हो वहां ऑक्सीजन न पहुंच सके, इसके लिए क्षेत्र को सील कर दिया जाता है ताकि आग बुझ जाए। उक्त क्षेत्र को बाद में पुन: खोल दिया जाता है और उन्हें प्रचालित किया जाता है। अत: आग से नष्ट हुए कोयले से संबंधित राशि नगण्य होती है।

(ग) डारिया कोलफील्ड में आग के कारण कुल 1864 मि०टन कोयला ब्लॉक हो गया और 1986 में सी०एम०पी०डी०आई०एल० द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार लगभग 37.0 मिलियन टन कोयला नष्ट हो गया। अग्नि शमन उपाय के क्रियान्वयन के बाद करीब 400 मि०टन कोयले को अग्नि क्षेत्र से निकाल लिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। खान में आग लगने की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी सांविदिक सावधानियां बरती जा रही हैं।

(च) और (छ) डारिया कस्बे को भा०को०को०लि०/को०इं०लि० द्वारा स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि डारिया और रानीगंज कोलफील्ड से आग और धंसाव की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भा०को०को०लि० के जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए एक निदर्शन स्कीम तैयार की गई है। उक्त स्कीम के अंतर्गत भा०को०को०लि० कर्मचारियों के लिएं 1500 आवासों के निर्माण एवं गैर भा०को०को०लि० व्यक्तियों के लिए परिवर्द्धित इंदिरा आवास योजना टाईप के 3100 यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए भा०को०को०लि० द्वारा गैर कोयलाधारी की व्यवस्था की जाएगी। 33.88 करोड़ रु० की पूंजीगत परिव्यय की इस स्कीम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह स्कीम क्रियान्वयनाधीन है।

कर्नाटक की मास्टर योजना

2279. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक मास्टर योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में कोडागू जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटन विकास के लिए 1998-99 में कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक के लिए प्रमुख योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रकार के पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था तथा वृद्धि करना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की पर्यटन नीति के अनुसार कोडागू जिला ऐसा क्षेत्र है जिसका विशेष पर्यटन विकास होना चाहिए।

(ङ) राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के दौरान केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए 455.30 लाख रु० राशि की 14 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

हरियाणा को पैकेज

2280. श्री किशन सिंह संगवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों को कोई वित्तीय सहायता अथवा पैकेज दिए जाने का विचार है क्योंकि राज्य में बाढ़ के कारण धान, ज्वार, बाजरा और कपास की फसल नष्ट हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को इस राशि का भुगतान कब किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) प्रभावित इलाकों का दौरा करने और इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक केंद्रीय दल नियुक्त किया गया था। दल की रिपोर्ट पर एक अंतःमंत्रिमंडलीय समूह (आई०एम०जी०) ने विचार-विमर्श किया। आई०एम०जी० की रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत कोष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो राज्य को दी जाने वाली सहायता की प्रमात्रा, अगर कोई हुई तो, को निर्धारित करेगी।

चालू वर्ष (1998-99) के लिए राज्य को प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत 27.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 20.84 करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार के हिस्से के बतौर शामिल हैं जो कि पहले ही राज्य को जारी किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

घटिया कोयले की आपूर्ति

2281. श्री प्रभाष चंद्र तिवारी :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को कुछ राज्यों से घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत स्टेशनों को घटिया कोयले की आपूर्ति के कारण विद्युत उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जवाबदेही निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। बिहार राज्य सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) उन्होंने इंगित किया है कि कोयले के साथ अत्यधिक मात्रा में पत्थर, शेल आदि मिला दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता और मात्रा में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप तापीय विद्युतगृहों द्वारा प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर (पी०एल०एफ०) और बिजली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है—

	उत्पादन (एम०यू०)	पी०एल०एफ० (%)
7वीं योजना का अंतिम वर्ष 1989-98 (वास्तविक)	156000	56.2
8वीं योजना का अंतिम वर्ष 1996-97 (वास्तविक)	265503	61.2
9वीं योजना का प्रथम वर्ष 1997-98 (वास्तविक)	276605	63.8
9वीं योजना का अंतिम वर्ष 2001-02 (प्रक्षिप्त)	296238	68.3

(घ) और (ङ) बिहार के मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत गृह के मामले में पूरी तरह से जांच की गई। दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और क्षेत्र के महाप्रबंधक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए।

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोयला कंपनियों की विद्युत उपयोगिता परिषद (सी०पी०यू०) के साथ इस बात पर सहमति हुई कि लदान और विद्युत गृह, दोनों ही स्थलों पर कोयले का नमूना लेने और विश्लेषण किए जाने का कार्य समान स्वतंत्र तृतीय अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

सी०सी०एल० की समुदाय विकास योजना

2282. श्री ब्रजमोहन राम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोल लि० जो कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनी है, द्वारा समुदायिक विकास योजना के अंतर्गत पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरा आवंटित धनराशि की तुलना में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी०सी०एल० द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान समुदाय विकास योजना के अंतर्गत पलामू जिले में कोई कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लि० की एक अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (से०को०लि०) में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आवंटन और व्यय के संबंध में ब्यौर नीचे दर्शाए गए हैं–

वर्ष	आवंटित निधि (लाख रु० में)	वास्तविक व्यय (लाख रु० में)
1995-96	93.00	76.60
1996-97	88.20	70.91
	90.00	71.16

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पलामू जिले में शुरू किए गए कार्यों और सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है–

1996-97

1. सी०एस० दुबे महाविद्यालय चेनेया में दो कमरों का निर्माण	0.61 लाख रुपये
2. मिडिल स्कूल, लोहरा में दो कमरों का निर्माण	0.14 लाख रुपये
जोड़	0.75 लाख रुपये

1997-98

1. सी०एस० दुबे महाविद्यालय, चेनेया में नाली का निर्माण	0.43 लाख रुपये
2. मिडिल स्कूल, लोहरा में दो कमरों का निर्माण	1.86 लाख रुपये
जोड़	2.29 लाख रुपये

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

शीर्ष पर्यटन केंद्र

2283. श्री अरविन्द कांबले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन दस शीर्ष पर्यटन केंद्रों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन 10 शीर्ष पर्यटक केंद्रों से विदेशी तथा भारतीय मुद्रा के रूप में कुल कितनी आय हुई;

(ग) इस अवधि के दौरान विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान, कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के दस अग्रणी पर्यटक केंद्र इस प्रकार हैं, जहां पर विदेशी पर्यटक अधिक आए–

1. दिल्ली
2. मुम्बई
3. आगरा
4. चेन्नई
5. कलकत्ता
6. जयपुर
7. वाराणसी
8. बंगलौर
9. पणजी
10. उदयपुर

घरेलू पर्यटकों के संबंध में इस प्रकार की जानकारी/सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, घरेलू में लोकप्रिय दस अग्रणी राज्य हैं–

1. आंध्र प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश
3. तमिलनाडु
4. कर्नाटक
5. बिहार
6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र
8. राजस्थान
9. जम्मू और कश्मीर
10. केरल

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि इस प्रकार थी–

वर्ष	पर्यटन प्राप्तियां (रु० करोड़ में)
1995	8633
1996	10050
1997	11051

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा घरेलू पर्यटक व्यय के स्थानवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान विदेशी पर कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार दस अग्रणी पर्यटक केंद्र और इन केंद्रों पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है–

पर्यटक स्थल	पर्यटक संख्या
दिल्ली	890196
मुंबई	536388
आगरा	314825

चेन्नई	256480
कलकत्ता	251589
जयपुर	208679
वाराणसी	126863
बंगलौर	101068
पणजी	73921
उदयपुर	60922

(घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। इसके अतिरिक्त इन स्थलों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक सामग्री भी तैयार की गई है जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है।

गुजरात से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

2284. श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया :
श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए यात्री निवास, पर्यटन बंगला, पर्यटन परिसर इत्यादि के निर्माण के लिए गुजरात सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है

(घ) कब तक शेष परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी; और

(ङ) गुजरात का दौरा करने वाले मध्यम वर्ग पर्यटकों के लिए क्या विशिष्ट अवसंरचनात्मक सुविधाएं दी गई हैं या दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 और 1996-97 में गुजरात सरकार को 13 परियोजनाओं के लिए 90.19 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 1997-98 में नालसरोवर में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए, राज्य सरकार को 38.63 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है।

वर्ष 1998-99 के लिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के परामर्श से, केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु 400.00 लाख रुपयों की राशि की 15 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है। गुजरात सरकार ने अभी तक प्राथमिकता प्रदान की गई किसी परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

गुजरात को जाने वाले पर्यटक

2285. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात जाने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उस राज्य में और पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान गुजरात का दौरा करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है–

	1995	1996	1997
स्वदेशी	57303	64478	118994
विदेशी	3005	6581	7994
जोड़	60308	71059	126988

(ग) सरकार की नीति, कर में छूट, ब्याज इमदाद, आयात पर सीमा-शुल्क में रियायत आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करके होटलों सहित पर्यटन सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। ये प्रोत्साहन गुजरात सहित सभी राज्यों में होटलों के लिए उपलब्ध हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2286. श्री नरेश पुगलीया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी अनुषंगी कंपनियां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) कंपनी-वार कितने कामगार अतिरिक्त हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त योजना के लिए यूनियन (मजदूर संघ) और कामगार सहमत हैं;

(ङ) यदि हां, तो कामगारों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर कुल कितना बोझ पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। को०इं०लि० और उसकी सहायक कंपनियों ने सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर 'स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना, 1989' आरंभ की है।

(ख) नियमानुसार उपदान और अंशदायी भविष्य निधि के भुगतान के अतिरिक्त इस योजना में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु डेढ़ माह के वेतन के समान अनुग्रह राशि अथवा सेवा-निवृत्ति की सामान्य निधि से पूर्व शेष सेवा के माह गुणा सेवा-निवृत्ति के समय मासिक वेतन, इनमें से जो भी कम हो, के भुगतान का प्रावधान है।

(ग) दिनांक 1-4-1998 के अनुसार, अधिशेष श्रमिकों की कंपनी-वार संख्या इस प्रकार है—

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	—	12,580
भारत कोकिंग कोल लि०	—	7,100
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	—	5,968

(घ) कई श्रमिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

(ङ) जैसाकि ऊपर (ख) में दिया गया है।

(च) वर्ष 1998-99 हेतु, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के वित्त-पोषण हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि से 160 करोड़ रु० की बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आर्थिक कार्यसूची

2287. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मंत्रालय ने आर्थिक कार्यसूची का प्रारूप तैयार

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यसूची पर भारतीय उद्योग के परिसंघ द्वारा क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नौवीं योजना के लिए धनराशि का आवंटन

2288. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यटन से संबंधित तमाम योजनाओं के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) राज्यों को पर्यटन संबंधित विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रभावी कार्य योजना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (घ) राज्य सरकारों ने प्रत्येक राज्य में पर्यटन के विकास के लिए निधि का बड़ी संख्या में आवंटन मुहैया कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय वित्तीय सहायता का उद्देश्य अभिनिर्धारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनके संसाधनों को बढ़ाना है। अत: सहायता परियोजना प्रस्ताव के प्राप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा उस प्रस्ताव के निष्पादन (परफारमेंस) पर निर्भर करती है। वर्ष 1997-98 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य	1997-98 (रु० लाखों में) स्वीकृत राशि	(रु० लाखों में) अवमुक्त राशि (किश्तें)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	206.70	69.10
2.	असम	288.88	94.20
3.	अरुणाचल प्रदेश	271.00	82.50
4.	बिहार	233.07	76.38
5.	गोवा	144.62	42.08
6.	गुजरात	111.84	41.90
7.	हरियाणा	108.24	44.83
8.	हिमाचल प्रदेश	119.00	37.50
9.	जम्मू व कश्मीर	293.35	86.25
10.	कर्नाटक	130.78	44.16
11.	केरल	282.00	106.50
12.	मध्य प्रदेश	119.31	49.22
13.	महाराष्ट्र	169.84	49.14
14.	मणिपुर	186.11	56.35
15.	मेघालय	85.70	28.05
16.	मिजोरम	142.45	43.50
17.	नागालैंड	116.90	40.58
18.	उड़ीसा	557.05	180.00
19.	पंजाब	52.87	15.72
20.	राजस्थान	107.33	52.27
21.	सिक्किम	65.20	24.55
22.	तमिलनाडु	59.74	22.86
23.	त्रिपुरा	126.68	40.16
24.	उत्तर प्रदेश	221.10	76.17

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	157.76	45.65
26.	अंडमान और निकोबार	60.00	60.00
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	5.20	2.60
29.	दिल्ली	229.43	79.22
30.	दमन	60.17	17.25
31.	लक्षद्वीप	5.00	2.50
32.	पांडिचेरी	35.64	12.83
	जोड़	4752.96	1785.02

विवरण-II

प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं (1998-99)

क्र० सं०	राज्य	प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	प्राथमिकता प्राप्त राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	367.08
2.	असम	12	397.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	131.00
4.	बिहार	10	325.00
5.	गोवा	12	210.00
6.	गुजरात	15	400.00
7.	हरियाणा	12	312.00
8.	हिमाचल प्रदेश	11	448.00
9.	जम्मू व कश्मीर	17	525.00
10.	कर्नाटक	14	455.30
11.	केरल	15	467.00
12.	मध्य प्रदेश	17	421.00
13.	महाराष्ट्र	10	265.00
14.	मणिपुर	13	220.00
15.	मेघालय	15	180.00
16.	मिजोरम	8	165.00
17.	नागालैंड	10	200.00
18.	उड़ीसा	7	368.00
19.	पंजाब	8	402.34
20.	राजस्थान	25	431.00
21.	सिक्किम	21	302.00
22.	तमिलनाडु	11	435.00
23.	त्रिपुरा	10	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	35	740.00
25.	पश्चिम बंगाल		350.00
26.	अंडमान और निकोबार	6	200.00
27.	चंडीगढ़	8	113.00
28.	दादरा व नगर हवेली	5	82.00
29.	दिल्ली	19	350.00
30.	दमन		
31.	लक्षद्वीप	3	31.00
32.	पांडिचेरी	11	189.00
	जोड़	383	9791.64

[अनुवाद]

हैल्थ क्लब

2289. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०टी०डी०सी० ने अपने होटलों में रहने वालों अतिथियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने हेतु कुछ जगहों को हैल्थ क्लब के लिए किराए पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन होटलों के नाम बताएं और कब से ये हैल्थ क्लब चल रहे हैं;

(ग) इन सुविधाओं को प्रदान करने में कितनी राशि खर्च की गइ है और पिछले दो वर्षों के दौरान उससे होटल-वार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(घ) सम्राट होटल के हैल्थ क्लब के नवीकरण पर कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ङ) क्या अधिकारियों ने इस विशेष यूनिट पर किराए की दर काफी कम कर दी है; और

(च) यदि हां, तो कारण बताएं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने निम्नलिखित होटलों में हैल्थ क्लब के प्रचालन के लिए आवृत्त क्षेत्र किराए पर दिया है—

होटल का नाम	हैल्थ क्लब प्रचालन के प्रारंभ की तारीख
सम्राट होटल, नई दिल्ली	15.08.90
कुतुब होटल, नई दिल्ली	23.04.97
होटल अशोक, बंगलौर	01.11.84
कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	29.08.92
एलएमपी मैसूर	20.12.87
होटल अशोक हसन	15.11.89
होटल अशोक मदुरै	01.04.94

हैल्थ क्लब का क्षेत्र और सुविधाएं, अलग-अलग एकक के लिए अलग-अलग हैं।

(ग) उपर्युक्त होटलों के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम ने 52.56 लाख रु० की लागत से होटल सम्राट दिल्ली में हैल्थ क्लब संरचनात्मक सुविधाएं शुरू की हैं। अन्य होटलों के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम ने केवल आवृत्त स्थान लीज पर लिया है। पिछले दो वर्षों के दौरान हैल्थ क्लब/स्थान को किराए पर देने से भारत को हुई आय का विवरण नीचे दिया गया है–

होटल का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान हुई आय (लाख रु० में)	वर्ष 1997-98
सम्राट होटल, दिल्ली	19.20	24.00
कुतुब होटल, दिल्ली	7.02	7.02
होटल अशोक, बंगलौर	1.98	2.42
कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	2.16	2.60
एलएमपी मैसूर	1.64	1.64
होटल हसन अशोक	0.34	0.34
होटल अशोक मदुरै	0.83	0.94

हर मामले में, उपकरण आदि लाइसेंस धारक द्वारा मुहैया कराए गए हैं।

(घ) सम्राट होटल में हैल्थ क्लब मई, 97 में लगी आग के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। हैल्थ क्लब को फिर से चलाने के लिए 50.89 लाख रु० की राशि खर्च की गई है। बीमा कंपनी से आवश्यक मुआवजा मांगा गया है।

(ङ) जी, नहीं। सम्राट होटल के हैल्थ क्लब के लिए किराए दर में कमी नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगरेनी कोयला खानों को वित्तीय सहायता

2290. **श्री एस० सुधाकर रेड्डी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंगरेनी कोयला खानों, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का एक संयुक्त उद्यम है, का जीर्णोद्धार करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सिं०को०कं०लि०) की ओर देय उस 663.34 करोड़ रु० की राशि के बकाया ब्याज का अधित्याग किए जाने का प्रस्ताव है, जो आठवीं योजनावधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर प्रोद्भूत हुए थे। सिं०को०क०लि० के इक्विटी ऋण ढांचे में संशोधन सहित एक पुनर्गठन पैकेज तथा बकाया ब्याज के अधित्याग हेतु राज्य सरकार का अनुरोध सरकार के विचाराधीन है?

एन०सी०एल०/बी०सी०सी०एल० में नियुक्तियां

2291. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 95 के लिए श्रमशक्ति की स्थिति के बारे में बी०सी०सी०एल० की रिपोर्ट के अनुसार 10103 श्रमिकों की गिरावट हुई है और 60 कल्याण अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी में जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चयन के तरीके के विरुद्ध कोल इंडिया लि० की सतर्कता विभाग में कोई शिकायत दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) एन०सी०एल० में 10 जुलाई, 1997 को कल्याण अधिकारी के पद के लिए हुई लिखित परीक्षा के बारे में भी सतर्कता विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) 1994-95 के लिए भा०को०को०लि० की रिपोर्ट के अनुसार मानवशक्ति में निवल कमी केवल 6604 थी और ऐसी कमी के कारण मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, चिकित्सकीय अयोग्यता, स्वैच्छिक सेवनिवृत्ति और स्थानांतरण आदि थे। दूसरी ओर अधिकारी संवर्ग में, कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षणार्थी और कल्याण अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के तौर पर 62 व्यक्ति थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी, हां इस मामले की जांच की गई थी, किन्तु कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग-36 पर पुलों का निर्माण

2292. डॉ० जयन्त रंगपी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोबोका और दीमापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-36 पर स्थायी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये कार्य पूरे नहीं हुए हैं और इनके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के दोबोका और दीमापुर भाग में कार्यों पर वर्षवार अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

विधि, न्याय और अपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी नहीं।

(ख) शेष पुल 32,48 और 127 कि०मी० पर हैं। इनको निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 31.12.2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्रमश: 51.67 लाख रु०, 128.88 लाख रु० और 487.11 लाख रु० का व्यय किया गया।

महाराष्ट्र में पौराणिक मंदिर

2293. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदाल संगम, तकली-पुलाची, तुलरा दक्षिण शोलापुर (महाराष्ट्र) में खुदाई में पैराणिक मंदिर, देवी-देवताओं की मूर्तियां तथा पुरातत्व महत्व की अन्य सामग्रियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कोई और खुदाई की गई है अथवा खुदाई करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए और उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, हां। तकली-पुलाची, तालुका दक्षिण शोलापुर, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) से 12 कि०मी० से आगे कुदाल संगम गांव में हरी-हरेश्वर का स्थानीय नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर है। यह मंदिर दो अलग-अलग गर्भ-गृहों में अन्य वास्तुशिल्पी संघटकों तथा पौराणिक देवताओं की मूर्तियों सहित शिव एवं कृष्ण को समर्पित है। चूंकि यह स्थायी संरचना है, अत: स्थल पर कोई उत्खनन अपेक्षित नहीं है।

तटवर्ती व्यापार

2294. श्री के०एस० राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में तटवर्ती व्यापार करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा तटवर्ती इक्विटी मानकों के संबंध में हाल ही में जारी परिपत्र विदेशी इक्विटी धारण के मानदंडों का विरोधाभास करता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा परिपत्र जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) सभी भारतीय कंपनियां यदि भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत जलयान खरीदती हैं तो वे भारत के तटीय व्यापार में प्रवेश कर सकती हैं चाहे उनके पास विदेशी इक्विटी हो अथवा न हो। तथापि, यदि ऐसी कंपनियां बेयर-बोट-चार्टर-कम-डिमाइज (बी०बी०सी०डी०) आधार पर जलयान खरीदती हैं तो बी०बी०सी०डी० जलयानों के लिए तटीय व्यापार में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती है जब न्यूनतम 49 प्रतिशत इक्विटी भारतवासी के पास हो। यह नीति फरवरी, 1998 से लागू की गई है। तथापि, उद्योग मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले की समीक्षा आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वत: अनुमोदन स्कीम के अंतर्गत नौवहन क्षेत्र के लिए भारतीय कंपनियों में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।

(ग) राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति ने सिफारिश की है कि किसी दुरुपयोग के बगैर बी०बी०सी०डी० वित्तपोषण विधि का मूल उद्देश्य बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसी कंपनियों द्वारा प्रचालित बी०बी०सी०डी० चार्टर्ड जलयानों के लिए कोई अनुतट व्यापार सहायता और कार्गो सहायता प्रदान नहीं करनी चाहिए जिनकी विदेशी इक्विटी 51 प्रतिशत से अधिक है।

उद्योग मंत्रालय और नौवहन उद्योग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए बी०बी०सी०डी० जलयानों को तटीय व्यापार में प्राथमिकता देने के समग्र मामले की समीक्षा की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए एक समान बनाने संबंधी प्रगति

2295. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा सबके लिए एक समान बनाने संबंधी प्रगति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह की समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व ही 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी। केंद्रीय सरकार आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं को परिशोधित/संशोधित किया जाता है अथवा उनका विस्तार किया जाता है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना

एच०पी० सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय केंद्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित किए या निगमित किए जा सकते हैं। जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी स्थापना तथा प्रथम कुलपति की नियुक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हो जाती है तो ऐसे किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय के नाम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया जाता है।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता का संबंध है विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित कतिपय न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। यदि विश्वविद्यालय सभी शर्तों को पूरा कर लेता है तो विजिटिंग समिति की सहायता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाती है और यदि प्रस्ताव ठीक पाया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अंतर्गत विश्वविद्यालय को केंद्रीय सहायता पाने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है।

(ख) से (घ) वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु अपने को पात्र घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अप्रैल, 1996 में एक प्रस्ताव भेजा।

प्रस्ताव की जांच करने के बाद यह पाया गया था कि विश्वविद्यालय ने आधारभूत सुविधाओं तथा संकाय संख्या के संबंध में शर्तों को पूरा नहीं किया है। विश्वविद्यालय को सलाह दी गई है कि वह इन शर्तों को पूरा करें तथा आयोग से संपर्क करें ताकि उसके अनुरोध पर आगे उचित विचार-विमर्श किया जा सके।

[अनुवाद]

विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु विश्व बैंक सहायता

2297. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/भवनों के निर्माण हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त की गई;

(ग) क्या केरल सरकार ने उपकरण की खरीद के लिए भी विश्व बैंक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई थी; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। 1994 से 2003 तक की अवधि के लिए 11 राज्यों के 132 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के लिए उदार ऋण के रूप में 1062.3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3613.00 करोड़ रु०) के विश्व बैंक सहायता पर समझौता किया गया है। परियोजना लागत का अधिक से अधिक 24 प्रतिशत सिविल निर्माण पर उपयोग किया जा सकता है जिसमें स्कूल भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण, मरम्मत, ब्लाक संसाधन केंद्रों (बी०आर०सी०)/क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सी०आर०सी०), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डी०आई०ई०टी०), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०), राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान (एस०आई०ई०एम०टी०) आदि के लिए भवनों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा पालिटेकनिकों के स्तरोन्नयन के लिए चलाई जा रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा परियोजना के तहत भवनों के निर्माण पर लगभग 838.62 करोड़ रु० खर्च किया गया है जिसके 90 प्रतिशत भाग की विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) राज्य के 6 जिलों में कार्यान्वित किया

जा रहा है जिस पर 6-7 वर्ष की परियोजना अवधि में लगभग 186 करोड़ रु० खर्च होगा। परियोजना के कार्यान्वयन में माल/उपकरण का अधिग्रहण शामिल है जो निर्धारित अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार खरीदे जाते हैं। उपर्युक्त परियोजना के तहत उपकरण के अधिग्रहण के लिए कोई अलग से विशिष्ट प्रस्ताव करेल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि डी०पी०ई०पी० के तहत 1994-95 से अक्तूबर, 1998 तक परियोजना पर 60.15 करोड़ रु० के कुल खर्च में से 8.08 करोड़ रु० की राशि माल/उपकरण के अधिग्रहण पर खर्च की गई है तथा विश्व बैंक द्वारा 6.46 करोड़ रु० प्रतिपूर्ति की गई है। तकनीकी शिक्षा परियोजना के तहत केरल ने उपकरण के अधिग्रहण के लिए 13.2 करोड़ रु० की मांग की थी जो उन्हें दे दी गई है।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

2298. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं में बचत करने की आदत को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं द्वारा कितने खाते खोले गए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार डाकघरों में कितनी धनराशि जमा की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश की ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए महिला समृद्धि योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा इस स्कीम का मूल्यांकन करने के उपरान्त तथा इन्दिरा महिला योजना के त्वरित मूल्यांकन के पश्चात् योजना आयोग ने विभाग को सलाह दी कि इन दोनों स्कीमों को इकट्ठा कर दिया जाए। संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना संशोधित स्कीम का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

(ग) 1 अप्रैल, 1997 से इस स्कीम के तहत नये खोते नहीं खोले जा रहे हैं। मार्च, 1997 तक महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खातों का एक विवरण संलग्न है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत डाकघरों में जमा राशि इस प्रकार है–

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1994-95	69.40
1995-96	93.87
1996-97	92.68

विवरण

31-3-97 तक महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संचयी संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोले गए खातों की संख्या (आंकड़े लाख रु० में)
1	2
राज्य	
1. असम	15.08
2. मध्य प्रदेश	37.73
3. गोवा	0.46
4. तमिलनाडु	24.17
5. मिजोरम	0.23
6. हरियाणा	7.70
7. आंध्र प्रदेश	28.04
8. कर्नाटक	15.36
9. पंजाब	6.65
10. गुजरात	11.15
11. हिमाचल प्रदेश	1.92
12. उत्तर प्रदेश	41.45
13. उड़ीसा	9.42
14. सिक्किम	0.12
15. राजस्थान	10.73
16. केरल	5.21
17. महाराष्ट्र	11.12
18. मणिपुर	0.25
19. पश्चिम बंगाल	7.65
20. त्रिपुरा	0.35
21. जम्मू एवं कश्मीर	0.70
22. बिहार	7.67
23. अरुणाचल प्रदेश	0.04
24. नागालैंड	0.05
24. दिल्ली	0.04
25. मेघालय	0.05
संघ राज्य क्षेत्र	
1. चंडीगढ़	0.12

1	2
2. लक्षद्वीप	0.02
3. पांडिचेरी	0.20
4. दमन एवं दीव	0.02
5. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.05
6. दादरा व नगर हवेली	0.03
योग	245.76

[अनुवाद]

केरल में कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

2299. श्री एस० अजय कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र को सुपर विद्युत परियोजना के रूप में कल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने की कोई

हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केरल में 350 मे०वा० क्षमता के साथ नापथा आधारित कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सी०सी०पी०पी०) का क्रियान्वयन कर रहा है।

एन०टी०पी०सी० कोचीन में द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। वित्तीय सुनिश्चितता तथा ईंधन एवं पानी जैसे मुख्य निवेशों की उपलब्धता के पश्चात् ही एन०टी०पी०सी० द्वारा विस्तार प्रस्ताव सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर उपमार्ग का निर्माण

2300. श्री अमर राय प्रधान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 22 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1361 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर फ्लाकाटा से पुंडीबाड़ी उपमार्ग और तोरसा नदी पर पुल निर्माण का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है; और

(ख) शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर फ्लाकाटा से पुंडीबाड़ी उपमार्ग और तोरसा नदी पर पुल निर्माण कार्य की प्रगति की प्रतिशत इस प्रकार थी—

उपमार्ग — 82 प्रतिशत

तोरसा पुल — 50 प्रतिशत

(ख) परियोजना को पूरा करने की संशोधित निर्धारित तारीख जून, 2001 है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस राजमार्ग पर व्यय

2301. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में देवास और इंदौर शहरों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एक्सप्रेस राजमार्ग पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या इस योजना पर कार्य आरंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(घ) एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) एक्सप्रेस राजमार्ग पर कितने लेन बनेंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में देवास और इंदौर शहरों को जोड़ने के लिए किसी एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 219.28 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से रा०रा०-3 के इंदौर-देवास खंड में 573.00 से 590.60 कि०मी० खंड में 4 लेन बनाने और इंदौर बाइपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। संभवत: माननीय सदस्य इसी का हवाला दे रहे हैं।

(ग) 4 लेन बनाने और बाइपास के निर्माण संबंधी परियोजना पर अक्तूबर, 1998 तक कुल 53.88 करोड़ रु० व्यय हुए हैं।

(घ) इस परियोजना को फरवरी, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) इस परियोजना के तहत 4 लेन वाला कैरिजवे बनाया जा रहा है।

पटौरा झील-क्षेत्र में वनरोपण और सौंदर्यीकरण

2302. श्री सोम मरांडी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटौरा झील और उद्यान क्षेत्र (राजमहल, बिहार) में वनरोपण और इसके सौंदर्यीकरण हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिरणों का लुप्त होना

2303. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं प्रजातियों के हिरण लुप्त होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिरणों सहित दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या नीतिगत निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो हिरणों विशेषकर काले हिरणों तथा चीतलों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) यद्यपि, हिरण की कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, हंगुल, संगाई, कस्तूरीमृग, स्वाम्प डियर तथा माउस डियर जैसी कुछ हिरण प्रजातियों को संकटापन्न पशुओं की सूची में रखा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्लैक बक, स्वाम्प डियर तथा हिरणों की अन्य संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 से 4 में शामिल वन्यजीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
2. वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर छापे मारे जाते हैं।
3. वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत संकटापन्न पशु प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है।
4. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केंद्रों में वन्यजीव परीरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।
5. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि जैसे प्रवर्तन संगठनों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाए गए हैं। दिल्ली तथा देहरादून में 1995 और 1996 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
6. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के कर्मचारियों को आधुनिक हथियार, बेतार उपकरण और संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
7. केंद्र के समनुरूप राज्यों से भी कहा गया है कि वे सभी प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय समिति बनाएं ताकि चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके।

कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु धनराशि

2304. श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए कर्नाटक को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) इस हेतु वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए कितनी राशि के आवंटन का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कर्नाटक के नए जिले हवेरी को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु धन-राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 और 1998-99 हेतु कर्नाटक के कॉलेजों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है–

1997-96	आवर्ती	–	86 लाख रु०
	अनावर्ती	–	31 लाख रु०
			117 लाख रु०
1998-99	आवर्ती	–	149 लाख रु०
	अनावर्ती	–	80 लाख रु०
			229 लाख रु०

(ख) हालांकि, कॉलेजों के चयन पर अभी निर्णय लिया जाना है परंतु वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए इस योजना हेतु कुल आवंटन लगभग क्रमश: 200 लाख और 300 लाख रु० है।

(ग) और (घ) के०एल०ई० सोसायटी जी०एच० कॉलेज हावेरी को शैक्षिक सत्र 1998-99 के रेशम उत्पादन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे दी गई है तथा वर्ष 1998-99 के लिए 9.00 लाख रु० का अनुदान आवंटित किया गया है तथा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए 2.00 लाख रु० का आवर्ती अनुदान उद्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार को विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2305. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहायता राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने बिहार विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना परियोजना के लिए परियोजना निर्माण सुविधा (पी०पी०एफ०) के अंतर्गत 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।

(ग) और (घ) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार परियोजना प्राधिकारी द्वारा 0.624 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का आहरण किया गया है।

[अनुवाद]

आधुनिक मशीनों तथा उपस्करों का आयात

2306. श्री ए०सी० जोस : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल के तिरुअनंतपरम में श्री चित्रा अस्पताल में उपयोग के लिए कुछ आधुनिक ...में का आयात किया है/खरीदे हैं; और

... तो वर्ष-वार आयात किए गए प्रत्येक मशीन/उपस्कर का ब्यौरा क्या है तथा इनकी लागत कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल ने संस्थान/अस्पताल के विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए आधुनिक मशीनों तथा उपस्करों का आयात/क्रय किया था। आवश्यक विवरण निम्नानुसार है—

1996-1998 के दौरान श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयातित उपस्करों की सूची—

क्र० सं०	उपस्कर का नाम	मात्रा	खरीदने का वर्ष	लागत (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप	1	1996	98,007.00
2.	जैल प्रलेखीकरण प्रणाली	1	1996	5,71,962.00
3.	ऑरेशन थियेटर लाइट	1 सैट	1996	5,52,763.00
4.	हैडलाइट सिस्टम	3	1996	5,66,367.00
5.	ट्राइनोक्यूलर रिसर्च माइक्रोस्कोप	1	1996	1,47,424.00
6.	वीडियो ई ई जी मॉनीटर	3	1996	47,50,793.00
	वर्ष 1996 के लिए कुल :			66,87,316.00
7.	कम्प्यूटर प्रणाली	1	1997	14,69,844.00
8.	कम्प्यूटर प्रणाली	1	1997	11,84,870.00
9.	सेंट्री फ्यूज	1	1997	1,58,972.00
10.	हाइपोथर्मिया यूनिट	1	1997	3,40,020.00
11.	डाइफाइब्रिलेटर मॉनीटर	2	1997	3,33,357.00
12.	स्पेक्ट्रो फोटोमीटर	1	1997	3,33,116.00
13.	ऑपरेशन थियेटर लाइट	1	1997	1,60,340.00
14.	रोटरी इवापोरेटर	1	1997	1,46,867.00
15.	इलैक्ट्रो कार्टोकोग्राफी	1	1997	12,09,112.00
16.	फ्रीज ड्रायर	1	1997	4,05,688.00
17.	माइक्रोहार्डनेस टेस्टर	1	1997	6,59,775.00
18.	हेमाटोलोजी एनालाइजर	1	1997	5,79,375.00
19.	हेलीकैलसी टी स्कैनर	1	1997	2,94,99,068.00
20.	टीशू प्रोसेसर	1	1997	3,57,668.00
21.	थर्मल एनालाइजर	1	1997	25,64,901.00
22.	एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर	1	1997	23,70,288.00
23.	ई डी एस सिस्टम	1	1997	23,40,846.00
24.	एल सी डी/वीडियो प्रोजेक्टर	1	1997	3,45,992.00
25.	मॉनीटर्स/डेफीब्रिलेटर्स	12	1997	40,12,960.00
26.	हानूलक्स ब्ल्यू लाइन लाइट	2	1997	1,10,646.00
27.	गैस पर्मिलाइबिलिटी टैस्टर	1	1997	11,57,481.00
28.	2 डी इको डॉपलर	1	1997	84,08,387.00
29.	अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा माइक्रोटोम	1	1997	11,74,635.00
30.	अल्ट्रासाउंड कलर डॉप्लर	1	1997	39,63,960.00
31.	प्रोग्रामेबल स्टीम्यूलेटर	1	1997	2,55,930.00
32.	फोटोकॉपीयर	1	1997	1,36,137.00
33.	हनुलक्स ब्ल्यू लाइन लाइट	2	1997	1,17,313.00
34.	अल्ट्रा लो टैम्प्रेचर फ्रीजर	1	1997	2,63,173.00
35.	ऑटोमेटिक विस्को सिस्टम	1	1997	3,59,160.00
36.	डाइफ्राइब्रिलेटर मॉनीटर	1	1997	2,31,433.00
37.	एलिसा रीडर	1	1997	2,16,128.00
38.	रोबोसाइकलर	1	1997	3,67,501.00
39.	बाइनोक्यूलर रिसर्च माइक्रोस्कोप	1	1997	7,76,507.00
40.	टेबिल टॉप सेंट्रीफ्यूज	1	1997	3,15,267.00
41.	टेबिल टॉप सेंट्रीफ्यूज	1	1997	3,57,440.00
	वर्ष 1997 के लिए कुल :			6,66,84,157.00

1	2	3	4	5
42.	कैमिस्ट्री एनालाइजर	1	1998	22,16,043.00
43.	कम्प्यूटर नेटवर्क सिस्टम	1 यूनिट	1998	6,63,745.00
44.	रिओमीटर	1	1998	64,15,800.00
45.	एयरबोर्न पार्टीकल काउंटर	1	1998	2,23,891.00
46.	इ टी सी ओ 2 मॉनीटर	8	1998	9,56,263.00
47.	ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	1	1998	26,79,720.00
48.	स्पैक्ट्रोफोटोमीटर	1	1998	3,59,011.00
49.	स्पैक्ट्रोफोटोमीटर	1	1998	6,08,837.00
50.	पोर्टेबल सी-आर्म	1	1998	20,26,350.00
51.	डिजीटल होल्टर सिस्टम	1	1998	11,36,865.00
52.	अल्ट्रासोनिक स्कैनर	1	1998	72,292.00
53.	सिंगल चैनल पम्प	1	1998	34,440.00
54.	हेमोक्सीमीटर	1	1998	7,91,855.00
55.	टी एम टी सिस्टम	1	1998	13,23,465.00
56.	सी ओ 2 इंक्यूबेटर	1	1998	2,40,924.00
57.	एल सी डी/स्लाइड प्रोजेक्टर	1 प्रत्येक	1998	5,55,200.00
58.	स्टीरियोस्टैटिक सिस्टम	1 सैट	1998	50,24,170.00
59.	जैल डाक्यूमेंटेशन सिस्टम	1	1998	2,35,663.00
60.	डी एन ए एनालाइजर	1	1998	13,53,710.00
61.	एलिसा रीडर	1	1998	2,17,075.00
62.	सैंट्रीफ्यूज	1	1998	4,79,870.00
63.	टेबिल टॉप सैंट्रीफ्यूज	1	1998	4,08,837.00
			वर्ष 1998 के लिए कुल :	2,80,24,026.00

मानवाधिकार पाठ्यक्रम आरंभ करना

2307. श्री नरेश पुगलीया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) मानव अधिकार शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव अधिकार शिक्षा विषय पर "विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में मानव अधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वि०अ०आ० का नौवीं योजना दृष्टिकोण, 1998" नामक एक नीति दस्तावेज तैयार किया है। मानव अधिकारों में द्वि-वर्षीय एल०एल०एम०/एम०ए० पाठ्यक्रम, एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तथा मानव अधिकार विषय पर सेमीनार, संगोष्ठी तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता देने का प्रस्ताव है बशर्ते वे कतिपय शर्तों को पूरा करते हों। शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम अधिमानत: 1994-95 में मानव अधिकार शिक्षा पर विधि पैनल की सिफारिशों पर आधारित होने चाहिए। उच्च शिक्षा स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा शुरू करने के तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिए वि०अ०आ० दो कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है।

विद्युत उत्पादन

2308. डॉ० रवि मल्लू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1998 के 'द स्टेट्समैन' में 'गवर्नमेंट टार्गेट्स 80,000 एम०डब्ल्यू० पावर जनरेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल में भविष्य के लिए एक योजना 'पावर विजन इंडिया-2010' प्रकाशित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत उत्पादन के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घकालीन नीति अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) 'पावर वीजन इंडिया-2000' के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

(i) वर्ष 1998-2008 के दौरान 80,000 मे०वा० उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि।

(ii) जल-विद्युत ताप विद्युत मिश्रण में सुधार।

(iii) राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड की स्थापना।

(iv) राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार।

(v) विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार।

(vi) उत्पादन पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल, मध्यवर्ती और दीर्घावधि योजनाओं और कार्रवाई कार्यक्रमों को शामिल करते हुए बहुमुखी कार्यनीति अपनाई गई है। कुछ नीतिगत और विधायी कार्रवाई पहले से आरम्भ कर दी गई है। इनमें केंद्रीय और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना, नई जल विद्युत नीति, वृहत् विद्युत परियोजनाओं पर नीति, पारेषण को पृथक गतिविधि के तौर पर करने के लिए विधान. पारेषण और विद्युत की निकासी पर दिए जा रहे बल में वृद्धि, संशोधित प्रति गारंटी स्कीम,

अनुवीक्षण तंत्र और विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन शामिल है।

सिक्किम में वनों का विकास

2309. श्री भीम दाहल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने वनों के विकास के लिए सिक्किम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत नौवीं योजना के लिए सिक्किम सरकार से प्राप्त नए परियोजना प्रस्ताव और उनकी स्थिति नीचे दी गई है—

स्कीम/परियोजना	कुल स्वीकृत धनराशि	अब तक रिलीज की गई धनराशि
	(रुपये लाख में)	
[illegible] और पारि-विकास [illegible] (आई ए ई पी एस)		
1. जोंगु वॉटरशैड परियोजना	198.88	72.10
2. रंगपुचु वॉटरशैड परियोजना	592.29	193.54
2 सिक्किम के लिए क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना	346.66	103.58
3. सिक्किम के लिए औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वन उत्पाद का संरक्षण और विकास	208.25	80.50

इसके अतिरिक्त सिक्किम सरकार से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं—

(i) एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत

परियोजना का नाम	राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय (रुपये लाख में)
रोथोक चु वॉटरशैड	322.61
रोंयोंग चु वॉटरशैड	453.83
नामपुट्रम सैंगलेंग (उत्तर)	148.34
तीस्ता रंगीत वैली (दक्षिण)	240.18
कलेज-रंगेंग-रंगीत	125.00
जोंगु वॉटरशैड परियोजना में उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल (पहले स्वीकृत)	15.00
रंगपुचु वॉटरशैड परियोजना में उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल (पहले स्वीकृत)	39.76

(ii) औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वन-उत्पाद के संरक्षण एवं विकास नामक योजना के अंतर्गत सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 244.25 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ चार वर्ष के लिए एक परियोजना प्रस्ताव।

(iii) 'वृक्ष एवं चरागाह बीज विकास' योजना के अंतर्गत 43 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ एक परियोजना।

बिहार में विद्युत की कमी

2310. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या राज्य में धन की कमी के कारण कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट से उबरने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु दिसंबर, 1997 में एक परियोजना यथा शंख चरण-2 जल विद्युत परियोजना (2 × 90 × 2 × 3 = 186 मे०वा०) प्राप्त हुई थी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के०वि०प्रा० में जांचाधीन है। जैसे ही बी०एच०पी०सी० द्वारा लंबित निवेश उपलब्ध करवा दिए जाएंगे वैसे ही इसे स्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) तेनुघाट टी०पी०पी० चरण-2 (टी०वी०एन०एल०) (3 × 210 मे०वा०) तथा मुजफ्फरपुर टी०पी०पी० विस्तार (बी०एस०ई०बी०) (2 × 250 मे०वा०) निधियों की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं। यह राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं हैं तथा बिहार सरकार इस संकट से उबरने के लिए उचित कदम उठा रही है जिसमें वित्तपोषण के स्रोतों को अभिज्ञात करना भी शामिल है।

चन्दन के निर्यात पर रोक

2311. श्री के०पी० मोहन :
श्री के०पी० नायडू :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर रोक लगने के कारण तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में चन्दन की लकड़ी पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चन्दन के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारत सरकार ने तमिलनाडु में चन्दन की लकड़ी (संचित स्टाक को खत्म करने के लिए समय-समय पर जारी की गई उच्चतम सीमाओं के अंतर्गत चन्दन की लकड़ी के निर्यात की अनुमति दे दी है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता

2312. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :**
श्री राजवीर सिंह :
श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री बासवराज पाटील सेडाम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, आर्थिक सहायता दी जा रही है;

(ख) सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) ऐसे संगठनों की लेखा परीक्षा करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ संगठनों ने उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में रखे गए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

लद्दाख में मठ

2313. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में लगभग सौ मठ पूरी तरह ध्वस्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन मठों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार 13 स्मारक राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए हैं जिनमें सात मठ शामिल हैं। ये स्मारक परिरक्षण की अच्छी हालत में हैं।

[हिन्दी]

कृषि शिक्षा

2314. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि शिक्षा और कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कृषि शिक्षा के संबंध में गठित डॉ० स्वामीनाथन समिति ने इस विषय पर कोई प्रकाश डाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि शिक्षा को तकनीकी शिक्षा का दर्जा नहीं दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) वर्ष 1998-99 के लिए कृषि शिक्षा हेतु प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन

2315. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कोई परियोजना स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उक्त परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने बायोटेक्नोलॉजी ऐप्लीकेशन सेंटर, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल को "ऊतक संवर्धन एवं क्लोनीय प्रवर्धन के प्रयोग द्वारा विशेष-क्षेत्री तथा देशी वन पादप प्रजातियों का संरक्षण एवं विशाल

प्रवर्धन" नामक एक परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों, जिनमें कुछ औषधीय पादप प्रजातियां भी शामिल हैं, का संग्रहण, संरक्षण एवं ऊतक संवर्धन प्रवर्धन करना है। इसकी पांच वर्ष के लिए कुल लागत 56.78 लाख रुपये होगी। राऊलफिया, एकोरस कैलेमस जैसी औषधीय गुणसम्पन्न प्रजातियों के लिए ऊतक संवर्धन नयाचार विकास संबंधी अध्ययन चलाए जा रहे हैं। औषधीय गुण वाले 150 पादप प्रजातियों का संग्रह किया गया है और संरक्षण केंद्र में इनका रख-रखाव किया जा रहा है। एक ग्रीन हाऊस की स्थापना की गई है एवं कई प्रजातियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जे०एन०यू० के वैज्ञानिकों की खोज

2316. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में यमुना के जल में कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले कारक

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) स्कूल ऑफ एन्वायर्नमेंटल साइंसेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा कराए गए संयुक्त अध्ययन से यमुना जल में कैंसर उत्पन्न करने वाले कोई एजेंट कारक नहीं पाए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

2317. श्री वैको : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अन्तर्गत तमिल माध्यम या किसी अन्य माध्यम से लोगों को साक्षर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, तमिलनाडु में 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षर व्यक्तियों को तमिल भाषा में ही साक्षर बनाया जा रहा है।

(ख) तमिलनाडु में, साक्षरता अभियानों के अंतर्गत शामिल किए गए 29 जिलों में से 6 जिले संपूर्ण साक्षरता के चरण में, 14 जिले उत्तर साक्षरता के चरण में तथा 9 जिले सतत शिक्षा के चरण में हैं। अब तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु में 67,05,709 व्यक्ति साक्षर बनाए जा चुके हैं।

वन्य जीवों का शिकार

2318. श्री राजनारायण पासी :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री मोहन सिंह :
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवंबर, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'फीस्ट प्रोन ए वाइल्ट गूज चेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार का इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई गई है।

(घ) से (च) राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

2319. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को उपलब्ध कराए गए ऋणों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों से राज्य-वार कुल कितनी राशि दिए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) 1997-98 और 1998-99 (30.11.98 तक) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1997-98 के दौरान विवरण में उल्लिखित राज्यों के संबंध में प्राप्त कुल 1133 करोड़ रुपये की राशि के दावे की तुलना में आर०ई०सी० ने 1094 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान आर०ई०सी० ने राज्यों से प्राप्त 541 करोड़ रुपये के दावों की तुलना में 30.11.98 तक 511.09 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। निगम तकनीकी रूप से ग्राह्य दावों के संबंध में मांगों की पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

विवरण

वर्ष 1997-98 और 1998-99 (30.11.98 तक) के लिए ऋणों/अनुदानों का राज्यवार संवितरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	1997-98 के दौरान संवितरित ऋण	1997-98 के दौरान संवितरित कुटीरज्योति	1997-98 के दौरान कुल संवितरण (3 + 4)	1998-99 के दौरान संवितरित ऋण 30.11 तक	1998-99 के दौरान संवितरित कुटीरज्योति 30.11 तक	1998-99 के दौरान कुल संवितरण (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6094	440	6534	1329	217	1546
2.	अरुणाचल प्रदेश	1174	35	1209	77	0	77
3.	असम	0	44	44	0	0	0
4.	बिहार	147	142	289	0	262	262
5.	गोवा	385	0	386	225	0	225
6.	गुजरात	3931	90	4021	11101	25	11126
7.	हरियाणा	836	1	837	780	0	780
8.	हिमाचल प्रदेश	2060	35	2095	250	25	275
9.	जम्मू व कश्मीर	2187	3	2190	897	0	897
10.	कर्नाटक	8655	360	9015	7871	626	8497
11.	केरल	5200	0	5200	4824	11	4835
12.	मध्य प्रदेश	6826	564	7390	2473	265	2738
13.	महाराष्ट्र	26976	242	27318	10864	275	11139
14.	मणिपुर	1359	40	1399	0	0	0
15.	मेघालय	0	18	18	0	18	18
16.	मिजोरम	256	51	307	0	0	0
17.	नागालैंड	173	26	199	0	0	0
18.	ग्रिडको (उड़ीसा)	3612	83	3595	0	0	0
19.	पंजाब	3314	50	3364	961	25	986
20.	राजस्थान	12009	56	12065	3141	24	3165
21.	सिक्किम	0	20	20	0	20	20
22.	तमिलनाडु	11476	276	11752	2100	204	2304
23.	त्रिपुरा	323	11	334	309	14	323
24.	उत्तर प्रदेश	9011	150	9161	1856	0	1856
25.	पश्चिम बंगाल	322	80	402	29	0	29
26.	दादरा नगर हवेली	0	1	1	0	0	0
27.	आरईकोओप-सरसिल्ला (ईसीपी अनुदान ए०पी०)	136	0	136	11	0	11
	कुल	106463	2918	109381	49098	2011	51109

गुजरात के लिए विश्व बैंक ऋण

2320. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को नए राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण एवं सुधार/मरम्मत हेतु विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से आवंटित किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित परियोजनाओं पर समस्त ऋण राशि व्यय कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य परियोजनाओं हेतु इन ऋणों एवं अग्रिमों का इस्तेमाल किए जाने का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) कुछ नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पोत निर्माण हेतु देशी उद्योग

[illegible]०सी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री [illegible]ा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शिपयार्डों में पोत निर्माण हेतु देशी उद्योग का समर्थन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि इस संबंध में उत्तम कोटि की देशी वस्तुएं उपलब्ध हैं तो क्या आयात किए जाने योग्य वस्तुओं से बचा जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देशी वस्तुओं की अनदेखी करके आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें अंतर्ग्रस्त लागत के अंतर का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) प्रचलित नीति के अनुसार भारत में जहाज निर्माण उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, लेकिन युद्धपोतों का निर्माण इसमें शामिल नहीं है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित है।

स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग का संरक्षण करने और विश्वव्यापी बाजार में इसको, विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के जहाज निर्माण उद्योग को और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं, जैसे समुद्रगामी जलयानों का मूल्य अमेरिकी डालर/जापानी येन में नियत करना, किसी नियत तारीख को मौजूदा विदेशी विनिमय दर से समता मूल्य के अनुसार निर्माण के विभिन्न स्तरों के मुताबिक भारतीय रुपये में भुगतान जारी करना, ताकि इसे विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके। ऐसे जहाज निर्माण यार्ड विश्वव्यापी निविदा में न्यूनतम बोली के समान बोली लगा सकते हैं और उन्हें इस प्रकार नियत मूल्य के अतिरिक्त 30 प्रतिशत जहाज निर्माण सब्सिडी की अनुमति है।

यह रियायत घरेलू और निर्यात दोनों प्रकार के आदेशों के लिए उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों को आदेश देने वाली कंपनियां जहाज अधिग्रहण हेतु बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ई सी बी) के माध्यम से भी धनराशि जुटा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को कच्ची सामग्री और जहाजों के संघटक करमुक्त आयात करने की अनुमति है।

(ग) से (ङ) शिपयार्ड अपने वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखकर कच्ची सामग्री और उपस्करों की खरीद करते हैं। तथापि, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों का संबंध है वे आमतौर पर स्वदेशी मदों को नजरअंदाज नहीं करते बशर्ते कि वे तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त और सस्ती हो।

कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्र

2322. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के कोलार जिले में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) कोलार, कर्नाटक में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना से लाभान्वित हुई बालिकाएं

2323. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1997 से 15 जुलाई, 1998 तक की अवधि के दौरान 'बालिका समृद्धि योजना' से राज्य-वार कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुईं;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान 12 लाख बालिकाओं के लाभार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6000 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी। स्वीकृत राशि तथा लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना

(1997-98)

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्वीकृत कुल राशि (लाख रु० में)	लाभार्थियों की की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	219.53	43,906
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.32	1,864
3.	असम	215.485	43,097
4.	बिहार	1068.69	2,13,738
5.	दिल्ली	18.815	3,763
6.	गोवा	3.34	668
7.	गुजरात	158.23	31,646
8.	हिमाचल प्रदेश	27.745	5,549
9.	हरियाणा	86.495	17,299
10.	जम्मू व कश्मीर	52.5	10,500
11.	कर्नाटक	227.025	45.405
12.	केरल	81.925	16.385
13.	महाराष्ट्र	457.42	91,484
14.	मध्य प्रदेश	550.35	1,10,070
15.	मणिपुर	11.48	2,296
16.	मेघालय	17.845	3,569
17.	मिजोरम	3.085	617
18.	नागालैंड	5.305	1,061
19.	चंडीगढ़	1.921	384
20.	दमन और दीव	0.7	140
21.	लक्षद्वीप	0.39	78
22.	पांडिचेरी	5.03	1,006
23.	उड़ीसा	332.115	66,423
24.	पंजाब	42.415	8,483
25.	राजस्थान	325.675	65,135
26.	सिक्किम	3.255	651
27.	तमिलनाडु	238.16	47,632
28.	त्रिपुरा	17.425	3,485
29.	उत्तर प्रदेश	1403.91	2,80,782
30.	पश्चिम बंगाल	412.775	82,555
31.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.65	330
32.	दादरा नगर हवेली	—	—
	योग	6000.005	12,00,001

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी

2324. श्री एम० बागा रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने भारत तथा विदेश में विद्युत उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किन-किन स्थानों पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विदेश में विद्युत परियोजना स्थापित करने के संबंध में भी कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने भारत में विद्युत का उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु 20 अप्रैल, 1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) समझौता ज्ञापन में प्रावधान किया गया है कि–

(i) एनटीपीसी और ओएनसीजी विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु स्थलों/स्थानों को पारस्परिक रूप से अभिज्ञात करेंगे। हजीरा उन स्थलों में से एक है जिन्हें अभिज्ञात किया गया है तथा जिनके संबंध में अध्ययन कार्य हेतु सहमति हो गई है।

(ii) एनटीपीसी और ओएनजीसी एक संयुक्त उद्यम समझौता निष्पन्न करेंगे और तत्पश्चात् विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करेंगे।

(iii) एनटीपीसी और ओएनजीसी संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी हेतु बराबर का अंशदान करेगी। शेष इक्विटी पर निर्णय पारस्परिक रूप से लिया जाएगा।

(ग) वर्तमान में परियोजना की आयोजना गुजरात में सूरत जिले में अवस्थित हजीरा नामक स्थान में की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वर्ली-बांद्रा समुद्री मार्ग परियोजना को मंजूरी

2325. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री विट्ठल तुपे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली-बांद्रा समुद्री मार्ग परियोजना के निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था·

रोजना को पर्यावरणीय मंजूरी न दिए जाने के क्या

(घ) इसके संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ली-बांद्रा समुद्री मार्ग परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव मूल रूप से जून, 1993 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि, संपूर्ण पश्चिमी द्वीप मुक्त मार्ग के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जिसका वर्ली-बांद्रा लिंक एक हिस्सा है, दिसंबर, 1997 में प्रस्तुत की गई थी। अपेक्षित अतिरिक्त सूचना, अभी हाल ही में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भेजी गई है और उसकी जांच की जा रही है।

विद्युत वितरण परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्र द्वारा निविदाएं

2326. **डॉ० प्रभा ठाकुर :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वितरण परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र से निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एक सदस्यीय समिति ने निविदा प्रक्रिया के लिए किसी दो चरणीय प्रस्ताव की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। एक सदस्यीय कोयलहो समिति ने निजी लाइसेंसधारियों के चयन हेतु द्विचरण वाली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया की सिफारिश की है। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण पूर्व अर्हता का और द्वितीय चरण प्रस्ताव मूल्यांकन का होगा।

(ख) और (ग) विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार के कोयलहो समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और राज्य सरकारों को यह सलाह देते हुए रिपोर्ट को परिपत्रित किया है कि वे अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार सिफारिशों पर विचार करें।

अन्तर निगमित निवेश पर समरूप ब्याज दर

2327. **डॉ० उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी अनुषंगी कंपनियों में अंतर निगमित निवेश पर समरूप ब्याज दर लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि, जहां तक अन्तर निगमित ऋणों पर ब्याज का संबंध है, इसके लिए 31.10.1998 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 की संख्या 19) की धारा 372क के खंड (2) में प्रावधान है कि किसी भी निगमित निकाय को वर्तमान बैंक ब्याज दर से कम ब्याज दर पर ऋण नहीं दिया जाएगा।

(ग) और (घ) कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके तथा मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर उसका प्रारूप तैयार करने के बाद जारी किया गया है।

नई तरल ईंधन नीति

2328. **डॉ० वल्लभभाई कथीरिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए नई तरल ईंधन नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन की खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नीति को अपनाए जाने के संबंध में आने वाली अड़चनों को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) अल्प समय में ऊर्जा की कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों की लगभग 12000 मे०वा० तक की परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन का आवंटन किया है। जुलाई, 1998 में घोषित संशोधन तरल ईंधन नीति के अनुसार, 12000 मे०वा० की विद्यमान सीमा केवल नापथा पर लागू होगी तथा राज्य फर्नेस ऑयल तथा अपारंपरिक ईंधनों जैसे कंडेसेंट और ओरीमल्शन पर आधारित नई विद्युत परियोजनाओं के लिए संविदाएं किए जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। नीति में किए गए इन संसाधनों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिए गए हैं।

जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजना की स्वीकृति

2329. **श्री विठ्ठल तुपे :**
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजना, चरण-2 को पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है;

(ग) इसे मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विश्वविद्यालयों पर यू०जी०सी० का नियंत्रण

2330. **श्री वी०वी० राघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कैलेंडर का पालन नहीं कर रहे हैं तथा उनमें से कुछ 1997-98 के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं करा सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में यू०जी०सी० का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलाप समय पर हों, जिसमें परीक्षाओं का संचालन, परिणामों की घोषणा, नये शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ आदि शामिल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया है तथा इसे सभी विश्वविद्यालयों में परिचालित किया है। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की जांच के लिए वि०अ०आ० ने एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षणिक कैलेंडर के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों को पुरस्कार देने का सुझाव दिया है। सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया तथा इन्हें सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों में परिचालित किया गया जिसमें शैक्षणिक कैलेंडर तथा समिति की मुख्य सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में रिक्त पद

2331. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान देश में नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों के कितने रिक्त पद भरे गए;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागरहोल और भद्र अभयारण्यों के आदिवासियों का पुनर्वास

2332. **श्री ए० सिद्दराजू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरहोल और भद्र अभयारण्यों के कितने परिवारों का पुनर्वास कहीं और किया जाना है;

(ख) कर्नाटक के इन राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कर्नाटक को सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में 1450 आदिवासी परिवारों तथा भद्र अभयारण्यों में 736 आदिवासी परिवारों का स्वैच्छिक आधार पर पुनर्वास किया जाना है।

(ख) से (घ) जी, हां। अप्रवासी परिवारों को शिफ्ट करके उनके पुनर्वास का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ था। तदनुसार संघ सरकार द्वारा 'जनजातीय विकास हेतु लाभोन्मुखी योजना' के अन्तर्गत नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के लिए 43.50 लाख रुपये की कुल राशि

स्वीकृत की गई थी जिसमें से पहली किश्त के रूप में 25 लाख रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। इसी प्रकार भद्र अभ्यारण्य हेतु अनुमानित 5.63 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें से 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास' नामक योजना के अंतर्गत 1996-97 में 1.68 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। बाद वाले मामले में पुनर्वास लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता प्रणाली

2333. श्रीमती कमल रानी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यापक मरम्मत करने और इनको सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता जारी करने की वर्तमान प्रणाली में संशोधन करने का है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय सरकार को कतिपय प्रस्ताव/सुझाव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

[illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेट्रोलियम मंत्रालय [illegible] राजमार्ग पर विशेषकर लंबी दूरी के वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में सेवा केंद्र खोलने की नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित ऐसे केंद्रों का ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा केंद्र किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शब्दावलियों के अनुकूलन

2334. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में एजेंसियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन एजेंसियों को कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय पढ़ाए जाएं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केंद्रीय सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों को अपनाने के लिए किसी राज्य में कोई अभिकरण स्थापित नहीं किया है किन्तु अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विकसित शब्दावली को विश्वविद्यालय स्तर पर अपनाने के लिए ग्रंथ अकादमियां/पाठ्य पुस्तक बोर्ड स्थापित किए हैं।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित ऐसे पाठ्य पुस्तक बोर्डों और ग्रन्थ अकादमियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शब्दावली कार्यशालाएं, बैठकें, सम्मेलन इत्यादि आयोजित करता है और चलाता है जिनमें शिक्षकों, प्रोफेसरों और रिसर्च एसोसियेटों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें आयोग द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रतियां नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं ताकि वे संबंधित विषयों में छात्रों को हिन्दी समानार्थ शब्दों को पढ़ा सकें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिकरण का नाम
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	(1) उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ (2) प्रकाशन निदेशालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उ०प्र० (3) भौतिक विज्ञान कक्ष, हिन्दी प्रकाशन समिति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
2.	बिहार	बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
3.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4.	राजस्थान	राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
5.	हरियाणा	हरियाणा हिन्दी ग्रंथ अकादमी, चंडीगढ़ प्रकाशन निदेशालय, हरियाणा कृषि विद्यालय, हिसार
6.	दिल्ली	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
7.	आंध्र प्रदेश	तेलुगु अकादमी, हैदराबाद
8.	गुजरात	विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तक निर्माता बोर्ड, अहमदाबाद

1	2	3
9.	केरल	राजकीय भाषा संस्थान, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम
10.	उड़ीसा	उड़ीसा पुस्तक तैयारी और निर्माण राज्य ब्यूरो, भुवनेश्वर
11.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तक निर्माण बोर्ड, नागपुर
12.	पंजाब	पंजाब राज्य विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तक बोर्ड, चंडीगढ़
13.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पाठ्य पुस्तक बोर्ड, कलकत्ता
14.	तमिलनाडु	तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक समिति, चेन्नई
15.	असम	(1) प्रकाशन विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय
		(2) पाठ्य पुस्तक निर्माण समन्वय समिति, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
16.	कर्नाटक	(1) प्रसंग ज्ञान भारती, बंगलौर विश्वविद्यालय
		(2) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कन्नड़ अध्ययन विभाग, हेब्बल, बंगलौर
		(3) कन्नड़ अध्ययन संस्थान, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
		(4) कन्नड़ अध्ययन संस्थान, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।

विद्युत पर रायल्टी

2335. **श्री अरविंद कांबले :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत संबंधी उचित रायल्टी राशि के भुगतान के लिए अनेक राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1998 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत एक ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजना के इस आधार पर 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत की मांग की है कि प्राकृतिक स्रोतों जो जलाशयों में जलमग्न हो गए हैं, से राजस्व-रायल्टी अर्जित करने के राज्य के स्रोत हमेशा के लिए समाप्त/कम हो गए हैं तथा साथ ही उससे विपदा उत्पन्न हुई है और विद्युत उत्पादन के अधिकारों को छोड़ना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जून, 1996 में उच्चतम न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद-131 के अंतर्गत एक याचिका (1996 की याचिका संख्या-2) भी दायर की है। यह मामला अब न्यायाधीन है।

सड़क निर्माण में 'फ्लाई ऐश' का इस्तेमाल

2336. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत गृहों से निकलने वाली 'फ्लाई ऐश' का इस्तेमाल सड़क के निर्माण में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) फ्लाई ऐश का इस्तेमाल रा०रा०-24 पर दिल्ली के नजदीक दूसरे निजामुद्दीन पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग के तटबंध के निर्माण के लिए कोर फिल सामग्री के रूप में किया गया है।

[अनुवाद]

जैव-विविधता संबंधी विधेयक

2337. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1997 में जैव-विविधता (बायो-डायवर्सिटी) के संरक्षण से संबंधित कोई प्रारूप/विधेयक तैयार किया गया था;

(ख) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने उक्त प्रारूप विधेयक का गहनता से अध्ययन किया था और विधेयक को संसद में ले जाने का परामर्श दिया था; और

(ग) यदि हां, तो विधेयक को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु सरकार द्वारा 1998 में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) जैव विविधता से संबंधित उपयुक्त विधेयक के प्रारूप की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा अगस्त, 1997 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जीवीय विविधता अधिनियम की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1997 में प्रस्तुत की।

(ग) सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ विस्तृत परामर्श करने के लिए जून, 1998 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों तथा अन्यों को इस प्रारूप की रूपरेखा भेजी गई। इस प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 5.8.98 को पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक की गई। राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक से उत्पन्न तथ्यों तथा प्राप्त की गई टिप्पणियों के आधार पर इस प्रारूप की रूपरेखा में संशोधन किया गया एवं पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में 27.10.98 को आयोजित विशेषज्ञ दल की बैठक में उस

पर विचार-विमर्श किया गया। इस विधेयक को अंतिम रूप देने हेतु आगामी कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वित्तीय अनियमितता

2338. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल में पुस्तकों के प्रकाशन के नाम पर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बौद्ध-स्थल

2339. **श्री एम० राजैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरी आंध्र प्रदेश में बौद्ध स्थलों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरी आंध्र प्रदेश में पुरातत्वीय मानकों के अनुसार तेरह बौद्ध स्थलों को परिरक्षित एवं संरक्षित किया है।

नवजात शिशु-दुग्ध का विकल्प

2340. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे**
श्री एस०एस० ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवजात शिशु के दुग्ध विकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार (उत्पादन आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम (आई०एम०एस०) 1992 में नवजात शिशु दुग्ध के विकल्पों और दूध पिलाने वाली बोतलों के विपणन को विनियमित करने को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कंपनियां इस अधिनियम की कमियों का लाभ उठा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध अब तक कितने मामले दर्ज किए गए तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) शिशु दुग्ध विकल्पों, पोषक बोतलों और शिशु आहारों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, ताकि स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके और उसकी सुरक्षा की जा सके तथा शिशु आहारों का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके और इससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों को निपटाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय एक कंपनी के विरुद्ध एक मामला दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है।

(ङ) और (च) मामला विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8-क का विस्तार

2341. **श्री पी०एस० गड्डयी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को गुजरात सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8-क को गांधीधाम-मुद्रा-मांडवी-जाडव-कोटेश्वर पत्तन तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका विस्तार कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8-क को कांडला से मांडवी तक वाया मुंदरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा का स्तर

2342. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाक**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के गिरते स्तर के कारणों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंभीर वित्तीय संकट, शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा बार-बार हड़ताल करने तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केवल धनराशि वितरित करने वाली एजेन्सी मान रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका की व्याख्या करने की तत्काल जरूरत है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुनर्गठित करने के लिए गठित नए कृतिक बल ने कुछ सिफारिशें की हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इस संबंध में किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्न प्रकार से हैं–

- दिनांक 1.1.96 से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन/शिक्षकों के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। शिक्षण व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय पात्रता परीक्षा प्रारंभ की गई।
- नव नियुक्त विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों के पुन: प्रबोधन के लिए शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज स्थापित किया गया।
- पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान तथा मानविकी में 27 पाठ्यचर्या विकास केंद्र स्थापित किए गए। अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 27 विषयों में मॉडल पाठ्यचर्या तैयार की गई।
- विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण तथा शोध में सुधार के लिए वि०अ०आ० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय व्यवस्था में शोध की प्रौन्नति के लिए प्रमुख सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए वि०अ०आ० द्वारा अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किए गए।
- चुनिंदा कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देना।
- परिचालित किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में कम-से-कम 180 शिक्षक दिवस हों।
- वि०अ०आ० द्वारा प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों का विनियमन, न्यूनतम कार्य दिवस आदि अधिसूचित किए गए।

(ग) और (घ) वि०अ०आ० ने कुलपतियों से कहा है कि हड़तालों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि शैक्षणिक कार्यों में बाधा न आए।

(ङ) से (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि "यह आयोग का सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालयों या अन्य सम्बद्ध निकायों से विचार-विमर्श कर वह सभी कदम उठाए जो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार और समन्वय करने और विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए उचित हैं।" विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को निधियों का वितरण करना भी आयोग का एक कार्य है।

(ज) और (झ) कार्यदल ने मामले को अभी रोक दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

2343. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान स्वीकृत किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) सरकार को उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इस संबंध में राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ग) इस अवधि के दौरान देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

आठवीं योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कें

रा०रा० सं०	रूट	लंबाई (कि०मी०)	किन राज्यों से गुजरती है (लंबाई)
18	करनूल-चित्तूर	369	आंध्र प्रदेश (369)
19	गाजीपुर-बलिया-छपरा-पटना	240	उत्तर प्रदेश (120) बिहार (120)
	कुल	609	

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लंबाई (कि०मी०)
1.	आंध्र प्रदेश	9	4812
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	400
3.	असम	1	178
4.	बिहार	6	1390
5.	चंडीगढ़	—	—
6.	दिल्ली	—	—
7.	गोवा	3	101
8.	गुजरात	10	2510
9.	हरियाणा	5	932
10.	हिमाचल प्रदेश	2	618
	कश्मीर	1	400
12.	कर्नाटक	14	4810
13.	केरल	8	1301
14.	मध्य प्रदेश	13	6492
15.	महाराष्ट्र	11	4782
16.	मणिपुर	1	332
17.	मेघालय	1	133
18.	मिजोरम	3	441
19.	नागालैंड	1	220
20.	उड़ीसा	4	837
21.	पांडिचेरी	2	104
22.	पंजाब	5	980
23.	राजस्थान	5	1709
24.	सिक्किम	1	30
25.	तमिलनाडु	16	3355
26.	त्रिपुरा	1	135
27.	उत्तर प्रदेश	4	1856
28.	पश्चिम बंगाल	7	530
	कुल	135	39388

विवरण-III

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु आठवीं योजना में निधियों का आवंटन

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राशि (लाख रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	18479.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	310.00
3.	असम	7022.00
4.	बिहार	8375.00
5.	चंडीगढ़	124.00
6.	दिल्ली	2200.00
7.	गोवा	2975.00
8.	गुजरात	23431.00
9.	हरियाणा	26565.00
10.	हिमाचल प्रदेश	6500.00
11.	जम्मू तथा कश्मीर	285.00
12.	कर्नाटक	12510.36
13.	केरल	16669.00
14.	मध्य प्रदेश	7939.50
15.	महाराष्ट्र	12974.00
16.	मणिपुर	1735.00
17.	मेघालय	2857.00
18.	मिजोरम	0.00
19.	नागालैंड	195.00
20.	उड़ीसा	14704.00
21.	पांडिचेरी	244.64
22.	पंजाब	19960.00
23.	राजस्थान	20165.00
24.	सिक्किम	0.00
25.	तमिलनाडु	9958.50
26.	त्रिपुरा	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	30179.00
28.	पश्चिम बंगाल	17135.00
29.	जोगीघोपा पुल	11950.00
	कुल	275442.50

नोट—1. इसमें रा०रा० (ओ) एवं विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए निधियां शामिल हैं।

2. इसके अतिरिक्त, आठवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9179 लाख रु० एनएचएआई ने और 24900 लाख रु० बी०आर०डी०बी० ने व्यय किए।

राज्यों में उच्च न्यायालय

2314. श्री के० करुणाकरण : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय हैं;

(ख) किन-किन राज्यों के उच्च न्यायालय राज्य की राजधानियों से बाहर हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों में उच्च न्यायालय के केवल खंडपीठ ही राज्यों की राजधानी में हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) ऐसे राज्य, जिनके उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी में हैं, निम्नलिखित हैं–

क्र०सं०	राज्य	उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	महाराष्ट्र	मुंबई
3.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता
4.	दिल्ली	नई दिल्ली
5.	असम	गौहाटी
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
7.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
8.	कर्नाटक	बंगलौर
9.	मद्रास	चेन्नई
10.	बिहार	पटना
11.	पंजाब	चंडीगढ़
12.	हरियाणा	चंडीगढ़
13.	सिक्किम	गंगटोक

(ख) ऐसे राज्य, जिनके उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी से बाहर हैं, निम्नलिखित हैं–

क्र०सं०	अन्य राज्य	राजधानी से बाहर प्रधान स्थान
1	2	3
1.	नागालैंड	गौहाटी
2.	मिजोरम	गौहाटी
3.	मणिपुर	गौहाटी
4.	त्रिपुरा	गौहाटी
5.	मेघालय	गौहाटी
6.	अरुणाचल प्रदेश	गौहाटी
7.	केरल	एर्नाकुलम
8.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
9.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
10.	गोवा	मुंबई
11.	राजस्थान	जोधपुर
12.	उड़ीसा	कटक
13.	गुजरात	अहमदाबाद

(ग) ऐसे राज्य, जिनकी राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय की केवल एक न्यायपीठ है, निम्नलिखित हैं–

क्र०सं०	राज्य	न्यायपीठ, जिस राजधानी में है
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
2.	गोवा	पणजी
3.	राजस्थान	जयपुर
4.	नागालैंड	कोहिमा
5.	मिजोरम	ऐजल
6.	मणिपुर	इम्फाल
7.	त्रिपुरा	अगरतला
8.	मेघालय	शिलांग

नौवहन योग्य अंतर्देशीय जलमार्ग

2345. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में माल परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नौवहन योग्य अंतर्देशीय जलमार्ग कहां-कहां हैं;

(ख) गत वर्ष अंतर्देशीय जल परिवहन के जरिए कुल कितने माल की आवाजाही हुई; और

(ग) पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से और माल परिवहन को आकर्षित करने के टर्मिनल नौसंचालय संबंधी सहायताओं इत्यादि जैसी और अधिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट (1980) के अनुसार नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1997-98 के दौरान आई डब्ल्यू टी ने कुल 19.78 मिलियन टन कार्गो ढोया। यह कार्गो मुख्य रूप से गोवा में मंडोवी और जुआरी नदियों में, रा०ज०-1 में हल्दिया से इलाहाबाद, रा०ज०-2 में कलकत्ता से पांडु। धनसिरिमुख, वाया बंगलादेश, चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहर और रा०ज०-3 में पश्चिमी तटीय नहर के कोची-इडापल्लीकोटा खंड और बंगलादेश होते हुए कलकत्ता से करीमगंज के बीच ढोया जाता है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 पर विभिन्न स्थानों पर यांत्रिक और मैनुअल भराई, उतराई सुविधाओं सहित कंटेनर टर्मिनल और रात्रि नौचालन सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

भारत में नौवहन योग्य जलमार्ग

क्र०सं०	राज्य	नौचालन योग्य जलमार्ग *(कि०मी०)
1.	आंध्र प्रदेश	1,999
2.	असम	1,983
	[illegible]	1,262
	दमन व दीव	342
5.	गुजरात	286
6.	जम्मू तथा कश्मीर	200
7.	कर्नाटक	444
8.	केरल	1,548
9.	महाराष्ट्र	501
10.	उड़ीसा	985
11.	तमिलनाडु	216
12.	उत्तर प्रदेश	2,441
13.	पश्चिम बंगाल	2,337
	कुल	14,544

*इनमें वे सभी जलमार्ग शामिल हैं जिनमें देशी नौकाएं नौचालन कर सकती हैं।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

2346. **डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत शुल्क, निजी पारेषण लाइसेंसिंग ग्रिड कोड एवं पारेषण शुल्क को दायरे में लाने के लिए नियम कब तक तैयार कर लिया जाएगा;

(ख) विद्युत संबंधी नियमों को तैयार करने में विलंब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कारोबार और टैरिफ के संचालन को शासित करने संबंधी प्रारूप विनियम 7 दिसंबर, 1998 को जारी कर दिए गए हैं। इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत एंटिटी, राज्यज-सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, उपभोक्ता समूहों, पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में परिपत्रित किया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के माध्यम से आम जनता के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं। ग्रिड कोड पर जिसमें पारेषण लाइसेंस प्रदान करना भी शामिल है, इस समय संबंधित यूटिलिटियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है और इसके जल्दी ही उपलब्ध होने की संभावना है।

(ख) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियम तैयार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अपनी स्थापना के चार महीनों के भीतर विनियम तैयार कर लिया है। अत: इन विनियमों को तैयार करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना

2347. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सबसे पुराने सबौर कृषि महाविद्यालय भागलपुर को पूर्ण कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त कृषि महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) कृषि, राज्य का विषय होने के नाते कृषि कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को स्थापित करना सामान्यतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् स्थापित विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। सबौर कृषि कॉलेज, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का एक प्रमुख संघटक कॉलेज है।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि सबौर कृषि कॉलेज पहले से ही विश्वविद्यालय का एक प्रमुख संघटक कॉलेज है तथा शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इसे पूर्ण रूप से सहायता दी जाती है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह श्रम-शक्ति, योजना और जरूरतों के आधार पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करे।

[अनुवाद]

बी०एड० पाठ्यक्रम पुनः आरंभ किया जाना

2348. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बी०एड० पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पुनः आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक संक्षिप्त समीक्षा की गई थी जिसमें यह सिफारिश की गई कि क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय केंद्रों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए और वर्तमान सेवा-पूर्व पाठ्यक्रमों को बन्द कर दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) शैक्षिक तथा वित्तीय प्रतिबंधों के कारण 4 वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में एक फैकल्टी बंद किया जाना

2349. श्री राघवेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्पेशिएलाइजेशन संकाय बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह फैकल्टी कब से बंद हुई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस फैकल्टी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) न्यूक्लियर/कोस्मो केमिस्ट्री प्रयोगशालाओं के उपकरणों की कुल लागत कितनी है और इस फैकल्टी के बंद होने के बाद इनका उपयोग कैसे किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) साठ के दशक के प्रारंभ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के रसायन विभाग में दो संकाय सदस्यों के साथ नाभिकीय रसायनशास्त्र/कोस्मो रसायन शास्त्र में कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1993 तक दोनों संकाय सदस्य सेवा निवृत्त हो गए और पी-एच०डी० छात्रों को आकर्षित करना कठिन हो गया है। जो पहले ही प्रशिक्षित थे वे उद्योगों अथवा शिक्षा जगत् में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। इस विशेषज्ञता को पुनः शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। हासिल किए गए अधिकांश उपस्कर अप्रचलित हो गए हैं और उपयोग योग्य उपस्करों का उपयोग सॉलिड स्टेट रसायनशास्त्र तथा संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में किया जा रहा है।

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

2350. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु शुल्क निर्धारित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उन भूस्वामियों के पुनर्वास की कोई योजना है जिन्होंने अपनी भूमि इस ताप विद्युत परियोजना के लिए दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए टैरिफ सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

(ग) और (घ) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ने भू-स्वामियों सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) के लिए एक पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार की है। पुनर्वास कार्य योजना परियोजना के लिए अधिग्रहित भूति से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए विस्तृत सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों पर आधारित है। पुनर्वास कार्य योजना को, ग्रामं विकास सलाहकार समिति (बीडीएसी) जिसमें परियोजना प्रभावित व्यक्ति, राज्य सरकार, एनटीपीसी और क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य इच्छुक समूह के प्रतिनिधि शामिल हैं, की अनेक बैठकों के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया था। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या 2244 है। विभिन्न स्कीमें जैसे कुक्कुट पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कोयर उत्पादन, नारियल खेती और अन्य स्व-रोजगार योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्यान्वयनाधीन है।

जम्मू-कश्मीर में विद्युत उत्पादन

2351. श्री चमन लाल गुप्त : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र में जहां भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध है ताप विद्युत संयंत्र शुरू करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कालाकोते परियोजना को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जम्मू में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर में सलाल और ऊड़ी विद्युत परियोजनाएं

2352. **वैद्य विष्णु दत्त** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने सलाल और ऊड़ी परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) क्या जम्मू में नई विद्युत परियोजनाएं लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। जम्मू और कश्मीर सरकार को ऊड़ी और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं सौंपने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा है। इस परियोजना को वर्ष 2001 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8

2353. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर दिल्ली-जयपुर सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड़गांव के नजदीक कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(घ) इस दिशा में सराकर द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह सच है कि गुड़गांव के नजदीक इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं हुई हैं। इस राजमार्ग को 4-लेन में चौड़ा किया जा रहा है जिससे काफी हद तक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ जाएगी।

वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि

2354. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछली गणना के अनुसार प्रमुख प्रजातियों में से प्रत्येक की कुल संख्या कितनी है और उसमें राज्यवार वृद्धि की दर कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें बचाने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। देश में कुछ प्रमुख वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) पिछली गणना तथा राज्यवार वृद्धि दर के अनुसार प्रमुख प्रजातियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

(घ) इन्हें बचाने और इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं–

1. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
2. बाघों, हाथियों तथा गैंडों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
3. वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर छापे मारे जाते हैं।
4. वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत संकटापन्न पशु प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है।
5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केंद्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।
6. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि जैसे प्रवर्तन संगठनों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाए गए हैं। दिल्ली तथा देहरादून में 1995 और 1996 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के कर्मचारियों को आधुनिक हथियार, बेतार उपकरण और संचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
8. केंद्र के समनुरूप राज्यों से भी कहा गया है कि वे सभी प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय समिति बनाएं ताकि चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके।

विवरण-I

राज्य	बाघ		तेंदुआ	
	1993	1997	1993	1997
आंध्र प्रदेश	197	183	152	290
अरुणाचल प्रदेश		उपलब्ध नहीं	98	20
असम	उपलब्ध नहीं			उपलब्ध नहीं
बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गोवा	3	6	31	25
गुजरात	5	1	772	803
हरियाणा		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश				उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	305	350		उपलब्ध नहीं
केरल	57	68		उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	9	12	927	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	276	257	417	431
मणिपुर		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
मेघालय	53	63		उपलब्ध नहीं
मिजोरम	28	12	49	20
उड़ीसा	226	194	378	410
राजस्थान	64	58		उपलब्ध नहीं
सिक्किम	2	4		उपलब्ध नहीं
त्रिपुरा		उपलब्ध नहीं	18	18
उत्तर प्रदेश	465	475		उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	335	361		
दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	15
कुल	2932	2959	1930	2023
% में वृद्धि	0.92		4.81	

आंकड़ों से मालूम होता है कि बाघ और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

विवरण-II

राज्य	हाथी	
	1989	1998
	न्यूनतम-अधिकतम	न्यूनतम-अधिकतम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1800-2000	46-46
अरुणाचल प्रदेश	2000-4300	2000-3000
असम	3500-800	5000-6000
बिहार	335-335	500-600
कर्नाटक	2200-2650	5000-6000
केरल	2500-2500	3000-4000
मेघालय	2750-3825	2500-3000
उड़ीसा	1300-2000	1500-2000
तमिलनाडु	1250-1700	2300-2500
त्रिपुरा	120-150	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	750-1000
पश्चिम बंगाल	155-155	200-200
कुल	17910-23265	22796-28346
% में वृद्धि	21.83	

आंकड़ों से मालूम होता है कि हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विवरण-III

राज्य	गैंडा		शेर		ब्रो एंटीलर्ड हिरण	
	1991	1997 (अनुमान)	1989	1995	1996	1997
असम	1519	1530				
गुजरात			284	304		
मणिपुर					143	147
उत्तर प्रदेश	9 (1989)	13				
पश्चिम बंगाल	39 (1989)	55				
कुल	1567	1598	284	304	143	147
% में वृद्धि	1.97		7.04		2.97	

आंकड़ों से पता चलता है कि गैंडों, शेरों तथा ब्रो एंटीलर्ड हिरणों की आबादी में वृद्धि हुई है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

2355. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना-छपरा-सिबान को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति खराब है और यह सार्वजनिक परिवहन के लिए सुरक्षित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) पटना-छपरा-सिवान को जोड़ने वाली सड़क का केवल एक भाग ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

आरक्षित वनों में गैर-अधिसूचित क्षेत्र

2356. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षित वनों को गैर-अधिसूचित करने के लिए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के आरक्षित वनों में राज्यवार गैर-अधिसूचित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिसूचना में नियत की गई तिथि से अधिनियम के तहत आरक्षित कोई वन या उसका कोई भाग आरक्षित वन नहीं माना जाएगा। हालांकि इस तरह की किसी अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले संबंधित राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख

पादप-आधारित औषधियों/जड़ी-बूटियों का अनुसंधान

2357. श्री आर०एस० गवई : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पादप-आधारित औषधियों और जड़ी-बूटियों संबंधी अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की 20 प्रयोगशालाओं में पादपाधारित औषधियों के विकासार्थ और पादपाधारित व जड़ी-बूटियों की प्रक्रिया के मानकीकरण तथा प्रक्रमण-प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान व विकास कार्यक्रम चल रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम

2358. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वित्त निगम की देनदारियां क्या हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा क्या कार्य किए गए?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार विद्युत वित्त निगम की देयताएं निम्नवत हैं–

	करोड़ रुपये
पूंजी	1030.45
आरक्षिति एवं अधिशेष	1449.85
प्रतिभूति ऋण	2420.02
गैर-प्रतिभूति ऋण	2686.61
चालू देयताएं एवं प्रावधान	373.04
कुल	7959.97

(ख) विद्युत वित्त निगम एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है तथा यह अपने आप कोई कार्य/परियोजना हाथ में नहीं लेता बल्कि विभिन्न राज्य यूटिलिटियों जैसे राज्य बिजली बोर्डों, राज्य उत्पादन निगमों, राज्य विद्युत विभागों के साथ-साथ निजी विद्युत परियोजनाओं और केंद्रीय यूटिलिटियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

2359. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम एन०टी०पी०सी० ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी;

(घ) क्या उक्त परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केरल में 350 मे०वा० क्षमता के साथ नाफथा आधारित कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सी०सी०पी०पी०) का क्रियान्वयन कर रहा है। कायमकुलम सी०सी०पी०पी० की प्रथम गैस टरबाईन (115 मे०वा०) को 5.12.1998 को चालू कर दिया गया है। शेष यूनिटें संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही हैं और इन यूनिटों को मई, 1999 और मार्च, 2000 तक चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

(घ) और (ङ) एन०टी०पी०सी० कोचीन में द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना के विस्तार

का इरादा रखती है। एन०टी०पी०सी० स्थल संबंधी विशेष अध्ययन कार्य/जांच-पड़ताल के लिए कार्रवाई आरंभ कर रहा है और वित्तीय सुनिश्चितता, तरल ईंधन एवं पानी जैसे मुख्य निवेशों की उपलब्धता के पश्चात् ही एन०टी०पी०सी० द्वारा विस्तार प्रस्ताव सुनिश्चित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

2360. श्री के० येरननायडू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और सड़कों के स्तर में सुधार करने के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 40 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

शब्दावलियों का प्रकाशन

2361. श्री रामानन्द सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा 'शब्दावलियों के अनुकूलन' के लिए लगाई गई एजेंसियों ने हिन्दी भाषी राज्यों में विद्यालयों के लिए विषयवार सूची उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन एजेंसियों ने इन राज्यों में अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह उद्देश्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में ग्रन्थ अकादमियां/पाठ्य पुस्तक बोर्ड स्थापित किए हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विकसित शब्दावली को विश्वविद्यालय स्तर पर अपना रहे हैं। न तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और न ही ग्रंथ अकादमियां/पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय स्तर की संस्थाओं से संबंधित हैं तथा विद्यालयों को विषयवार सूचियां उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

देश में स्टेडियमों की संख्या

2362. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केंद्रीय सहायता से राज्य-वार कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और स्टेडियमों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सहायता से निर्मित स्टेडियमों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यह संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त होने वाले व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन स्टेडियमों की संख्या जिनके लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	1	—	—
3.	बिहार	—	1	—
4.	दिल्ली	1	—	—
5.	गुजरात	1	—	—
6.	हरियाणा	2	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1
8.	जम्मू व कश्मीर	1	—	—
9.	कर्नाटक	8	8	3
10.	केरल	6	—	—
11.	मध्य प्रदेश	4	—	—
12.	महाराष्ट्र	10	—	—
13.	मिजोरम	8	—	—
14.	सिक्किम	2	—	—
15.	तमिलनाडु	1	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	1	—	—
		48	9	4

[अनुवाद]

क्लोरोफ्लूरो कार्बन को समाप्त करना

2363. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलकों से लगातार निकलने वाले क्लोरोफ्लूरो कार्बन की समाप्ति के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से ऊर्जा तथा उद्योग के संदर्भ में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाने वाली प्रौद्योगिकी का पता लगाने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए जाने वाले केंद्र से संबंधित योजना में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) 'मॉन्ट्रियल प्रॉटोकोल' के अनुपालन में कन्ट्री प्रोग्राम किया गया है। 'मॉन्ट्रियल प्रॉटोकोल' के तहत सृजित 'मल्टीलेटरल फंड' के माध्यम से परियोजना का निधिकरण करके तथा इन उद्योगों को तकनीकी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करवाकर रेफ्रिजरेटरों तथा वातानुकूलकों से [illegible] (सी०एफ०सी०) समाप्त करने हेतु कदम उठाए गए

(ख) दिल्ली में नेशनल क्लीनलर प्रोडक्शन सेंटर (एन०सी०पी०सी०) स्थापित किया गया है। बिजली की खपत तथा कच्चे खनिज पदार्थों संबंधी अन्य निवेश में कमी करने के उद्देश्य से इस केंद्र द्वारा उद्योगों में क्लीन प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने संबंधी कार्यक्रमों का समन्वयन किया जा रहा है।

जिला विज्ञान केंद्रों की स्थापना

2364. श्री बासव राव पाटील सेडाम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला विज्ञान केंद्रों की स्थापना के क्या लक्ष्य और कारण हैं;

(ख) क्या उनके आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) राज्यवार ऐसे कितने केंद्र खोले गए हैं और उनके लिए निगरानी तंत्र किस प्रकार का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जिला विज्ञान केंद्रों की स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा मुख्य रूप से इस उद्देश्य से की गई थी कि विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लाभ हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इस दृष्टि से लोकप्रिय बनाया जा सके कि विद्यार्थियों के मध्य वैज्ञानिक खोजबीन और सृजनशीलता की भावना का भी प्रतिपोषण हो सके।

(ख) से (घ) जी, हां। इन केंद्रों का आधुनिकीकरण परस्पर प्रभावशील प्रदर्शन और सहभागी गतिविधियों को दर्शाने, समुचित साफ्टवेयर के अनुप्रयोग सहित विज्ञान संचार प्रक्रिया को अधिक दर्शक-मैत्रीपूर्ण बनाकर, शैक्षिक कार्यक्रम और समुदाय जन-जागरण कार्यक्रमों में सम-सामयिक और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों का प्रवर्तन करने के माध्यम से आरम्भ किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदों (एन०सी०एस०एम०) ने अब तक तिरुनेलवेली (तमिलनाडु), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), धरमपुर (गुजरात), गुलबर्गा (कर्नाटक), बर्धमान (पश्चिम बंगाल), ढेकनाल (उड़ीसा), दीघा (पश्चिम बंगाल) और साइंस पार्क, कपिलेश (उड़ीसा) में 8 जिला विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है।

इन केंद्रों की मानीटरिंग एन०सी०एस०एम० के स्थानीय परामर्शी समितियों और क्षेत्रीय उपकेंद्रों द्वारा विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर, बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में की जाती है।

[हिन्दी]

सड़क क्षेत्र में विदेशी निवेश

2365. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सड़क क्षेत्र में शतप्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है इसलिए कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति

2366. डॉ० विक्रम सरकार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए जारी की गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय पर कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यत: उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, अभी हाल ही में आई बाढ़ के कारण कुछ खंडों में भारी नुकसान हुआ है जिनकी मरम्मत की जा रही है और इस प्रयोजनार्थ 4.00 करोड़ रु० तदर्थ जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाघ अभयारण्य

2367. श्री रामशकल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न बाघ अभयारण्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी जारी की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ग) बाघों तथा इस प्रजाति के अन्य जंगली जानवरों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन अभयारण्यों में बाघों तथा अन्य जंगली जानवरों की उचित सुरक्षा एवं विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाघ परियोजना तथा पारिस्थिकी विकास की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए क्रमश: 38.79 करोड़ तथा 9.16 करोड़ रु० की धनराशि अनुमोदित तथा जारी की गई थी।

(ख) छ: बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पारि-विकास परियोजना तथा वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार परियोजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान 41.36 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में किए गए पिछले दो क्रमिक अनुमानों के अनुसार बाघ तथा तेंदुओं की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा बाघों तथा अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए उपाय नीचे बताए अनुसार सूचीबद्ध किए गए हैं–

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 से 4 में शामिल वन्य जीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
2. बाघों तथा गैंडों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
3. वन्य वनस्पतिजात तथा प्राणिजात के संरक्षण के लिए 441 वन्यजीव अभयारण्यों तथा 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसके तहत 1,48,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र आता है।
4. वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर छापे मारे जाते हैं।
5. वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत संकटापन्न पशु प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है।
6. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात केंद्रों में वन्यजीव परीरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।
7. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि जैसे प्रवर्तन संगठनों के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ाए गए हैं। दिल्ली तथा देहरादून में 1995 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
8. देश के बाघों वाले क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए मंत्रालय में एक बाघ संकट प्रकोष्ठ (टाइगर क्राइसिज सैल) की स्थापना की गई है।
9. राज्य सरकारों को चौकसी को सुदृढ़ करने तथा गश्त बढ़ाने की सलाह दी गई है।
10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में 'विशेष प्रहार बल' स्पेशल स्ट्राइक फोर्स' की स्थापना संबंधी कार्यों की शुरुआत की गई है।
11. बाघों के संरक्षण करने तथा बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य भागों की तस्करी को रोकने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों के समन्वयन हेतु चीन सरकार के साथ एक प्रौटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
12. बाघों के अवैध शिकार को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने तथा बाघ क्षेत्रों वाले देशों में बाघों तथा इसके वासस्थलों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयत्नों के समन्वयन के प्रयोजन से 'विश्व बाघ मंच' (ग्लोबल टाईगर फोरम) स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण-I

देश में बाघों की संख्या, जैसा राज्यों द्वारा सूचित किया गया है

क्र०सं०	राज्य का नाम	बाघ					
		1972	1979	1984	1989	1993	1997
1.	तमिलनाडु	033	065	097	095	097	062
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257
3.	केरल	060	134	089	045	057	एन आर
4.	पश्चिम बंगाल	073	296	352	353	335	361
5.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	एन आर
6.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350
7.	बिहार	085	110	138	157	137	103
8.	असम	147	300	376	376	325	458
9.	राजस्थान	074	079	096	099	064	58
	[illegible]	457	529	786	985	912	927
	[illegible]	262	487	698	735	465	475
12.	आंध्र प्रदेश	035	148	164	235	197	171
13.	मेघालय	032	035	125	034	053	एन आर
14.	मणिपुर	001	010	006	031	—	एन आर
15.	त्रिपुरा	007	006	005	—	—	एन आर
16.	मिजोरम	—	065	033	018	020	12
17.	नागालैंड	080	102	104	104	003	एन आर
18.	अरुणाचल प्रदेश	069	139	219	135	180	एन आर
19.	सिक्किम	—	—	002	004	002	एन आर
20.	गुजरात	008	007	009	007	003	01
21.	गोवा दमन व दीव	—	—	—	002	003	06
22.	हरियाणा	—	—	001	—	—	एन आर
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750	3241

*एन आर—राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं।

विवरण-II

राज्यों द्वारा सूचित देश में तेंदुओं की संख्या

क्र०सं०	राज्य का नाम	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	198	119	138	110
2.	महाराष्ट्र	380	580	417	431
3.	केरल	एन आर	27	16	एन आर
4.	पश्चिम बंगाल	112	108	108	एन आर

1	2	3	4	5	6
5.	उड़ीसा	266	279	378	एन आर
6.	कर्नाटक	238	283	455	एन आर
7.	बिहार	113	134	203	एन आर
8.	असम	123	123	246	एन आर
9.	राजस्थान	270	461	475	474
10.	मध्य प्रदेश	1322	2036	1700	1851
11.	उत्तर प्रदेश	880	1095	711	1412
12.	आंध्र प्रदेश	एन आर	301	152	138
13.	हिमाचल प्रदेश	199	199	821	एन आर
14.	मेघालय	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
15.	पांडिचेरी	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
16.	मणिपुर	7	एन आर	एन आर	एन आर
17.	त्रिपुरा	27	27	18	एन आर
18.	दादरा और नगर हवेली	एन आर	10	15	15
19.	मिजोरम	6	38	49	28
20.	नागालैंड	72	72	एन आर	एन आर
21.	अरुणाचल प्रदेश	21	121	98	एन आर
22.	सिक्किम	एन आर	1	एन आर	एन आर
23.	गुजरात	498	702	772	832
24.	दिल्ली	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
25.	हरियाणा	10	19	25	एन आर
26.	पंजाब	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
27.	लक्षद्वीप	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
28.	गोवा दमन व दीव	10	18	31	25
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
30.	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31.	जम्मू व कश्मीर	4	4	एन आर	एन आर
	कुल	4744	6763	6828	5316

*एन आर—राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक के सहयोग से राजमार्ग परियोजनाएं

2368. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य/अवधि निर्धारित की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से कार्यान्वित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे

I. एशियाई विकास बैंक की दूसरी ऋण सहायता (ऋण सं० 1041-इंड)

ऋण राशि 250 मिलियन अमरीकी डालर

क्र०सं०	राज्य	परियोजना का नाम	लम्बाई कि०मी०	31.10.98 तक प्रगति (%)	नियत तारीख/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं					
1.	कर्नाटक	रा०रा०-7 के बंगलौर-होसूर खंड को 4 लेन का बनाना	25.00	99.55	काफी पूरा कर लिया गया है।
2.	केरल	रा०रा०-47 के अलवाई-शेरथलै खंड को 4 लेन का बनाना	47.00	95.48	3/99 तक
3.	राजस्थान	रा०रा०-8 के अकरोल-कोटपुतली खंड को 4 लेन का बनाना	68.50	99.90	काफी पूरा कर लिया गया है।
राज्यीय सड़क परियोजनाएं					
		काकीनाडा-राजनग्राम सड़क का सुधार	54.00	पूरी हो चुकी है	पूरी हो चुकी है
		राउरकेला-संबलपुर खंड का सुधार	164.00	पूरा कर लिया गया है	पूरा कर लिया गया है
3.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी-शक्तिनगर सड़क का सुधार	182.00	92.67	जून, 99
4.	पश्चिम बंगाल	पानागढ़-मोरग्राम सड़क का सुधार	152.00	72.35	दिस०, 99

II. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (ऋण सं० 1274-इंड)

ऋण राशि 245 मिलियन अमरीकी डालर

क्र०सं०	राज्य	परियोजना का नाम	लम्बाई कि०मी०	31.10.98 तक प्रगति (%)	नियत लक्ष्य/प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा एवं राजस्थान	रा०रा०-8 के गुड़गांव से कोटपुतली खंड को 4 लेन का बनाना (36.33 से 162.50 कि०मी०)	125.93	10.10	3/2001
2.	पश्चिम बंगाल	रा०रा०-2 के रानीगंज-पानागढ़ खंड को 4 लेन का बनाना (474.0 से 516.0 कि०मी०)	42.00	10.00	1/2001
3.	बिहार	रा०रा०-2 के बरवा अड्डा-बाराकर खंड को 4 लेन का बनाना (398.75 से 441.44 कि०मी०)	42.70	19.70	6/2000
4.	आंध्र प्रदेश	रा०रा०-9 के नन्दीगांव-विजयवाड़ा खंड (217.0 से 265.0 कि०मी०) को सुदृढ़ करना और 252.0 से 265.0 कि०मी० तक 4 लेन बनाना	48.00	13.60	4/2000
5.	आंध्र प्रदेश	रा०रा०-5 के विजयवाड़ा-इलूरू खंड (3.4 से 53.8 कि०मी०) और 69.2 से 75.0 कि०मी० को सुदृढ़ करना और 3.4 से 13 कि०मी० एवं इलूरू कस्बे 17.88 कि०मी० लम्बे बाइपास (53.80 से 69.20 कि०मी०) को 4 लेन का बनाना	74.08	1.50	6/2001

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

2369. श्री हीरालाल राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहलगांव विद्युत संयंत्र से किए जाने वाले विद्युत उत्पादन के 50 प्रतिशत की आपूर्ति अन्य राज्यों को की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार की मांग पूरी करने के लिए कोई योजना है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने विद्युत संयंत्र लगाने के लिए एन०टी०पी०सी० को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न लाभभोगी घटकों को कहलगांव सुपर ताप विद्युत स्टेशन (840 मे०वा०) से किया जाने वाला विद्युत आवंटन का ब्यौरा निम्नवत् है–

लाभभोगी राज्य/घटक	मे०वा०
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	180
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	285*
दामोदर घाटी निगम	67
ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा	135
सिक्किम	15
अनावंटित	158
जोड़	840

*गृह राज्य के हिस्से समेत।

(ख) कहलगांव एस०टी०पी०एस० में अपने 285 मे०वा० हिस्सेदारी के अतिरिक्त बिहार की एन०टी०पी०सी० के फरक्का एस०टी०पी०एस० (1600 मे०वा०) और तलचेर एस०टी०पी०एस० (1000 मे०वा०) में भी क्रमशः 375 मे०वा० और 239 मे०वा० तक की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त एन०टी०पी०सी० के पास पूर्वी क्षेत्र में लगभग 3000 मे०वा० का विद्युत अधिशेष उपलब्ध है। बिहार अपनी आवश्यकता की पूर्ति भुगतान किए जाने की शर्तों पर एन०टी०पी०सी० की इस अधिशेष विद्युत से कर सकता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996 में बिहार सरकार ने यह सूचना प्रदान की थी कि बिहार ने कोयला आधारित नबीनगर मेगा विद्युत परियोजना के लिए 2300 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है। इस परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए धनराशि

2370. श्री चार्ल्स डैडन : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग की गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) प्राधिकारियों ने केरल राज्य में इसके कार्यान्वयन के लिए क्या गतिविधियां शुरू की हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 में विकास कार्यों के लिए 1998-99 के दौरान 10.30 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं। इनमें सर्वेक्षण, चैनल चिन्हांकन, अनुरक्षण निकर्षण, बांधों की मरम्मत और रख-रखाव तथा पर्यावरणीय अध्ययन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नहर के तंग खंडों को चौड़ा करने के लिए कैपिटल निकर्षण, 24 घंटे नौचालन के लिए उपकरण, टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारी ईंधन आधारित विद्युत परियोजना

2371. श्री था० चौबा सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी ईंधन आधारित 36 मेगावाट वाली विद्युत परियोजना का कार्य 31 दिसंबर, 1998 को या उससे पहले शुरू करने का प्रस्ताव है तथा क्या यह काम अक्तूबर, 1999 तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो अव्यपगमनीय अवसंरचनात्मक विकास कोष से अभी तक कितनी धन-राशि आवंटित तथा जारी की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) मणिपुर में भारी तेल (हैवी ऑयल) आधारित लिमाखोंग डी०जी० विद्युत परियोजना (6 × 6 मे०वा०) के क्रियान्वयन हेतु मै० भेल को 10.11.98 को टर्न-की ठेका दे दिया गया है। मै० भेल को 800 लाख रुपये की सीमा तक की धनराशि के रूप में दे दी गई है। परियोजना का मार्च, 1999 में चालू किए जाने का पुनः कार्यक्रम बनाया गया है। निधियों की कमी और परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए परियोजना चालू करने के इस कार्यक्रम की वर्ष 1999-2000 तक पिछड़ने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं बिहार में वनों का विकास

2372. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार सरकारों से वन क्षेत्र विकास के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्यों के लिए पिछले तीन वर्षों (1995-98) के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जो प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं, वे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। उनकी मंजूरी, पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त विवरण-I में दी गई विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं भी इस अवधि में उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए मंजूर की गई हैं।

विवरण-I

स्ताव	पिछले तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) में स्वीकृत धनराशि (रुपये लाख में)		
	उत्तर प्रदेश	गुजरात	बिहार
I. एकीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम :			
(i) उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी/टिहरी, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले	1696.87		
(ii) गुजरात में भावनगर जिला		271.94	
(iii) बिहार में देवघर, गिरिडिह, रांची जिले			319.31
2. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	2145.61	1280.05	1074.71
3. औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वन उत्पाद का संरक्षण और विकास	262.75	613.86	230.80
4. वृक्ष और चारागाह बीज विकास योजना	7.00	39.41	27.30

*केंद्रीय प्रायोजित योजना 50 : 50 शेयरिंग आधार पर प्रचालित की जाती है। उपर्युक्त आंकड़े केंद्रीय सहायता घटक के है।

II. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1. उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997-98 में प्रारंभ की गई। चार वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना की लागत 272.00 करोड़ रुपये है।

2. गुजरात वानिकी परियोजना, ओ ई सी एफ (जापान) की सहायता से 1995-96 में प्रारंभ की गई। छः वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना की लागत 608.00 करोड़ रुपये है।

विवरण-II

लंबित प्रस्ताव

1. एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजनाएं स्कीम

परियोजना का नाम	राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय (रुपये लाख में)
उत्तर प्रदेश	
राम गंगा मृदा संरक्षण प्रभाग गोरखपुर, हरिद्वार, बिजनौर, शिवालिक और हरदोई, झांसी जिले	3161.55
गुजरात	
पंचमहल, सूरत, भावनगर, बनासकंठा जिले	659.00
बिहार	
जमुई, दुमका और गुमला जिले	487.32

2. भोगाधिकार शेयरिंग आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरोत्पादन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण लोगों को शामिल करने संबंधी योजना।

गुजरात और बिहार सरकार से क्रमशः 188.00 लाख रुपये और 647.00 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकारों को कम परिव्यय के संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

बीमारियों के इलाज हेतु नई तकनीक

2373. **श्री के०पी० मोहन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नेशनल सेंटर फार सेल साइंस ने कई बीमारियों के इलाज के लिए नई तकनीक खोज निकाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई तकनीक का प्रयोगात्मक स्तर पर परीक्षण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय की योजना उक्त तकनीक को व्यापक स्तर पर तथा निरंतर उपलब्ध कराने के लिए तीन अस्पताल आधारित केंद्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे ने वाइटिलिगो, जलन एवं नॉन हीलिंग अल्सर के मामले में प्रयोग करने के लिए मानव त्वचा संवर्धन तकनीक का विकास एवं मानकीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, इस केंद्र ने उन कैंसर रोगियों, जिन पर रेडिकल थेरेपी की जा रही है, के लिए अस्थि-मज्जा के हिमावसंरक्षण संबंधी तकनीक का भी मानकीकरण किया है।

(ख) त्वचा का संवर्धन तथा मानव के शरीर पर उसकी ग्राफ्टिंग संबंधी तकनीक को मानकीकृत किया गया है और 80 से भी अधिक रोगियों के उपचार में इसका प्रयोग किया गया है। अस्थि-मज्जा हिमावसंरक्षण तकनीक का क्लिनिकल प्रयोग भी किया जाना है।

(ग) इस त्वचा संवर्धन एवं ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी द्वारा उपचारित 80 मामलों में से 26 वाइटिलिगो, चार जायंट नेवि तथा नौ जलने के मामलों में सफलता मिली है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मानव जाति के लाभ के लिए इस प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु तीन अस्पताल आधारित केंद्रों की पहचान की गई है। ये हैं–

I. के ई एम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र पूना।

II. लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिओन, मुंबई।

III. लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली।

प्रारंभ में केवल तीन वर्ष तक सरकार इन केंद्रों की सहायता करेगी और इसके बाद मेजबान संगठन से यह आशा की जाती है कि अपने बूते पर चलेंगे।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी भूरे लाल समिति

2374. **श्री चन्देश पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में गठित भूरे लाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या चमड़े के कारखानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बावजूद राजधानी दिल्ली में ये इकाइयां अभी भी चल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने संबंधी उपायों को प्राथमिकता दी है।

(ग) प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उपायों को सरकार क्रियान्वित कर रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निदेश दिए गए हैं कि वह दिल्ली में स्थित चमड़ा इकाइयों की किसी भी तरह की अप्राधिकृत गतिविधि को बंद कराए।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी कार्य योजना

2375. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा-गोदावरी शुद्धिकरण कार्य योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) इस परियोजना पर हुए व्यय में केंद्र सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ङ) इस परियोजना पर कार्य कब आरंभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में कृष्णा एवं गोदावरी नदी की प्रदूषण निवारण की स्कीमों को अनुमोदित कर दिया है। स्कीमों की राज्य-वार एवं शहरवार अनुमोदित लागत नीचे दी गई है–

राज्य/नदी	शहर	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये)
1. महाराष्ट्र		
(i) कृष्णा	कराड	13.31
	सांगली	14.84
(ii) गोदावरी	नासिक	68.89
	नान्देड	14.50
		111.54
2. आंध्र प्रदेश (गोदावरी)	मंचरियाल	4.57
	भद्राचलम	2.94
	राजामुन्दरी	23.90
	रामागुंडम	19.74
		51.15

(घ) महाराष्ट्र राज्य की कार्य योजनाओं की 111.54 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि में से 7.13 करोड़ रुपये भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और लागत के शेष 104.41 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ङ) इस परियोजना का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश सरकार को अब तक क्रमश: 2.57 करोड़ रुपये 5.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

कोट्टी कोट्टापुरम अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए विकास परियोजना

2376. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोट्टी कोट्टापुरम अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की परियोजना हेतु कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने 100 प्रतिशत केंद्रीय के साथ 321.21 लाख ... मे केंद्र द्वारा प्रायोजित (सी एस एस) के रूप में इस ...न के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था और बाद में ... 50 प्रतिशत केंद्रीय ऋण सहायता) के अंतर्गत यह स्कीम शुरू करने की पुष्टि की। सरकार इस स्कीम पर विचार कर रही है।

संदिग्ध विदेशी विश्वविद्यालय

2377. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संदिग्ध विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा तथा इनसे संबद्ध भारतीय संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भारत में रहने वाले उन छात्रों से कई मिलियन डालर फीस के रूप में वसूल किए जा रहे हैं, जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश में कार्य कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों या उनकी शाखाओं की वैधता को श्री आर० सेतुरमन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके चुनौती दी गई है और सम्पूर्ण मामला निर्णयाधीन है। जबकि इस मामले पर अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं दिया गया है, माननीय न्यायालय ने मामले को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक कुछ प्रतिबंधों के अधीन ऐसे विश्वविद्यालयों को देश में कार्य करने की अनुमति दे दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाएं

2378. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के ब्यौरे और नाम क्या हैं जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्थान को अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार राजस्थान की अनौपचारिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कराई गई :

वर्ष	जारी की गई राशि (रु० लाखों में)
1995-96	703.64
1996-97	1423.47
1997-98	1544.01

(ख) और (ग) राजस्थान अनौपचारिक शिक्षा श्रमिक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों को हटाने का प्रस्ताव कर रही है। राजस्थान सरकार से आग्रह किया गया है कि वह उक्त अभ्यावेदन से संबंधित अपनी टिप्पणियां भेजे।

[अनुवाद]

साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

2379. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता

2380. श्री राजो सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में प्रत्येक विद्युत स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि निम्नांकित हैं–

केंद्र का नाम	31.3.95 की स्थितिनुसार विद्यमान क्षमता (मे०वा०)	1995-96 के दौरान अभिवृद्धि (मे०वा०)	1996-97	1997-98
1. पूर्वी गण्डक नहर एचई	5	–	5	5
2. सोन पूर्वी नहर एचई	–	3.3	–	–
3. तेनुघाट टीपीएस	210	–	–	–
केंद्रीय क्षेत्र				
1. कहलगाव एसटीपीएस	630	210	–	–

(ख) और (ग) तेनुघाट टीपीएस और पूर्वी गण्डक नहर जल विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि सरकार के विचाराधीन है।

तकनीकी पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के मापदंड

2381. श्री एच०पी० सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तकनीकी एवं गैर-तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों/केंद्रों की स्थापना/शुरू किए जाने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या मध्य बिहार के भोजपुर जिला में कोई भी तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा केंद्र नहीं खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आवेदक/सोसायटी/न्यास की वित्तीय व्यवहार्यता, क्षेत्र की जनशक्ति आवश्यकता, तकनीकी सक्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों और संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करती है।

(ख) और (ग) इस समय, मध्य बिहार के भोजपुर जिले में डिग्री/डिप्लोमा स्तर का कोई तकनीकी संस्थान नहीं है। 1996-97 के दौरान भोजपुर जिले में एक अभिकरण को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

अनौपचारिक शिक्षा केंद्र

2382. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कार्यरत हैं;

(ख) इन पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे केंद्रों द्वारा कितने लोग साक्षर बनाए गए;

(ग) क्या सरकार को इन केंद्रों के संतोषजनक ढंग से काम नहीं करने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना पर खर्च की गई धनराशि के उपयोग के संबंध में मूल्यांकन करेगी; और

(ङ) क्या यह योजना जारी रखने योग्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) अनौपचारिक शिक्षा (अ०शि०) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के लिए 37,340 केंद्र संस्वीकृत किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए वर्षवार अनुदान इस प्रकार हैं–

वर्ष	दी गई राशि (रु० लाख में)
1995-96	2453.67
1996-97	2819.28
1997-98	2554.21

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित है। अत: सफल शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा में उनके प्रतिपक्षों के समान समझा जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला कलेक्टरों ने ऐसी शिकायतों के संबंध में नई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है/प्रस्तुत कर रहे हैं। योजना पर खर्च की गई राशि के उपयोग का तिमाही प्रगति रिपोर्टों और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए मूल्यांकन/अनुश्रवण किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

[अनुवाद]

ग्रामीण पुस्तकालय

2383. श्री बी०एम० मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण पुस्तकालयों के निर्माण संबंधी मार्ग-निर्देश क्या हैं; और

(ख) देश में 1998-99 के दौरान ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस विभाग के अंतर्गत ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए कोई स्कीम नहीं है और इसलिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से विद्युत की खरीद

2384. **डॉ० रवि मल्लू :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा

सरकार का ध्यान 18 नवंबर, 1998 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मूव टू बाय पावर फ्रॉम पाक फ्लेयड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से बिजली खरीदने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय से जम्मू और कश्मीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पाकिस्तान से खरीदी गई बिजली का उपयोग किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान से विद्युत की खरीद किए जाने के संबंध में दोनों देशों के बीच 25-26 नवम्बर, 1998 को तकनीकी स्तर का विचार-विमर्श हुआ था। विचार-विमर्श के दौरान यह सहमति हुई थी कि विचार-विमर्श करने के लिए तथा अल्पकाल हेतु अभिज्ञात विद्युत निर्यात संभावना के बारे में सिद्धांत: समझौता निष्पन्न करने के लिए पारस्परिक रूप में सम्मत सुविधाजनक तिथियों में नई दिल्ली में अगले दौर का विचार-विमर्श किया जाएगा और ऐसे समझौते निष्पादित हो जाने की शर्त पर व्यावसायिक विचार-विमर्श आरंभ होंगे। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मुंबई-अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रैस राजमार्ग का निर्माण

2385. श्री दिनशा पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1986 में मैसर्ज कान्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शंस कंपनी को ठेके पर दिए गए मुंबई-अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रैस राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने और धन की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त मार्ग पर यातायात की अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए इस राजमार्ग का निर्माण 2 लेनों में करने की बजाय 4 लेनों में करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अहमदाबाद-बड़ौदरा एक्सप्रैस मार्ग के क्षेत्र कार्य को निम्नलिखत प्रकार से दो चरणों में निष्पादित करेगा–

(i) चरण-I–अहमदाबाद से नडीयाड तक (0/0 कि०मी० से 43.4 कि०मी० तक)

(ii) चरण-II–नडीयाड से बडोडरा तक (43.4 कि०मी० से 93.302 कि०मी० तक)

चरण-I कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्वअर्हता के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, सरकार ने मांग नहीं मानी है।

(ङ) और (च) जी, हां। इस रूट पर अत्यधिक यातायात को देखते हुए 4-लेन एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कृषि सूचना केंद्रों की स्थापना

2386. श्री पंकज पाल चौधरी :
श्री अमर पाल सिंह :
डॉ० अशोक पटेल :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषि सूचना केंद्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केंद्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत सरकार का पहले से ही राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन०सी०एम०आर० डब्ल्यू०एफ०) तथा देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों को कृषि मौसम वैज्ञानिक परामर्शों पर आधारित मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान

के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक सेवाओं के विकास के लिए एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना है।

(ख) एन०सी०एम०आर०डब्ल्यू०एफ० एक कृषि जलवायवीय क्षेत्र विशिष्ट मध्यम अवधि पूर्वानुमान तैयार करता है जो 3 दिनों के लिए मान्य है तथा उसे दूरभाष/फैक्स/वी०एस०ए०टी० के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक पूर्वानुमान इकाइयों को प्रसारित किया जाता है जिन्हें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आई०सी०ए०आर० संस्थानों में पूर्वोक्त राष्ट्रीय केंद्र द्वारा खोला गया है। ये इकाइयां दिन-प्रतिदिन आधार पर मौसम आधारित कृषि परामर्शी बुलेटिन तैयार करती हैं तथा उन्हें जन-संचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से प्रसारित करती हैं। 1991 में 5 इकाइयों की स्थापना के बाद से आज तक 80 इकाइयां खोली जा चुकी हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) देश के सभी 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों को शामिल करने वाली शेष 47 इकाइयों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय पत्तनों में निवेश

2387. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1998 को 'दैनिक जागरण' (दिल्ली संस्करण) में 'ब्रिटिश दल भारतीय बन्दरगाहों में निवेश का इच्छुक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, हां। पत्तन क्षेत्र उद्योग के एक सरकारी ब्रिटिश शिष्टमंडल ने भारतीय पत्तनों में व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सितम्बर, 1998 में भारत का दौरा किया था। इस शिष्टमंडल ने विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था।

(ग) सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बैंकरों द्वारा इस्पात के निगमित ढांचे को अस्वीकृत किया जाना

2388. श्री नरेश पुगलीया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1998 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'बैंकर्स रिजेक्ट इस्पातस कोरपोरेट स्ट्रकर फॉर भद्रावती प्रोजेक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स ने इस्पात ग्रुप द्वारा जारी की गई त्रिपक्षीय निगमित ढांचे को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स द्वारा की गई आपत्तियों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे०वा०) को प्रति गारंटी जारी की है जो कि उसमें पहले से निहित कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही प्रभावी होंगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि अंतराष्ट्रीय बैंकरों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ विचार-विमर्श के दौरान इन मुद्दों को नहीं उठाया। इस मामले पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैंकर ने अपनी आपत्ति व्यक्त नहीं की है। सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी जो कि इस परियोजना के विकास हेतु उत्पादन कंपनी है, ने भी यह सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2389. श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री मोइनुल हसन अहमद :
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री विक्रम देव केशरी :
श्री रवि सीताराम नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी राशि आवंटित और खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम हेतु आंतरिक और बाह्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्यक्रम को राज्यवार क्या सफलताएं मिली हैं;

(ङ) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या डी०पी०ई०पी० के संबंध में राज्यों में बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश भर में इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु स्थापित निगरानी तंत्र क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय 14 राज्यों के 149 जिले अर्थात् असम (9), केरल (6), कर्नाटक (11), हरियाणा (7), तमिलनाडु (6), महाराष्ट्र (9), मध्य प्रदेश (33), हिमाचल प्रदेश (4), उड़ीसा (8), गुजरात (3), आंध्र प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (5), उत्तर प्रदेश (15) और बिहार (27) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत का 85 प्रतिशत भाग भारत सराकर द्वारा वहन किया जाता है और यह बाह्य निधीयन से प्राप्त होता है। शेष 15 प्रतिशत भाग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार का हिस्सा में राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को दिया जाता है। 96-97 से अक्तूबर, 1998) के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का विवरण-I संलग्न है।

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों का विवरण-II संलग्न है। वर्ष 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के प्रथम चरण की भारत सरकार और बाह्य निधियन एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से सितम्बर-अक्तूबर, 1997 के दौरान गहन समीक्षा की गई। इस उद्देश्य के लिए की गई गहन समीक्षा और विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि नामांकन में वृद्धि, पुनरावृत्ति दरों में कमी हुई है और अध्ययन उपलब्धियों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कक्षा कार्यों में सुधार और समानता पर पूरा बल इस कार्यक्रम की सफलता के रहस्य के रूप में उभरकर आए हैं।

(ङ) और (च) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। वास्तव में योजना और प्रबन्धन में विकेंद्रीकरण और भाग लेने की प्रक्रिया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अनिवार्य विशेषता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन के स्थानीय पैमाने पर सभी स्तरों पर जनता, शिक्षकों, ग्रामीण शिक्षा समितियों और शैक्षिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी है।

(छ) से (झ) जी, नहीं। राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को राशि जारी की जाती है और यह व्यय परियोजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों और विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात् अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट में सम्मिलित कार्यकलापों पर किया जाता है राज्य सोसाइटियों ने राशि के उपयुक्त सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संघ के ज्ञापन और नियमों और वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रावधान के साथ वित्तीय विनियमों को सुस्पष्ट किया है। परियोजना के कार्यों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों की पर्यवेक्षण मिशन के दौरों, परियोजना प्रबन्ध सूचना पद्धति और कार्यकारी समितियों की बैठकों के माध्यम से समय-समय पर मानिटरिंग भी की जाती है। राज्य सोसाइटियों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित लेखे भी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

विवरण-I

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई राशि, विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय और वर्ष 1996-97 से 1998-99 (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान बाह्य निधीयन एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	भार सरकार द्वारा दी गई राशि	व्यय	बाह्य निधियन एजेंसियों द्वारा प्रतिपूर्ति
1.	असम	59.37	42.30	36.82
2.	आंध्र प्रदेश	56.19	50.00	14.74
3.	बिहार	18.02	17.12	13.75
4.	गुजरात	25.25	21.52	18.89
5.	हरियाणा	50.27	52.00	46.18
6.	हिमाचल प्रदेश	26.03	23.32	20.42
7.	कर्नाटक	131.18	122.16	106.67
8.	केरल	55.88	49.28	45.18
9.	मध्य प्रदेश	253.09	250.00	464.62
10.	महाराष्ट्र	64.76	78.24	68.67
11.	उड़ीसा	29.87	21.63	18.95
12.	तमिलनाडु	55.14	62.89	55.00
13.	उत्तर प्रदेश	60.00	36.75	32.84
14.	पश्चिम बंगाल	19.00	8.27	5.63
15.	राष्ट्रीय घटक	21.23	18.60	18.47
	कुल (डी०पी०ई०पी०)	925.28	854.08	966.83

विवरण-II

30.09.1998 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	निर्मित/जिनका कार्य प्रगति पर है, उन नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	जिन विद्यमान स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है/कार्य प्रगति पर है की संख्या	मरम्मत किए गए/ जिनकी मरम्मत की जा रही है उन स्कूलों की संख्या	निर्मित/जिनका कार्य प्रगति पर है, उन अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	बी०आर०सी०/ सी०आर०सी० निर्मित/जिनका कार्य प्रगति पर है, उनकी संख्या
1.	असम	–	443	68	93	296
2.	आन्ध्र प्रदेश	443	65	–	417	–
3.	बिहार	–	62	–	26	55
4.	गुजरात	–	–	323	–	–
5.	हरियाणा	105	39	410	753	294
6.	हिमाचल प्रदेश	175	–	–	55	67
7.	कर्नाटक	458	–	200	16	273
8.	केरल	18	23	160	584	258
9.	मध्य प्रदेश	2687	–	1701	2244	198
10.	महाराष्ट्र	426	–	764	1011	29
11.	उड़ीसा	–	10	354	3	447
12.	तमिलनाडु	–	–	406	839	71
13.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	270	610
14.	पश्चिम बंगाल*	–	–	–	–	–

*सिविल कार्य अभी शुरू होना है।

मोटर यान अधिनियम में संशोधन

2390. श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 138 में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है इसलिए अभी कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना में विदेशी निवेश

2391. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रामपाल सिंह :
डॉ० अशोक पटेल :
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है इसलिए अभी कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

पुस्तकों का अनुवाद

2392. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित मूल पुस्तकों के नाम क्या हैं;

(ख) इन मूल पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए भेजी गई हिन्दी पुस्तकों के नाम क्या हैं; और

(घ) हिन्दी की उन पुस्तकों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुवाद गया है और इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन **विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी)** : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों के नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्रकाशन, 1998 की जांच-सूची और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सूची, 1998 में दिए गए हैं। इनकी प्रतियां संसद भवन पुस्तकालय में मौजूद हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल स्तर की पुस्तकें (कक्षा I-XII) अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित करती है। यह अन्य भारतीय भाषाओं में अपने प्रकाशन नहीं निकालती है लेकिन इसके प्रकाशनों के अनुवाद और मुद्रण करने के इच्छुक राज्य सरकारों को यह अनुमति प्रदान करती है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास न केवल हिन्दी और अंग्रेजी में बल्कि अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों का मूल रूप में तथा अनूदित रूप में प्रकाशन करता है। सभी भाषाओं में अच्छी पुस्तकें तैयार करने के दृष्टिकोण से संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए चुनी गई हिन्दी पुस्तकों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. भारत की नदियां
2. हमारा संविधान
3. मास्टर जी
4. मांझ सवेरा
5. तीन कहानियां पंचतंत्र मे
6. तुरंत उपचार
7. नीली झील
8. वकील की फीस
9. उजाला
10. कमर का दर्द
11. घर लौट चलो
12. पानी
13. एक थी लता
14. बीमारी में भोजन कैसा हो
15. धनीराम की बागी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विधि विद्यालय

2393. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने देश में बेहतर विधि शिक्षा के संवर्द्धन के लिए प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय विधि-विद्यालय के मॉडल पर एक संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में ऐसे विद्यालय खोल दिए हैं;

(ग) कितने राज्यों ने अपने यहां ऐसे विद्यालय नहीं खोले हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों में इन संस्थानों की स्थापना के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह के नए संस्थान प्रत्येक राज्य में कब तक खोल दिए जाएंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी, बंगलौर के अतिरिक्त, नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल क्रमशः, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यें में, अभी तक कोई लॉ स्कूल स्थापित नहीं हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी०एस०आई०आर० में सेवाओं को नियमित करना

2394. प्रो० रीता वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के विभिन्न संस्थानों में नियमित किए गए नैमित्तिक कामगारों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि का संस्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एस.आई.आर. के अनेक संस्थानों में तकनीकी कार्मिकों के लिए बने पदों को गैर-तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति करके भरा गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या स्थायी प्रकृति के कार्यों को करने के लिए कामगारों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कामगारों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना

2395. **डा० सुशील इन्दौरा :**
डा० चिन्ता मोहन :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना, नाथपा-झाकड़ी परियोजना और दुलहस्ती परियोजना निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तिथियों को उक्त परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हुआ और निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की निर्माण लागत उनके मूल निर्माण लागत से कई गुना अधिक बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार वास्तविक निर्माण लागत की तुलना में मूल निर्माण लागत का ब्यौरा क्या है और मार्च, 1998 के अन्त तक परियोजना-वार प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जी, हां। टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे. वा.), नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मे. वा.) तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मे. वा.) निर्माणाधीन हैं। आरम्भ करने की तिथि, मूल लागत, अद्यतन लागत, 31 मार्च, 1998 तक किया गया व्यय तथा इन परियोजनाओं को चालू किए जाने के कार्यक्रम के संबंध में परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विवरण	टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.)	नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मे.वा.)	दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मे.वा)
1. आरंभ करने की तिथि (निवेश अनुमोदन)	15.3.94	5.4.89	12.7.89
2. अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)			
(क) मूल्य (मूल्य स्तर)	2963.66 (3/93)	1678.02 (9/88)	1262.97 (10/88)
(ख) अद्यतन लागत (मूल्य स्तर)	4962.43 (12/97)	7666.31 (6/98)	3559.77 (11/96)
3. 31.3.98 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	1642.45	2918.56	1866.56
4. चालू किए जाने का कार्यक्रम	2002	मार्च, 2002	मार्च, 2001

•इस परियोजना में कोटेश्वर बांध और एचपीपी तथा टिहरी पीएससी के आवश्यक कार्यों हेतु निर्माणाधीन वचनबद्धताएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

जयकवाड़ी परियोजना में अभयारण्य

2396. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जयकवाड़ी परियोजना में एक अभयारण्य विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अभयारण्य स्थल के बेहतर विकास के लिए नई नीति पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जयकवाड़ी परियोजना में अभयारण्य स्थल एक गलत चुनाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद जिले के जयकवाड़ी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जयकवाड़ी अभयारण्य की प्रस्तावित घोषणा के कारण स्थानीय लोगों की संभावित कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) वन्यजीव अभयारण्य के रूप में निजी क्षेत्र को अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार पर निहित है। लोगों की हकदारी का निपटान जिसमें निर्धारित अधिकारों का अधिग्रहण या अधिकारों के जारी रखने की अनुमति देना शामिल है, अभयारण्य अधिसूचना प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है।

भारती दासन विश्वविद्यालय

2397. श्री वैको : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती दासन विश्वविद्यालय ने किस तारीख से तकनीकी शिक्षा प्रदान करना आरम्भ किया है;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) को कब पता चला कि भारती दासन विश्वविद्यालय बगैर इसकी (ए. आई.सी.टी.ई.) अनुमति के कार्य कर रही थी;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा कार्य आरम्भ करने से पहले ए.आई.सी. टी.ई. द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है;

...लय के बन्द किए जाने से छात्रों के भविष्य का

(च) क्या सरकार ने अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) भारती दासन विश्वविद्यालय द्वारा स्व-वित्त पोषण के आधार पर स्थापित किए जाने वाले भारती दासन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली में प्रवेश हेतु आमंत्रण का विज्ञापन जारी करने की सूचना मिलने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 22 मई, 1998 को विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया है। उसके बाद प्रवेश चाहने वाले छात्रों को सावधान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रस्तावित संस्थान की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने वाली प्रेस प्रकाशनियां जारी की हैं। यह मामला चेन्नई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय को नया संस्थान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अन्ततोगत्वा संस्थान ने अपना कार्य करना शुरू नहीं किया और इसलिए छात्रों को दाखिल करने अथवा अन्य विश्वविद्यालयों में उनके प्रवेश की वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

2398. प्रो० प्रेमसिंह चंदूमाजरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन-सी हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) इस संबंध में उपयोग न किए जाने के कारण अप्रैल 1998 में कितनी धनराशि वापस की गई थी; और

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है वर्ष 1997-98 के दौरान योजना निधियों के वास्तविक समुपयोजन संबंधी सूचनाएं निम्नवत हैं :

	संगठन	करोड़ रुपये में (1997-98) (अनंतिम)	
		बजट अनुमान	वास्तविक
1.	एनटीपीसी	2122.60	1504.95
2.	एनएचपीसी	898.35	506.47
3.	पावरग्रिड	1600.65	1579.50
4.	डीवीसी	270.00	166.77
5.	टीएचडीसी	225.00	321.91
6.	एनजेपीसी	960.00	774.50
7.	पीएफसी	550.00	716.77
8.	नीपको	160.98	167.18
9.	आरईसी	30.00	30.00
10.	विद्युत मंत्रालय (अन्य)	125.37	109.38
	जोड़ केन्द्रीय योजना	6942.85	5876.63
	राज्य योजना		
11.	आरईसी	348.00	648.00
कुल जोड़		7290.85	6524.63

निजी विद्युत उत्पादक कम्पनियों को रियायत

2399. श्री अजीत जोगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु निजी विद्युत उत्पादक कम्पनियों को कोई रियायत देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) दिनांक 18.2.95 से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी विद्युत परियोजनाएं ठेके पर दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तथापि, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, एक निजी कंपनी द्वारा विकसित की जा रही विद्युत परियोजना के विस्तार को, परियोजना प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाए। इसके अलावा, विस्तार परियोजनाओं के लिए निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोई और छूट प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की व्यवहार्यता

2400. श्री एम० वागा रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वतंत्र पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की व्यवहार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पहले प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को वापिस लेने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में वृहत् विद्युत परियोजनाओं के विकास संबंधी नीति को नया रूप दिया है। जो कि एक से अधिक राज्य की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एक पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (पीटीसी) की स्थापना करने की व्यवस्था है जो अभिज्ञात निजी वृहत् विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करके उसे लाभभोगी राज्यों को बेचेगी। पीटीसी को एक साख-पत्र और केन्द्रीय योजना आवंटनों के लाभभोगी राज्यों के हिस्से की सहायता तथा अन्य हस्तांतरणों द्वारा प्रतिभूति प्रदान की जाएगी। पीटीसी, उपयुक्त होने पर, किसी समूह जैसे लाइसेंसधारियों तथा औद्योगिक स्थापनाओं को सीधे विद्युत की आपूर्ति भी कर सकता है। पीटीसी की व्यवहार्यता की पुन: जांच किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत

2401. डा० प्रभा ठाकुर : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से इसके महत्व को देखते हुए गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इसकी जर्जर हालत के कारण गत तीन वर्षों के दौरान इस मार्ग पर अनेक घातक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम तम्बी दुरई) : (क) और (ख) देहरादून, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। दिल्ली-मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश खंड को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 घोषित किया गया है और यह जर्जर अवस्था में नहीं है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) दिल्ली-ऋषिकेश सड़क को 5.6.98 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इस घोषणा से पहले यह एक राज्यीय राजमार्ग था और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी निधियों से इसका रख-रखाव कर रही थी। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग ने अगस्त, 1998 से इस सड़क का अनुरक्षण-कार्य करना शुरू कर दिया है। सड़क की मरम्मत के लिए 199.61 लाख रु. की कुल राशि के चार विशेष मरम्मत प्राक्कलन नवम्बर, 1998 माह में संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे कोई रिकार्ड नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि सड़क की खराब स्थिति के कारण इस राजमार्ग पर घातक दुर्घटनाएं हुई हैं।

महिला साक्षरता

2402. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला साक्षरता अभियान का कोई राज्यवार व्यापक मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों में उक्त अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र और गुजरात में इस अभियान की सफलता का अलग-अलग प्रतिशत क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) पुरुष तथा महिला दोनों की ही संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए पूरे देश के 448 जिलों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता अभियान आरम्भ किए गए हैं। 1 जून, 1998 की यथा स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत, 73.89 मिलियन व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं जिनमें 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। रिपोर्टों के मूल्यांकन के आधार पर कम महिला साक्षरता दर के लिए अनेक कारण अर्थात स्त्री-पुरुष संबंधी पूर्वाग्रहों का व्याप्त होना, असमानता, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, घरेलू काम-काज में बालिकाओं की भागीदारी, स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन कम होना तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने की दर का कम होना और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की दर का कम होना उत्तरदायी पाए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा गुजरात में साक्षर बनाई गई महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत हैं।

[अनुवाद]

नवीकरण हेतु स्मारक, मंदिर एवं मस्जिद

2403. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्मारकों, मंदिरों एवं मस्जिदों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका नवीकरण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आरम्भ किया गया है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों, जिनमें मंदिर/मस्जिद आदि शामिल हैं और जो 1998 के दौरान रखरखाव, संरक्षण, परिरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास हेतु प्रस्तावित हैं, की संख्या नीचे दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण एवं परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। शुरू किए गए कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों का पूरा होना संरक्षण की प्रक्रिया में लगे समय एवं कुल मिलाकर पंडों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों में देश के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1995-96	1473.12 लाख रुपये
1996-97	1740.17 लाख रुपये
1997-98	2339.30 लाख रुपये

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	स्मारकों/मंदिरों एवं मस्जिदों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	93
2.	असम	49
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	70
5.	दिल्ली	85
6.	दमन एवं दीव	10
7.	गोआ	15
8.	गुजरात	125
9.	हरियाणा	70
10.	हिमाचल प्रदेश	20
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50
12.	कर्नाटक	334
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	170
15.	महाराष्ट्र	156
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	3
18.	नागालैंड	3
19.	उड़ीसा	35
20.	पांडिचेरी	1
21.	पंजाब	14
22.	राजस्थान	75
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	200
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	300
27.	पश्चिम बंगाल	85

पत्तन विकास में यूरोपीय आयोग की सहायता

2404. श्री ए० सी० जोस : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग ने भारत के पत्तनों के विकास के लिए पहली बार सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना सहायता से कौन-सी परियोजना शुरू की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का मुम्बई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, तमिलनाडु और विशाखापत्तनम पत्तन पर सेवाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सहायता से "इंडो-इंडिया मैरीटाइम ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट" नाम की परियोजना शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू पत्तन कंटेनर टर्मिनल और तूतीकोरिन पत्तन की कार्य-कुशलता में

सुधार लाना है तथा विशाखापत्तनम पत्तन सहित पत्तनों में इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज शुरू करने में भारत सरकार को सहायता देना है।

(घ) यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर होने के बाद संघ इस परियोजना को वर्ष 2003 तक कार्यान्वित कर देगा।

तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र की क्षेत्रीय एवं विकास योजना

2405. श्री माधवराव पाटील :
श्री डी० एस० अहिरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना एवं विकास योजनाओं के प्रस्तावों पर विचार हेतु कोई अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु दोबारा भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजना का मसौदा भिजवाया था जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 1996 के पत्र संख्या जे. 17011/8/95-आई.ए.-3 के तहत कुछ शर्तों और संशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया था।

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुम्बई और नवी मुम्बई के लिए तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजना में संशोधनों हेतु एक प्रस्ताव भिजवाया है जो 30.11.98 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन के भीतर कुछ क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबन्धन प्राधिकरण को इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्धन प्राधिकरण को भिजवानी हैं जो इस प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भिजवाएगा।

प्रमुख पत्तनों के लिए शुल्क दर

2406. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों के लिए शुल्क प्राधिकरण द्वारा शुल्क संबंधी प्रस्तावों की घोषणा में विलम्ब के कारण न्हावा शेवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल को आर्थिक हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शुल्क दरों को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्हावा शेवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल की टैरिफ दरें भारत के राजपत्र में शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

परिवार परामर्श केन्द्र

2407. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार परामर्श केन्द्रों का संचालन और वित्तपोषण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार परामर्श केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रों का संचालन अलग-अलग गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, 18 परिवार परामर्श केन्द्र केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता से सीधे विभिन्न राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी दिल्ली में महिला अपराध कक्ष में इस प्रकार का एक परिवार परामर्श केन्द्र चला रहा है।

(ख) सूचना विवरण I और II में दी गई है।

विवरण-I

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार परिवार परामर्श केन्द्रों के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृति/निर्मुक्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परि.परा.के.सं.	स्वीकृति	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	1762560	1507625
2.	असम	11	911040	1012539
3.	बिहार	15	1394710	1342046
4.	गुजरात	34	3227708	2274500
5.	हरियाणा	10	969248	764678
6.	हिमाचल प्रदेश	6	567120	402637

1	2	3	4	5
7.	जम्मू व कश्मीर	1	90240	70240
8.	कर्नाटक	23	1928480	1546782
9.	केरल	23	2061664	1633534
10.	मध्य प्रदेश	25	2169352	1907652
11.	महाराष्ट्र	30	2434587	1342427
12.	मणिपुर	4	305760	338180
13.	मेघालय	3	255680	241500
14.	नागालैण्ड			
15.	उड़ीसा	13	1009167	727448
16.	पंजाब	8	641746	423576
17.	राजस्थान	10	818520	736287
[illegible]	[illegible]	29	2560906	1925226
		4	382400	286294
20.	उत्तर प्रदेश	25	2009290	1641551
21.	पश्चिम बंगाल	24	2158728	1558293
22.	अण्डमान निकोबार	3	279200	139600
23.	अरुणाचल प्रदेश			
24.	चण्डीगढ़	1	76320	55490
25.	दिल्ली	21	1996640	1500499
26.	गोवा			
27.	लक्षद्वीप			
28.	मिजोरम	3	294560	306296
29.	पांडिचेरी	2	194720	184736
30.	सिक्किम	1	92000	78605
	कुल	348	30592346	23952727

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान पुलिस परिवार परामर्श केन्द्रों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्मुक्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	नाम एवं पता	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	डब्ल्यू.पी.सी., सी.बी., सी.आई.ओ. लकड़ी का पुल, हैदराबाद	228800	121146
2.	असम	पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. असम दिसपुर, गुवाहाटी	140400	70200
3.	गुजरात	महिला पुलिस स्टेशन, करंग भद्रा, अहमदाबाद	144200	72100
4.	कर्नाटक	पुलिस आयुक्त का कार्यालय, इनफैन्ट्री रोड, बंगलौर	246800	251711
5.	मणिपुर	एफ.सी.सी. पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस मुख्यालय इम्फाल, पश्चिम जिला, मणिपुर	133400	133400
6.	मेघालय	एफ.सी.सी., पुलिस मुख्य थाना, शिलांग	133400	88600
7.	नागालैंड	एफ.सी.सी. (अपराध महिला प्रकोष्ठ) नागालैंड पुलिस मुख्यालय, कोहिमा	133400	66700
8.	उड़ीसा	एच.आर.सी.सी., पुलिस मुख्यालय देवसाही, तुलसीपुर, कटक	133400	66700
9.	पंजाब	पंजाब राज्य पुलिस मुख्यालय (पी.एच.क्यू.) पुलिस परिसर, जालन्धर	133400	66700
10.	तमिलनाडु	एफ.सी.सी. पुलिस मुख्यालय, चेन्नई	228800	114400
11.	त्रिपुरा	एफ.सी.सी. (पुलिस मुख्यालय) अरून्धती नगर, पश्चिम त्रिपुरा	133400	124619
12.	उत्तर प्रदेश	महिला सहायता प्रकोष्ठ, अपराध अनुसंधान विभाग (पी.एच.क्यू.) विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	133400	165366
13.	गोवा	एफ.सी.सी. (पुलिस मुख्यालय) गोवा	133400	66700
14.	पांडिचेरी	एफ.सी.सी. पुलिस एफ.सी.सी., 24 जे.एन. स्ट्रीट, पांडिचेरी	133400	139718
15.	सिक्किम	एफ.सी.सी. पुलिस मुख्यालय, राष्ट्रीय राज मार्ग, गंगटोक	133400	66700
16.	हरियाणा	परिवार परामर्श केन्द्र, पुलिस मुख्यालय, करनाल	.133400	127784

1	2	3	4	5
17.	केरल	परिवार परामर्श केन्द्र, पुलिस मुख्यालय, त्रिवेन्द्रम	133400	66700
18.	पश्चिम बंगाल	परिवार परामर्श केन्द्र, पुलिस मुख्यालय, कलकत्ता	228800	114400
19.	दिल्ली	परिवार परामर्श केन्द्र, महिला अपराध प्रकोष्ठ नानकपुरा, नई दिल्ली	238800	201481
		कुल	3057400	2125125

[अनुवाद]

सी०आर०आर०आई० द्वारा निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास

2408. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कम लागत वाली कोई निर्माण प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रौद्योगिकी से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के घटक एकक केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआइ) ने ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ कम लागत वाली अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, इनमें से कुछेक निम्नांकित के निर्माणार्थ हैं :

(i) दृढ़ीकरण तकनीकों द्वारा कमाण्ड क्षेत्रों में कमजोर निम्नग्रेड (पीक सबग्रेड) पर निम्न प्रबलता सड़कें;

(ii) अवस्तरीय स्थानीय सामग्री का उपयोग करके यांत्रिकीय दृढ़ीकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के उपाधार तथा आधार;

(iii) ट्रेक्टर चालित कृषि औजारों का उपयोग करके ग्रामीण सड़कें;

(iv) अशोधित डिजाइन वक्र रेखाओं का उपयोग करके ग्रामीण सड़कें।

(ग) सीआरआरआइ ने स्थानीय लोक निर्माण विभागों तथा अन्य निर्माण अभिकरणों के सहयोग से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है।

सोलापुर में पुरातत्व महत्व के स्थल

2409. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सोलापुर और निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थलों के रखरखाव की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ए.एस.आई. की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सोलापुर में संग्रहालय स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोलापुर जिले के 15 स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारक संरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं। इन स्मारकों का रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) सोलापुर में संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव जिला प्राधिकारियों के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने के संबंध में समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति

2410. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए डेढ़ बिलियन रुपये खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार करेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान नवीकरण और आधुनिकीकरण (चरण-2) कार्यकम शुरू किया था। इस कार्यकम के अन्तर्गत उ.प्र. में स्थित कुछ ताप विद्युत स्टेशनों में आर. एण्ड एम. कार्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की अद्यतन स्वीकृत लागत 219.91 करोड़ रुपये है। नौवीं योजना के दौरान अतिरिक्त आर. एण्ड एम. कार्य किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है और इन अतिरिक्त क्रियाकलापों की अनुमानित लागत 297.24 करोड़ रुपये है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी और आरईसी जैसी केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम भी उ.प्र. के विद्युत क्षेत्रों में निवेश आरंभ किए जा रहे हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान उ.प्र. में निवेश हेतु इन उपक्रमों के लिए योजना आवंटन की धनराशि लगभग 800 करोड़ रुपये थी।

[अनुवाद]

लघु पत्तनों को बड़े पत्तनों में बदलना

2411. **श्री गिरिधर गमांग :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आठवीं योजना तथा चालू वर्ष के दौरान भी विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक लघु पत्तनों का विकास और उन्नयन बड़े पत्तनों के रूप में करने के लिए कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

और परिवहन के कारण विद्युत परियोजनाओं में अवरोध

2412. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन और परिवहन के मुद्दों के कारण विद्युत परियोजनाओं में अवरोध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अवरोध के कारण कौन-कौन-सी परियोजनाएं विपरीत रूप से प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने के पहले परियोजनाओं को ईंधन लिंकेज की तथा जहां आवश्यक हो वहां रेलवे द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है। केन्द्र/राज्य क्षेत्र में तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृत परियोजनाओं को इन मुद्दों के कारण नहीं रोका जा रहा है। तथापि, निजी क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के सामने वाणिज्यिक रूप मे स्वीकृत ईंधन आपूर्ति तथा परिवहन करारों को अंतिम रूप दिए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सरकार इन मामलों का समाधान करने की कोशिश कर रही है। तरल ईंधन परियोजनाओं के लिए एक आदर्श ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) को परिपत्रित किया गया है तथा कोयला-आधारित परियोजनाओं के लिए भी एक आदर्श एफएसए विकसित किया गया है। रेलवे ने भी परिवहन करारों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप दिया है।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय

2413. **वैद्य विष्णु दत्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज तक इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जम्मू एवं कश्मीर में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अर्थात रा.रा.-(क) और रा.रा.-(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर 11.21 करोड़ रु. व्यय हुआ है।

[हिन्दी]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2414. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अभयसिंह एस० भोंसले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत करने हेतु विभिन्न राज्यों में किसी विश्व बैंक प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी एजेन्सी से कोई वित्तीय सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं;

(ङ) यह योजना किन-किन राज्यों में और क्रमश: किन तारीखों से क्रियान्वित हैं;

(च) विश्व बैंक से प्राप्त कुल अनुदान में से राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(छ) योजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (च) जी, हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना तथा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के राज्यों में औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना, कार्यान्वित की जा रही हैं। नवम्बर,

1991 और जून, 1995 से कार्यान्वित की जा रही औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना तथा औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा क्रमशः 155.6 मिलियन अमरीकी डालर और 168 मिलियन अमरीकी डालर आवंटित किए गए हैं। इन दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई राज्य विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य उपकरण, प्रशिक्षण और अवसंरचना की व्यवस्था सहित निर्धारित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाना है।

(छ) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना मार्च, 1999 में और औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना जून, 2001 में पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

गोवा में विद्युत परियोजनाएं

2415. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी उद्यमियों ने गोवा में विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के संबंध में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मै. रिलायंस सलगांवकर पावर कंपनी लि. का सनकोले गोवा में तरल ईंधन आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को 40 मे.वा. क्षमता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ईंधन लिंकेज (नैप्था) प्रदान की जा चुकी है।

अनुसन्धान परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि

2416. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित वाले प्रयोजित अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं पर प्राप्त सूचना का परितुलन करता रहा है। 1996-97 तक उपलब्ध इस संकलन के अनुसार रिपोर्ट देने वाले विभिन्न केन्द्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा विगत पांच वर्षों में स्वीकृत धनराशि इस प्रकार है :

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु. में)
1992-93	104.51
1993-94	127.16
1994-95	131.34
1995-96	161.98
1996-97	186.48

प्रयोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार स्वीकृत धनराशि लगातार बढ़ रही है।

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

2417. **श्री आर० एस० गवई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनु. जातियों और अ.ज. जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ सामाजिक स्वैच्छिक संगठन भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना

2418. **श्री के० येरननायडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्वीकृत करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उस राज्य में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

2419. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली को बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है और अब तक प्रत्येक हॉस्टल को कितना अनुदान दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1998-99 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों/नयी सिफारिशों की सूची

(क) नवभारत जागृति केन्द्र बहेडा पोस्ट आफिस वृन्दावन द्वारा चोमारन जिला हजारीबाग	मामला विचाराधीन है।
(ख) महिला अन्तोदय निकेतन, दरिबा बाज बहादुर रोड, मंगल तालाब, पोस्ट आफिस पटना सिटी, पुलिस स्टेशन चौक, पटना	चूंकि यह गैर-सरकारी संगठन एक डेयरी एकक के ऋण के पुन-र्भुगतान में दोषी पाया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को बिहार राज्य बोर्ड ने वापिस ले लिया है।
[illegible]स्था, गुडारी [illegible]हारडगा-पिन कोड 835302	इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है और राज्य बोर्ड को वापिस भेज दिया गया है, क्योंकि यह प्रस्ताव अधूरा था।

विद्यालयों में इन्टरनेट सुविधा

2420. श्री डी० एस० अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु नियत की गई निधियों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आई टी कार्य योजना में वर्ष 2003 तक स्कूलों, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, आदि को सुगम इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

युवा नीति

2421. श्री रामशकल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा नीति तैयार किए जाने का कार्य विगत कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने युवा नीति तैयार करने के लिए युवा प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में अपनाई गई थी। काफी समय से इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि इसे और अधिक आवश्यकता अनुसार बनाया जा सके। तदनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों, राजनैतिक दलों, संसद सदस्यों, युवा संगठनों, युवा प्रतिनिधियों तथा साथ ही साथ अन्य संबंधित एजेन्सियों से परामर्श लेते हुए एक नई राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

(ख) नई राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. नई युवा नीति की आवश्यकता का विवरण तथा साथ-ही-साथ इसके उद्देश्य।
2. युवाओं को प्रदान की गई सुविधाओं के साथ-साथ उनकी जिम्मेवारियों की रूपरेखा दी गई है।
3. महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं :
   - युवा अधिकारिता
   - लैंगिक न्याय
   - अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण
   - सूचना और अनुसंधान कार्य।
4. युवाओं से संबंधित विशेष ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल, मनोरंजन और फुर्सत, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नागरिक-शास्त्र और नागरिकता आदि की पहचान की गई है।
5. प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्यगत समूहों पर बल; और
6. युवाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों आदि के लिए एक नोडल विभाग के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग में एक कार्यान्वयन तंत्र का सृजन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में गाद हटाने का कार्य

2422. श्री वार्कि ईडन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपी करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में गाद हटाने का कार्य करने के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में चल रहा उक्त कार्य किस स्थिति में है तथा अभी तक उस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के लिए कितने पद मंजूर किए गए हैं;

(घ) क्या सभी पद भर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोची में कितने पद रिक्त पड़े हैं और उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) चालू वित्त वर्ष के लिए आई डब्ल्यू ए आई द्वारा कैपिटल निकर्षण और भूमि अधिग्रहण के लिए 4.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) 1993-94 में इसको रा.ज.-3 घोषित किए जाने के बाद 1993-94 से लगभग 6.30 लाख क्यू.मी. मात्रा का निकर्षण किया गया है जिसके लिए आई डब्ल्यू ए आई द्वारा नवम्बर, 1998 तक लगभग 370.39 लाख रु. का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, नहर को चौड़ा करने के लिए कैपिटल निकर्षण और भूमि अधिग्रहण की एक स्कीम को सरकार ने 26.00 करोड़ रु. की लागत पर अनुमोदित किया है। भूमि-अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को 7.00 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के लिए 19 पद संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, केवल 9 पदों को छोड़कर जो भरे नहीं गए हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस आई यू) ने कुछ पदों का सृजन करने/समाप्त करने की सिफारिश की है।

मौजूदा संस्वीकृति पदों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 में 5 अतिरिक्त पदधारी तैनात किए गए हैं।

तथापि, एस आई यू की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद ही रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सिक्किम राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति

2423. श्री भीम दाह्याल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसकी खराब स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव/मरम्मत के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई और उस पर वास्तव में वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस सड़क को उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियत की गई निधियां और किया गया व्यय इस प्रकार है :

1995-96	100.35 लाख रु.
1996-97	87.41 लाख रु.
1997-98	105.65 लाख रु.

प्रौद्योगिकियों का विकास

2420. श्रीमती शीला गौतम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोडेक कनसोरटियम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रायोजित अन्य अनुसंधान संस्थानों ने छोटे उद्यमों के लिए बायोपेस्टीसाइडेड और बायोफर्टीलाइजर और नीम आधारित कीटनाशक विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक और क्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी. सी. आई. एल. ने भारत में छोटे उद्यमों के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण हेतु अपनी विदेशी सहयोगी कम्पनी के साथ औपचारिक रूप से एक समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो उत्पाद सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये किस देश में निर्मित हैं;

(ङ) क्या ऐसी प्रौद्योगिकियां वाणिज्यीकरण हेतु स्थानान्तरित कर दी गई हैं;

(च) यदि हां, तो इन पक्षों के नाम और पते क्या हैं और क्रमवार ऐसी प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण हेतु मानदण्ड क्या हैं; और

(छ) बी. सी. आई. एल. के कार्य क्या हैं और इसकी स्थापना से आज तक क्रमवार इसकी उपलब्धियां क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। जैव कीटनाशकों तथा जैव उर्वरक के क्षेत्र में डी बी टी द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता से प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम के उत्पादन के लिए तीन प्रौद्योगिकियों और विभिन्न जैव नियंत्रण अभिकर्मकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आठ जैव कीटनाशक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। नीम आधारित कीटनाशकों का भी विकास किया जा रहा है।

(ख) (i) जैव कीटनाशक

8 जैव कीटनाशक अर्थात् हिलियोथिस आर्मीगेरा का न्यूक्लियर पालीहाईड्रोसिस वायरस (एन पी वी) स्पोडोप्टेरा लिट्रा का एन

पी वी, चिलो इनफसकैटिलस का ग्रैन्यूलोसिस वायरस (जी वी), क्राइसोपा, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा वीराईड, ग्लियोक्लौडियम वायरस और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेन्स के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

जैव कीटनाशकों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए टी एन ए यू के प्रौद्योगिकी पैकेज के आधार पर बी सी आई एल की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) के माध्यम से टी एन ए यू, कोयम्बटूर और एम के यू, मदुरई प्रत्येक में एक कुल दो जैव नियंत्रक उत्पादन इकाइयां स्थापित की गईं।

(ii) जैव उर्वरक

फ्लेक्सि बायोरिएक्टर में और पालिहाऊस परिस्थिति के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले नीलहरित शैवाल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। चिकपी, राजमा, मूंगबीन और सोयाबीन के लिए उपयुक्त राइजोबियम जैव उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किण्वन आधारित प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

नहीं उठता।

हां।

(च) जैव कीटनाशियों के लिए प्रौद्योगिकियों को विभिन्न उद्योगों को अंतरित कर दिया गया है। क्राप हेल्थ प्रोडक्ट्स लि. ने सीमित मात्रा में ट्राइकोग्रामा और एन पी वी का उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। संबंधित ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(छ) बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बी सी आई एल) जैव प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से बढ़ते व्यावसायिकरण को सुगम्य बनाने के लिए संयोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। बी सी आई एल प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, परियोजना स्थिरता निधि संघ-संगठन, सूचना प्रचार और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जनशक्ति और प्लेसमेंट प्रशिक्षण के कार्य में लगा हुआ है। आज तक इसने 120 ग्राहकों को सहायता प्रदान की है जिसमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद्, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, उद्यमी, सामूहिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बी सी आई एल को 1990 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। इसका प्रवर्तन बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया। इसकी 5.37 करोड़ रुपये की क्रोड सम्पत्ति मुख्यत: देश के सभी वित्तीय संस्थानों जिसमें आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, आई एफ सी आई, यू टी आई और आर सी टी सी शामिल हैं और निगमित क्षेत्र, जिसमें रेनबेक्सी लेबोरेट्रीज, ग्लैक्सो इंडिया, केडिला लेबोरेट्रीज, लुपिन लेबोरेट्रीज, कोठारी शुगर्स एण्ड केमिकल्स, रेलीज इंडिया, स्पिक, मद्रास रिफाइनरीज, जुहरी एग्रो, ई आई डी पैरी, ए सी सी और एक्सेल इंडस्ट्रीज शामिल हैं, द्वारा सहयोग की गई।

बी सी आई एल के संचालन के मुख्य क्षेत्र ये हैं :

- प्रौद्योगिकी विकास
- प्रौद्योगिकी अंतरण
- परामर्श
- निधि संघ-संगठन
- सूचना सेवाएं

जनशक्ति प्रशिक्षण और प्लेसमेंट पूर्ण किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

कम्पनी का नाम और पता	प्रौद्योगिकी	निबन्धन
1. क्रॉप हैल्थ प्रोडक्ट्स लि. डी-31/1 इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ रोड, गाजियाबाद-201003	क. हीलियोथिस एनपीवी ख. ट्राइकोग्रामा ग. ट्राइकोडर्मा	तकनीक खर्च के लिए 7 लाख रु. 7 वर्ष के लिए बिकी पर 3% रॉयल्टी
2. महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोअर फेडरेशन लि., 24, रामदास कालोनी, पो.बॉ. नं. 104 जलगांव-425001, महाराष्ट्र	क. ट्राइकोडर्मा	तकनीक शुल्क के रूप में 3 लाख रु. बिक्री पर 3% रॉयल्टी
3. गोदावरी शुगर मिल्स लि. फजलभॉय बिल्डिंग 45-47, महात्मा गांधी रोड फोर्ट, बम्बई-400023	क. ट्राइकोग्रामा	तकनीकी शुल्क के रूप में 5 लाख रु. 5 वर्ष के लिए रॉयल्टी के रूप में 80,000 रु.
4. हॉयस्ट स्करिंग एग्रीवो लि. हॉयस्ट हाऊस, नारीमन पॉयन्ट 193, बैकबे रीक्लेमेशन बम्बई-400021	क. ट्राइकोडर्मा	तकनीक शुल्क के रूप में 3 लाख रु. 3 वर्ष के लिए कुल बिक्री पर 3% रॉयल्टी

विवरण-II

मुख्य कार्य

ग्राहक	कार्य/परियोजना
प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण	
प्रौद्योगिकी विकास	
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनयू) कोयम्बतूर	जैव कीटनाशकों के लिए वित्तीय बढ़ोत्तरी एवं प्रदर्शन संयंत्र
प्रमाण टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स (प्रा.) लि., थाने	एकल कोशिका इलेक्ट्रोपोरेशन उपस्कर का विकास

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु	औद्योगिक प्रोटोटाइप बी ओ डी जैव-संवदेक का विकास

प्रौद्योगिकी पैकेजिंग

बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) भारत सरकार	नील हरित शैवाल, राइजोबियम
सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फार फिशरीज एजूकेशन (सीआईएफई), बम्बई	फ्रेशवाटर प्रॉन हेचरी
सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फार फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर (सीआईएफए), भुवनेश्वर	कम्पोसिट कार्प संवर्धन

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

क्रॉप हैल्थ प्राडक्ट्स लि. (सीएचपीएल), गाजियाबाद	जैव कीटनाशक
महाराष्ट्र ऑयल सीड्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि. (एमएएचएएफईडी) जलगांव	जैव कीटनाशक
हॉयस्ट स्करिंग एग्रीवो लि. बम्बई	जैव कीटनाशक
गोदावरी शुगर मिल्स लि. (सोमैय्या ग्रुप) बम्बई	जैव कीटनाशक
यू बी ग्रुप ऑफ डिस्टिलरीज बंगलौर	ऊर्जायुक्त उच्च एल्कोहल खमीर
रैनबैक्सी लेबोरेटरीज, नई दिल्ली	प्रैगनेन्सी डिटेक्शन किट
टी एम टी (इंडिया) लि. हैदराबाद	फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर
ईस्टर्न ऑरगेनिक फर्टिलाइजर्स प्रा. लि., कलकत्ता	नगर के कूड़े-कचरे का कार्बनिक खाद में रूपान्तरण
लीफ बायोटेक प्रा. लि. थाणे	नगर के कूड़े-कचरे का कार्बनिक खाद में रूपान्तरण
एस पी जी बायोएग्रो प्रा. लि. चंडीगढ़	नगर के कूड़े-कचरे का कार्बनिक खाद में रूपान्तरण
जे. मित्रा एंड कम्पनी प्रा. लि. नई दिल्ली	एच आई वी-I तथा II नैदानिकी
एसीई डायग्नोस्टिक एंड बायोटेक लि., नई दिल्ली	एच आई वी-I तथा II नैदानिकी (वेस्टर्न ब्लाट) (एलिसा)

कंसल्टेंसी

स्तरीय/क्षेत्रीय अध्ययन

डी एस आई आर, भारत सरकार	जैव कीटनाशक
डी एस आई आर, भारत सरकार	जैव उर्वरक
डी एस आई आर, भारत सरकार	पूंजीगत माल
सार्क निधि, आई डी बी आई बम्बई	सार्क क्षेत्र में कटफ्लावर उद्योग
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बम्बई	भारतीय पुष्प कृषि उद्योग
ए पी ई डी ए, वाणिज्य, मंत्रालय नई दिल्ली	कृषि निर्यात के लिए कार्बनिक खेती
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई	भारतीय औषधीय पादप
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नई दिल्ली	भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संबंधी स्थिति सर्वेक्षण

व्यवहार-पूर्व अध्ययन

ए टी आई, यू एस ए	राइजोबियम अनुप्रयोग
एम एस ए एम बी, पुणे	महाराष्ट्र में ऊतक संवर्धन सुविधा तथा जैव प्रौद्योगिकी एकक की स्थापना
किरलोस्कर इलेक्ट्रिक कम्पनी बंगलौर	100% फ्लोरिकल्चर ई ओ यू
महिला चेतना मंच, भोपाल	ऊतक संवर्धन एवं दृढ़ीकरण सुविधा की स्थापना
रॉयल फ्रेश वाटर, कोचीन	बैकयार्ड जायन्ट फ्रेश वाटर श्रिम्प हैचरी संबंधी प्रायोगिक परियोजना
एक्वा ट्रायम्फ, भुवनेश्वर	फ्रेश वाटर प्रॉन हैचरी की स्थापना
वेकफील्ड एग्रो प्रा. लि. बम्बई	मशरूम अपशिष्ट का खाद में परिवर्तन

तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मद्रास	पादप ऊतक संवर्धन एकक
एम एम टी सी, नई दिल्ली	पुष्पकृषि 100% ई ओ यू
डी बी टी, आई सी आई सी आई और एन ए बी ए आर डी	सूक्ष्मप्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

अंकुर बायोकल्चर लि., नई दिल्ली	निर्यात के लिए ऊतक संवर्धन द्वारा सजावटी पौधों का वाणिज्यिक उत्पादन
एक्वा ट्रायम्फ, भुवनेश्वर	फ्रेशवाटर झींगा हैचरी और फार्म
क्राप हैल्थ प्रोडक्ट्स लि. गाजियाबाद	जैव कीटनाशक

महाराष्ट्र ऑयल सीड्स कापरेटिव फेडरेशन लि., जलगांव	जैव कीटनाशक
गोदावरी शुगर मिल्स लि., बम्बई	जैव कीटनाशक
पंजाब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	जैव प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
विपणन सर्वेक्षण	
कंसोर्टियम आफ फर्मा इन्डस्ट्रीज	चिकित्सा नैदानिकी
इलैक्ट्रानिक विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली	जैव इलैक्ट्रानिकी
सेवा डायग्नोस्टिक्स, अमरीका	डाईबिटिज मैनेजमैंट किटें
कनेडियन हाईकमीशन, नई दिल्ली	नैदानिकी और टीके
[illegible] प्रौद्योगिकी के लिए [illegible] परिषद, भोपाल	औषधीय पादप
मसकाट एक्जम्स (प्रा.) लि., मद्रास	प्लसैंटा का निर्यात
ए पी ई डी ए	कार्बनिक संवर्धन के लिए उपयुक्त फसलों का विपणन सर्वेक्षण
व्यापार योजना	
महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे	महाराष्ट्र के लिए बागवानी
जय भारत मारुति लि. नई दिल्ली	पुष्पकृषि, मशरूम खेती और संसाधन में निवेश के अवसर
स्टैपवैल इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	कृषि जैव प्रौद्योगिकी में विविधता
एस आर एम प्रा. लि. विशाखापटनम	जैव प्रौद्योगिकी में विविधता
इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., हैदराबाद	एनालिटिकल, बायोटेक और पर्यावरण निगरानी उपस्कर
परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी	
वैलपल्स बायोटेक लि., बडोदरा	पुष्पकृषि : 100% ई ओ यू
यूरो एशिया फ्लावरस लि., नई दिल्ली	पुष्पकृषि : 100% ई ओ यू
इंडिया मेरीस्टेम लि., जयपुर	ऊतक संवर्धन परियोजना
आई डी बी आई	पुष्पकृषि
आई सी आई सी आई	जैव कीटनाशक
आई सी आई सी आई	ऊतक संवर्धन
अजय बायोटेक लि. पुणे	जैव उर्वरक
एस एस क्लोनटेक	प्रतिरक्षानैदानिक किटें
बायोटिशु लैब्स (प्रा.) लि.	ऊतक संवर्धन
एक्वा मेरीन ग्रीन डिवेलपमेंट नई दिल्ली	कार्बनिक कृषि 100% ई ओ यू
विविध	
प्रीमियर जीबा प्रा. लि. नई दिल्ली	रोगाणुओं के आयात के लिए पर्यावरण निकासी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए मध्य प्रदेश राज्य परिषद, भोपाल	मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयुक्त केन्द्र की स्थापना
वेरिमपैक्स, फ्रांस	संयुक्त उद्यम
फार्मेट्र फामा बायोडिल लि.	औद्योगिक एंजाइमों के संबंध में सूचना सर्वेक्षण
विदेश मंत्रालय-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नीदरलैंड	ए पी बायोटेक परियोजना के लिए इंडो-डच मिशन
सैन्डर्स इंटरनेशनल, यू एस ए	भारतीय कम्पनियों के साथ अमरीका बायोट्रीटमेंट प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकें
यू एन आई डी ओ	जैव प्रौद्योगिकी में व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए यू एन आई डी ओ मिशन के लिए भारत में व्यापार की बैठकें
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मध्य प्रदेश राज्य परिषद, भोपाल	उद्यमियों की बैठकें
केरल राज्य औद्योगिक विकास कार्पोरेशन, केरल वित्तीय कार्पोरेशन	उद्यमियों की बैठकें
डी बी टी, एस आई डी बी आई	जैव उर्वरकों के लिए उद्यमियों की बैठकें
पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	जैव विविधता कार्यशाला
प्रशिक्षण और प्लेसमेंट, डी बी टी	पोस्टग्रैज्युएट औद्योगिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
की फार्मा लि., दिल्ली	पशु टीकों के आयात के लिए निकासी
बायोटेक्नोलॉजी विभाग	जी एम ओ के प्रयोग द्वारा सृजित जैव सुरक्षा विषयों के संबंध में कार्यशाला

एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथोरिटी	कार्बनिक खेती के लिए राष्ट्रीय मानकों के बनाने संबंधी अध्ययन

निधि संघ-संगठन

एनीमल बायोटेक लि., बंगलौर	पशु स्वास्थ्य देखरेख प्रबंध के लिए नैदानिक किटों का विकास और व्यापारीकरण (एस आई डी बी आई)
संगीता बायोकेम लि., कलकत्ता	लेक्टिक एसिड और उसके व्युत्पन्नों के लिए आधुनिकीकरण व विस्तार परियोजना (कैपिटल फंड, आईडीबीआई संयुक्त उद्यम)
ईस्टर्न आरगेनिक फर्टिलाइजर लि. कलकत्ता	नगर के कूड़े-कचरे का परिवर्तन (आईडीबीआई)।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

2425. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र की जनता में अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस क्षेत्र में प्राकृतिक इतिहास का एक क्षेत्रीय संग्रहालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना के कार्य में वित्तीय बाधाओं तथा प्रशासनिक उलझनों को देखते हुए पहले ही अनुमोदित किए जा चुके तीन क्षेत्रीय संग्रहालयों के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों और अन्य सांविधिक तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संग्रहालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करवाए जाने का निर्णय लिया गया है।

पुणे से सतना तक चार लेनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

2426. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे से सतना तक चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस खंड पर कार्य आरंभ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह कार्य किसी निजी पार्टी को सौंपा गया है; और

(च) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं तथा कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए निधियां

2427. **श्री राजो सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में पहली किश्त के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या इन केन्द्रों के लिए दूसरी किश्त जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के लिए दूसरी किश्त जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी राशि जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, मंत्रालय ने राज्य क्षेत्र और स्वैच्छिक एजेंसी क्षेत्र को क्रमशः 50,000 और 3,640 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संस्वीकृत किए हैं।

(ख) से (च) तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, लेखों के विवरण, लेखा-परीक्षित विवरण और अनौपचारिक शिक्षा परियोजना को जारी करने के अनुरोध प्राप्त होने पर किश्तें जारी की जाती हैं। देय निधियां, उपर्युक्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खेल गतिविधियां

2428. **श्री बी० एम० मेनसिंकाई** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही खेलकूद संबंधी गतिविधियों के संबंध में कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और नौवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, नहीं। केवल कर्नाटक के लिए ही कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग द्वारा "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की एक योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, अधिकतम सीमा के अधीन राज्य/संघ शासित सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच समतुल्य हिस्से के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान 11.60 करोड़ रुपये तथा नवीं योजना के दौरान 45.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है लेकिन राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर, स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

* **रंजीव बिस्वाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत सफाई कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन-सी नदियां शामिल की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत कुछ और नदियों को शामिल करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार ने अप्रैल, 1993 से अक्टूबर 1996 की अवधि के दौरान गंगा कार्य योजना चरण-2 और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की स्कीमों का अनुमोदन किया। इन दोनों स्कीमों के अन्तर्गत 14 राज्यों में 22 नदियों के किनारे स्थित 141 शहरों के प्रदूषण निवारण के कार्यों को अनुमोदित किया गया है। इन कार्यक्रमों में शामिल नदियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन स्कीमों का कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) इस योजना के अन्तर्गत नौवीं योजना के दौरान और नई नदियों को शामिल न करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	नदी
1	2	3
I.	आंध्र प्रदेश	1. गोदावरी
		गोदावरी
		गोदावरी
		गोदावरी
II.	बिहार	2. सुवर्णरेखा
		सुवर्णरेखा
		सुवर्णरेखा
		3. गंगा
		4. दामोदर
III.	गुजरात	5. साबरमती
IV.	कर्नाटक	6. तुंग (कृष्णा)
		7. तुंगभद्रा (कृष्णा)
		8. भद्रा (कृष्णा)
		तुंगभद्रा (कृष्णा)
		9. कावेरी
		कावेरी
		कावेरी
		कावेरी
V.	मध्य प्रदेश	10. खान
		11. क्षिप्रा
		12. ताप्ती
		13. बेतवा
		बेतवा
		बेतवा
		14. नर्मदा
		15. वैणगंगा
		वैणगंगा
		वैणगंगा
		16. चम्बल
VI.	महाराष्ट्र	17. कृष्णा
		कृष्णा
		गोदावरी
		गोदावरी
VII.	उड़ीसा	18. महानदी
		19. ब्रह्मणी
		ब्रह्मणी
		ब्रह्मणी

1	2	3
VIII.	पंजाब	20. सतलज
		सतलज
		सतलज
		सतलज
IX.	राजस्थान	चम्बल
		चम्बल
X.	तमिलनाडु	कावेरी
		कावेरी
		कावेरी
		कावेरी
		कावेरी
XI.	दिल्ली	21. यमुना
XII.	हरियाणा	यमुना
XIII.	उत्तर प्रदेश	यमुना
		गंगा
		22. गोमती
XIV.	पश्चिम बंगाल	गंगा
		दामोदर

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर

2430. **श्री भर्तृहरि मेहताब :**
डा० सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से 3-4 किलोग्राम वजन का चूने के पत्थर का पटिया गिरने के परिणामस्वरूप परिसर में एक व्यक्ति घायल हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा स्थित गारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल के प्रभारी अधिकारी एक अस्थायी अधिक्षक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 1997-98 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्वीकृत 34 लाख रुपये व्यय नहीं कर पाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा मंदिर के उचित संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के कलश से चूना पलस्तर का एक चपटा टुकड़ा गिरा था जिससे एक व्यक्ति जख्मी हुआ था।

(ग) और (घ) अधीक्षक पुरातत्वविद्, जो सामान्य तौर पर मंडल का प्रमुख होता है, का पद खाली होने के कारण उपअधीक्षक पुरातत्वविद् कार्यभार संभाले हुए हैं।

(ङ) और (च) प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से व्यय में कुछ कमी हुई। फिर भी पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

चार जल मार्गों को राष्ट्रीय दर्जा

2431. **श्री संदीपान थोरात :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार जल मार्गों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जल मार्ग-वार प्रस्तावित निवेश कितना है एवं अंतिम निर्णय लिए गए/विचारार्थ परियोजनाएं कौन-कौन-सी हैं तथा तत्संबंधी निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्या है एवं इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त परिवहन क्षमता का सृजन होगा;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह प्रस्तावित शीर्षस्थ प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए गोदावरी, कृष्णा, सुन्दरबन, डी वी सी नहर, काकीनाड़ा-मरकोनम नहर, उत्तर एवं दक्षिण की ओर राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के विस्तार जैसे संभावित जलमार्गों पर तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन और जलीय सर्वेक्षण किए गए हैं। प्रगति पर हैं। इन जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा और उत्तरवर्ती विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) नौवहन और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास हेतु अक्तूबर, 1996 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई।

(घ) उपर्युक्त जलमार्गों में से गोदावरी नदी की घोषणा संबंधी प्रस्ताव निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जहां तक सुन्दरबनों का संबंध है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद की बैठक

2432. **श्री एस० एस० ओवेसी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद की बैठक लगभग छः वर्षों के बाद अगस्त, 1998 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या राज्य वयस्क शिक्षा महानिदेशालयों के लिए कोई विशेष भूमिका तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी साक्षरता अभियानों के लिए किसी संबद्धता की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद की बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी, वे निम्नलिखित हैं : (i) प्रौढ़ शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, (ii) साक्षरता कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों की अधिकाधिक सहभागिता तथा राजनीतिक कार्यकारियों

साक्षरता में स्त्री-पुरुष संबंधी अन्तरों को कम करना,

धिक से अधिक अधिकारों तथा दायित्वों को अन्तरित करना आदि।

इस बैठक में, कुछ बिन्दुओं पर व्यापक सहमति भी हुई थी, वे निम्नवत् हैं : (i) प्रमुख हिन्दी भाषी क्षेत्रों में महिला साक्षरता पर विशेष रूप से तुरन्त ध्यान दिए जाने की जरूरत, (ii) अधिकाधिक पंचायती राज संस्थाओं को साक्षरता अभियानों से तुरन्त जोड़ने की जरूरत, (iii) निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की और अधिक कारगर सहभागिता, (iv) साक्षरता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नई कार्य-नीतियां तैयार करने की जरूरत जिसमें एक यूनिट के तौर पर ब्लॉक/तालुक का प्रयोग शामिल है, (v) एक वर्ष के लिए उत्तर साक्षरता अभियानों की पाबंदी, (vi) परियोजनाएं स्वीकृत करने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण, (vii) साक्षरता के लिए राज्य सरकारों से ठोस सहयोग तथा प्रतिबद्धता प्राप्त करने की जरूरत, आदि।

(ग) और (घ) राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों को नियमित मासिक निगरानी बैठकों के माध्यम से कारगर निगरानी का कार्य सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इन बैठकों में जिन राज्यों में साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उन राज्यों की समीक्षा की जाती है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य निदेशालय राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनको राज्यों में सतत शिक्षा के लिए साक्षरता अभियान की परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्र विद्युत संयंत्र

2433. प्रो० रीता वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्र विद्युत संयंत्रों के क्या नाम हैं जो निश्चित समय सीमा के अन्दर ईंधन आपूर्ति संबंधी करार को अंतिम रूप नहीं दे पाए;

(ख) निश्चित सीमा के अन्दर ठेके को अंतिम रूप नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना कार्यान्वयन में ढील दिखाने वाली इन कंपनियों के निवेश प्रस्तावों के रद्द किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संलग्न विवरण में उल्लिखित 21 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं द्वारा अनेक परियोजना प्रवर्तकों के स्वयं ईंधन आयात करने के प्रस्ताव सहित विभिन्न कारणों से ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

(ग) और (घ) जुलाई, 1998 में घोषित तरल ईंधन के प्रयोग पर संशोधित नीति के अनुसार राज्य सरकारें अन्य परियोजनाओं के पक्ष में ईंधन लिंकेज के पुनः आवंटन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज सकती हैं यदि वे महसूस करती हों कि मौजूदा प्रवर्तक परियोजना का विकास करने के योग्य नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना विकासक का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	रिलायंस सलगांवकर	गोवा	40.00
2.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी	गुजरात	150.00
3.	जीएनएफसी, भड़ौच	गुजरात	31.00
4.	सांघी इंडस्ट्रिज लि., कच्छ	गुजरात	52.50
5.	अरविन्द मिल्स, नरौडा रोड	गुजरात	23.00
6.	कोर पेरेंटल हैल्थ केयर लि., सचाना	गुजरात	19.20
7.	अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स, वडोदरा	गुजरात	8.00
8.	ब्रिबटन एक्सपोर्टस लि., झगडिया	गुजरात	4.00
9.	कन्नूर पावर प्रोजेक्ट, कन्नूर	केरल	513.00
10.	रिलायंस पातालगंगा पावर	महाराष्ट्र	410.00
11.	सेंचुरी रेयॉन, कल्याण	महाराष्ट्र	18.00
12.	अबन लायड चिल्स ऑफ शोर लि., एन्नौर	तमिलनाडु	126.13
13.	एनप्रो इंडिया लि., गजरौला	उ.प्र.	100.00

1	2	3	4
14.	डीसीएम श्रीराम, झगडिया	गुजरात	18.00
15.	वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रिज लि., गुड़गांव	हरियाणा	25.00
16.	कॉटेक अब्बादी, भीखनगांव	म.प्र.	25.00
17.	कॉटेक अब्बादी, देवास	म.प्र.	25.00
18.	कॉटेक अब्बादी, खण्डवा	म.प्र.	25.00
19.	कॉटेक अब्बादी, रतलाम	म.प्र.	25.00
20.	भेल, भोपाल	म.प्र.	6.00
21.	नेशनल रेयॉन, कल्याण	महाराष्ट्र	20.00

प्रौद्योगिकी आयात पर उपकर

2434. **डा० सुशील इन्दौरा :**
श्री प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रौद्योगिकी के आयात पर उपकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर और किस प्रकार लगाया जाता है;

(ग) यह उपकर लगाने से कितनी औसत वार्षिक आय की संभावना है;

(घ) इस उपकर से मार्च, 1998 तक कितनी राशि एकत्र हुई तथा इसमें से कितनी राशि व्यय की गई और यह राशि किन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई; और

(ङ) इस राशि को व्यय करने के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों का नाम क्या है और उनका प्राथमिकता क्रम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में किसी भी विदेशी सहयोग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के आयात पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए सभी भुगतानों पर 5 प्रतिशत की दर से उपकर लिया जाता है। यह उपकर भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक में देय है।

(ग) उपलब्ध पिछले आंकड़ों के आधार पर चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास उपकर की वसूली से 80 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने का अनुमान है।

(घ) मार्च, 98 तक एकत्र किए गए उपकर की रकम 526.43 करोड़ रुपये है। इसमें से 107.74 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता तथा व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विमुक्त किया गया है। सितम्बर, 1996 से निधियां प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) को विमुक्त की जा रही हैं जिनका सृजन संसद के एक अधिनियम के तहत इसी उद्देश्य के लिए किया गया है।

(ङ) प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण तथा आयातित प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है। टीडीबी ने अब तक स्वास्थ्य देखरेख, इंजीनियरी इलैक्ट्रॉनिक, रसायन लुब्रिकेंट्स कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, परिवहन, ऊर्जा अपशिष्ट अनुप्रयोग तथा दूर संचार के क्षेत्रों को कवर किया गया है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियां

2435. **श्री अजीत जोगी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान नई औद्योगिक वर्गीकरण/नीति के अन्तर्गत कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत की गईं और उनकी अधिकतम प्राधिकृत पूंजी कितनी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अप्रैल से अक्तूबर, 1998 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1998 के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की संख्या, जिसे प्राधिकृत पूंजी सहित औद्योगिक कार्यकलापों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1.4.98 से 31.10.98 के दौरान पंजीकृत शेयर द्वारा सीमित कंपनियां

राज्य और संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत कंपनियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1261
असम	147
बिहार	218
गुजरात	980
हरियाणा	150
हिमाचल प्रदेश	50
जम्मू और कश्मीर	94
कर्नाटक	800
केरल	366
मध्य प्रदेश	397
महाराष्ट्र	3194
मणिपुर	11

1	2
मेघालय	6
मिजोरम	1
नागालैंड	9
उड़ीसा	266
पंजाब	415
राजस्थान	446
तमिलनाडु	1356
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	656
पश्चिम बंगाल	1258
अरुणाचल प्रदेश	10
गोवा	70
चण्डीगढ़	197
	3785
[illegible]	5
पांडिचेरी	52
योग	16204

विवरण-II

1.4.98 से 31.10.98 के दौरान पंजीकृत शेयर द्वारा सीमित कंपनियों का उद्योगवार वितरण तथा उनकी प्राधिकृत पूंजी

औद्योगिक वर्गीकरण	कंपनियों की संख्या	प्राधिकृत पूंजी (लाख रुपये में)
1	2	3
1. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	736	12091.90
2. खनन एवं उत्खनन	141	122482.00
3. विनिर्माण		
(क) खाद्य-सामग्री, टैक्सटाइल, लकड़ी का उत्पाद, चमड़ा और उसका उत्पाद	1985	56158.59
(ख) धातु, रसायन और उसका उत्पाद	3868	123272.63
(ग) बिजली, गैस और जल	113	13356.00
4. निर्माण	1219	43360.00
5. थोक और खुदरा व्यापार तथा रेस्तरां एवं होटल	2695	43211.08
6. परिवहन, भंडारण एवं संचार	825	15156.90
7. वित्त, बीमा, वास्तविक सम्पदा एवं व्यावसायिक सेवाएं	3892	100256.45
8. सामुदायिक, समाज और वैयक्तिक सेवाएं	730	12768.25

रिसर्जेंट बांडों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में निवेश

2436. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रिसर्जेंट इंडिया बांडों के माध्यम से एकत्र धनराशि को विद्युत क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन ने निगम द्वारा आवंटित रिसर्जेंट इंडिया बांडों (आरआईबी), 5 वर्षीय कर योग्य बांडों से प्राप्त होने वाली आय में से 12.75 प्रतिशत अंशदान राशि के रूप में 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा ये निधियां अपनी दीर्घकालिक संसाधनों में अभिवृद्धि करने के लिए प्राप्त किए गए हैं और निगम के उद्देश्यों के अनुरूप विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में इन निधियों का उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि

2437. श्री एम० बागा रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिम्हाद्री में स्थापित किए जा रहे प्रस्तावित 1,000 मे. वा. परियोजना के मुख्य प्लांट पैकेज को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को दिए जाने के संबंध में निगम को जापान ओवरसीज आर्थिक सहयोग निधि से स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या जापानी एजेंसी ने इस परियोजना पर पहले आपत्ति की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;, और

(ङ) परियोजना कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (2×50 मे.वा.) के लिए मुख्य संयंत्र टर्न-की परियोजना का ठेका मै. भेल को दिए जाने संबंधी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की सिफारिशों पर ओवरसीज आर्थिक सहयोग

निधि (ओईसीएफ) ने नवम्बर, 1998 में अपनी अनापत्ति सूचित कर दी है।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत वर्ष 1997 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर 3650.79 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) ओईसीएफ ने भूमि की भराई संबंधी तरीके/निर्धारित कार्यक्रम की युक्तिसंगतता के बारे में पूछताछ की थी तथा परियोजना के मुख्य संयंत्र संबंधी पैकेज के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर अपेक्षित मात्रा में भूमि की भराई करने और उसे समतल करने में मै. भेल की तत्परता के संबंध में भी पूछताछ की थी। एनटीपीसी ने इन मुद्दों के संबंध में विस्तृत औचित्य प्रस्तुत कर दिया था जिसके आधार पर इस पैकेज के कार्य का ठेका मै. भेल को दिए जाने के संबंध में ओईसीएफ ने अपनी अनापत्ति सूचित कर दी है।

(ङ) परियोजना स्थल पर प्रारंभिक कार्य पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं। मुख्य संयंत्र संबंधी टर्न-की पैकेज का ठेका 23.11.98 को मै. भेल को दे दिया गया है।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

2438. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए गठित कृतिक बल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत देश की कम्पनियों के परिचालन और कार्यकरण पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाएगा;

(घ) क्या वार्षिक विवरण जमा करने वाली तथा शेयर जारी करते समय किए गए वायदों से मुकर जाने वाली कम्पनियों के लिए विद्यमान कानूनों को भावी संशोधनों में और ज्यादा कठोर बनाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां। कम्पनी विधेयक, 1997 को 14 अगस्त, 1997 को राज्य सभा के वर्ष 1996 में गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी विधि के उपबन्धों को पुन:अधिनियमित तथा समेकित करने हेतु पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक को गृह मामलों संबंधी विभाग की स्थायी समिति के पास विचार-विमर्श के लिए भेजा गया है और इसकी सिफारिशें संसद को प्रस्तुत की जानी हैं।

(ख) और (ग) कम्पनी विधेयक, 1997 का मुख्य उद्देश्य निवेशकों, लेनदारों और पब्लिक को अच्छे निगमित शासन के लिए विस्तृत कारगर संरक्षण प्रदान करना है और साथ ही कम्पनी के उद्देश्यों के कार्य में प्रबंध को अपनी शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए स्वच्छंद रखना है।

विधेयक में कम्पनियों के तिगुने वर्गीकरण का प्रावधान है, जो निम्न प्रकार है :

(1) प्राइवेट कम्पनियां, जिनके अधिकांश स्वविनियमन का प्रस्ताव है, लेकिन पब्लिक से निक्षेपों को आमंत्रित करने और स्वीकार करने पर निषेध है और जो पब्लिक कम्पनियों के रूप में मानित नहीं की जानी हैं;

(2) गैर सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियां जो न्यूनतम सरकारी विनियमनों के अधीन होंगी;

(3) सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियां जो प्रकटीकरण के सख्त मानदण्डों सहित बृहत्तर नियमन के अधीन होंगी।

कम्पनी विधेयक, 1997 अन्तर्राष्ट्रीय रुझान को मान्यता प्रदान करता है और एक लचीला लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है अर्थात् इस संबंध में निदेशकों और लेखा परीक्षकों की बढ़ती हुई जिम्मेदारी से बेहतर प्रकटीकरण के अधीन कम्पनियों द्वारा बृहत्तर स्वविनियमन, विधि का अधिक कारगर ढंग से प्रवर्तन और अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए तत्काल और भयोपरापी दण्ड। विधेयक में विद्यमान अधिनियम के अपर्याप्त और अप्रचलित उपबंधों को हटाने या प्रतिस्थापित किए जाने की भी मांग की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कम्पनी विधेयक, 1997 के खंड 130 के अनुसार, वार्षिक विवरण/तुलनपत्र न फाइल किए जाने पर जुर्माने को व्यतिक्रम जारी रहने के दौरान प्रतिदिन 50/- रु. से बढ़ाकर 500/- रु. किए जाने का प्रस्ताव है। वार्षिक विवरण का क्षेत्र समुचित रूप से विस्तृत कर दिया गया है तथा वार्षिक विवरण फाइल किए जाने की अवधि 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। खंड 55 के अनुसार, शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए जारी की गई विवरणिका में गलत विवरणों के लिए जुर्माने के तौर पर दो साल तक का कारावास या साथ में एक लाख रुपये का जुर्माना भी होगा।

[अनुवाद]

हिमालय को खतरा

2439. **श्री नरेश पुगलीया :**
श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 सितम्बर, 1998 के "द स्टेट्समैन" में "स्टाप एक्सप्लायरिंग हिमालय : बहुगुणा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) क्या टिहरी बांध के निर्माण से हिमालय को खतरा हो रहा है और हिमालय के निकट भूस्खलन की घटनाएं सरकार के लिए गंभीर चिन्ता की बात है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का हिमालय को और शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रकाशित समाचार, विकास कार्यकलापों के कारण हिमालय में उत्पन्न गड़बड़ियों के बारे में है तथा इसमें कुछ उपचारी उपाय सुझाए गए हैं। हिमालय की नाजुक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में भलीभांति विचार करके विकासात्मक कार्यकलाप किए जाते हैं।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि कार्यान्वित की जा रही टिहरी जल विद्युत योजना से हिमालय को किसी प्रकार का खतरा है। टिहरी बांध जलाशय के किनारे के ढलानों को बनाए रहने पर किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि ये ढलान सुरक्षित हैं। हिमालय में भूस्खलन आमतौर पर इसकी हाल ही की भौगोलिक स्थिति, खड़ी ढलानों और भारी वर्षा के कारण होता है।

की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न ००० मीटर से अधिक की ऊंचाई के स्थल वाले पड़ा का कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है। विस्फोटकों के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा लगातार सड़क निर्माण तकनीकों का समुन्नयन किया जाता है। ईंधन और चारा तथा गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद के संवंर्धन को बढ़ावा देने तथा संयुक्त वन प्रबन्धन से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। पारिस्थितिक तौर पर नाजुक क्षेत्रों का वनीकरण और सुरक्षा प्रारम्भ कर दी गई है। विद्युत, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, सड़क और खनन सहित विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लम्बित मामले

2440. **श्री दिनशा पटेल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लम्बित मामलों की पृथक रूप से स्थिति क्या है;

(ख) क्या महानगरों के संबंध में लंबित मामलों की स्थिति के बारे में और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों के संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में 30 नवम्बर, 1998 को 4478 जांचें/ मामले लम्बित थे। जांचों/मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अनुचित व्यापार प्रथा जांचें	1379
प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा जांचें	1398
एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांचें	8
मुआवजों के आवेदन	1693

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के केवल दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में ही न्यायालय हैं। इसकी पीठें अन्य स्थानों पर नहीं हैं। मामलों पर सुनवाई के लिए तय की गई तारीखों को विचार किया जाता है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में मामलों पर नगरवार या राज्यवार कार्रवाई करने के बारे में परिकल्पना नहीं है। परिणामस्वरूप, इस बारे में पुनरीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(घ) सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके सदस्यों की स्वीकृत संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करके तथा सहायक स्टाफ के और पद सृजित करके प्रशासनिक तौर पर सुदृढ़ कर दिया है।

भारतीय जहाजरानी उद्योग में संकट

2441. **डा० रवि मल्लू :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभावान मर्चेन्ट नेवी आफिसरों के विदेशी कंपनियों में चले जाने के कारण भारतीय जहाजरानी उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जहाजरानी उद्योग को प्रतिभा पलायन से होने वाली समस्या से बचाने के लिए किन कदमों के उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) हालांकि यह सत्य है कि उच्चतर वेतनमान और अधियानी कर पद्धति के कारण मर्चेन्ट नेवी के अधिकारियों द्वारा विदेशी कम्पनियों में नौकरी ले लेने के कारण भारतीय जहाज मालिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि भारतीय जहाज उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है।

(ग) इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विशेष व्यवस्था, नौवहन कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण को प्रायोजकता से अलग करना, जिससे प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, और प्रशिक्षण सुविधाओं के सृजन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है।

लंबित पड़ी पन-विद्युत परियोजनाएं

2442. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी पन-बिजली परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) देश में इस समय पन-बिजली क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उसका उपयोग कितना है;

(ग) पन-बिजली क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) इस समय के.वि.प्रा./केन्द्रीय जल आयोग में 17 हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमें (प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रु. से अधिक) जांच के विभिन्न चरणों में है। के.वि. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित 21 जल विद्युत स्कीमों के लिए प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृति प्रतिक्षित है।

(ख) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार जल विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21891.08 मे.वा. थी। इन जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 1998-99 के दौरान अक्टूबर, 1998 तक 51119 मि. यूनिट लक्ष्य की अपेक्षा 51645 मि.यू. विद्युत का उत्पादन हुआ है।

(ग) सरकार द्वारा जल विद्युत विकास के गतिशील विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. और टेहरी हाइड्रो-डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिए उच्चतर बजटीय सहायता नयी जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अग्रिम कार्यवाही निजी क्षेत्रों की भागीदारी को आकर्षित करने हेतु उदारीकृत नीति और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जल विद्युत विकास के लिए कार्ययोजना आदि शामिल है।

भारत सरकार ने अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास की गति को तेज करने के लिए जल विद्युत विकास संबंधी एक नीति की घोषणा की है।

इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) नौवीं योजना के दौरान लक्ष्यित क्षमता अभिवृद्धि को सुनिश्चित करना,

(ii) बृहत जल विद्युत शक्यता का तीव्र गति से दोहन करना,

(iii) छोटे और इससे छोटी जल परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

(iv) नयी जल परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए पी.एस.यू.एस./एस.ई.बी.एस. की भूमिका का सुदृढ़ीकरण करना,

(v) निजी निवेश को बढ़ाना।

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट में जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 1645.02 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

2443. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ, उ.प्र. में केन्द्र सरकार की सहायता से जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जाएगा और इसके क्या उद्देश्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद राज्य सरकार की सहायता से लखनऊ में एक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कार्य योजना, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आदि बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के वास्ते बायोटेक्नोलॉजी विभाग संबद्ध है। केन्द्र स्थापित हो जाने के बाद डी बी टी विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति

2444. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ने स्थाई तौर पर पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में बिजली के बंटवारे का अनुपात तय कर लिया गया है; और

(घ) उक्त योजना के तहत किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत बोर्ड ने पश्चिमी क्षेत्र की अधिशेष गैर-व्यस्ततमकालीन विद्युत की दक्षिणी क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसे 1.11.98 से प्रभावी माना जाएगा तथा जिसमें सभी दक्षिणी क्षेत्रीय राज्यों की भागीदारी होगी। इस व्यवस्था को 1.11.98 से क्रियान्वित कर दिया गया है तथा 100 मे.वा. से लेकर 500 मे.वा. तक की विद्युत गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में अंतरित की जा रही है।

(ग) दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत को निम्नलिखित अनुपात में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को बांटा जाएगा :

आंध्र प्रदेश	–	30 प्रतिशत
कर्नाटक	–	25 प्रतिशत
केरल	–	15 प्रतिशत
तमिलनाडु	–	30 प्रतिशत

(घ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को पश्चिमी क्षेत्र से आयातित विद्युत से लाभ प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना

2445. श्री ए० वेंकटेश नायक :

श्री अभय सिंह एस० भोंसले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

[illegible] सरकार ने हाल ही में इस संबंध में कोई संगोष्ठी का [illegible] था;

(घ) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया;

(ङ) देश में वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(च) क्या दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या में कमी आ रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) संसद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के ऊपर मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के संवर्धन और इस प्रणाली में शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानक निर्धारित करने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी है। इस कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ इग्नू ने विश्वविद्यालय के एक प्राधिकरण के रूप में 1992 में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की थी।

(ग) और (घ) पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के साथ मिलकर दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा 17 और 18 नवम्बर, 1998 को दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में दूरस्थ और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

(ङ) देश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा परंपरागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की दूरस्थ पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 8 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा 1 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 1998-99 में संबंधी नामांकन लगभग 10,559,88 है। पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों में नामांकन लगभग 8.5 लाख है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

2446. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक से कुल कितना ऋण प्राप्त किया जाएगा;

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत कितने कि.मी. राजमार्ग को शामिल किए जाने का विचार है; और

(घ) गोवा में इसमें से कितने कि.मी. राजमार्ग कवर किया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) 245 मिलियन अमरीकी डालर।

(ग) लगभग 330 कि.मी.।

(घ) कुछ नहीं।

पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव

2447. श्री आर० एस० गवई : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में 21 पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं के चयन के क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से सलाह ली गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) सितम्बर, 1998 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में 21 (इक्कीस) परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है जिन्हें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा क्रियान्वयन हेतु अपने हाथ में लिया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभिज्ञात परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) परियोजनाओं के अभिज्ञापन संबंधी मानदंड निम्नानुसार हैं :

(i) स्कीमें वृहत् क्षमता की होनी चाहिए।

(ii) एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही अथवा विकसित परियोजनाओं के यथासंभव आस-पास स्थित परियोजनाओं पर एनएचपीसी द्वारा अपने हाथ में लेने के लिए विचार किया जा सकता है ताकि आस-पास के क्षेत्र में एनएचपीसी के पास उपलब्ध आधारभूत सामग्री का समुपयोजन परियोजना की ईष्टतम लागत के लिए किया जा सके।

(iii) अंतर्राज्यीय पक्षों को शामिल करने वाली परियोजनाएं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परियोजनाओं में टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु जल विद्युत परियोजना, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वयन हेतु दो जल विद्युत परियोजनाएं, नाथपा-झाकड़ी पावर कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वयन हेतु तीन जल विद्युत परियोजनाएं और नीपको द्वारा क्रियान्वयन हेतु आठ जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) एनएचपीसी और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने वाली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	सावलकोट	जे. एंड के.	600
2.	कोल बांध	हि. प्र.	800
3.	पार्बती चरण-2	हि. प्र.	800
4.	किशाऊ	उ. प्र.	600
5.	कदवान	बिहार	450
6.	तीस्ता चरण-3	सिक्किम	1200
7.	तीस्ता चरण-2	सिक्किम	373
8.	तीस्ता चरण-4	सिक्किम	495
9.	तिपाईमुख	मणिपुर	750
10.	दिहांग	अरुणाचल प्रदेश	10000
11.	दिहांग-2	अरुणाचल प्रदेश	3400
12.	सुबनसिरी-1	अरुणाचल प्रदेश	2400
13.	सुबनसिरी-2	अरुणाचल प्रदेश	4900
14.	डेम्वे	अरुणाचल प्रदेश	520
15.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	3000
16.	किमी	अरुणाचल प्रदेश	1100
17.	देबांग बांध	अरुणाचल प्रदेश	1000
18.	भोपालपट्टनम	म. प्र.	1000
19.	पिम्पलगांव	महाराष्ट्र	600
20.	मनैथवाडी	केरल	240
21.	हेंगनेक्कल	तमिलनाडु	850

तकनीकी/इंजीनियरिंग संस्थानों को स्वीकृति

2448. **श्री डी० एस० अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, राज्य-वार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा किन-किन तकनीकी/इंजीनियरिंग संस्थानों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन्हें स्वीकृति देते समय उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत अब तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपने अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सम्बद्ध विनियमों के अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता, क्षेत्र के लिए आवश्यक जनशक्ति, आवेदक की तकनीकी क्षमता, इत्यादि को ध्यान में रखने के पश्चात् नए संस्थाओं की स्थापना करने का अनुमोदन देती है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्था-वार राशि का आवंटन नहीं किया गया है। फिर भी संस्थाएं समय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

विवरण

अनुमोदित संस्थाओं की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरिंग और तकनीकी		फार्मेसी		एम.बी.ए.	एम.सी.ए.
	डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा		
मध्य प्रदेश	30	55	7	9	27	11
उड़ीसा	20	25	6	19	21	13
मिजोरम	—	2	—	—	—	—
सिक्किम	1	1	—	2	—	—
पश्चिम बंगाल	19	43	1	6	14	1
त्रिपुरा	—	—	—	1	—	—
मेघालय	—	2	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	—	—	—
अंडमान और निकोबार	—	1	—	—	—	—
असम	3	9	1	2	5	2
	1	3	—	—	1	—
	—	1	—	—	—	—
बिहार	12	29	3	9	14	1
उत्तर प्रदेश	51	107	10	32	83	19
चंडीगढ़	3	4	1	2	1	—
हरियाणा	27	29	4	10	15	4
जम्मू और कश्मीर	8	14	—	3	5	—
दिल्ली	6	26	2	8	29	1
पंजाब	18	40	1	22	10	2
राजस्थान	11	27	5	11	20	2
हिमाचल प्रदेश	2	7	—	3	1	—
आंध्र प्रदेश	87	86	20	19	109	98
पांडिचेरी	2	4	—	1	1	2
तमिलनाडु	125	202	28	21	105	105
कर्नाटक	69	193	49	91	39	32
केरल	19	52	3	22	11	3
गुजरात	20	38	8	11	20	2
महाराष्ट्र	118	168	46	72	113	11
गोवा	2	8	1	1	2	—
कुल	655	1177	196	377	646	309

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण

2449. श्री रामशकल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले कुछ कारखानों और मिलों का तत्स्थानिक निरीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन सभी कारखानों/मिलों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न फैक्टरियों और मिलों का नियमित तौर पर वहां जाकर निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण अत्यधिक प्रदूषक श्रेणी के 17 उद्योगों, अपने प्रदूषक तत्वों को सीधे नदियों और झीलों में विसर्जित करने वाले अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों, अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों, लोक शिकायतों और विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति को मानीटरन करने के लिए किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जाकर किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दोषी इकाइयों के खिलाफ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	निरीक्षण की गई इकाइयों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40	विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, विजियाना-ग्राम, जामपानी, डोलीसबरम
2.	केरल	16	उद्योग मंडल, तिरूविला, कोचीन, पालक्काड, एर्नाकुलम
3.	कर्नाटक	28	बेंलगांव, हवेरी, शिमोगा, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, ब्रह्मवारा, शिरूली, हसन, कोलेगढ़, मैसूर, गौरिचि, दानुर, बंगलौर, उगर, खुर्द गोककें, मांड्या, अंजपुरा
4.	तमिलनाडु	57	पाम्पल, तिरूवालगड्, वल्लार, थंजावूर, इन्नौर, चेंगलपट्टू, एमजीआर जिला, वीआरपी जिला, नेवेली, मनाली, रानीपेट
5.	महाराष्ट्र	52	कोपरगांव, औरंगाबाद, कोराडी, नासिक, दीपनगर, अकोला, पार्ली, चिजाली, रोहा, अम्बरनाथ, कल्याण, अहमदनगर
6.	गुजरात	170	भावनगर, बलसाड, भड़ौच, नन्देसरी, बडोदरा, वाणी, बलसाड, जिला, खेड़ा, सुरेन्द्रनगर
7.	पश्चिम बंगाल	50	हावड़ा, दुर्गापुर
8.	बिहार	3	भागलपुर, अमजोहरा, पलामू
9.	उत्तर प्रदेश	107	गाजियाबाद, सोनभद्रा, कानपुर, नन्दगंज, बाराबंकी, बरेली, बहराइच, उन्नाव
10.	मध्य प्रदेश	83	धार, रतलाम, दुर्ग, राजगढ़, रायसेन, सिवनी, खाण्डवा, दमोह, सतना, ग्वालियर, कच्छ, कोरबा, खारगांव
11.	हरियाणा	30	कैथल, जिन्द, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, हथिन
12.	पंजाब	10	संगरूर, होशियारपुर, पटियाला, अमृतसर, गुरुदासपुर, लुधियाना, नकोदर, फिरोजपुर
13.	हिमाचल प्रदेश	4	कालाआम्ब, परवानू
14.	दिल्ली	191	
15.	दमन और दीव	18	
16.	राजस्थान	5	खेतड़ी
17.	असम	1	डिगबोई

नोट : इनमें न्यापालक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में उद्योगों में दोबारा किए गए निरीक्षण शामिल नहीं हैं।

दिल्ली से खुर्जा तक जी०टी० रोड की जर्जर अवस्था

2450. श्री अशोक प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली से खुर्जा तक जी.टी. रोड जर्जर अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उक्त सड़क के रख-रखाव पर केन्द्र सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सड़क के रख-रखाव के लिए विशेष धन नियत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। दिल्ली से खुर्जा तक जी.टी. रोड का भाग चूंकि राज्यीय सड़क है, अत: यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

आइजोल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

2451. श्री भीम दाहल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आइजोल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई विधेयक लाने का है;

तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) इस मामले पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे रही है। विधेयक लाने के लिए इस समय सभी संबद्ध मुद्दों की सक्रियता से जांच की जा रही है।

प्रौद्योगिकियों का अंतरण

2452. श्रीमती शीला गौतम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्यमियों को "प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एशियाई एवं प्रशांत केन्द्र" (एपीसीटीटी-नई दिल्ली) द्वारा दी जा रही अत्याधुनिक, उन्नत और अद्यतन प्रौद्योगिकियों एवं सहायक सेवाओं के क्षेत्र-वार नाम क्या हैं और ये मूलत: किन देशों के हैं;

(ख) एपीसीटीटी और/या विदेश स्थित एजेंसियों द्वारा भारतीय उद्यमियों को ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या विदेशों द्वारा विदेशी ऋण सहायता, वित्तीय सहायता और अनुदान एपीसीटीटी और/या उनके वित्तीय संस्थाओं या एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) एशिया और प्रशांत प्रौद्योगिकी अंतरण केन्द्र (एपीसीटीटी) जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एशिया और प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग है, आजकल लगभग 50 देशों की 5000 से अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। प्रौद्योगिकी प्रस्तावों में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों से संबंधित सभी क्षेत्र शामिल हैं। क्षेत्रवार और मूल देशवार प्रदत्त प्रौद्योगिकियों की निदर्शी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एपीसीटीटी समर्थन सेवाओं का एक पूरा सैट मुहैया करता है जिसमें प्रौद्योगिकी अंतरण के भागीदारों का सामंजस्य, व्यावसायिक सौदेबाजी में सहायता, बाजार अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, वित्त संघ बनाना, ठेकों का प्रारूप बनाना और विपणन सहायता शामिल है।

(ख) एपीसीटीटी केवल भारत सहित एशिया और प्रशांत क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों के अंतरण की व्यवस्था को सरल बनाता है। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और विनिमय उन्नत प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए, जो भी संगत है, भारतीय उद्यमों पर लागू होते हैं। ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यापार करारों (उदाहरणार्थ डब्ल्यूटीओ, टीआरआइपीएस), मानकों (उदाहरणार्थ आइएसओ 9000/14000 शृंखलाओं) आदि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि प्रौद्योगिकी प्रस्ताव सामान्यत: आरम्भ में ही विदेशी ऋण अथवा अनुदान के साथ पैकेज नहीं किए जाते हैं, फिर भी एपीसीटीटी ने भारत और विदेश के अनेक वाणिज्यिक और विकास निधियन संस्थानों के साथ भागीदारी विकसित की है। इन संपर्कों के कारण, केन्द्र प्रौद्योगिकी क्रेताओं को विभिन्न स्रोतों से ऋणों, उद्यम पूंजी अथवा अनुदानों के रूप में धनराशि जुटाने में सहायता करने में समर्थ रहा है। विशेष रूप से, एपीसीटीटी ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से लघु उद्यम प्रौद्योगिकी ब्यूरो की स्थापना की है, जो भारतीय लघु उद्योगों को एपीसीटीटी/टीबीएसई के माध्यम से प्रौद्योगिकी का क्रय अथवा विक्रय करते समय एसआईडीबीआई के ऋण और उद्यम पूंजी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

विवरण

क्षेत्र	प्रौद्योगिकी	मूल देश
1	2	3
कृषि और कृषि उद्योग	अनाज-आधारित शराब कारखानों के अवशिष्टों से फीड प्रोटीन	चीन
	क्रोमियम प्राप्ति और चर्म शोधनशाला उद्योग में पुन: इस्तेमाल	भारत
रसायन उद्योग	पुष्पित विरंजक एजेंट	चीन
	चमड़ा प्रक्रियण के लिए संश्लेषित फैटलिकर	भारत
निर्माण उद्योग	धात्विक मल से विस्तृत मल बजरी टिम्बर और पालिइथाइलीन प्रक्रियण के अवशिष्टों से बने हुए पर्यावरण अनुकूल टाइमर पोलिमर उत्पाद	रूसी संघ
इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रानिकी	विजुएलाइजेशन और थर्मल फील्ड के मापन के लिए पोर्टेबल इनफ्रेअर्ड थर्मोग्राफ	चीन

1	2	3
	इलैक्ट्रानिक इमरजेंसी लाइटिंग उपस्कर और इलैक्ट्रानिक बैलास्ट	स्विट्जरलैंड
ऊर्जा	लघु वाष्प टर्बाइन	चीन
	कृषि अपशिष्टों/गैसीफिकेशन प्लांट के अपशिष्टों से विद्युत ऊर्जा, वाष्प और प्रक्रियण उष्मा	भारत
पर्यावरण	उच्चतम क्लीनिंग क्षमता वाला थर्मल एक्जास्ट एअर ट्रीटमेंट	जर्मनी
	वाटर हीटिंग/अन्तरण प्रणालियों में स्थायी चुम्बक निरोधक स्केल फार्मेशन	इटली
खाद्य	आइसक्रीम सकर और आइसक्रीम बनाने के लिए उत्पादन लाइन	चीन
	स्पाइरूलीना शैवाल	भारत
मशीनरी उपस्कर	निम्न ताप डिफ्यूजन वैल्डिंग	रूसी संघ
सामग्री और कोटिंग	इन्जिनों के लिए प्रोटेक्टोल एफएक्स-ए रिवोल्यूशनरी फ्रिक्शन ऐलिमिनेटिंग प्रोडक्ट	यूनाइटेड किंगडम
औषध और भेषज	कोलेजन शीट जिसे रॉ क्षेत्रों के अस्थायी जैविक जख्मों के आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है	भारत
	डेन्टल लेजर	कोरिया गणराज्य
धातु और धात्विक कार्य	रिंग कोर	जर्मनी
कागज, लकड़ी और वस्त्र	कपड़ा रंगाई उद्योग में अपशिष्ट जल उपचार	कजाकिस्तान
	प्राकृतिक रेशों की बुनाई के लिए पेपर कोन	रूसी संघ

विदेशी पत्तनों, लघु पत्तनों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों का संयुक्त उद्यम

2453. श्री एस० एस० ओबेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश में प्रमुख पत्तन सहभागियों के चयन हेतु निविदा का रास्ता न अपनाकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विदेशी पत्तनों, लघु पत्तनों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए मार्गनिर्देश क्या हैं;

(घ) क्या निविदा की प्रक्रिया अपनाये बिना संयुक्त उद्यम कम समय में ही गठित हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त रख-रखाव क्षमता सृजित करने के लिए सरकार द्वारा पत्तन क्षेत्र में कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक इस नीति के तहत कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) सहयोग के लिए अभिज्ञात क्षेत्र में विदेशी पत्तन की क्षमता प्रमाणित होनी चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्मित विशेष उद्देश्यीय माध्यम में महापत्तन की भागीदारी सर्वदा एक नियंत्रणकर्ता के रूप में होगी जो विशेष संकल्प को रोकने के लिए आवश्यक है, और सहयोग की अवधि 30 वर्ष होगी। महापत्तन और लघु पत्तनों के बीच स्थापित एक संयुक्त उपक्रम को महापत्तन और लघु पत्तनों के समन्वित विकास हेतु एक सामरिक गठजोड़ की भूमिका अदा करनी चाहिए, इसमें महापत्तन की भागीदारी कम से कम नियंत्रणकर्ता के रूप में होगी जो एक विशेष संकल्प को रोकने के लिए आवश्यक है और इन पत्तनों के बीच सहयोग की अवधि स्थायी होगी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी और महापत्तन के बीच संयुक्त उद्यम के मामले में महापत्तन न्यास की भागीदारी के बारे में मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों में संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।

(घ) जी, हां। संयुक्त उपक्रम स्थापना स्कीम महापत्तन न्यासों के लिए निम्न मामलों में सहायक होगी :

(i) नई प्रौद्योगिकी आकर्षित करना,

(ii) बेहतर प्रबंधकीय प्रथाएं लागू करना,

(iii) स्कीमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना,

(iv) उपयुक्त पत्तन अवसंरचना के सृजन हेतु लघु पत्तनों के साथ सामरिक गठजोड़ बनाना; और

(v) पत्तनों के वित्त पोषण के मामले में निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ाना।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 7215 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त लगभग 8000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से जुटाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फर्मों पर बकाया घाट शुल्क

2454. प्रो० रीता वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिन पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के संबंध में घाट शुल्क बकाया है;

(ख) तत्संबंधी कुल राशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त पोर्ट ट्रस्ट का 8.23 करोड़ रुपये का घाट शुल्क दो फर्मों से वसूल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस हानि के लिए किसे दोषी पाया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) "फेरीएज" शब्द स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अर्थ "व्हार्फएज" से है जोकि बर्थों पर पत्तन द्वारा हैंडल किए गए पोतों से वसूला जाता है तो इसे पार्टियों से अग्रिम रूप में वसूल लिया जाता है। आज की तारीख में किसी भी फर्म से कुछ भी बकाया नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत उत्पादन

2455. डा० सुशील इन्दौरा :
प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
गोविन्दन :

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के अन्त तक देश में विद्युत उत्पादन हेतु कुल स्थापित क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या 1997-98 में विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता के अनुरूप नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत का कितना-कितना उत्पादन हुआ, स्थापित क्षमता के उपयोग का क्या प्रतिशत है और उक्त अवधि में विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1997-98 के अन्त तक देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 89090 मे.वा. थी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन 420622 मिलियन यूनिट था जो कि लक्षित उत्पादन का 98 प्रतिशत था। ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात लक्षित 66.5 प्रतिशत की तुलना में 64.7 प्रतिशत था। विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कम प्रणाली मांगों के कारण उत्पादन में कटौती है। अखिल भारतीय आधार पर यह वास्तविक उत्पादन का 3.72 प्रतिशत था।

[अनुवाद]

विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा आयोजित सम्मेलन

2456. श्री एम० नागारेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों के अनुसरण में कौन से कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में 3-5 अक्टूबर, 1998 के दौरान बरसाती जल से फसल उत्पादन की संभाव्यता-परम्पराओं, प्रौद्योगिकियों, नीतियों एवं सामाजिक गतिशीलता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके द्वारा देश में जल की कमी की समस्या का सामना करने के लिए बरसाती जल से फसल उत्पादन की महत्ता एवं संभाव्यता पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन में परम्परागत प्रौद्योगिकियों तथा देश में जल द्वारा फसल उत्पादन और समुदाय आधारित बरसाती जल से फसल उत्पादन प्रणालियों जिनमें इस दिशा में किए गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास तथा एन जी ओस तथा बरसाती जल द्वारा फसल उत्पादन प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के बीच एक नेट-वर्क स्थापित करने की आवश्यकता भी शामिल है, पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया। सरकार को उक्त सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

पारादीप पत्तन के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

2457. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऋण की कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) वहां पर क्या-क्या विकास कार्य अभी तक किए गए हैं;

(घ) पारादीप पत्तन न्यास द्वारा अभी तक कितना ऋण एशियाई विकास बैंक को वापस किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) 14.11.98 तक 40.8 मिलियन अमरीकी डालर।

(ग) पारादीप पत्तन पर प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन कोयले की यांत्रिक लदाई के लिए सुविधाओं का निर्माण।

(घ) और (ङ) चूंकि ऋण की अदायगी भारत सरकार द्वारा की जानी है अत: प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दू विवाह अधिनियम

2458. श्री नरेश पुगलीया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डल ने हिन्दू विवाह अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव का हाल ही में अनुमोदन किया है, जैसा कि 18.8.98 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन का प्रयोजन क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) से (ग) प्रश्न में निर्दिष्ट समाचार, विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, :997 को संसद में और आगे बढ़ाने के लिए सरकार के विनिश्चय से संबंधित है, जिसे राज्य सभा में 13 अगस्त, 1997 को पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उन अधिनियमों में से 'मिरगी' के प्रति निर्देशों का लोप किया जा सके।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

2459. श्री दिनेश पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग की अलग-अलग कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या गुजरात से संबद्ध 1981-2001 की विकास योजना में 4800 कि.मी. की लक्षित लम्बाई का मात्र एक-तिहाई ही पूरा किया जा सका, और

(ग) यदि हां, तो इस घटिया कार्य निष्पादन के कारण क्या हैं और देश में तथा विशेषकर गुजरात के संदर्भ में राष्ट्रीय नेटवर्क के विकास को तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) फिलहाल, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लम्बाई 38517 कि.मी. है जिसमें 2002 कि. मी. गुजरात में है।

(ख) आठवीं योजना के अन्त में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 1631 कि.मी. थी जो 1997-98 में बढ़कर 2002 कि.मी. हो गई। 1998-99 में 239 कि.मी. और लम्बाई जोड़ने का निर्णय लिया गया है जिससे गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई बढ़कर 2241 कि.मी. हो जाएगी।

(ग) वित्तीय अभाव के कारण नियत लम्बाई पूरी नहीं की जा सकी। सरकार ने अब देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी है।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

2460. श्रीमती चन्द्राणी पटनायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1570 गांवों के विद्युतीकरण लक्ष्य की तुलना में 1713 गांवों का उक्त पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण कर लिया गया है।

मुख्य पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाएं

2461. डा० रवि मल्लू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुख्य पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए साझीदार चुनने के लिए विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु माडल दस्तावेज तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तनों के विकास के लिए अब तक कुल कितने समझौते किए गए हैं और इनमें से कितने समझौते विदेशों के साथ किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी, हां। पारदर्शी तरीके से पत्तन सुविधाओं के लिए विकासकर्त्ताओं और प्रचालकों के चयन के लिए एक मॉडल लाइसेंस करार और निविदा दस्तावेज तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ग) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर पत्तनों के विकास के लिए कुल 9 करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से दो करार विदेशी पक्षकारों के साथ किए गए हैं।

सी०एस०आई०आर० द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां

2462. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.आई.आर. ने कटाई के बाद होने वाले घाटों को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और रोजगार सृजन के लिए कुछ प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने पश्च फसल हानियों को कम करने तथा प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु अनेक

प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। साधारण होने के कारण इनमें से कुछेक प्रौद्योगिकियों का ग्रामीण क्षेत्र में छोटे तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु व्यापक उपयोग किया जा रहा है जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि तथा रोजगार सृजन होता है। ये विकसित प्रौद्योगिकियां फलों तथा सब्जियों, अनाजों तथा दालों, मसालों तथा वृक्षारोपण फसलों, तिलहनों के संरक्षण व प्रक्रमण और ग्रसन नियंत्रण के लिए हैं।

राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधूरी विद्युत परियोजनाओं की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करना

2463. श्री मगन्ती बाबू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक और वित्तीय संस्थाएं, अधूरी विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित की गई पृथक कंपनियों को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उक्त परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण किए जाने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने सरकार को यह सूचित किया है कि नई कंपनियों को इस तरह हस्तांतरण की गई परियोजनाओं को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के समकक्ष माना जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या बैंकों ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस तरह की परियोजनाओं के लिए भी संस्थाओं द्वारा निधियां उपलब्ध [illegible] हैं; और

[illegible] सरकार इन प्रस्तावों से कहां तक सहमत है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विचाराधीन इस समय अपूर्ण विद्युत परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों का अंतरण राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन हेतु बनाई गई अन्य कंपनियों को करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योग शिक्षक

2464. श्री बी० एम० मेनसिंकाई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के कुछ योग अध्यापकों ने उनके साथ किए गए अन्याय के प्रति न्याय नहीं किए जाने पर आत्मदाह की धमकी दी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) एक योग शिक्षक ने धमकी दी थी कि यदि उसकी निम्नलिखित शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो वह 23.11.1998 को आत्मदाह कर लेगा :

1. योग शिक्षक के रूप में पुष्टि किया जाना,
2. शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जाना,
3. चयन/उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाना।

किन्तु उन्होंने 23.11.98 को आयुक्त को सूचित किया था कि उन्होंने अपनी आत्मदाह की धमकी को वापस ले लिया है और स्थगित कर दिया है।

(ग) योग शिक्षकों की सेवा-पुष्टि और परिवर्तन के लिए सुपरिभाषित मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियम हैं और जो योग शिक्षक इन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं उनको पुष्ट/शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त योग शिक्षक की सेवा में पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि उनके विरुद्ध एक अनुशासनात्मक मामला लम्बित है। उनको शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि वे अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। जहां तक योग शिक्षकों को चयन/उच्चतर वेतनमान प्रदान करने का संबंध है, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

2465. श्री आर० एस० गवई : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत प्रयोगशालाओं में उपकरण पुराने पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत लगभग 80 प्रतिशत प्रयोगशालाओं की स्थापना लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी, फलतः इन प्रयोगशालाओं के कुछेक उपस्कर पुराने अथवा अप्रचलित हो गए हैं।

(ग) जब इन प्रयोगशालाओं में उपस्कर के आधुनिकीकरण हेतु कुछ निवेश पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उपस्कर तथा सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु विशिष्ट निधियां वर्ष 1995-96 से ही निर्धारित की गई हैं। तब से आधुनिकीकरण पर सीएसआईआर को प्राप्त बजटीय अनुदान में से 66 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। नवीं पंचवर्षीय योजना में सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में उपस्करों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा कुल रुपये 250 करोड़ का आवंटन किया गया है।

(घ) आधुनिकीकरण हेतु सीएसआईआर को प्राप्त सरकारी अनुदान के अतिरिक्त ये प्रयोगशालाएं प्रायोजित, सहयोगात्मक तथा सहायता प्राप्त अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिकीकरण हेतु संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं।

ट्रांसजेनिक शंकर किस्म के कपास के बीजों का फील्ड परीक्षण

2466. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ट्रांसजेनिक शंकर किस्म के कपास के बीजों का पांच राज्यों में फील्ड परीक्षण करने की अनुमति दे दी है।

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों को किन-किन राज्यों में यह परीक्षण करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों ने इस संबंध में किसी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के पहले अनुमति मांगी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, नहीं। मैसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रीड सीड्स कंपनी लिमिटेड (एम ए एच वाई सी ओ), मुम्बई नामक एक भारतीय कम्पनी, जिसमें मोनसेन्टो नामक एक विदेशी कम्पनी की 26 प्रतिशत इक्विटी है, को सरकार ने प्रारम्भ में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं हरियाणा में पांच स्थलों पर और बाद में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 40 स्थलों पर खुले वातावरण में फील्ड परीक्षण चलाने की अनुमति दी थी। इन फील्ड परीक्षणों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सूचना दी जाती रही है।

मेनका पैनल

2467. श्री संदीपान थोरात : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेनका पैनल के मानदंड जैव-चिकित्सा अनुसंधान में बाधा डाल सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैव-चिकित्सा अनुसंधान में बाधा न आए, की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) पशुओं पर प्रयोग संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति द्वारा बनाए गए जनन एवं पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियमावली 1998 मसौदे पर वैज्ञानिकों एवं अन्य के सुझावों के अनुसार पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि वे जैव-चिकित्सा अनुसंधान में बाधा न डालें। नियमावली का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान में पशुओं के प्रयोग और देखभाल के लिए केवल मानक स्थापित करना है। मसौदा नियमावली पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों की एक उप-समिति का गठन किया गया है।

टीकाकरण कार्यक्रम

2468. श्री रवि सीता राम नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम (वी.ए.पी.) के लिए कोई विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी नए टीके के परीक्षण उपयोग के संबंध में कोई अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत-अमरीका टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका ने नई परियोजनाओं के लिए सहायता देने पर सहमति प्रकट की है। अभी तक चरण-III कार्यक्रम के लिए जो अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई क्षेत्रीय परीक्षण नहीं किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय और अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कैंडिडेट टीके के चिकित्सीय परीक्षण भारत और अमरीका दोनों देशों में साथ-साथ किए जाएंगे। दो कैंडिडेट रोटावायरल टीकों का विकास संयुक्त रूप से किया गया है। उसके अविषवैज्ञानिक और चरण-I चिकित्सीय परीक्षण अमरीका में किए गए हैं। हमारे देश में परीक्षण भारत के औषध नियन्त्रक की स्वीकृति से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जाएंगे।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्थायी नियुक्तियां

2469. प्रो० रीता वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्थाओं में प्रायोजित परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिकों, तकनीकी सहायकों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों को स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की नियुक्ति सी.एस.आई.आर. के नियमों के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरियाज स्कीम

2470. श्री रंजीब बिस्वास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरियाज (एस.पी.डी.ए.) स्कीम का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना को शेष राज्यों में भी लागू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मरली मनोहर जोशी) : (क) मई, 1995 में, खेल परियोजना छत्रावास की योजनाओं को मिला दिया गया खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों" का नया नाम दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य कम आयु के तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाना और उन्हें केन्द्र के अन्दर गहन प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन केन्द्रों की राज्यवार तथा स्थानवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण इस समय अपनी वर्तमान योजनाओं के समेकन और उन्हें सुदृढ़ बनाने के मामले पर ध्यान दे रहा है। तथापि, धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए, इस योजना को राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	कर्नाटक	बंगलौर
2.	"	धारवाड़
3.	"	मेंटीकेरी
4.	केरल	कालीकट
5.	"	कोल्लम
6.	"	त्रिचूर
7.	तमिलनाडु	चेन्नई
8.	"	सेलम
9.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
10.	आन्ध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद
11.	"	इलुरू
12.	"	निजामाबाद
13.	महाराष्ट्र	काण्डीवली
14.	गुजरात	गांधी नगर
15.	राजस्थान	अलवर
16.	राजस्थान	जोधपुर
17.	गोवा	मडगांव
18.	उड़ीसा	कटक
19.	उड़ीसा	धनकनाल
20.	पश्चिम बंगाल	वर्दवान
21.	पश्चिम बंगाल	लेबांग
22.	"	सिलीगुड़ी
23.	"	कलकत्ता
24.	हरियाणा	भिवानी
25.	"	कुरूक्षेत्र
26.	पंजाब	पटियाला
27.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
28.	"	धर्मशाला
29.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
30.	मध्य प्रदेश	धार
31.	"	जबलपुर
32.	"	भोपाल
33.	"	काशीपुर
34.	उत्तर प्रदेश	राय बरेली
35.	"	सेफई इटावा
36.	नागालैण्ड	दीमापुर
37.	मणिपुर	इम्फाल
38.	असम	गुवाहाटी
39.	"	गोलाघाट
40.	मेघालय	शिलांग

टिहरी बांध परियोजना

2460. श्री नरेश पुगलीया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसियों ने टिहरी बांध परियोजना में अपनी भागीदारी बहाल करने में काफी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (घ) टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) ने निर्माणाधीन टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (4×250=1000 मे.वा.) के लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपस्कर पर्यवेक्षण सेवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ अभिकल्पन एवं परामर्शी सेवाओं के लिए रूसी कंसोर्टियम को तीन संविदाएं प्रदान की हैं।

कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना (4×100=400 मे.वा.), जो कि टिहरी परियोजना से 20 कि.मी. नीचे की ओर है, के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के साथ-साथ सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्यों के लिए भी रूस को एक ठेका दिया गया है।

रूस ने कोटेश्वर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भी प्रस्ताव किया है। रूसी पक्ष से, जब भी कोटेश्वर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए टीएचडीसी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तब प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों में, भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि सरकार ने लागत प्रभाविता और पारदर्शिता के फलस्वरूप सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्णय लिया है।

सी०एस०आई०आर० के लिए निर्धारित लक्ष्य

2472. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में वैज्ञानिकों को कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपणार्थ कार्यकारी समूह का गठन किया था। इस कार्यकारी समूह ने अपने प्रतिवेदन में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिकों के स्तर पर न होकर सीएसआईआर द्वारा समग्र रूप से प्राप्त किए जाने वाले परिमाणनयोग्य लक्ष्यों की संस्तुति की थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बड़े पत्तनों को निगमित पत्तनों में बदलना

2473. श्री के० एस० राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल एन्नौर पत्तन को निगमित पत्तन बनाने के पहले के निर्णय से हट कर सरकार ने सभी 11 पत्तनों को निगमित पत्तन में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पत्तनों की स्थिति सुधारने में यह निर्णय किस सीमा तक मदद करेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 1998 नामक एक विधेयक दि. 2.12.98 को राज्य सभा में पेश किया गया है।

अन्तर निगमित निवेश

2474. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम की धारा 370 और 372 के अधीन अन्तर-निगमित ऋणों तथा निवेश हेतु कुछ उद्योगों के आवेदन छः माह से भी अधिक समय से कंपनी कार्य विभाग में अटके हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) 31.10.1998 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 की संख्या 19) के माध्यम से उपधारा (15) के अनुसार, जिसे मुख्य अधिनियम की धारा 372 में नए ढंग से सन्निविष्ठ किया गया है, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 370 और 372 के अन्तर्गत अब अन्तर निगमित ऋण लेने और निवेश करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तदानुसार, इस उद्देश्य से कम्पनी कार्य विभाग में कोई आवेदन दायर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

दमयन्ती पन बिजली विद्युत स्टेशन

2475. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा ने 1200 मेगावाट वाली दमयन्ती पन बिजली विद्युत स्टेशन के विकास के लिए भारत की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह भारत के लिए कहां तक लाभकारी होगा; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) और (ख) म्यांमार (बर्मा) की सरकार ने म्यांमार के सगाईंग प्रदेश में छिंदवन नदी पर तामंथी जल विद्युत परियोजना (1200 मे.वा.) सहित अनेक विद्युत परियोजनाओं के संयुक्त विकास के लिए विदेशी भागीदारी आमंत्रित की है।

(ग) और (घ) उत्पादन लागत और भार केन्द्रों को विद्युत की निकासी के लिए अपेक्षित निवेशों के संबंध में इस परियोजना की व्यवहार्यता [illegible] के लिए एक तथ्यखोजी शिष्टमण्डल का गठन किया

नई शुल्क दरें

2476. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिण के चार राज्यों की राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा थोक में विद्युत खरीदने के लिए नई शुल्क दरों को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एक समान शुल्क दरों से परिवर्तन का पहला चरण होगा; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक देश में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए यह सहायक होगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सरकार, मौजूदा टैरिफ के स्थान पर जो कि संयंत्र भार अनुपात पर आधारित है, चरणबद्ध तरीके से, देश के सभी पांच विद्युत क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए विचार कर रही है।

प्रस्तावित टैरिफ का उद्देश्य केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादनरत यूनिटों की उपलब्धता के उच्च स्तर को हासिल करना और उत्पादनरत संयंत्रों के योग्यता क्रम प्रचालन के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम समुपयोजन है। इसका उद्देश्य कम फ्रीक्वेंसी और अतिरिक्त उत्पादन पर अति आहरण/फ्रीक्वेंसी संपर्कित टैरिफ के माध्यम से उच्च फ्रीक्वेंसी के अन्तर्गत कम आहरण पर निवारक उपायों के माध्यम से ग्रिड अनुशासन संवर्धित करना भी है।

भारतीय जल परिवहन का विकास

2474. श्री के० येरननायडू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा भारतीय जल परिवहन के विकास हेतु यातायात की संभावनाओं का मूल्यांकन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) माल के परिवहन हेतु नौवहन विकास के लिए गोदावरी, कृष्णा और महानदी की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उपयुक्तता के संबंध में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त जलमार्गों के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण और जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित और विकसित किए जाने के लिए अनुशंसित लगभग सभी संभावित जलमार्गों पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए हैं जिनमें भावी संभावित यातायात का आकलन शामिल है। घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में भावी संभावित यातायात का आकलन पहले किए गए अध्ययनों से भी प्राप्त होता है।

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकास के लिए इन नदियों को उपयुक्त पाए जाने की सिफारिश की है।

(ग) इन नदियों पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं।

(घ) गोदावरी नदी के चिरला-राजमुंदरी खंड को नौगम्य मार्ग के रूप में विकसित करने की संभावना पाई गई है। कृष्णा नदी का विकास आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया। महानदी का पश्यजल ब्राह्मणी/महानदी प्रणाली के माध्यम से तल्चर कोयला की ढुलाई के लिए नौगम्य मार्ग के विकास हेतु व्यावहारिक पाया गया।

यूनियन कार्बाइड संयंत्र का विषाक्त कचरा

2425. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल, मध्य प्रदेश में जहां अभूतपूर्व गैस रिसाव विभीषिका हुई थी, में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में और इसके आस-पास उक्त संयंत्र द्वारा छोड़े गए विषाक्त कचरे के निपटान हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संयंत्र परिसर में और परिसर के आसपास के क्षेत्र में भूजल और मृदा का परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में विषाक्त कचरे के लम्बे समय तक फैले रहने के कारण भूजल और मृदा अभी भी दूषित है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भोपाल (मध्य प्रदेश) में "यूनियन कार्बाइड संयंत्र" द्वारा फैक्टरी परिसर में तथा इसके इर्द-गिर्द छोड़े गए विषैले अपशिष्टों के निपटान हेतु अब तक उठाए कदम निम्नलिखित हैं :

(i) राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर की सिफारिशों के अनुसार फैक्टरी के तीन सौर वाष्पीकरण तालाबों में शेष अपशिष्ट का 1998 में तालाब सं. III स्थित एक पक्के "लैंडफिल" में सुरक्षित तरीके से निपटान कर दिया गया है।

(ii) फैक्टरी परिसर में पड़े 46.5 मी. टन तारकोल अवशेषों के निपटान के लिए भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद में अध्ययन चल रहा है। अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 1999 में अपेक्षित है।

(iii) मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लि., भोपाल ने कार्रवाई के दौरान कुछ रसायनों अवशेषों को संयंत्र परिसर में डाल दिया था। पिछले अपशिष्ट निपटान कार्यों के दौरान संदूषित हुए क्षेत्रों का मूल्यांकन करने हेतु यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. द्वारा "नीरी", नागपुर को यह काम सौंपा गया था। "नीरी" की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न भागों में लगभग 1 हैक्टेयर भूमि संदूषित हुई है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। विसंदूषित किए जाने से पहले, शोधन संबंधी अध्ययन किए जाने अपेक्षित हैं।

(iv) जिला उद्योग केन्द्र, भोपाल ने स्थल को 9.7.98 को उद्योग विभाग से अपने अधिकार में ले लिया है। किसी स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने हेतु उनके द्वारा विसंदूषण, सुधार तथा सभी संबंधित कार्यों के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं।

(ख) से (घ) यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के आस-पास के भूजल तथा मिट्टी का "नीरी", नागपुर तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परीक्षण किया गया है तथा कोई संदूषण नहीं पाया गया है।

सशस्त्र सेना के सैनिकों द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान

2479. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना के सैनिकों द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान की अनुमति देने के प्रश्न के बारे में जन प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विचारार्थ विषय के रूप में सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उच्च समिति का गठन और निबंधन व शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए परोक्सी मतदान का विषय, संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में गठित निर्वाचनों के सरकारी वित्त पोषण संबंधी समिति को सौंपे गए कार्यों में नहीं है। समिति की वर्तमान अवधि 31 दिसम्बर, 1998 तक है और यह संभावना है कि समिति उस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी प्रौद्योगिकी की आपूर्ति

2480. डा० रवि मल्लू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खतरनाक रसायन नियम, 1989 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कार्य गतिविधियों, सुरक्षा एवं खतरनाक पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित अधिनियम भी सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम 13 मई, 1998 को भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट को देखते हुए अपने परमाणु परीक्षण निषेध अधिनियम 1994 के तहत भारत के विरुद्ध कतिपय आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। 19 नवम्बर, 1998 को संयुक्त राज्य ने फेडरल-रजिस्टर में 200 अधीनस्थ इन्टाइटिज के साथ 40 भारतीय इन्टाइटिज को अधिसूचित किया जिन्हें निर्यात प्रतिबंधों में शामिल किया जाएगा। सूचीबद्ध किए गए इन्टाइटिज को संयुक्त राज्य से निर्यात करने के लिए अनुज्ञप्तियों की आवश्यकता होगी तथा अधिकांश अनुज्ञप्तियों को देने से मना कर दिया जाएगा। इन प्रतिबंधों की शर्त पर सरकार को संयुक्त राज्य कंपनियों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

पत्तनों का विकास एवं कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण

2481. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड किंगडम की सरकार ने देश में पत्तनों के विकास एवं कंटेनर टर्मिनलों के निर्माण में गहन रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1998 के दौरान युनाइटेड किंगडम के किसी पत्तन एवं टर्मिनल समूह शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो युनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) युनाइटेड किंगडम की सरकार कहां तक देश में पत्तनों के विकास एवं कंटेनर टर्मिनलों के निर्माण पर सहमत हो गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) युनाइटेड किंगडम के एक शिष्टमंडल ने, जिसमें पत्तन क्षेत्र के विभिन्न उद्योग शामिल थे, भारतीय पत्तनों के विकास और प्रबंध के क्षेत्र में व्यापार संबंधी अवसरों का पता लगाने के लिए सितम्बर, 98 माह के दौरान भारत का दौरा किया।

(ग) युनाइटेड किंगडम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

नहीं उठता।

खतरनाक रसायन एवं पदार्थ

2482. **श्री भगन्ती बाबू :**
श्री अन्नासाहिब एम० के पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खतरनाक रसायन नियम, 1989 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कार्य गतिविधियों, सुरक्षा एवं खतरनाक पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित अधिनियम भी सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली, 1989 के मसौदा संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रस्तावित किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं :

(1) "बड़ी दुर्घटना" को पुन: परिभाषित किया जा रहा है।

(2) भाग-1, अनुसूची-1 में परिसंकटमय रसायनों की परिभाषा को संशोधित किया गया है और भाग-2, अनुसूची-1 में निर्दिष्ट रसायनों की सूची का विस्तार किया गया है।

(3) नियमों में विनिर्धारित निचले स्तर को नियंत्रण उपायों जैसे बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना देना, सामान्य सुरक्षा डाटा शीट्स बनाना, रासायनिक पदार्थों के आयात की सूचना देना तथा जनता की सूचनाएं प्रसारित करना आदि के कार्यान्वयन का दायरा बढ़ाया गया है ताकि भाग-1, अनुसची-1 में परिभाषित परिसंकटमय रसायनों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

(4) अनुसूची-2 में उल्लिखित रसायनों के पृथक भंडारण के लिए नियम 7 से 15 के कार्यान्वयन को संशोधित किया गया है।

(5) अनुसूची-3, भाग-1, ग्रुप 4 में निर्दिष्ट विस्फोटकों की 5 प्रविष्टियों के लिए कॉलम 3 की थ्रेशोल्ड प्लानिंग क्वांटिटीज में संशोधन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगति होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: सतवेत हुई।

[श्री के० येरन्नायडू पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 1.01 बजे

इस समय, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पहले अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नेता अध्यक्ष से परामर्श कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका रवैया एकदम गलत है। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आपको स्मरण होगा कि 11 दिसम्बर, 1998 को जब सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई तो सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के सिलसिले में कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बंद तथा महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में एक अप्रिय स्थिति पैदा हो गई थी।

अनेक माननीय सदस्य अधिकारिक क्षेत्र संबंधी मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए ठीक अध्यक्षपीठ के सामने आ गए और नारे लगाते हुए तेजी से अध्यक्षपीठ की ओर बढ़ गए। इस प्रक्रिया में सदस्यों द्वारा एक-दूसरे पर प्रहार की घटना भी घटी।

सदस्यों का इस प्रकार का आचरण न केवल सभा के सुप्रतिष्ठित प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन है बल्कि इस तरह का आचरण, एक-दूसरे पर प्रहार करने की अपराधिता का तो क्या कहना, विशेष स्वर्ण जयन्ती सत्र के दौरान समूची सभा द्वारा की गई पावन प्रतिज्ञा का भी घोर उल्लंघन है।

इस घटना से न केवल सभा के विशेषाधिकार का प्रत्यक्षत: घोर उल्लंघन हुआ है बल्कि सभा की प्रतिष्ठा को भी इससे गहरा आघात लगा है। इस घटना के परिणामस्वरूप कुछ सदस्यों से विशेषाधिकार संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

इस तरह की घटनाएं सभा की विश्वसनीयता की दृष्टि से तो घातक हैं ही साथ ही साथ इसके अस्तित्व के लिए भी घातक हैं जो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक खतरनाक बात है।

इन परिस्थितियों में, मैं 11 दिसम्बर, 1998 की घटना और इस घटना से सम्बद्ध सदस्यों के व्यवहार की कड़ी निन्दा करता हूं।

मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचनाओं को इस निर्देश के साथ सभा की विशेषाधिकार समिति को भेजूंगा कि इस संबंध में एक समयबद्ध रिपोर्ट दी जाए।

अपराह्न 2.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर आगरा के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1741/98]

चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई, भारतीय निर्यात परिसंघ संगठन, नई दिल्ली इत्यादि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1742/98]

(2) (एक) भारतीय निर्यात परिसंघ संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात परिसंघ संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1743/98]

(3) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1744/98]

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मीटिओरोलोजी, पुणे आदि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे तथा इनके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1745/98]

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मीटिओरोलोजी, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

स्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मीटिओरोलोजी, पुणे क वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1746/98]

(3) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1747/98]

(4) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1748/98]

(5) (एक) इंडियन नेशनल अकैडमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकैडमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1749/98]

(6) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1750/98]

(7) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1751/98]

(8) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1752/98]

(10)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1753/98]

(12)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1754/98]

(14)(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1755/98]

(16)(एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1756/98]

(18) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1757/98]

(19) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क)(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1758/98]

(21)(एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1759/98]

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1760/98]

(ख)(एक) नाथ्पा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथ्पा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[... गए। देखिए संख्या एल०टी० 1761/98]

...शनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1762/98]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन से संबंधित वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1763/98]

सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, काशीराम राणा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1764/98]

(2) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1765/98]

(3) (एक) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1766/98]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत सूचनाएं

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 25 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 9 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 794(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 889(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 22 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 29 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 939(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आय-कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 12 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1998 जो 30 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 30 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 4 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 14 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 17 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 830(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) आय-कर (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 12 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1767/98]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 524(अ) जो 26 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 623(अ) जो 16 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त सहित विशेष अग्रिम लाइसेंस पर भारत में आयात की जाने वाली सामग्री पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल और अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 656(अ) जो 5 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल में लघु उद्योगों में निर्मित माल को नेपाल से भारत के लिए आयात करने पर भारत में इस प्रकार के लघु उद्योगों को दी गई छूट की योजना की तरह ही प्रतिशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1768/98]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 622(अ) जो 22 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या का०आ० 771(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1769/98]

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 1998 जो 22 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 918(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1770/98]

(5) व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 31 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1998 जो 22 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 919(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1771/98]

(6) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अंतर्गत ब्याज-कर (21वां संशोधन) नियम, 1998 जो 22 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 920(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1772/98]

(7) वित्त अधिनियम, 1998 की धारा 98 की उपधारा (3) के अंतर्गत कर विवाद समाधान योजना नियम, 1998 जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 728(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1773/98]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर्स का पर्याप्त अर्जन) संशोधन विनियम, 1998 जो 28 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को कय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 जो 14 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 975(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1774/98]

(9) क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 (1) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1775/98]

(10) 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :

(एक) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1776/98]

(दो) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1777/98]

(तीन) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1778/98]

(चार) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1779/98]

(पांच) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1780/98]

(छ:) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1781/98]

(सात) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1782/98]

(आठ) बलसाड डैंग्स ग्रामीण बैंक, बलसाड (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1783/98]

(नौ) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1784/98]

(दस) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1785/98]

(ग्यारह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1786/98]

(बारह) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1787/98]

(तेरह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1788/98]

(चौदह) नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1789/98]

(पन्द्रह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1790/98]

(सोलह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1791/98]

(सत्रह) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1792/98]

(अठारह) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1793/98]

(उन्नीस) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1794/98]

(बीस) गौमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1795/98]

(इक्कीस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1796/98]

(बाईस) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1797/98]

(तेईस) समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1798/98]

(चौबीस) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1799/98]

(पच्चीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1800/98]

(छब्बीस) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1801/98]

(सत्ताईस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1802/98]

(अट्ठाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1803/98]

(उनतीस) कल्पतरु ग्रामीण बैंक, टुमकुर (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1804/98]

(तीस) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1805/98]

(इकतीस) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1806/98]

(बत्तीस) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1807/98]

(तैंतीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर (पंजाब)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1808/98]

(चौंतीस) श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराइच (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1809/98]

(पैंतीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1810/98]

(छत्तीस) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1811/98]

(सैंतीस) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1812/98]

(अड़तीस) भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1813/98]

(उनतालीस) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1814/98]

(चालीस) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1815/98]

(इकतालीस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1816/98]

(बयालीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1817/98]

(तैंतालीस) चिकमगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1818/98]

(चौवालीस) फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा (पंजाब)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1819/98]

(पैंतालीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1820/98]

(छियालीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ (महाराष्ट्र)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1821/98]

(सैंतालीस) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे (महाराष्ट्र)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1822/98]

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1823/98]

(12) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1824/98]

(दो) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1825/98]

(तीन) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1826/98]

(चार) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1827/98]

(पांच) केनारा बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1828/98]

[illegible] बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1997-98 के [illegible]करण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा [illegible] पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[illegible]खे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1829/98]

(सात) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1830/98]

(आठ) देना बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1831/98]

(नौ) इंडियन बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1832/98]

(दस) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1833/98]

(ग्यारह) ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1834/98]

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1835/98]

(तेरह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1836/98]

(चौदह) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1837/98]

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1838/98]

(सोलह) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1839/98]

(सत्रह) यूको बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1840/98]

(अठारह) विजया बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1841/98]

(उन्नीस) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण और क्रियाकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1842/98]

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय, श्री दरोगा प्रसाद सरोज, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अपराह्न 2.07 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

कोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : महोदय, मैं श्री दिलीप राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरौली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरौली (खंड 1 और 11) के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1843/98]

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1844/98]

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं श्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1845/98]

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) नियम, 1998

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) नियम, 1998 जो 31 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 417(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1847/98]

अपराह्न 2.08 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास), संशोधन विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 दिसम्बर, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 2.8½ बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन और की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला खानों में आग लगने और उनके धसान पर नियंत्रण के बारे में समिति का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर [illegible] द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

[illegible] ालय—"कोयला अनुबंध-नीति और उसका क्रियान्वयन—एक जांच", संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग की "परमाणु विद्युत कार्यक्रम—एक मूल्यांकन" संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 7वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

परमाणु ऊर्जा विभाग के "राजस्थान परमाणु बिजलीघरों की समस्याओं" के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 8वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) परमाणु ऊर्जा विभाग के "भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड में सेवा शर्तों को अंतिम रूप देना और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को खपाने" के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 9वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(10) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(11) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(12) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 8वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 2.09 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 14 दिसम्बर,

1998 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) वर्ष 1989-91 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तत्कालीन आयुक्त के 30वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव पर आगे चर्चा

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनात्मक शक्तियों का विधि-मान्यकरण) विधेयक, 1998

(ख) काफी (संशोधन) विधेयक, 1998

(ग) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1998

(घ) विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998

(3) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

(4) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998

(ख) संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) विधेयक, 1998

(ग) सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1998

(5) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

(ख) भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1997

(ग) महा-प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1998।

अपराह्न 2.9½ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—सामान्य (1998-99)

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.10 बजे

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 239 कक, 331 और 333 का संशोधन और नए अनुच्छेद 330 क, 332 क और 334 क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 पर विचार करेंगे।

सभा इस बात से अवगत है कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने 14 जुलाई, 1998 को संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित करने हेतु सभा की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे उस दिन मत विभाजन के लिए नहीं रखा जा सका था। अब मैं विधेयक को सभा के मत विभाजन के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "हां"।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में न हों वे कृपया "नहीं" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "नहीं"।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति मिल गई है। मंत्री महोदय कृपया अब विधेयक प्रस्तुत करें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.11 बजे

[अनुवाद]

कॉफी (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 20 पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 14.12.1998 में प्रकाशित।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से प्रस्ताव करता हूं* :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 20 कॉफी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस विधेयक पर बोलने वाले कोई भी माननीय सदस्य नहीं हैं, मैं विधेयक पर विचार किए जाने वाले प्रस्ताव [illegible]गा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आज जीरो ऑवर नहीं हुआ। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री बसुदेव आचार्य) : अब हम कॉफी (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, कॉफी (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के पहले ...

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महाराष्ट्र में जो हुआ है। ... *(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : बिल के ऊपर जो हमला हो रहा है, ... *(व्यवधान)* क्या कोई मोरल रेस्पांसिबिलिटी है? ... *(व्यवधान)* इस गुंडागर्दी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण इश्यू है। ... *(व्यवधान)* जीरो ऑवर कैसे बंद हो गया? ... *(व्यवधान)* किसने गुंडागर्दी की? हमला कौन कर सकता है? ... *(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : महाराष्ट्र में कल्चरल एमर्जेंसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* महोदय, आप आश्वासन दीजिए कि चर्चा होगी। ... *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, दिलीप कुमार जी के घर पर हमला हुआ है। दिलीप कुमार जी देश के सर्वसम्मानित कलाकार हैं। ... *(व्यवधान)* उनके घर पर शिव सेना के गुंडों द्वारा हमला किया गया है। ... *(व्यवधान)* जानबूझकर हमला किया है। ... *(व्यवधान)* महाराष्ट्र की सरकार उनकी मदद कर रही है। ... *(व्यवधान)* हम उसकी घोर निन्दा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, वह अमर्जेंसी से ज्यादा हुआ है। ... *(व्यवधान)* दिलीप कुमार जी इस देश के सर्वसम्मानित कलाकार हैं। ... *(व्यवधान)* इतने बड़े कलाकार दिलीप कुमार जी के घर पर जो हमला हुआ है, हम उसकी घोर निन्दा करना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, हम चर्चा चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, दिलीप कुमार का किसी समुदाय से संबंध नहीं है ... *(व्यवधान)* वे एक महान भारतीय कलाकार हैं। वे मानवतावादी हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कल इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, उन गुण्डों को महाराष्ट्र सरकार का समर्थन प्राप्त है ... *(व्यवधान)* दिलीप कुमार न केवल भारतीय कलाकार हैं, वे महान मानवतावादी भी हैं। हमें दिलीप कुमार पर गर्व है। सभा द्वारा दिलीप कुमार का सम्मान किया जाना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति जी, दिलीप कुमार जी किसी कम्युनिटी के नहीं हैं। *(व्यवधान)* वह पूरी मानवता के हैं। ... *(व्यवधान)* पूरे विश्व में दिलीप कुमार जी की इज्जत है। ... *(व्यवधान)* उनके घर पर जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। ... *(व्यवधान)* हम सदन से मांग करते हैं कि यह सदन उन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। ... *(व्यवधान)*

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय : ठीक है। अभी बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, दिलीप कुमार जी के घर पर शिव सैनिकों द्वारा जो हमला किया गया है, हमने उसके लिए नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत सरकार यहां बैठी हुई है और शिवसेना की सरकार वहां पर है। शिवसेना सरकार उनको डिफेंड करती जा रही है। इस तरीके से गुण्डागर्दी देश के लोकतन्त्र में खतरनाक है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : फायर फिल्म के कारण दिलीप कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में गए। यह कोर्ट पर हमला है। इस तरीके से गुण्डागर्दी नहीं चल सकती। यह एक पोलीटिकल पार्टी के द्वारा किया गया है, इसलिए हम होम मिनिस्टर से आग्रह करेंगे कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आप इसे कल उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। वे इस बात को यहां नहीं उठा सकते हैं। इस समय 'शून्य काल' नहीं चल रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आप कल इसे शून्य काल में उठा सकते हैं। आप सूचना दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह 'शून्य काल' है। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दीजिए। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि आप होम मिनिस्टर को बुलाएं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं होम मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वे सत्य बात लेकर कल सदन के सामने वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 16 पर विचार करेंगे। श्री मदल लाल खुराना वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री मदल लाल खुराना : कल दे देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा और यदि कुछ आपत्तिजनक बात हो तो इसे निकाल दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : आप कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ सकते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर चले जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि कुछ बात आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री मदल लाल खुराना : वो राष्ट्र विरोधी नहीं हैं और वो पाकिस्तानी नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : जो दिलीप कुमार पाकिस्तान का अवार्ड लेता है *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हम इससे सहमत नहीं हैं कि दिलीप कुमार पाकिस्तानी हैं। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, दिलीप कुमार ने 75 साल तक देश की सेवा की है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सरकार दिलीप कुमार को एंटी-नेशनल नहीं मानती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

आर० **कुमारमंगलम)** : महोदय, संसदीय काय मत्रा न वक्तव्य दिया था कि हमें दिलीप कुमार पर गर्व है; वे एक राष्ट्रीय कलाकार हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। उच्चकोटि के इस व्यक्ति के विरुद्ध बोले गए शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मैं आपसे इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकालने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यही तो मैंने कहा है *(व्यवधान)* देखिए, सरकार का व्यू हमने आपको बता दिया है *(व्यवधान)* हम उनकी बात से सहमत हैं। होम मिनिस्टर कल स्टेटमेंट देकर स्पष्ट कर देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर बात है और इसे सुधारा नहीं जा सकता है। वे किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गृहमंत्री कल वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने जो कहा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे : देश के सामने बहुत प्राबलम्स हैं *(व्यवधान)* केवल दिलीप कुमार ही नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हम बैठेंगे तो जरूर लेकिन एक कलाकार के बारे में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : इस प्रकार की सांस्कृतिक कट्टरता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, दिलीप कुमार देश के महान कलाकार हैं। उनके संबंध में इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना देश की मर्यादा पर खतरा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जिसके मन में जो आए वह बोले तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है। इसलिए आपको इसे देखना चाहिए। दिलीप कुमार जी के घर पर प्रदर्शन और अब सदन में इस तरह का बर्ताव *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 20 कॉफी (संशोधन) विधेयक पर विचार संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेंगे। श्री वी० राधाकृष्णन अपने विचार रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उनको फटकारें कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। *(व्यवधान)* आपका हुक्म सर्वोपरि है।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिल चुका हूं *(व्यवधान)* मैंने इस संबंध में सूचना भी दी है। कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट दीजिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम इस समय नए विषय पर चर्चा आरम्भ कर चुके हैं। *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं पहले माननीय अध्यक्ष जी से मिल चुका हूं और उन्होंने सभा में घोषणा की थी कि वे मुझे बोलने का अवसर देंगे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कल बोलिए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उन्होंने आज से चार दिन पहले कहा था कि मुझे अगले दिन बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं इस बारे

में स्पीकर साहब से मिला था। उन्होंने कहा था कि वह मुझे बोलने की इजाजत देंगे। मैं दो मिनट आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस समय हम कॉफी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी से मिल चुका हूं और उन्होंने सभा में घोषणा की थी कि वे मुझे बोलने की अनुमति देंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल बोलिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, सभा में उन्होंने घोषणा की थी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कल बोलिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, उन्होंने उस दिन कहा था, 'कल *(व्यवधान)*'

सभापति महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव अलग है। यह मायावती जी को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में है जोकि इस सभा की सदस्य हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर भी विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यदि इस सभा का एक सदस्य अपने प्राणों पर संकट का अनुभव करता है और उन्होंने उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उनको भाजपा से वि.हि.प. से खतरा है *(व्यवधान)* यह खतरा जो *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कल बोलिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यदि एक सदस्य इस प्रकार का आरोप लगाता है तो फिर मुझे कहां जाना चाहिए *(व्यवधान)* यदि मैं इसकी सूचना सभा में न दूं *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, क्या आप प्रत्येक सदस्य को अपनी मनमर्जी का विषय उठाने की अनुमति देंगे *(व्यवधान)* यह ठीक बात नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैंने सूचना दी है *(व्यवधान)* यह वह पत्र है जो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को दिया है *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, आज 'शून्य काल' नहीं है, तो इन विषयों को यहां क्यों उठाने दिया जा रहा है? *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, इस सभा का एक माननीय सदस्य अपने प्राणों का खतरा है *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, क्या आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि वे मुझे अनुमति देंगे *(व्यवधान)* महोदय, माननीय अध्यक्ष द्वारा यह कहा जाना कार्यवाही वृत्तान्त में है कि मैं अगले दिन बोल सकता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदय, इस पर विचार किया जा रहा है *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अगर कुमारी मायावती को जान की धमकी दी जाती है तो उन्हें सदन में आकर इस मामले को उठाना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खां, अगर आप इस मामले को कल उठाएंगे तो कोई कहर तो नहीं ढह जाएगा।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मामले को कल उठाऊं? *(व्यवधान)* ठीक है।

श्री सत्यपाल जैन : ऐसी कोई धमकी नहीं है *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस सभा में गम्भीर भूल हुई है *(व्यवधान)* सभा की कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, श्री दिलीप कुमार जी के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला विभिन्न माननीय सदस्यों ने उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री ने इसका उत्तर यह कहकर दिया था कि इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी कल एक वक्तव्य देंगे। अब, कृपया श्री राधाकृष्णन जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, कृपया मुझे कल बोलने की अनुमति दीजिए *(व्यवधान)* क्योंकि मैंने एक नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। अब श्री राधाकृष्णन अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, महिला आरक्षण विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए *(व्यवधान)* महोदय उचित तरीके से इसकी घोषणा नहीं की *(व्यवधान)* और हम ऐसा मानते हैं कि यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : यह पुरःस्थापित किया जा चुका है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हम महिला बिल के बारे में चाहते थे कि उसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हमने दूसरा सबजैक्ट ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम उसके लिए संघर्ष और प्रोटेस्ट वैल में भी आ गए। सरकार ने कहा था कनसैंसस नहीं होगा, यह विधेयक नहीं लाया जाएगा लेकिन खुराना जी और सरकार चाहती है कि सदन में इसी तरह की अशोभनीय घटना हो और पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को आघात पहुंचे। *(व्यवधान)* आसन का आदेश सर्वोपरि है। हम आपके हुक्म का इंतजार करेंगे। *(व्यवधान)* हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने इस मामले में क्या किया, हमें मालूम नहीं।

सभापति महोदय : वह बिल इंट्रोड्यूस हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, कानून के अनुसार इस तरह से करोड़ों के हितों पर आघात हो रहा है। इसलिए हम लोग इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। हम लोग कल वैल में आए थे और प्रार्थना कर रहे थे कि इस प्रकार का जन विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी कानून न लाया जाए

सभापति महोदय : आप संशोधन दीजिएगा, अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, जानकार लोग कहते हैं कि कानूनन इसमें संवैधानिक दृष्टि से संशोधन की जरूरत नहीं है। इसमें सरकार की मिलीभगत है। कानूनविदों ने कहा है कि संशोधन पिछले समय में नहीं माना गया था और संशोधन की जरूरत नहीं है, फिर इसमें कैसे होगा? *(व्यवधान)* सदन में हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे?

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अब आप बैठिए, आप अपनी बात रख चुके हैं। श्री राधाकृष्णन जी खड़े हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग बैठिए। आप बिल में संशोधन दीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, ये महिला का नाम पब्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। ये लोग महिला बिल के विरोधी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बूटा सिंह जी, आप बैठिए।

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : सभापति महोदय, ये लोग दलित महिलाओं की बैशाखी का सहारा लेकर ऊपर आना चाहते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है। जीरो ऑवर खत्म हो गया है। अभी बिल पर चर्चा हो रही है। श्री राधाकृष्णन जी

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, संवैधानिक संशोधन का सवाल है

सभापति महोदय : आप बैठिए। श्री राधाकृष्णन जी खड़े हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, देश की इतनी बड़ी जनसंख्या पिछड़ी जाति और दलित महिलाओं और अल्पसंख्यकों की है, उनका क्या होगा?

सभापति महोदय : क्यों नहीं होगा, आप अमेंडमेंट दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अगर आपका हुक्म है कि पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासी महिलाओं का आरक्षण होगा तो हमें आपका नियमन मंजूर है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मुझे भी एक बात कहनी है।

सभापति महोदय : नहीं, जीरो ऑवर नहीं है। प्लीज टेक योअर सीट।

श्रीमती कैलाशो देवी : सभापति महोदय, दलित महिलाओं को पीटा गया। इसलिए इन लोगों के मन में दलित महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, आप इनकी इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये महिला विरोधी हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप हाउस का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट के लिए बात करने दीजिए।

सभापति महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हम जीरो ऑवर में नहीं बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : फिर आप क्यों बोल रहे हैं? हम आपको इजाजत नहीं देंगे। आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

सभापति महोदय : नहीं, हम नहीं सुनेंगे। प्लीज टेक योअर सीट।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एक नए सदस्य हैं

सभापति महोदय : नहीं, आप नए नहीं हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हम यहां कुछ सीखने के लिए आए हैं। महिला बिल जिस ढंग से पेश किया गया, उस समय हाउस आर्डर में नहीं था। उस परिस्थिति में बिल इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था। हम आसन से उम्मीद रखते हैं कि जिस समय हाउस शांत रहेगा, उस समय इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : मेरा भी यही कहना है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सब क्या है? श्री वारकला राधाकृष्णन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, आज तक जितने भी विधेयक पेश हुए हैं, उनके लिए रूल्स एण्ड प्रोसीजर में लिखा है कि एक प्रक्रिया है और वह फॉलो होनी चाहिए और यह विधेयक संविधान में संशोधन करने जा रहा है इसलिए इस पर तो बिल्कुल प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस ढंग से यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया, वह सरासर गलत है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के बीचोबीच आने की निन्दा किए जाने पर भी वे एक मिनट में सभा के बीचोबीच आ गए थे। फिर वे अब प्रक्रिया के बारे में किस तरह बात कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, इस बिल को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। *(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि यह बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। *(व्यवधान)* इसमें रूल्स एण्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वारकला राधाकृष्णन जी आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप हाउस का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इन्होंने धोखा दिया है। *(व्यवधान)* सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति से यह बिल आएगा। कहां है आम सहमति?

श्री सत्यपाल जैन : आम सहमति हो गई है। आप अपनी तरफ बैठे सदस्यों से पूछिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप शांति से बैठिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप रेकार्ड देखिए कि कानूनन रूल्स और प्रोसीजर के जरिए बिल पेश हुआ है या नहीं। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम नहीं जानते कि बिल का क्या हुआ। इसलिए आपसे नियमन की अपेक्षा रखते हैं। महिला संशोधन बिल का क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राधाकृष्णन जी आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : यह कैसे बोलें। क्या कोई शरीफ आदमी इस समय बोल सकता है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। राधाकृष्णन जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम भी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

सभापति महोदय : आपको बोलने की इजाजत हमने नहीं दी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि इस समय शरीफ आदमी नहीं बोल सकता। हम जानना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू सहमत हैं कि ये सही बोल रहे हैं? *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.30 बजे

कॉफी (संशोधन) विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मेरा ख्याल है कॉफी (संशोधन) विधेयक सभा के पास है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं विधेयक का सीधे ही समर्थन नहीं कर सकता। मेरी कुछ आपत्तियां हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, सब लोग अपनी बातें बोलते चले जाएंगे और अव्यवस्था कायम रहेगी *(व्यवधान)* लेकिन और लोगों के बोलने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, सदन मर्यादा से चलता है और उसमें वह मर्यादा पूरी नहीं हुई है। हमारा कहना यह है कि बिल के इंट्रोडक्शन में मर्यादा पूरी नहीं हुई है *(व्यवधान)*

न (चण्डीगढ़) : मर्यादा पूरी हुई है।

श्री बूटा सिंह : ऐसे बात न की जाए, इसमें अपोजीशन से नहीं पूछा गया, जबकि अपोजीशन से पूछना चाहिए था *(व्यवधान)* सभापति महोदय, आप हमारी मर्यादा की बात नहीं सुन रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग राधाकृष्णन जी को बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : सर, ये लोग स्पीकर के बारे में कुछ बोल रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : श्री बूटा सिंह जी ने जो कुछ कहा है आप इस बारे में रूलिंग दे दें *(व्यवधान)* आप रूलिंग देखिएगा, रिकार्ड देखिएगा, टेपरिकार्ड देखिएगा।

श्री सत्यपाल जैन : सभापति महोदय, स्पीकर के बारे में इन्होंने जो कहा है, वह स्पष्ट होना चाहिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय को कैसे चुनौती दे सकते हैं? वे अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग नियम पालन कीजिए *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, हम नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन यह जानना पड़ेगा कि सदन की परिपाटी, ऊंचा आदर्श और संसदीय प्रणाली की मर्यादा पर क्या रूलिंग देना चाहते हैं *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : जिस परम्परा का आज आपने प्रारम्भ किया है उसी के अनुसार तो यह सब हो रहा है *(व्यवधान)* उस परम्परा से आपने काम करने का इरादा कर लिया है *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। हम लोग अनेक वर्षों से जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैंने महिला आरक्षण विधेयक पर मत विभाजन की मांग की थी।

सभापति महोदय : चूंकि विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है इसलिए अब विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के संबंध में आपत्ति नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, हाउस की परमीशन ली जाए। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, हाउस की प्रोसीडिंग्स देखी जाएं। *(व्यवधान)* वह बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह बिल इंट्रोड्यूस हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, सभा के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, संविधान के चौरासीवें संशोधन के विधेयक को नियमानुसार पुर:स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए हमारा प्रोटैस्ट है। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : चेयरमैन साहब, रूल फोलो नहीं किया गया है और बिल का इंट्रोडक्शन कर दिया गया है। रूल फोलो होना चाहिए। हमें मौका नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : महोदय, हम महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के समय मत विभाजन चाहते थे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप हमें अपनी बात कहने दीजिए कि रूल फोलो नहीं हुआ है। यह संविधान संशोधन विधेयक है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.36 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह, श्री अकबर अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.32 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.32 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री के० येरननायडू** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 72 के अनुसार इस सभा में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। महोदय माननीय मंत्री द्वारा विधेयक पुर:स्थापित करते हुए यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। उस समय इस सदन में कुछ भी नहीं सुना जा सका। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, नियम 72 को सुना जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह विषय अब समाप्त हो गया है। अब यह सभा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर और आगे चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, नियम का उल्लंघन किया गया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको उन मुद्दों को विधेयक को पुर:स्थापित करने के समय उठाना चाहिए था अभी नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : अब हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के संबंध में और आगे चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, नियम 72 को सुना जाए। *(व्यवधान)* नियम 72 का घोर उल्लंघन हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए अगले माननीय सदस्य को बुला रहा हूं। श्री टी०आर० बालू।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप उन सभी बातों से अवगत हैं। इस समय उस मुद्दे से संबंधित व्यवस्था का कोई प्रश्न उठना संभव नहीं है। वह मामला अब समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां आप नियमों और विनियमों को अच्छी तरह जानते हैं। उस मुद्दे को इस समय उठाना कैसे संभव है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा दिए गए विनिर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभापति जी, अगर इनको उस समय कोई एतराज था, तो यह लिखकर दे देते। *(व्यवधान)* महोदय यह बाद में सोची गई बात है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री विजय गोयल जी उनके साथ तर्क मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बूटा सिंह जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्षपीठ पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं। विधेयक पुर:स्थापित किया

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा चुका है। आप ऐसे समय में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री लाल मुनी चौबे जी आप कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय को किस तरह चुनौती दे सकते हैं?

(व्यवधान)

अपराह्न 4.37 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह, डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विरोध का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : आप अपने स्थानों से व्यवस्था का अपना प्रश्न उठाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको अपना व्यवस्था का प्रश्न विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के समय उठाना चाहिए था, अभी नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दे दिया है। वह बात समाप्त हो चुकी है। वह विषय अब समाप्त हो चुका है। अब मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। अगर आपको कोई संदेह है तो आप अध्यक्ष महोदय से मिलकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। एक बार विधेयक पुर:स्थापित हो जाए तो वह मामला समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कॉफी (संशोधन) विधेयक के संबंध में आपका क्या कहना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदय *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा, पहले आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह कानून का पूरी तरह उल्लंघन है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको एक मौका दूंगा। यह तरीका नहीं है।

अपराह्न 4.42 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, उन्होंने कानून, संविधान, औचित्य और उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। वास्तव में उन्होंने हर बात का उल्लंघन किया है। *(व्यवधान)* उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : ये पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं, फिर भी रोज वैल में चले जाते हैं। जिस दिन आप ऊपर बैठेंगे और हम लोग अन्दर आयेंगे तो आप हमको कैसे रोकेंगे? आप तो पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं, आपको अन्दर नहीं जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कानून का पालन करिए।

श्री विजय गोयल : आपको वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम नियम की बात सुनेंगे। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप कैसे हाउस को कन्ट्रोल करेंगे? आप रोज हाउस नहीं चलने देंगे, जनता का इतना पैसा खराब हो रहा है। *(व्यवधान)* उनका नाम सभापति के पैनल में भी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके साथ तर्क न कीजिए।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कृपया नियम 72 के अंतर्गत मेरी बात सुनिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे आप पूरी तरह अवगत हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : क्योंकि मैं वरिष्ठ सदस्य हूं इसलिए आपको मेरी बात सुननी चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिर्णय दे दिए जाने के बाद आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं?

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जब एक बार विधेयक पुर:स्थापित हो जाता है तो उस मामले को बार-बार उठाने का सवाल ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने कहा कि तुरन्त सुनेंगे। सभापति महोदय, आपने कहा कि सुनेंगे। *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : ऐसा कैसे हो सकता है?

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्षपीठ को किसी की गई गलती को सुधारने का अधिकार दिया गया है। यह बताया गया है कि एक गलती हुई है। अध्यक्षपीठ को उसे सुधारने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको परम्परा और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। हम लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नियम-कायदे की बात है, नियम, परम्परा और मर्यादा की बात है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक बार वह मामला समाप्त हो जाने के बाद मैं आपको इस पर और आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बिना सुने कैसे फैसला होगा? *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.44 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। एक बार विधेयक पुर:स्थापित कर दिए जाने के बाद मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कल 15 दिसम्बर, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंलगवार, 15 दिसम्बर, 1998/ 24 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०—48/7/11/98 (एन०)

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।